खण्ड-348, अंक-4
शुक्रवार, 10 माघ, शक संवत् 1902
(30 जनवरी, 1981 ई0)

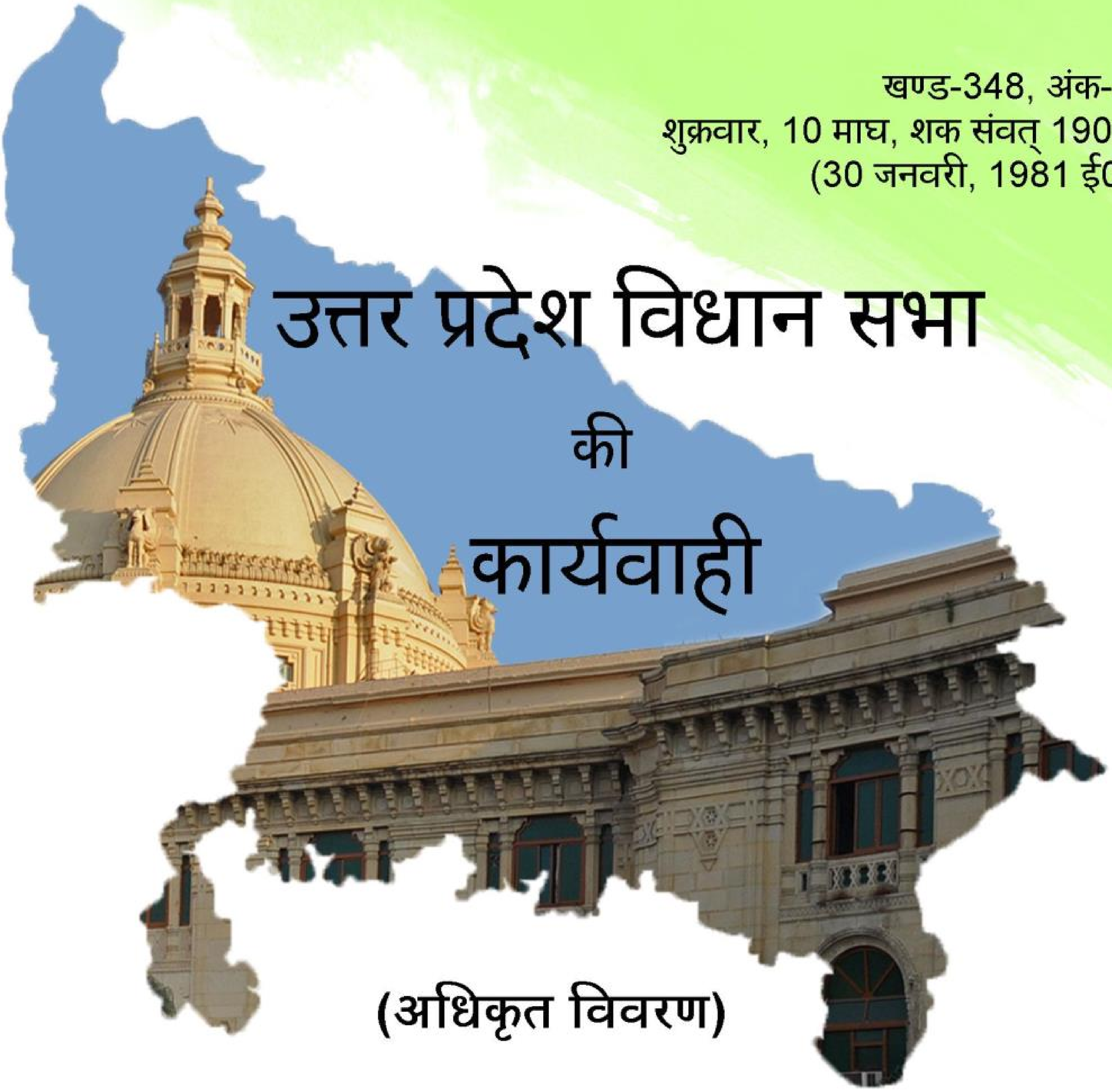

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 348 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	427–430
शहीदों को श्रद्धांजलि ..	431
प्रश्नोत्तर ..	431–509
झांसी नगर में राशन कार्ड की व्यवस्था तथा राशन वितरण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	509
लखनऊ में एच० ए० एल० के प्रदर्शनकारी मजदूरों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	510
देवरिया जनपद की प्रतापपुर शुगर मिल में मजदूरों तथा किसानों के मध्य मारपीट तथा पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	510
रियासत रामपुर की कोठी में हीरे जवाहारात की चोरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	511
इलाहाबाद के चकबन्दी विभाग में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	512
स्वास्थ्य मन्त्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	513–515
श्री विद्यासागर नौटियाल को मुख्य मन्त्री कार्यालय के बाहर गलियारे में दो पुलिस जनों द्वारा रोके जाने के सम्बन्ध में उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	515–517
कार्य सूची में शामिल किये बिना मुख्य मन्त्री द्वारा कतिपय नीति विषयक वक्तव्य देने पर आपत्ति ..	517–518
पर्वतीय जिलों की पर्वतीय पट्टियों के छोटे-छोटे क्षेत्रों पर अनधिकृत कब्जों का नियमितीकरण के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	518–519
खान्डसारी में नियोजित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में वक्तव्य .	519–520
प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों की कक्षा 8 की गृह परीक्षा लिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	520
प्रदेश में खान्डसारी चीनी पर लेवी तथा लेवी मूल्य के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	520
श्रम मन्त्री द्वारा सफाई मजदूरों के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने का प्रयास ..	520–521
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव..(स्वीकृत) ..	522
उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन के संकल्प को वापस लेने का प्रस्ताव..(स्वीकृत) ..	522

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 को वापस लेने का प्रस्ताव..(स्वीकृत) ..	523
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	523
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के मध्य महिला पुलिस द्वारा महिला सदस्यों को सदन से बाहर निकाले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	523-524
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव..(जारी) ..	524-574
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	574-575
बजट साहित्य की वितरण व्यवस्था ..	575
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव..(जारी) ..	575
वित्तीय वर्ष 1981-82 का आय-व्ययक ..	576-601
नत्थियां ..	603-624

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–350

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खाँ नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री 'लल्लू' (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नामनिर्देशित आंग्ल भारती
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुंजर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री उर्फ बालराज (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)

जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा श्री, (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभूनारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल बोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)

भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मन्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनी, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निगम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)

रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, (श्रीएटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यासागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
बुद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सुरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्द सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निदेष, श्री (मेरठ)

नोट--मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मंत्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

शहीदों को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष--

आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन रखना है, आप सब कृपया दो मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए ।)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 30 जनवरी, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में दी गयी सहायता

*1--श्री हर गोविन्द वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाढ़ ग्रस्त लोगों को क्या सुविधायें देने जा रही है और किसान को क्या छूट और सहयोग दे रही है ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जैराज गौतम)--

प्रदेश के बाढ़ प्रभावित लोगों में नियमानुसार अहेतुक सहायता, गृह अनुदान तथा आपदा तकावी के वितरण की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी । बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों से नवम्बर, 1980 तक कृषि देयों की वसूली स्थगित रखी गयी तथा उन क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों व ऐसे कृषकों, जिनकी फसल को 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की क्षति हुई, उनके बच्चों का शिक्षण शुल्क कक्षा 7 से विश्वविद्यालय स्तर तक माह अगस्त, 1980 से जनवरी, 1981 तक माफ किया गया है । इसके अतिरिक्त जहां 50 प्रतिशत से अधिक क्षति खरीफ में हुई वहां सहकारिता विभाग के अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया और लघु तथा सीमान्त कृषकों को रासायनिक उर्वरकों, बीज और कीटनाशक औषधियों पर अनुदान दिया गया । जहां तक छूट देने का प्रश्न है क्षति के अनुसार निम्नवत् छूट दी जाती है--

सामान्य उपज में हानि का प्रतिशत	छूट का प्रतिशत
50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक	40 प्रतिशत
60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक	60 प्रतिशत
75 प्रतिशत अथवा उससे ऊपर	शत प्रतिशत

श्री ऊदल--

श्रीमन्, आपसे मैं व्यवस्था चाहता हूं । आपके पूर्ववर्ती अध्यक्ष के समय से यह प्रथा चली आ रही है कि माननीय नेता सदन, मुख्य मंत्री हमेशा सदन में उपस्थित रहते थे । श्री सम्पूर्णानन्द जी के समय में भी तथा श्री गोविन्द बल्लभ पन्त जी के समय में भी कभी मुख्य मंत्री सदन से गायब नहीं रहे । आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह से मुख्य मंत्री जी सदन की उपेक्षा कर रहे हैं, यह हम सबके लिए, प्रजातंत्र के लिए कलंक की बात है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं विशेष रूप से आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न-काल है । आप प्रश्न-काल को व्यतीत हो जाने दें, उसके बाद में आपकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखूंगा ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष से लगातार ओला, बाढ़ और सूखा का प्रकोप रहा है । इस बाढ़, सूखा और ओला के कारण किसानों की हालत बहुत खराब हो गयी है । इस आपदा के अन्तर्गत उसकी दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है । किसी भी किसान को आज खाना नहीं मिल रहा है । जहां तक मुझे जानकारी है, करोड़ों रुपया सरकार ने अनुदान के रूप में बांटा है, किन्तु गरीब किसानों के पास उस अनुदान का पैसा नहीं पहुंचा । बेचारा किसान उस अनुदान को लेने से वंचित रह गया । हमारे सीतापुर जिले में ही अनुदान के रूप में 1 करोड़ और 5 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गयी, परन्तु गांव के किसानों तक क्या वह पहुंची ? इसकी जानकारी आपको नहीं है । ऐसी स्थिति में क्या सरकार यह बतलायेगी कि किसानों के ऊपर लगातार तीन साल से बीमारी, गरीबी तथा ऋण का जो बोझ पड़ा है, उसके लिये सरकारी या अर्धसरकारी व्यवस्था जो है, उसके द्वारा उनके कष्ट को दूर कर राहत प्रदान करने का कष्ट करेगी ? ब्याज जो है उसे तुरन्त माफ करने का कष्ट करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

यह बात सही है कि इधर दो-तीन फसलें ठीक से नहीं हुई और किसान काफी तकलीफ में रहा । इसके लिए सहायता भी दी गई है यथा संभव । लगभग 40 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है । जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, मान्यवर, वसूली में भी काफी सहायता दी गई है । जो चालू वसूली है, उसमें स्केयरसिटी मैनुअल के हिसाब से किया जाता है कि अगर 12 आने से ज्यादा नुकसान है, तो शत प्रतिशत छूट हो जायगी, 10 आने से 12 आने है, तो 10 आने की छूट हो जायेगी, 8 आने से 10 आने तक हानि है, तो 6 आने की छूट हो जायगी । इस के अलावा जो देय बाकी है दो-तीन साल से उस में भी राहत दी गई है । जो बकाया राशि जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा की हानि हुई है वहां 6 किस्तों में वसूली की जायगी जिसका मतलब हुआ कि इस वक्त केवल 1/6 वसूली की जायगी और जहां 50 प्रतिशत से कम की हानि है, वहां 3 किस्तों में वसूली की जायगी जिसका मतलब है कि 1/3 भाग अभी देना होगा ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

जो अनुदान का रुपया है, वह मेरे ही जिले में 50 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से बांटा गया है । उन गरीबों के पास आखिर कहां से पैसा आ गया जिसके बल बूते पर 1/6 वसूली करने का आप प्रयास कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसके बल बूते के कारण किसानों से ऋण लिये सरकार चल नहीं सकती, अपना खर्च चला नहीं सकती । सरकार ब्याज माफ करने का प्रस्ताव लाय या अपनी कैबिनट में पास कराये । पूरे प्रदेश में किसानों का लगान समाप्त करने का क्या सरकार प्रयास करेगी ? अगर नहीं, तो क्या किसानों से लड़ने के लिए वह तैयार है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, यह बात सही है कि किसानों को दिक्कत है, लेकिन यह बात भी अपनी जगह पर सही है कि पैसे का सरकुलेशन होता है, एक तरफ आता है और दूसरी तरफ वह किसानों के पास या दूसरे लोगों के पास जाता है तकावी के रूप में, अनुदान के रूप में। इधर इस तरह का चक्र चल गया। दो तीन फसलों में स्थगित होता रहा बार-बार वह बोझ सा मालूम पड़ता है। स्थगित हो जायगा, तो वह और बोझ बढ़ जायगा। इसलिए जहां तक छूट का सवाल है, वह मैंने पहले बता दिया कि उस फ्रेमवर्क में छूट का प्रबन्ध है और इस तरह से जो बाकी देय है, उस में छूट का प्रबन्ध है। लेकिन असल में दिक्कत लगान की नहीं है जैसा माननीय सदस्य ने कहा। जो देय है, जैसे किसी ने इंडस्ट्री के लिए ले लिया, किसी ने और काम के लिए लिया है, वह जो स्थगित होता चला आया बार-बार। अब उसकी वसूली हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इस तरह की वसूली हो रही है। अपने तरीके से वसूली हो रही है।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्या यह सरकार किसानों से लड़ने के लिए तैयार है ? इसका जवाब दे दें हमारे मंत्री जी तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—

इसका क्या जवाब दिया ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। अच्छा होता श्री वर्मा जी की बात पर पूरी लगान माफी कर देते, नहीं किया तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं। शासन की ओर से एक रेडियोग्राम गया है 31 दिसम्बर को जिसके अन्दर सूचित किया है कि 50 फीसदी लगान इस दर से माफ किया जायगा। मेरी जानकारी यह है कि खातेदारों के अनुसार हिसाब बनेगा और शासन यह स्वीकार करता है कि खातेदारों के हिसाब की जानकारी अभी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि इसके पहले आपने जो रेडियोग्राम भेजा है, उसमें कहा कि जिनकी जानकारी नहीं आयी है, उनको उससे निकाल दिया जाय और बाकी खातेदारों को छूट मान ली गई है। जिन खातेदारों का हिसाब जिलाधिकारियों के पास नहीं आया है उनका हिसाब कैसे बनेगा, उनके सम्बन्ध में आपने क्या व्यवस्था की है ? दूसरी बात यह है कि लगान वसूल करने के अलावा कई अन्य बातें भी होती हैं। वसूली स्थगित होने का खर्च भी होता है, व्याज भी उसमें लगाया जाता है। तो आप यह सब माफ करने की व्यवस्था कर देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सही है कि जो रिलीफ खतौनी बनती है, उसमें कुछ टाइम लगता है और इस वक्त जो अतिवृष्टि से अनुदान बांटने का काम था उसमें भी देर लग गई थी। यह शासनादेश जा चुका है कि जिन जिलों में जिलाधिकारी यह समझे कि यह एरिया, यह तहसील या यह परगना इतना प्रभावित है और उसके अन्तर्गत आता है, तो उसको रिलीफ देना शुरू कर देंगे और इसका इन्तजार नहीं करेंगे कि रिलीफ खतौनी आये और तब आदेश जांय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे पास जी0 ओ0 की कापी है और इसे मैं किसी दफ्तर से मांग कर नहीं लाया हूं यह माननीय सदस्यों को वितरित की गई है और इसमें लिखा हुआ है कि खातेदार के हिसाब से देंगे। आप इतना रिलीफ कैसे दे देंगे ? यदि किसी के नाम से सूचना नहीं आयी है कि इतना-इतना नुकसान हुआ है, तो किस तरह से रिलीफ दिया जायेगा। मान्यवर, अगर आपके इस जी0 ओ0 में कुछ विसंगतियां रह गई हैं तो कृपा करके आप दूसरा रेडियोग्राम तुरन्त जिलाधिकारियों को भेज दें ताकि ऐसे खातेदारी से रिकवरी न हो सके ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मैं जहां तक समझता हूं माननीय सदस्य के पास जो पेपर है, वह बहुत स्पष्ट है और मैं फिर से उसे और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिलाधिकारियों को यह आदेश दिये जा चुके हैं कि वे जहां समझें वहां रिलीफ का काम देना प्रारम्भ कर दें। जिलाधिकारियों से मेरा मतलब उनसे नीचे के एस0 डी0 ओज0 तहसीलदार्स आदि से है। मान्यवर, परम्परा हमेशा से रही है कि ऐसे मामलों में जहां अतिवृष्टि हुई हो, सूखा पड़ा हो या बाढ़ आयी हो, तो उसमें हमेशा टाइम लगता है और देर होती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं छूट के बारे में पूछ रहा हूं कि वसूली जो आप स्थगित करते हैं, उस पर ब्याज लगाते हैं, तो उसकी वसूली माफ की जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा है जिसके बारे में आफ-हैंड में कुछ नहीं कह सकता हूं। यह पालिसी का सवाल है।

श्री विजय सिंह राना—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो छूट स्थगित हो रही है और दूसरी तरफ वसूली का सवाल हो रहा है। सारे जिलों में पुरानी वसूली स्थगित की गई थी, उसे कड़ाई के साथ वसूल किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में क्या नियम हैं। दूसरी बात यह है कि जो छूट दी गई है, उसके सम्बन्ध में आपने क्या नियम बनाये हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, यह तो बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कह चुका हूं कि छूट किस तरीके से किन-किन मामलों में मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर दे दिया है क्या तरीका होगा।

श्री रियासत हुसैन—

जो छूट आपके यहां से मिलती है, उसमें काश्तकारों की दोनों फसलों को कैलकुलेट करके कितना नुकसान बनता है, उसके हिसाब से छूट दी जाती है जैसे सन् 1978 में खरीफ की पूरी फसल खराब हो गयी और 1979 में फिर सूखे से दूसरी फसल बरबाद हो गयी उसका हिसाब लगा कर छूट दी गयी तो क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि मैनुअल में कोई परिवर्तन करेंगे कि जो फसल प्रभावित हो उसी को आधार बना कर छूट दे दी जाय ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, पता नहीं हमारे माननीय सदस्य रियासत साहब यहां पर वह बात कैसे ले आये जिस फसल को नुकसान होता है, उसी में छूट मिलती है। यह इत्तफाक की बात है कि पिछले साल लगातार दोनों फसलों को नुकसान हो गया।

(अगला प्रश्न लिये जाने पर) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

शांत रहें, आप बैठें 15 मिनट एक ही प्रश्न को हो गये बाकी प्रश्न भी होने हैं।

गन्ना मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग

*2--श्री मित्रसेन--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गन्ना मिल मालिकों पर कृषकों के गन्ना मूल्य के बकाए तथा समय-समय पर उनकी अक्षमता को देखते हुए प्रदेश सरकार गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) --

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार से सम्बन्धित विषय है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार ने गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये नवम्बर, 1978 में शुगर अण्डरटेकिंग (टेकिंग ओवर आफ मैनजमेंट) ऐक्ट, 1978, लागू किया जिसके अन्तर्गत उन चीनी मिलों के प्रबन्ध हेतु कस्टोडियन नियुक्त करने की व्यवस्था है जिन पर 10 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य बकाया हो।

श्री मित्र सेन--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में राष्ट्रीयकरण से इन्कार किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधान सभा में वर्ष 1956 में कोई ऐसा प्रस्ताव पास हो चुका है, जो राष्ट्रीयकरण के संबंध में था। उनको क्या इस बात की जानकारी है ? दूसरा प्रश्न यह कि जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे, उस समय एक तीन सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसमें माननीय गैंदा सिंह भी एक सदस्य थे, तो उस कमेटी ने जो निर्णय किये थे क्या उनको सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं मैं इसके विषय में जानकारी करूंगा।

श्री हुकम सिंह--

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में इस समय कितनी चीनी मिलें ऐसी हैं, जिन पर किसानों का रुपया बाकी है और उसकी अदायगी के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

यह जो इस वक्त प्रश्न है, उससे संबंधित नहीं है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह निर्णय आप करेंगे मंत्री जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी यह जो प्रश्न आपसे किया गया है कितना बकाया किसानों का मिलों पर है जिसको आपने कहा इससे संबंधित नहीं है । यह प्रश्न स्वीकार किया गया है । यदि आपके पास सूचना नहीं है तो कह सकते हैं कि सूचना लेकर बता दूंगा । सूचना की आवश्यकता है यह आप कह सकते हैं ।

श्री भानुप्रताप सिंह—

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह था कि प्रश्न का जो दायरा है, वह बड़ा है । इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब बैठिये, कह दिया कि सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हुकम सिंह—

क्या मंत्री जी को कोई ऐसी भी जानकारी है कि प्रदेश में जितनी चीनी मिलें हैं, उनमें किसी चीनी मिल के ऊपर कोई बकाया किसानों का है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, बहुत सी चीनी मिलों पर काफी बकाया है और सरकारी नियन्त्रण वाली चीनी मिलों पर भी बकाया है तथा प्राइवेट सेक्टर वाली मिलों पर भी बकाया है । इसके मेरे पास ब्रेक-अप हैं, यदि आपकी सन्तुष्टि हो जाए, तो मैं इसको बताना चाहूंगा । गन्ना मिल अवशेष भुगतान हेतु हम लोगों ने कुछ सहायता दी थी और उसके बाद जो भुगतान बच रहा, उसके लिए... (व्यवधान) दिनांक 30-11-80 तक निजी क्षेत्र में 2.14 राज्य चीनी निगम पर 1.44, अधिकृत नियन्त्रक वाली पर 0.02, शासकीय अधिष्ठाता वालियों पर 1.23, सहकारी चीनी मिलों पर 0.27 और कस्टोडियन की मिलों पर 1.04 करोड़ रुपया बकाया था । इस प्रकार कुल 6 करोड़ 14 लाख रुपया का बकाया है ।

श्री चेतराम गंगवार—

मंत्री जी ने बताया कि राष्ट्रीयकरण की नीति भारत सरकार का विषय है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रदेश की सरकार की इसमें क्या नीति है ? और यदि वह मिल मालिकों के शोषण से बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण को किसानों को और मजदूरों के हित में समझते हैं, तो क्या वह अपनी संस्तुति भारत सरकार को करेंगे कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

किसानों को शोषण से बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई प्रदेश सरकार द्वारा की गई और समय-समय पर जो निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त हुए, उसके अनुसार हमारे यहां शुगर इंडस्ट्रीज कमीशन एक बनाया गया था, जिसमें जस्टिस भार्गव उसके अध्यक्ष थे और 1976 में...

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न है, लेकिन यह उलझा रहे हैं ।

श्री भानुप्रताप सिंह---

तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का यह विषय है और वही इसमें कोई निर्णय लेने में सक्षम है ।

श्री मित्रसेन--

मैं जानना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी ऐसी चीनी मिलें हैं जिन पर 10 परसेंट से ज्यादा बकाया है ? दूसरी बात, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इनकी सरकार सिद्धान्त रूप से राष्ट्रीयकरण को मानती है या नहीं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न दो तीन तरह से उठाया गया है । यह एक विस्तृत विषय है और केन्द्रीय सरकार ही इस पर निर्णय ले सकती है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह बड़ा उचित प्रश्न किया गया था और मंत्री जी इसको घुमा रहे हैं । बड़ा स्पेसिफिक सवाल था कि क्या सरकार इस नीति से सहमत है या नहीं ? इस पर डिसीजन कोई भी ले आप इस पर हां या नहीं में उत्तर दे दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैं तो यह कह रहा हूं कि इसके लिए केन्द्रीय सरकार ही सक्षम है । इसी सदन में पहले भी यह प्रश्न उठा था और माननीय गन्ना विकास मंत्री, चन्द्रावती इसका उत्तर दे रही थीं तो . . . .।

(व्यवधान)

मैं सादर आग्रह करना चाहता हूं कि कृपा करके इस विषय पर मेरी बात सुन लें । उस वक्त जब माननीय गन्ना विकास मंत्री चन्द्रावती जी इसका उत्तर दे रही थीं, तो उस समय सदन के नेता माननीय राम नरेश यादव, मुख्य मन्त्री थे उन्होंने उस वक्त उठकर यह कहा था कि हमारी सरकार राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है । तब आपको अवसर मिला था और चौधरी चरण सिंह केन्द्र में गृह मन्त्री थे और वहां पर आपकी सरकार थी, परन्तु उन्होंने भी राष्ट्रीयकरण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन, एक बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न किया गया, उसका उत्तर आप चाहे कितनी ही तरह से दें, लेकिन श्रीमन, हमारा निवेदन है कि बनारसीदास जी ने कोई जवाब दिया, आप भी कोई जवाब देने के लिए स्थिति में हैं या नहीं ? यह बताइये ।

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

यह प्रश्न जो माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया है उसका स्पेसिफिक उत्तर यह है कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

[दिनांक 30 जनवरी, 1981 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ--कानपुर रोड, बाराबिरवा में ताड़ी की दुकान के सामन अनधिकृत दुकानें

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में लखनऊ कानपुर रोड पर बाराबिरवा में देशी शराब की दुकान तथा ताड़ी की दुकान के आस-पास अनधिकृत रूप से दिन भर दुकानें लगती हैं जिससे वहां के नागरिकों को सड़क पर चलना नामुमकिन हो जाता है तथा दुर्घटना घटित होने का भय रहता है ? क्या सरकार उन अवैध दुकानों को हटवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, ऐसी दुकानें लगती थीं लेकिन अब अवैध रूप से लगने वाले सभी ठेले एवं खोन्चे आदि हटा दिये गये हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरी निश्चित जानकारी है मान्यवर, कि उक्त स्थान पर ताड़ी अब भी बिकती है । दुकानें जहां की तहां कायम हैं और ताड़ी वितरक लोग जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर रहे हैं । अगर माननीय मंत्री जी अभी वहां जायं तो देखेंगे कि अभी भी वहां पर दुकानें लगी हुई मिलगी । मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि क्या मेरी जानकारी को ध्यान में रखते हुए पुनः जांच करवा लेंगे और जिस अधिकारी ने यह गलत रिपोर्ट दी हो उसके खिलाफ कार्यवाही करायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है उस पर जांच करायी गयी थी । हमारे अधिकारी जब वहां पर गये, तो उस समय 9 व्यक्तियों का चालान कराया गया । अब यह पता चला है कि जब चालान हुआ उसके बाद वहां पर भीड़ नहीं लगती है । आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है लेकिन जैसा माननीय विधायक जी कहते हैं, मैं फिर से इसकी जांच के लिए भिजवा दूंगा ।

जिलाधिकारी कार्यालय, लखनऊ में भूमि सत्यापन सम्बन्धी लम्बित प्रार्थना-पत्र

2- -श्री बिहारी लाल--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में 30 सितम्बर, 1980 को भवन निर्माण अग्रिम से संबंधित भूमि के सत्यापन हेतु सरकारी कर्मचारियों के कितने मामले मार्च, 1979 से लम्बित हैं ? और क्या इन मामलों में जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय द्वारा भूमि सम्बंधी अभिलेखों की प्रतियां जानबूझ कर काफी समयान्तर में मांगी जाती रही हैं ? यदि हां, तो विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और अभिलेखों को शुरू में ही एक साथ न मांगे जाने का क्या कारण है ?

श्री जैराज गौतम--

मार्च, 1979 से सितम्बर, 1980 तक का कोई भी मामला लम्बित नहीं है तथा भूमि सम्बन्धी अभिलेखों की प्रतियां मांगे जाने में भी विलम्ब नहीं हुआ है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बिहारी लाल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1979 में कितने प्रार्थना-पत्र दिए गए थे और क्या उनमें अधिकारियों द्वारा कोई हेरा-फेरी की गयी थी और वे प्रार्थना-पत्र वहां से गायब हो गये। यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मार्च, 1979 से सितम्बर, 1980 तक 480 मामले थे जिनमें से 396 संदर्भों का निस्तारण हो गया है। इनमें 6 रद्द किये गये हैं। 86 ऐसे संदर्भ थे, जिन में सूचना अपूर्ण थी और पूर्ण सूचना मांगने हेतु भेजे गये हैं। इनमें देर लगने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे पास पूरे चार्ट की कापी है कि कौन से संदर्भ आये और कब-कब उनका निस्तारण हुआ। जो संदर्भ 1 मार्च, 1979 से 20 मार्च, 1979 के थे, उनका डिस्पोजल हो गया है। इसी तरह से 2 मार्च, 1979 से 9 मार्च, 1979 तक के संदर्भों का निस्तारण हो गया है। यदि कोई ऐसा मामला हो माननीय सदस्य उसको अलग से लिख कर दे सकते हैं मैं उसकी जांच करा लूंगा। देर जो ऐसे मामलों में होती है, उसका दोष कार्यालय पर नहीं होता बल्कि जो कागज या सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं, वे अपूर्ण रहते हैं। उनको फिर वापस किया जाता है जैसे रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट नहीं होता, और यदि कोई नाबालिग है, उसके माध्यम से रजिस्ट्री हुयी है, तो जज साहब का सर्टिफिकेट नहीं है इत्यादि। तो इसमें कुछ डिले होती है। इस प्रकार से 86 मामले ऐसे हैं जिनमें पूरी जांच होनी है।

ग्राम दौलतपुर, जिला आजमगढ़ के श्री सूरज को भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*3--श्री जंग बहादुर--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 23-8-80 को, सूरज एवं सरजू हरिजन निवासी ग्राम दौलतपुर पो० दौलतपुर त० लालपुर, जिला आजमगढ़ की कोई दरख्वास्त बाबत आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु प्राप्त हुई थी जिस पर मंत्री महोदय ने जिलाधिकारी को अविलम्ब कार्यवाही का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जैराज गौतम--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जंग बहादुर--

यह जो प्रश्न मैंने किया था वह इस आशय से किया था कि 5 वर्ष पूर्व हरिजनों को भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ सशक्त लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया। पट्टों में उनका नाम दर्ज है और लगान भी उन्हीं से वसूल किया जा रहा है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने अगस्त म एक आदेश भी

निकाला था, लेकिन अधिकारियों की ढिलाई के कारण उन्हें आज तक कब्जा नहीं मिला । इस प्रश्न को भी किए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, तो कब तक माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी करके बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

15 दिन बाद फिर यह प्रश्न आयेगा । फिर देख लेंगे ।

बलिया जिले के ग्राम चेनपुर गुलेरा की चकबन्दी

*4--श्री पंचानन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चेनपुर गुलोरा, तहसील-रसड़ा, बलिया में चकबन्दी का कार्य धारा 9 की कार्यवाही होने के बाद रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी का कार्य पुनः कब प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जैराज गौतम--

जी हां ।

यह गांव घाघरा से प्रभावित है तथा चकबन्दी में लिए जाने के पूर्व इस गांव में अभिलेख क्रियायें सम्पन्न हुई थीं । गांव में घोर पार्टी बन्दी है । एक पक्ष का कहना है कि अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत ग्राम का जो नक्शा बना और जिसको चकबन्दी का आधार माना गया है, वह गलत है । गांव का सरहद हटाकर बनाया गया है । अतः पहले गांव की सरहद और नक्शा ठीक किया जाए इसके बाद ही चकबन्दी होनी चाहिए । इन परिस्थितियों में जिलाधिकारी/जिला उप संचालक, चकबन्दी ने ग्राम को धारा 6 के अन्तर्गत प्रख्यापन की संस्तुति की है जिस पर कार्यवाही की जा रही है । अतः चकबन्दी का कार्य इस गांव में पुनः प्रारम्भ कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पंचानन--

मैं यह जानना चाहता हूं कि धारा 9 की कार्यवाही कब हुई थी और चकबन्दी रोकने के आदेश कब दि गए ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जब धारा 9 का प्रकाशन हुआ, तो उसी समय वहां आपस में झगड़े शुरू हुए । धारा 9 का प्रकाशन कब हुआ इसकी निश्चित तारीख मेरे पास इस समय नहीं है । मूल प्रश्न से इसका सम्बन्ध भी नहीं है । घाघरा के किनारे के गांव कटते रहते हैं और उसका नक्शा बदलता रहता है । इसलिए इसमें झंझट पैदा हो जाते हैं । इस कारण से ही कोई और चारा नहीं था सिवाए इसके कि चकबन्दी रोक दी जाए । फिर वहां इसकी अगर आवश्यकता होगी, तो इस पर विचार किया जाएगा ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी वह कारण बताएंगे कि जिनके कारण से धारा 9 का प्रकाशन होने के बाद चकबन्दी स्थगित की गई और वह कब स्थगित हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जब लोगों को इसकी जानकारी हो गई कि धारा 9 का प्रकाशन हो गया है, तभी वहां पर विवाद पैदा हुए और तभी चकबन्दी रोकने का निर्णय लेना पड़ा ।

श्री पंचानन--

माननीय मंत्री जी का उत्तर सत्य से परे है । धारा 9 का प्रकाशन कब हुआ, यह तारीख मंत्री जी ने नहीं बताई । घाघरा के किनारे तो और भी बहुत से गांव हैं, जहां पर चकबन्दी हुई है । क्या यह सही नहीं है कि वहां पर राजनैतिक दबाव के कारण चकबन्दी रोकी गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

राजनैतिक दबाव से नहीं, लेकिन वहां पर कुछ आपसी तनाव पैदा हो गए थे, जिसको रोकने के लिए यह करना पड़ा ।

श्री पंचानन--

जब मंत्री जी के पास तारीख नहीं है तो मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, तारीख तो आई नहीं, इसलिए मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित करा दें ।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, फैजाबाद को दिया गया चकबन्दी मुकदमों का अधिकार

*5-श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर (चकबन्दी), फैजाबाद जनपद में तीन दिन बहैसियत बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कार्य करते हैं और बकिया 3 दिन बाराबंकी जनपद में बतौर डिप्टी डायरेक्टर, चकबन्दी मुकदमों का फैसला करते हैं ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है और इस सम्बन्ध में दिनांक 17-9-1980 को बाराबंकी जनपद के वकीलों द्वारा कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी, आयुक्त, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश आदि को दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जैराज गौतम--

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी श्री रमेश चन्द्र सक्सेना को शासन द्वारा कार्य की अधिकता के कारण निगरानियों को सुनने हेतु संचालक चकबन्दी के अधिकार दिए गए हैं जिसके अनुसार वह जनपद बाराबंकी के निगरानियों का निस्तारण सप्ताह में दो दिन इस समय कर रहे हैं । जनपद बाराबंकी के वकीलों का कथित शिकायती पत्र दिनांक 17-8-1980 प्राप्त नहीं हुआ अतः इस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि फैजाबाद के एस० ओ० सी० 4 दिन फैजाबाद बतौर एस० ओ० सी० काम करते हैं और बाराबंकी में बतौर डिप्टी डाइरेक्टर दो दिन काम करते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह कहां तक वैधानिक और उचित है कि एक हफ्ता में दो कैपेसिटी में काम करें ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह बात सही है कि जो फैजाबाद के एस० ओ० सी० हैं, वह यहां बाराबंकी में डिप्टी डाइरेक्टर की हैसियत से निगरानी सुनने के लिए दो दिन बैठते हैं और यह पावर उनको शासन की ओर से दी गयी है। बाराबंकी की जो चकबन्दी है, वह करीब-करीब निपट चुकी है, करीब 30 गांव रह गये हैं, तो यह मुनासिब समझा गया कि वहां से आकर निगरानी सुनें। उनको शासन द्वारा अधिकृत किया गया है यह काम करने के लिए।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब एस० ओ० सी० महोदय डिप्टी डाइरेक्टर के काम का अन्जाम देते हैं, तो तनख्वाह उनको किस पद की मिलती है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, तनख्वाह तो जो उनको मिलती थी, वही मिलती है, उनको केवल आने जाने का भत्ता मिलता है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि उनको दिनांक 17-8-1980 का कोई पत्र वकीलों का नहीं मिला। मान्यवर, उस शिकायती-पत्र की एक प्रति मुझे भी मिली थी, मैंने उस पत्र को अपने एक डी० ओ० के साथ माननीय राजस्व मंत्री जी और चकबन्दी आयुक्त को भेजा था। मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानते हुए क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और जिन अधिकारियों ने यह गलत सूचना दी है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, गलत सूचना का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या उस तारीख को पत्र मिला था। माननीय सदस्य का पत्र उस तारीख के बाद मिला और उसकी जांच कराई गयी और जांच के उपरान्त यह सिद्ध हुआ कि जो आरोप उन पर लगाये गये थे, वह सिद्ध नहीं हुए।

गन्ना विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का स्थानान्तरण

*6--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गन्ना विभाग में कर्मचारियों व अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण की कोई नीति शासन द्वारा इस वर्ष निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81 के सत्र में किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया ? उनके नाम और पद क्या हैं और उनके स्थानान्तरण का आधार क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, ऐशबाग, लखनऊ के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*7--श्री राम लाल--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, ऐशबाग, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय गन्ना कृषकों की ओर से कोई शिकायती-पत्र माह सितम्बर, 1980 में आपको तथा गन्ना आयुक्त को दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

शिकायती-पत्र माह सितम्बर, 1980 में नहीं अपितु प्रश्नगत संदर्भ पर शिकायती-पत्र माह अगस्त, 1980 में प्राप्त हुआ है।

मामले की जांच कराई जा रही है और नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री राम लाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती-पत्र में क्या-क्या मुख्य शिकायतें हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह काफी लम्बा पत्र है और इसमें मैं समझता हूं कि मुख्य-मुख्य शिकायतों के बारे में यदि बता दूं तो माननीय सदस्य को सन्तोष हो जाना चाहिये। सचिव की जो शिकायतें हैं, उसमें 9 शिकायतें हैं, जो इस प्रकार हैं--

(1) सचिव को बैठने की मेज के रैक्सीन बोर्ड हटाकर सनमाइका लगवाने एवं कार्यालय भवन में इलेक्ट्रिक फिटिंग कराने में धन का दुरुपयोग।

(2) उर्वरक को वेयर हाउस से फर्म विशेष द्वारा ढुलाई कराकर सांठ-गांठ करके अनियमित कार्य।

(3) आजाद ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से ही गन्ना बीज की ढुलाई अधिक दर पर कराकर अपना हिस्सा हड़पना।

(4) गन्ना मूल्य वर्ष 1978–79 को सब्सीडी का फर्जी भुगतान।

(5) गोसाईंगंज सर्किल में कम गन्ना पूर्ति होते हुए भी खाद गोदाम का निर्माण कराकर धन का दुरुपयोग करना तथा निर्माण कार्य अनियमित ढंग से करना।

(6) समिति की आर्थिक दशा सुदृढ़ न होते हुए भी नक्शे–खसरे प्राइवेट ठेकेदार द्वारा बिना संचालक मंडल की जानकारी के कराना।

(7) दिनांक 7–6–80 को खाद के दाम बढ़ जाने के उपरान्त 287 बोरे यूरिया घट्टी पुरानी दर पर गोसाईंगंज खाद गोदाम से ब्लॉक में बेंचकर अनुचित लाभ उठाना।

(8) अनुपयुक्त कर्मचारियों को संचालन मंडल के प्रस्ताव के विरुद्ध कार्यरत रखना।

(9) अनियमित यात्रा भत्ता का भुगतान करना।

श्री राम लाल––

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कृपा करेंगे कि यह जांच कौन कर रहा है और क्या तथ्य सामने आये हैं ?

श्री अध्यक्ष––

जांच कौन कर रहा है ? यह केवल बता दें।

श्री भानु प्रताप सिंह––

मान्यवर, डिप्टी केन कमिश्नर, लखनऊ जांच कर रहे हैं और अन्तिम रिपोर्ट अभी आयी नहीं। उसके लिए आदेश दे दिये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या इस बात का ध्यान रखते हुए कि आरोप बहुत गम्भीर हैं और उनमें कुछ ऐसे भी हैं, जो स्वयंसिद्ध हैं, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह––

इसमें एक गिरजा शंकर तिवारी जो खाद गोदाम के इन्चार्ज थे, उनको निलम्बित कर दिया गया है।

*8––श्री विमल प्रसाद तिवारी––

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश की गन्ने की फसल में 'रेड राड' रोग का प्रकोप

*9––श्री नन्द किशोर सिंह––

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के बाद गन्ने में मुख्य रोग 'रेड राड' आदि बीमारियों का व्यापक प्रसार हो गया है, जिससे गन्ने की फसल सूख रही है ? यदि हां, तो रोकथाम के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रदेश के गोरखपुर तथा देवरिया जनपद के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में रेडराड आदि बीमारियों के व्यापक प्रकोप की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केवल गोरखपुर तथा देवरिया जिले में विशेषकर पडरौना क्षेत्र में जहां पर वर्षा एवं बाढ़ के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, कानारोग का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ था। रोग्राही गन्ने के थानों को उखाड़कर जला देने के निर्देश दिय गये थे। जहां तक गले के अन्य रोगों का प्रश्न है, उनके व्यापक रूप धारण करने की कोई सूचना नहीं है।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने एकड़ की फसल में यह बीमारी लगी थी और उन किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

देवरिया और जौनपुर में ही यह बीमारी लगने की सूचना मिली है और जो तथ्य प्रकाश में आये है, उससे 3420·16 एकड़ खेत प्रभावित हुए हैं और इस रोग को नियंत्रण में लाने के लिए केवल एक ही उपाय था कि उनको जड़ से उखाड़ कर जलाना, लेकिन आपने प्रश्न किया है कि उनको क्या मदद की जा रही है, तो मान्यवर, इसमें एसा कोई प्राविधान नहीं है। रोग तो लगते ही रहते हैं, लेकिन धन से नुकसान में मदद का प्राविधान नहीं है। जो वेरायटीज संस्तुत नहीं की गई हैं वही बोई जा रही है, उनको वहां से रिप्लेस करने के लिए 4 साल का हम लोगों का प्रोग्राम है।

प्रदेश के तहसीलदारों का प्रत्यावर्तन एवं नायब तहसीलदारों की पदोन्नति

*10--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश ने दिनांक 8-7-80 के आदेश द्वारा 40 तहसीलदारों की पदावनति और 40 नायब तहसीलदारों की पदोन्नति करते हुए नियुक्ति के आदेश दिये थे और फिर उक्त आदेश को 23-7-80 के आदेश द्वारा संशोधित किया ? यदि हां, तो उक्त दोनों आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जैराज गौतम--

जी हां। लोक सेवा आयोग द्वारा तहसीलदार पद हेतु चयन में अनुपयुक्त पाए गए 48 तहसीलदार को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने के आदेश राजस्व परिषद्, उ० प्र०, के आदेश संख्या 3729/3 त० ना० त०-37/80, दिनांक 8-7-80 में जारी हुए थे तथा आयोग द्वारा तहसीलदार पद के लिए उपयुक्त पाए गए 44 नायब तहसीलदार की पदोन्नति एवं तैनाती के आदेश राजस्व परिषद् के आदेश सं० 3730/3 त० ना० त०-37/80, दिनांक 8-7-80 में प्रसारित किए गये थे परन्तु इन आदेशों का पूर्णतया अनुपालन न हो सका क्योंकि प्रत्यावर्तित होने वाले 48 तहसीलदारों में से अधिकांश ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कर स्थगन आदेश

प्राप्त कर लिए। फलस्वरूप राजस्व परिषद् की विज्ञप्ति दिनांक 22-7-80 में संशोधित आदेश प्रसारित किये गये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों के फलस्वरूप ही राजस्व परिषद् के संदर्भित आदेशों का आंशिक अनुपालन ही हो सका, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो 48 तहसीलदार हटाये गये, उनमें कितनों ने रिट की और जिन्होंने नहीं की उनकी जगह जो 44 योग्य पाये गये थे, उनकी नियुक्ति हो गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

यह बात सही है कि सभी लोग रिट में नहीं गये, 39 लोग गये थे और उनमें से कुछ लोगों ने विदड्रा कर लिया है और इस समय 25 रह गये हैं और जो नायब तहसीलदार उपयुक्त पाये गये थे, उनको बैठाने की बात है, तो उन्होंने रिट करने से पहले स्थान नहीं छोड़ा था, तो उसमें भी दिक्कत हुई। यह एक विसंगति हो गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय में यह विचाराधीन मामला है, इसलिए बहुत विवरण में जाना मुश्किल है। फिर भी 30 अतिरिक्त पदों की मांग की जा रही है; वह शासन में आयेगा, इससे विसंगतियों को दूर करने में सफलता मिलेगी।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गृह निर्माण सहायता

*11--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने अतिवृष्टि से गिरने वाले मकानों पर आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी क्या-क्या घोषणायें की थीं और उन घोषणाओं के अनुसार तत्सम्बन्धी जो आदेश जिलाधिकारियों को भेजे गए, वह क्या है, तथा क्षतिग्रस्त मकान के लोगों को किस मापदन्ड के आधार पर घर गिरी के अनुदान दिये गए ?

श्री जैराज गौतम--

शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त होने वाले कच्चे मकानों के लिये 500 रुपया तथा पक्के मकानों के लिये 800 रुपया की अधिकतम गृह निर्माण सहायता प्रदान की जा सकती है। पर्वतीय जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में पक्के मकान के लिये गृह निर्माण अनुदान की अधिकतम सीमा 1,000 रुपया है। गृह अनुदान पाने के पात्र केवल वे ही व्यक्ति हैं जो भूमिहीन मजदूर हैं अथवा सीमान्त कृषक हैं अथवा 2400 रु0 तक की वार्षिक आय वाले गैर खेतिहर व्यक्ति हैं। परन्तु यदि किसी व्यक्ति का मकान दैवी आपदा के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो जाय तो वह यदि उपर्युक्त श्रेणियों में नहीं भी आता है तब भी उसे अनुदान दिया जायगा। शासन के उपर्युक्त निर्देशों के अन्तर्गत स्थानीय अधिकारी बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति और क्षति को देखते हुये अपने विवेकानुसार गृह अनुदान का वितरण करते हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि यह शासन के आदेश ए तारीख को निर्गत किये गये थे और वे आदेश क्या हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, शासन के आदेश इस सम्बन्ध में जो हैं, तो "स्केयरसिटी मैनुअल" में यह दिया हुआ है कि जब भी कोई इस तरह से दैवी आपत्ति आती है, विपदा आती है, तो लोगों को राहत पहुंचायी जाती है। इस मामले में मैं यह कह सकता हूं कि इस वर्ष जो अतिवृष्टि से लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ, उसमें जो अनुदान आदि दिये गये हैं, उनमें सबसे ज्यादा सहायता ऐसे लोगों को पहुंचायी गयी है। 40 करोड़ रु0 बांटा गया है, जिसमें 6 करोड़ 35 लाख रु0 तकावी के रूप में बांटे गये हैं। जिलों को भेज दिया गया है और वह बंट रहा है। यह बात सही है कि जो अनुदान इत्यादि दिये गये हैं, उनसे घर जो गिर गया है, नहीं बन सकता, लेकिन उद्देश्य होता है भुखमरी से बचाने का, तो यह राहत दी जाती है। इस तरह से राहत दी गयी।

श्री मेंहदी असगर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सहायता इस सिलसिले में सरकार दे रही है, तो खादर में जहां बाढ़ से कितने ही गांव बह गये हैं, क्या उनको भी बचाने का सरकार इन्तजाम कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, माननीय सदस्य कृपया अपना प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री मेंहदी असगर--

मान्यवर, मैंने कहा था कि खादर के गांवों में बहुत से गांव ऐसे हैं, जो बाढ़ की लपेट में आकर बह गये हैं, तो उनको बचाने के सिलसिले में क्या सरकार कुछ इन्तजाम कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह बात सही है कि बहुत से गांव बह गये। जिलाधिकारियों को यह पावर दी गयी है कि जहां जमीन उपलब्ध हो, उसमें उन लोगों को बसाने का प्रबन्ध कर सकते हैं। यह व्यवस्था की गयी है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, आप देखिये कि प्रश्न क्या है और माननीय मन्त्री जी ने उत्तर क्या दिया है। यह सही है कि माननीय मन्त्री जी उस समय मन्त्री नहीं थे, लेकिन मान्यवर, आपको भी जानकारी है कि अतिवृष्टि के समय इसी माननीय सदन में सरकार ने तीन घोषणायें की थीं कि अतिवृष्टि के कारण जो मकान गिरेंगे, उन्हें कच्चे मकान पर 500 रु0 और पक्के मकान पर 800 रु0 का अनुदान देंगे। पहाड़ी जिले में एक हजार रुपये का अनुदान होगा। इसी सदन में घोषणा की गयी थी कि इस मद में रुपये की कमी नहीं आयेगी। कलेक्टर जितना धन मांगेंगे उतना धन दिया जायगा। तो मेरा प्रश्न है कि सरकार ने क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश जिले के कलेक्टर्स को भेजा है, अगर भेजा है तो वह आदेश कब भेजा और उसमें क्या लिखा है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह सही है कि जो आदेश पारित हुआ था, वह मक्सिमम 500 रु0 का था। लेकिन घर गिरने की संख्या इतनी ज्यादा हो गयी थी कि आंकड़े को नीचे लाना पड़ा।

(अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर।)

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, क्या यह सरकार केवल प्रोपेगंडा पर चलेगी। आप मुझको संरक्षण दीजिए। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह आवश्यक प्रश्न है आप इसको स्थगित कर दीजिए।

देहात एवं शहरों में विद्युत् आपूर्ति का समय

*12--श्री रियाकत हुसैन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहर और देहात के विद्युत् उपभोक्ताओं को विद्युत् दिये जाने के समय का कोई प्राविधान उत्तर प्रदेश विद्युत् अधिनियम में है कि उनको कितने घंटे बिजली दी जायेगी ? क्या यह सही है कि दोनों उपभोक्ताओं के रेट तथा एग्रीमेन्ट एक से हैं फिर दोनों के समय में फर्क क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

विद्युत् की उपलब्धता तथा मांग को विनियमित करने के लिए समय-समय पर भारतीय विद्युत् अधिनियम 1910 की धारा 22 "ख" के अन्तर्गत शासन द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत् (सम्भरण, वितरण, उपभोग और उपयोग का विनियमन) आदेश जारी किये जाते हैं। उक्त आदेश के अनुसार देहात में विद्युत् की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर विद्युत् देने का प्राविधान है और समस्त जिला टाउन एवं नगर क्षेत्र में समय-समय पर जारी की गयी विद्युत् की उपलब्धता सूची के अनुसार विद्युत् आपूर्ति की जाती है। इस समय देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में निम्न प्रकार विद्युत् आपूर्ति की जा रही है :--

(1) देहाती क्षेत्र--एक दिन रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक और दूसरे दिन प्रातः 5 बजे से 11 बजे तक अथवा दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे तक के समय में।

(2) सभी जिला मुख्यालयों और शहरों (जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 20,000 से अधिक है) (प्रति दिन 20 घंटे।)

(3) प्रदेश के 5 महानगरों में प्रति दिन 23 घंटे (लखनऊ में 24 घंटे)।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

यह सही है कि शहर तथा देहात के क्षेत्रों में विद्युत् उपभोक्ताओं के रेट तथा अनुबन्ध एक से हैं। परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 22ख के अधीन विद्युत् ऊर्जा का सम्भरण बनाये रखने और उसके सम्भरण, वितरण, उपभोग और उपयोग को विनियमित करने की व्यवस्था के लिए उसका साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए समय में फर्क करना अत्यन्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि नलकूप उपभोक्ताओं को इस समय 15 रु0 प्रति अश्व शक्ति प्रति माह की दर से विद्युत् आपूर्ति की जा रही है। लघु एवं मध्यम औद्योगिक दर की अपेक्षा में यदि नलकूप उपभोक्ताओं को पौने दो घंटे ही प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की जाये तो भी वे अपना नियत चार्ज पूरा कर लेते हैं। इस समय नलकूप उपभोक्ताओं को 6–7 घंटे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की जा रही है। इन विद्युत् आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए तथा 15 रु0 प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह नियत चार्ज के आधार पर विद्युत् दर 10 पैसे प्रति यूनिट के लगभग आती है जोकि विद्युत् उत्पादन की लागत से बहुत कम है।

ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति

*13—श्री चेतराम गंगवार—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष पर्याप्त वर्षा हो जाने के बावजूद भी बरेली जिले के देहात में कृषि कार्य हेतु केवल 5 घंटा ही बिजली दी जा रही है और शहरी क्षेत्र में 22 घंटा बिजली मिल रही है? यदि हां, तो देहाती क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु पर्याप्त विद्युत् न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं। प्रदेश में विद्युत् की वर्तमान उपलब्धता तथा मांग को ध्यान में रखते हुए आजकल ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः औसतन 7 घंटे तथा 20 घंटे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था है, जोकि सन्तोषजनक है।

गोंडा जिले के ग्राम शहजोत में विदेशी नागरिक की भूमि

*14—श्री मसरूर जाफरी—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में गोंडा तहसील परगना पहाड़पुर, मौजा शहजोत के अन्तर्गत [illegible] 10 एकड़ जमीन इस समय एक विदेशी नागरिक के नाम से है? यदि [illegible] तो क्या उक्त विदेशी नागरिक क्या उक्त भूमि को रखने का अधिकारी है? यदि नहीं, तो सरकार उक्त विदेशी नागरिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बैजनाथ कुरील—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*15—श्री मुईद अहमद—

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शाहजहांपुर की 'दि किसान चीनी सहकारी मिल' तिलहर हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*16—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में "दि किसान चीनी सहकारी मिल तिलहर" में जिन लोगों का भूमि निर्माण हेतु अधिगृहीत की

गई थी उनके समस्त मुआवजे का भुगतान कब तक करवा दिया जायेगा ? यह भूमि कब अधिगृहीत की गयी थी ? क्या सरकार अधिग्रहण के दिवस से जब तक भुगतान किया जाता है उस समय तक के भुगतान की धनराशि का सूद भी इन काश्तकारों को अदा करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

यदि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, तिलहर की स्थापना के लिये जनपद शाहजहांपुर के चार ग्रामों (अमनपुर, बनवारीपुर, दोदराजपुर तथा हिन्दूपट्टी) की भूमि अधिगृहीत की गई थी, जिन में से ग्राम अमनपुर के मुआवजे सम्बन्धी अभिनिर्णय हो चुका है और भूस्वामियों को उनकी भूमि का समस्त मुआवजा (दो तिहाई नवम्बर, 1978 में तथा शेष एक तिहाई नवम्बर, 80 में) अदा कर दिया गया है ।

ग्राम बनवारीपुर, दोदराजपुर तथा हिन्दूपट्टी के कृषकों की अधिगृहीत भूमि का दो तिहाई मुआवजा माह नवम्बर, 1978 में अदा कर दिया गया है । शेष एक तिहाई मुआवजा भूमि के मुआविजे के अभिनिर्णय हो जाने के पश्चात् अदा कर दिया जायेगा उक्त अधिगृहीत भूमि पर सहकारी चीनी मिल को 11 जनवरी, 1977 को कब्जा दिला दिया गया था और उसी तिथि से मुआविजे के अंतिम भुगतान की तिथि तक के देय ब्याज का भी भुगतान मुआवजे की अन्तिम किस्त के साथ होगा ।

गोरखपुर जिले के ग्राम नदुआ बाजार की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*17--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के ग्राम नदुआ बाजार से सम्बन्धित भूमि पर भूतपूर्व जमींदार घराने के व्यक्तियों ने अपना नाम फर्जी ढंग से (बंजर एवं आबादी आदि पर) दर्ज करा कर बाजार लगवा कर प्रति वर्ष लगभग 25 हजार रुपये ले रहे हैं जिससे ग्राम समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता का माह अगस्त, 1980 माह अक्तूबर, 1980 के बीच प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या विभागीय कार्यवाही की गई ? यदि ऐसा नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गन्ना ग्राम सेवकों की शैक्षिक योग्यता

*18--श्री सूबेदार सिंह तथा राम हर्ष राय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि उनके विभाग में गन्ना ग्राम सेवक पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट (कृषि) है ? यदि हां, तो क्या वह यह भी स्पष्ट करेंगे कि कुछ समय पूर्व फर्रुखाबाद जनपद के जिला गन्ना विकास अधिकारी ने गन्ना ग्राम सेवक पदों पर इन्टरमीडिएट (कृषि) की शैक्षिक योग्यता न रखने वाले अभ्यर्थियों को क्यों नियुक्त किया जब कि इन्टर (कृषि) उत्तीर्ण अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

गन्ना ग्राम सेवक के राजकीय पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल है ।

अन्य बातों का प्रश्न नहीं उठता ।

*19--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

*20--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[17वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कोषागारों के कोषाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान

**1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायगे कि कोषागारों के कोषाध्यक्ष तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनक्रम क्या हैं ? कोषाध्यक्षों को द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष सुविधायें न दिये जाने के कारण क्या हैं ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

कोषाध्यक्षों को उनसे ली गई जमानत के आधार पर इस प्रकार नियत वेतन दिया जाता है--

(1) 50 हजार रुपये से कम की जमानत पर बैंकिंग कोषागार में रु0 450 तथा नान-बैंकिंग कोषागार में रु0 500 प्रतिमाह।

(2) 50 हजार रुपये से अधिक किन्तु 75 हजार रुपये से कम की जमानत पर रु0 620 प्रतिमाह।

(3) 75 हजार रुपये या उससे अधिक किन्तु एक लाख रुपये से कम की जमानत पर रु0 740 प्रतिमाह।

(4) एक लाख रुपये या उससे अधिक की जमानत पर रु0 800 प्रतिमाह।

कोषाध्यक्षों के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनक्रम इस प्रकार हैं--

(1) तहवीलदार रु0 200-320।

(2) स्टाम्प वेन्डर तथा मनीटेस्टर रु0 185-265।

(3) कैश चपरासी रु0 165-215।

कोषाध्यक्ष तथा द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा सेवा शर्तों में भिन्नता होने के कारण कोषाध्यक्षों को द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के समकक्ष सुविधायें नहीं दी जा सकती हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कोषाध्यक्ष का पद 1900 के करीब सृजित किया गया था और 1932 में कोषाध्यक्ष का और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों का वेतन निश्चित किया गया था। 1945 के बाद कोषाध्यक्ष का वेतन तो निश्चित रहा और उसके अधीनस्थ कर्मचारी जितने थे उनका वेतन क्रम निर्धारित कर दिया गया। अब 1954 में जब हम पहुंचते हैं तो कोषाध्यक्ष जहां का तहां रहता है और जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वह वेतन क्रम के हिसाब से आगे निकल जाते हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने पुराने पद को ध्यान में रखते हुये और सेवाओं को ध्यान में रखते हुये इस पद को स्थायी करने पर विचार करेंगे तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की भांति ही इनका वेतनक्रम निर्धारित करने की कोशिश करेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष जी, मुझे यह नहीं मालूम कि माननीय सदस्य ने किस मकसद से यह सवाल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा असाधारण आदमी कहीं पर गवर्नमेंट ट्रेजरी में हो गया और गवर्नमेंट ट्रेजरार जो आपके एक नंबर के अधिकारी हैं, उससे अधिक प्रतिष्ठा का था। बाद में यह सोचा गया, कुछ लोगों ने मांग

[श्री काशीनाथ मिश्र--]
किया और वेतन रख दिया गया । गवर्नमेंट ट्रजरार का स्टेटस और पोस्ट का मूल्यांकन गवर्नमेंट सर्वेन्ट के वेतन से मापने की बात नहीं की जा सकती । एक हाई कोर्ट की रूलिंग हुयी और उसके मुताबिक हुआ कि इनको कुछ दे दिया जाय या गवर्नेंट सरवेन्ट ट्रे किया जाय । लेकिन वह हाई कोर्ट की रूलिंग हमारे शासन पर मान्य नहीं है । चूंकि स्टेटस बहुत बड़ा गवर्नमेंट सरवेन्ट्स से ट्रेजरर का था । ऐसी प्रथा है कि एक आदमी कई जिलों का ट्रजरर हो सकता है जिसका वेतन 800 रुपये रखा है । कानपुर, लखनऊ नगरपालिकाओं में जो ट्रेजरर हैं, वह 800 रुपये प्रति माह पायेंगे, तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि यह प्रश्न नहीं उठता है कि उनको कोई सुविधा दी जाय चूंकि वह स्वतः सुविधा प्राप्त लोग हैं और बराबर बड़े लोग गवर्नमेंट ट्रेजरर बनाये जाते रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त ।

स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेन्स

**2--श्री सुरेन्द्र कपिल (अनुपस्थित)--

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या एल0 आर0 530/दस--500-82-75, दिनांक 30-1-79 से स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस की सीमा 750 रु0 से बढ़ाकर 10,000 रु0 कर दी गई ? क्या यह सही है कि कमीशन में शासन को डेढ़ करोड़ रु0 का प्रतिवर्ष अतिरिक्त देना पड़ेगा तथा इससे स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा भ्रष्टाचार की संभावना है ? यदि हां, तो इस संशोधन का क्या औचित्य था ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी नहीं । अधिसूचना दिनांक 30-1-79 द्वारा स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस की अधिकतम सीमा 500 रु0 निश्चित की गयी है और कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उचित समझें, उपर्युक्त सीमा को किसी उच्चतर सीमा तक बढ़ा सकते हैं । यह सही नहीं है कि इससे शासन को डेढ़ करोड़ रुपया कमीशन के रूप में अतिरिक्त देना पड़ेगा तथा इससे भ्रष्टाचार की सम्भावना है । सम्पत्ति के बढ़े हुये मूल्यों एवं स्टाम्पों की दरों में वृद्धि के कारण, विलेखों पर अधिक धनराशि के स्टाम्पों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नियमों में संशोधन किया गया ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री राम आसरे वर्मा--

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिक्रीकर विभाग सहायक बिक्रीकर आयुक्त की प्रोन्नति में पिछड़ी जाति का कोटा

2--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश संख्या 3779/अ/चालीस-रा0 एको0-7(3)-77, दिनांक 13 जनवरी, 1978 के अन्तर्गत बिक्रीकर विभाग में सहायक आयुक्तों के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को 15 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

शासनादेश सं0 3779-अ/40-रा0 एको0-6(13)/77, दिनांक 13 जनवरी 1978 के अन्तर्गत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि पिछड़े वर्ग के लिये पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति से सम्बन्धित अन्य सामान्य नियमों के अधीन रहते हुये 15 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा । 13-1-78 से अब तक सहायक आयुक्त के पदों पर कुल 38 पदोन्नतियां की गई हैं जिनमें उक्त

आरक्षण के अनुसार पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिये 5 पद होते हैं, परन्तु पिछड़ी जाति के केवल 4 सहायक आयुक्तों की पदोन्नतियां की गई हैं। आरक्षण कोटे में एक पद की कमी का कारण यह है कि 13-1-78 के पूर्व भी एक पिछड़ी जाति का अभ्यर्थी सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जा चुका था और उसे भी गिन लिया गया। भविष्य में की जाने वाली पदोन्नतियों में इस कमी को पूरा कर लिया जायगा।

3--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

4--श्री सत्य पाल सिंह--

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुढ़वल शुगर मिल, बाराबंकी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

5--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुढ़वल शुगर मिल, बाराबंकी की गन्ना, मीठा और इंजीनियरिंग विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति चालू वर्षों में हो रही है ? यदि हां, तो उसको भरने के आधार क्या होंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

उक्त मिल में चालू वर्ष (पेराई सत्र 1980-81) में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का कार्य सम्पन्न हो चुका है। ये नियुक्तियां 1965 से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों के 1965 से पेराई सत्रवार कार्य-दिवस संकलित कर जोड़ने पर अधिक कार्य-दिवस वाले कर्मचारियों में से वरिष्ठता व काय उपयोगिता के आधार पर की गई।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय

6--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की स्थिर भाव के आधार पर वित्तीय वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 और वर्ष 1978-79 में प्रति व्यक्ति आय क्या थी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

अधुनान्त उपलब्ध अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1970-71 के स्थिर भाव के आधार पर वित्तीय वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 481 रु0, 479 रु0, 501 रु0, और 509 रु0 थी।

सगड़ी तहसील, आजमगढ़ में घाघरा नदी से कटाव

7--श्री पंचानन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में किनके-किनके घर घाघरा नदी को वर्ष 1980 की बाढ़ में कट कर मुख्य धारा में मिल गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में उन्हें क्या सहायता दी गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1980 में घाघरा नदी की बाढ़ से उनके किनारे बसे 133 ग्राम बाढ़ की चपेट में दिनांक 23-7-1980 को आये। उनमें से तहसील सगड़ी के 8 ग्रामों के 79 मकान (इन्दर जीत के 5, गनीचक के 2, अतानगर के 24, देवारा खास राजा के 4, रसूलपुर भैया के 9, गरीब दुबे के 14, बढ़िया चक के 20 तथा गोनहा के 1) कटकर घाघरा नदी में मिल गये। उक्त 79 गृह स्वामियों में से

[श्री बैजनाथ कुरील--]

70 को 300 रुपया प्रत्येक, 7 को 100 रुपये प्रत्येक तथा 2 को 800 रुपये प्रत्येक की आर्थिक सहायता दी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, नमक, दियासलाई तथा वस्त्र भी वितरित किये गये।

आबकारी अधीक्षकों को शीरा लाइसेन्स के नवीनीकरण का अधिकार

8--श्री पंचानन--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शीरा नियंत्रण नियम 10 के अन्तर्गत (कन्ट्रोल आबकारी आयुक्त) शीरा लाइसेन्स धारकों के लाइसेन्स नवीनीकरण अथवा नये लाइसेन्स देने का कार्यभार हस्तान्तरित नहीं कर सकता ? यदि हां, तो वर्तमान आबकारी आयुक्त ने शीरा के लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु अधिकार इस वर्ष किस नियम के अन्तर्गत आबकारी अधीक्षकों को हस्तान्तरित किया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ-कानपुर रोड के बाराबिरवा में शराब एवं ताड़ी की दुकान

9--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ-कानपुर रोड (राजमार्ग) पर स्थित बाराबिरवा जो एक आवासीय क्षेत्र है, में एक देशी शराब की दुकान तथा एक ताड़ी की दुकान की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लखनऊ मास्टर प्लान के मुताबिक आवासीय क्षेत्र में शराब का ठेका तथा ताड़ी की दुकान खोलना निषेध है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि उस शराब की दुकान तथा ताड़ी की दुकान के आस-पास लखनऊ पालिटेकनिक, सिगारनगर, बालिका विद्यालय, सिंचाई विभाग कार्यालय, सिंचाई विभाग कालोनी, बच्चों के कई स्कूल एवं मंदिर हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने विधायकों के पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार उक्त शराब के ठेके तथा ताड़ी की दुकान को तुरन्त वहां से हटाने की कृपा करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, मद्यनिषेध की समाप्ति पर उक्त क्षेत्र में एक देशी शराब एवं एक ताड़ी की दुकानें पुराने स्थान पर खोली गई हैं। लखनऊ नगर मास्टर प्लान में शराब की दुकान के स्थान के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्रश्नगत दुकानों से लखनऊ पालिटेकनिक लगभग 1.5 किलोमीटर, सिगारनगर बालिका विद्यालय 0.5 किलोमीटर, सिंचाई विभाग कार्यालय तथा सिंचाई विभाग कालोनी लखनऊ-कानपुर रोड से हटकर नहर के किनारे क्रमशः 400 मीटर तथा 0.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसके निकट बच्चों का कोई स्कूल नहीं है। केवल एक व्यक्तिगत शिव मंदिर है जिसमें आने जाने का रास्ता बिल्कुल अलग है और आबकारी दुकानों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में किसी विधायक का पत्र शासन को उपलब्ध नहीं है। शराब एवं ताड़ी की दुकान की स्थिति आपत्तिजनक नहीं है। इसलिए इनको वहां से हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

सगड़ी तहसील, आजमगढ़ में बाढ़

10--श्री पंचानन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में बाढ़ और अतिवृष्टि से कितनी क्षति हुई और इस वर्ष बाढ़ और जल प्लावन में डूबने से इस तहसील में कितनी मौतें हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1980 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में फसलों को हुई क्षति का अनुमानित मूल्यांकन 163.09 लाख रुपये और मकानों

की क्षति का अनुमानित मूल्यांकन 36.67 लाख रुपये हैं। इस प्रकार बाढ़ एवं अतिवृष्टि से कुल क्षति का अनुमानित मूल्यांकन 198.76 लाख रुपये हैं। बाढ़ से डूब कर मरने वालों की संख्या तीन है।

सगड़ी तहसील, आजमगढ़ में शारदा सहायक नहर से प्रभावित क्षेत्र में चकबन्दी की मांग

11--श्री पंचानन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में शारदा सहायक नहर से प्रभावित गांवों की पुनः चकबन्दी कराने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 4-10-80 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। प्रभावित ग्रामों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

स्वर्गीय श्री युधिष्ठर राय, नायब तहसीलदार, चरखारी, हमीरपुर का जी0 पी0 एफ0

12-श्री पंचानन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री युधिष्ठिर राय, नायब तहसीलदार, चरखारी (हमीरपुर) को कार्यरत रहते हुए 8-5-73 को मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें देय (जी0 पी0 एफ0) जमानत तथा अन्य धनराशि का भुगतान 20 अक्तूबर, 1980 तक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनके देयों के शीघ्र भुगतान कराने की प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। जहां तक जी0 पी0 एफ0 भुगतान का सम्बन्ध है, जून, 1970 से जून, 1973 तक की अवधि के विलुप्त अंशदान को छोड़कर स्व0 श्री युधिष्ठिर राय के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता सं0 जी0 ए0 यू0 38067 में जमा धनराशि रु0 1678 का भुगतान दिनांक 5 अक्तूबर, 1976 को उनकी पत्नी को कर दिया गया है। सितम्बर, 1971 से जून, 1973 तक की अवधि के विलुप्त अंशदान का विवरण महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 4 जून, 1976 को भेजा जा चुका है। इसके भुगतान की स्वीकृति हेतु महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को अनवरत रूप से स्मरण कराने के उपरांत उन्होंने अपने पत्र दिनांक 3 जनवरी, 1981 द्वारा यह सूचित किया है कि जून, 1970 से अगस्त, 1971 तक की अवधि को विलुप्त अंशदान का विवरण जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद से प्राप्त न होने के कारण विलुप्त अंशदान की समस्त धनराशि का भुगतान लम्बित है। जिलाधिकारी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि विलुप्त धनराशि का पूर्ण विवरण महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध करा दें।

स्व0 श्री राय की जमानत पास बुक के उपलब्ध न हो सकने के कारण जमानत की धनराशि का भुगतान भी लम्बित है परन्तु उसकी तलाश जारी है। उपलब्ध होने पर फौरन भुगतान किया जायगा।

स्व0 श्री राय के परिवार को ग्रेच्युटी की कुल धनराशि रु0 4100 का भुगतान हो चुका है।

श्री बेचन, ग्राम सहसपुरा, मिर्जापुर का भूमि आवंटन सम्बन्धी पत्र

13-श्री पंचानन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें श्री बेचन, ग्राम सहसपुरा, पोस्ट पुरुषोत्तमपुर, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर का शिकायती-पत्र तथा प्रश्न-

कर्त्ता द्वारा अग्रसारित पत्र दिनांक 15-9-80 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में किस अनियमितता का उल्लेख है और शासन ने उक्त के निराकरण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्न का प्रथम भाग--जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग--भूमि का आवंटन गलत ढंग से किए जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य महोदय के संदर्भित पत्र दिनांक 15-9-80 के साथ प्राप्त श्री बेचन का शिकायती पत्र शासन द्वारा जिलाधिकारी मिर्जापुर को आवश्यक जाँच कराकर उचित कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से माननीय सदस्य को भी अवगत कराने हेतु दिनांक 24-10-1980 को भेज दिया गया था । उक्त बात की सूचना शासन द्वारा माननीय सदस्य को अर्धशासकीय पत्र संख्या-बी-310/रा0 2/80, दिनांक 24 अक्तूबर, 1980 द्वारा दे भी दी गई थी ।

ग्राम परदहा, जिला आजमगढ़ का चकबन्दी सम्बन्धी शिकायती-पत्र

14-श्री पंचानन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परदहा, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद आजमगढ़ के नागरिकों का चकबन्दी से सम्बन्धित शिकायती-पत्र दिनांक 27-9-80 चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उसकी जाँच किस स्तर के अधिकारी से कराई गई हैं तथा जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । प्रमुख शिकायतें संलग्न सूची में दी गई हैं । उक्त ग्राम का उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 15 जनवरी, 1980 को हो चुका है । अतः कोई कार्यवाही संभव नहीं है । फिर भी विशेष तथ्यों की जांच क्षेत्रीय उप संचालक चकबन्दी आजमगढ़ के माध्यम से कराई जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 603 पर) ।

आजमगढ़ के ग्राम जीवनपुर की चकबन्दी

15-श्री पंचानन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम जीवनपुर की चकबन्दी पूरी होने के बाद धारा 52 की संस्तुति शासन को कब प्राप्त हुई ? धारा 52 का प्रकाशन न किए जाने के क्या प्रमुख कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम जीवनपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापित कराने की संस्तुति जिलाधिकारी जिला उप संचालक चकबन्दी, आजमगढ़ से प्राप्त नहीं हुई है ।

धारा 48 के अन्तर्गत उप संचालक स्तर पर संदर्भ विचाराधीन है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही स्थगित है ।

श्री सुदेश्वर सिंह, ग्राम भूड़वर, जिला गाजीपुर की पेंशन

16—श्री पंचानन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुदेश्वर सिंह, ग्राम भूड़वर, जनपद गाजीपुर, जो आजमगढ़ जनपद में सहायक चकबन्दी अधिकारी थे, को अवकाश ग्रहण किए तीन वर्ष से अधिक हो गए, किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा इन्हें शीघ्र पेंशन दिलाने के लिए शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां,

सेवा अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण श्री सुदेश्वर सिंह को पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी है। अब उनकी सेवा पुस्तिका महालेखाकार से प्राप्त हो गई है तथा पेंशन स्वीकृति करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

17—श्री पंचानन—

[2रे गुरुवार के प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम छितरापार, जिला बस्ती का नदी से कटाव

18—श्री पंचानन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम छितरापार, तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती का कितना क्षेत्रफल नदी के कटाव से 1980 में प्रभावित हुआ है ? उक्त ग्राम का कितना क्षेत्रफल इस कटाव के कारण गांगर क्षेत्र से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सम्मिलित हो गया है ? क्या इस कटाव से उसका महादेवा बांध को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो सरकार बांध को बचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जिलाधिकारी बस्ती तथा सिंचाई विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा चितबिसांव, जिला आजमगढ़ की भूमि की रजिस्ट्री

19—पंचानन—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा चितबिसांव, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद आजमगढ़ की कोई भूमि परगना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ही किसी दूसरी संस्था को वर्ष 1979-80 में रजिस्ट्री कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

इस अनियमित कार्य के लिये प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

20---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान सभा क्षेत्र मल्लावां, जिला हरदोई के चकबन्दी विहीन ग्राम

21---श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई की तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में अब तक चकबन्दी नहीं हुई तथा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जिला हरदोई की तहसील बिलग्राम के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के 71 ग्रामों, जिनका उल्लेख संलग्न तालिका में दिखाया गया है, चकबन्दी नहीं हुयी है। चकबन्दी के प्रथम चक्र में यह गांव उस समय के मापदण्ड के अनुसार चकबन्दी योग्य नहीं पाये गये थे इस लिये उनको चकबन्दी योजना से अलग रखा गया था।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 604 पर)

सुल्तानपुर जिले के ग्राम किशनी में अग्निकाण्ड

22---श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम किशनी, तहसील मुसाफिर-खाना, जिला सुल्तानपुर में जो भीषण अग्निकांड 26-4-80 को हुआ था उसमें कितने मकान जले और सरकार द्वारा उनको क्या राहत दी गई ? इस संबंध में जिलाधिकारी, सुलतानपुर ने जो रिपोर्ट माननीय सचिव को भेजी है उसको कृपया सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों हेतु दिया गया गृह निर्माण अनुदान

23---श्री मोती लाल वेहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अतिवृष्टि के कारण गिरे हुए मकानों के संबंध में अनुदान वितरण हेतु कितनी-कितनी धनराशि जिला अधिकारियों ने सरकार से इस वर्ष मांगी और सरकार ने कितनी-कितनी धनराशि दी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1980 में अतिवृष्टि के फलस्वरूप गिरे हुये मकानों के संबंध में अनुदान वितरण हेतु जिलाधिकारियों से कोई निश्चित धनराशि की मांग नहीं आई बल्कि समय-समय पर विभिन्न धनराशियों की मांग वे भेजते रहे। अतएव जिला-अधिकारियों द्वारा की गई मांग की सूचना देना सम्भव नहीं है। शासन द्वारा गृह निर्माण अनुदान के मद में विभिन्न जिलाधिकारियों को आवंटित की गई धनराशि का विवरण संलग्न तालिका में अवलोकनीय है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 607 पर)

24—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर हटाया गया]

ग्राम सभा हफआ, बलराम, आदि जिला देवरिया में भूमि का आवंटन

25—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा हफआ बलराम, तप्पा हवेली, तहसील पडरौना, जनपद देवरिया में आवंटित सीलिंग भूमि में धांधली के संबंध से भूमिहीनों द्वारा दिनांक 6-11-78 को कमिश्नर, गोरखपुर व जिलाधिकारी, देवरिया को इस आशय से अवगत कराया गया था कि सीलिंग आवंटन भूमि, भूमिहीनों में नहीं वितरण की गई ? उक्त शिकायती पत्रों के संबंध में जिलाधिकारी, देवरिया ने सीलिंग पत्रांक 227/7, दिनांक 16 अगस्त, 1979 के माध्यम से परगना अधिकारी, कसया, पडरौना को यह निर्देश दिया कि गलत पट्टों को निरस्त किया जाय ? यदि हां, तो उक्त पत्रांक के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 27 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करके अनियमित पट्टों की निरस्तीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा आयुक्त, गोरखपुर मन्डल के न्यायालय में वाद संख्या 74/डी-सरकार बनाम हुसैनी तथा वाद संख्या 75/डी सरकार बनाम बकरीदन दिनांक 4-6-80 को दाखिल किया गया है जिनमें 17-2-81 की तिथि सरकार की तरफ से बयान हेतु निश्चित है ।

26—श्री नन्द किशोर सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

ग्राम किशनी, जिला सुल्तानपुर में अग्निकाण्ड एवं चावल का वितरण

27—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम किशनी जिला सुल्तानपुर में अग्निकांड में सहायता हेतु 100 बोरे चावल दिया गया था जिसमें से कि 50 बोरे चावल बांटा गया और जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने उसमें से 50 बोरे चावल रोक दिया जो कि वर्ष में सड़ गया ? उसका रोके जाने का क्या कारण था ? यदि हां, तो दोषी पाये जाने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

संग्रह अमीन, श्री हरीकान्त बाजपेयी, जिला उन्नाव की सेवा समाप्ति

28—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संग्रह अमीन श्री हरीकान्त बाजपेयी, तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव की सेवायें जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 25-3-80 द्वारा समाप्त की जा चुकी हैं और श्री बाजपेई ने जिलाधिकारी, उन्नाव

[श्री सन्त बख्श रावत]

के उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो क्या श्री बाजपेयी को सेवा में ले लिया गया है और उन्हें वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

स्वर्गीय श्री छत्रपाल सिंह, संग्रह अमीन जिला लखनऊ की जमानत की धनराशि

29--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री छत्रपाल सिंह, संग्रह अमीन, तहसील लखनऊ, जनपद लखनऊ की मृत्यु बस दुर्घटना सन् 1965 में हो गई थी, जिनकी जमानत की धनराशि उनकी पत्नी को अभी तक नहीं दी गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? तथा जमानत की धनराशि कब तक वापस कर दी जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन दिए जाने की मांग

30--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ, उ० प्र०, लखनऊ की कार्यकारिणी ने वर्ष 1975 में अपने फील्ड कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के बराबर सुविधा, समान काम व समान वेतन के सिद्धान्त पर करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय का पालन गन्ना संघ द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

शेष क नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ के रिक्त पद

31--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास समिति संघ में किन-किन पदों पर कितनी जगह रिक्त है और उन्हें भरने के लिए शासन ने स समय कोई निर्देश दिया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ में वर्तमान में निम्नलिखित स्थान रिक्त हैं:—

1—लेखाकार	1 पद ।
2—कैशियर	1 पद ।
3—सेक्शन इंचार्ज	4 पद ।
4—ज्येष्ठ सहायक	9 पद ।

रिक्त पदों पर संघ द्वारा नियमानुसार नियुक्तियां की जायेंगी । शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं ।

चकबन्दी कानूनगो, श्री हृदय नन्द तिवारी, जिला गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

32—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चकबन्दी कानूनगो (श्री हृदय नन्द तिवारी) के खिलाफ शिकायती-पत्र श्री गोरख प्रसाद आदि निवासी सेमरा, देवी प्रसाद उर्फ कठउत, जिला गोरखपुर द्वारा जिलाधीश, गोरखपुर चकबन्दी अफसर, गोरखपुर और ए0 आर0 ओ0 स्तमपुर, गोरखपुर को क्रमशः रजिस्ट्री पत्र द्वारा (रसीद नं0 5766, 406-5767) जुलाई, 1980 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, अनूपशहर के कर्मचारियों की छंटनी

33—श्री रियासत हुसैन—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, अनूपशहर में कौन-कौन सिजनल कर्मचारी जिनको दो साल सेवा करते हुए बीत चुका है, निकाले जा रहे हैं और क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, अनूपशहर में कार्यरत किसी भी सीजनल कर्मचारी को निकाला नहीं गया है । केवल निम्नलिखित अस्थायी पर्ची वितरकों को चीनी मिलों की "स्टाफिंग पैटर्न" में निर्धारित सीमा को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष नहीं रखा गया है—

1—श्री इन्दुकान्त शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा ।
2—श्री अहसान खां पुत्र श्री रुस्तम खां ।
3—श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री जीवा राम ।
4—श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री श्योराज सिंह ।
5—श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ।
6—श्री नन्द किशोर पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह ।
7—श्री कुंवर पाल पुत्र श्री नानक चन्द ।
8—श्री पूरन सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह ।

फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ एवं वृष्टि से क्षति

34—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में 1980 को अतिवृष्टि एवं बाढ़ से कितने प्रतिशत विभिन्न तहसीलों में खरीफ फसल की हानि हुई है तथा क्या उन तहसीलों में जहां 50 प्रतिशत फसल की हानि हुई है कृषकों को शासन द्वारा प्रदत्त खाद पर छूट सहित अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद फर्रुखाबाद में चार तहसीलें हैं । अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण तहसील फर्रुखाबाद के 577 ग्रामों में 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक, तहसील कायमगंज के 37 ग्रामों में 50 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक, तहसील छिबरामऊ के 392 ग्रामों में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक तहसील कन्नौज के 368 ग्रामों में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक खरीफ की फसलों को क्षति पहुंची है ।

उपरोक्त ग्रामों के अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित कृषकों से नवम्बर, 1980 तक कृषि देयों की वसूली स्थगित रखी गई तथा उन क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों व ऐसे कृषकों जिनकी फसल को 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की क्षति हुई उनके बच्चों का शिक्षण शुल्क कक्षा–7 से विश्वविद्यालय स्तर तक माह अगस्त, 1980 से जनवरी, 1981 तक माफ किया गया है। इसके अतिरिक्त जहां 50 प्रतिशत से अधिक क्षति खरीफ में हुई वहां सहकारिता विभाग के अल्प कालीन ऋण को मध्य कालीन ऋण में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया और लघु तथा सीमान्त कृषकों को रासायनिक उर्वरकों, बीज और कीटनाशक औषधियों पर अनुदान दिया गया । इसके अतिरिक्त 3,15,337 रु0 निःशुल्क सहायता, 7,20,000 रु0 गृह निर्माण सहायता तथा 4,90,000 रु0 दैवी आपदा तकावी मद से प्रभावित लोगों में वितरित किया गया ।

विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर्स की चोरी

35—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1979 में प्रदेश में कितने विद्युत् ट्रांसफार्मर्स की चोरी हुई तथा इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

चौदह सौ अड़तीस (1438) ट्रांसफारमर्स की चोरी की रोकथाम के लिये उठाये गये कदमों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 610 पर) ।

नायब तहसीलदार श्री कमरउद्दीन अंसारी, जिला हरदोई का स्थानान्तरण

36—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई–अगस्त, 1979 में हरदोई जनपद के तहसील बिलग्राम के नायब तहसीलदार श्री कमरउद्दीन अन्सारी का स्थानान्तरण

प्रशासकीय आधार पर सीतापुर के लिये किया गया था ? यदि हां, तो अब तक रिलीव (कार्यमुक्त) न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, श्री कमरुद्दीन अन्सारी नायब तहसीलदार का स्थानान्तरण आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश दिनांक 16-7-79 द्वारा सीतापुर जनपद के लिये किया गया था परन्तु उन्हें उनके प्रतिस्थानों की तैनाती न होने के कारण शासकीय कार्य के हित में कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया । श्री अन्सारी का कार्य क्षेत्र परगना मल्लावां से परगना सांडी कर दिया गया है ।

आजमगढ़ जिले में हरिजनों को भूमि आवंटन

37--श्री राजकुमार राय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 में हरिजनों को दिये गये पट्टे की जमीनों पर कब्जा दिलाने की कोई व्यवस्था की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त योजना को पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, वर्ष 1975 से 1977 के बीच हरिजनों को दिये गये पट्टों में से अधिकांश पट्टेदारों को पट्टे की जमीनों पर कब्जा दिला दिया गया है शेष के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही तत्परता से की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम रसूलपुर व सूरजपुर की चकबन्दी

38--श्री राज कुमार राय--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ में घोसी तहसील में ग्राम रसूलपुर, दाउदपुर, सूरजपुर, सरफोरा और रोशनपुर की चकबन्दी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों और यह आवश्यक कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम रसूलपुर तथा सूरजपुर में चकबन्दी क्रियायें चल रही हैं शेष 3 गांवों दाउदपुर, सरफोरा तथा रोशनपुर की चकबन्दी नहीं हुयी है क्योंकि यह गांव घाघरा नदी से प्रभावित हैं । इनमें चकबन्दी आरम्भ करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सठियांव मिल, आजमगढ़ पर बकाया गन्ना मूल्य

39--श्री राज कुमार राय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सठियांव मिल पर 1978-79 तक का गन्ना किसानों का रुपया अभी तक बकाया चल रहा है ? यदि हां, तो उसे कब तक देने का विचार है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां, आजमगढ़ जनपद में सठियांव मिल पर 78–79 तक का किसानों का मु0 3·55 लाख रुपया बकाया है। बकाया रुपयों के शीघ्र भुगतान के प्रयास जारी हैं।

40–41—श्री सतीश अजमानी—

[4थे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 73–74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा जिले के ग्राम शाहजीत में 'शान्तीनगर मिशन' को भूमि का आवंटन

42—श्री मसरूर जाफरी—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद के गोंडा तहसील के अन्तर्गत परगना पहाड़पुर, मौजा शाहजीत के अन्तर्गत शांतिनगर मिशन को शासन के द्वारा सन् 1977 में कुष्ट अस्पताल के लिये भूमि पट्टे पर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त भवन बन गया है ? यदि नहीं, तो शासन पट्टे को निरस्त करने एवं उक्त मिशन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। परगना पहाड़पुर के अन्तर्गत ग्राम शाहजीत की 6·38 एकड़ भूमि शान्तिनगर मिशन अस्पताल के पक्ष में कुष्ट निवारण केन्द्र की स्थापना जैसे जन कल्याण प्रयोजन हेतु आवंटित की गई थी। स्थल पर अस्थायी चुट–पुट निर्माण उपलब्ध हैं तथा कुष्ट निवारण केन्द्र का पक्का भवन निर्माणाधीन है। आवंटित भूमि का प्रयोग कुष्ट निवारण केन्द्र के रूप में हो रहा है।

श्री सत्य नारायण हरिजन, ग्राम डुहिया, जिला गोरखपुर का भूमि आवंटन सम्बन्धी आवेदन–पत्र

43—श्रीमती गौरी देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 4–6–80 को श्री सत्य नारायण हरिजन ग्राम डुहिया, थाना खोराबार, तहसील सदर, जिला गोरखपुर ने एस0 डी0 एम0, सदर को जमीन आवंटन से सम्बन्धित कोई आवेदन–पत्र दिया था ? क्या सत्य नारायण हरिजन के ही जमीन को उसी गांव के कुछ हरिजनों को आवंटित कर उन्हें कब्जा दिलाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, श्री सत्य नारायण, हरिजन ग्राम डुहिया की भूमि को अर्जित करके अन्य भूमिहीन हरिजनों को आवंटित करने के विरुद्ध उनका पत्र प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर प्रश्नगत आवंटन की कार्यवाही रोक दी गई है। उनकी भूमि पर आवंटियों को कब्जा न दिलाकर उन्हें दूसरी भूमि आवंटित कर दी गई है। इस त्रुटि के निवारण हेतु शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर जिले में बाढ़ एवं गृह निर्माण अनुदान का आवंटन

44--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1980 की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से गिरे मकानों के लिये 300 रुपया से 500 रुपया तक गृह अनुदान देने का आदेश है। यदि हां, तो क्या गोरखपुर जिले में गृह अनुदान उक्त आदेश के अनुसार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों के लिए 500 रु0 तथा पक्के मकानों के लिये 800 रु0 की अधिकतम गृह निर्माण अनुदान की धनराशि निर्धारित की गई है। गृह अनुदान की न्यूनतम सीमा 200 रु0 है। क्षति के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए जिला गोरखपुर में उपरोक्तानुसार गृह अनुदान वितरित किया जा रहा है।

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती की जीप

45--श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री मसरूर जाफरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, अक्तूबर, 1980 में तहसील डुमरियागंज की जीप डुमरियागंज से बस्ती मुख्यालय में कब आई है ? क्या यह सत्य है कि सरकारी कार्य के अलावा भी उस गाड़ी का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में किया गया है ? यदि हां, तो इस पर हुआ व्यय का भुगतान संबंधित अधिकारी से लेने की कृपा की जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

तहसील डुमरियागंज की जीप माह सितम्बर, 1980 में दस (10) दिन एवं अक्तूबर, 1980 में नौ (9) दिन बस्ती मुख्यालय पर आई थी। जीप का प्रयोग शासकीय कार्य में किया गया था न कि व्यक्तिगत कार्य में। अतः व्यय का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी से लेने प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर जिले के कतिपय ब्लाकों के अन्तर्गत गृह निर्माण अनुदान का फर्जी भुगतान

46--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार की जानकारी में यह तथ्य है कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक बिल्हौर व ब्लाक ककवन तथा ब्लाक रसूलाबाद के गांवों में अतिवृष्टि के कारण गिरे हुए मकानों पर घरगिरी का अनुदान गिरने वाले सभी मकानों को न देकर कुछ लोगों को ही दिया गया और कुछ ऐसे लोगों को भी अनुदान दिया गया कि जिनके मकान गिरे ही नहीं थे ? यदि हां, तो गिरे हुए सभी मकानों पर अनुदान न देने के क्या कारण हैं ? बिना गिरे मकानों पर अनुदान देने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । ब्लाक बिल्हौर, ककवन तथा रसूलाबाद के ग्रामों में अतिवृष्टि के कारण गिरे हुये मकानों के मालिकों को अनुदान दिया गया। जो लोग अनुदान वितरण के दिन उपलब्ध नहीं थे उनको तथा ऐसे लोगों को जिनका किसी कारणवश प्रथम सूची में नाम नहीं आ सका था बाद में जांच कर उनको भी अनुदान वितरण किया जा रहा है । अगले दो सप्ताह में यह कार्य पूर्ण हो जाने की आशा है ।

ग्राम खाड़ा मऊ में 18 व्यक्तियों को बिना उनके मकान गिरे ही अनुदान दे दिया गया है यह जानकारी प्राप्त होने पर 17 व्यक्तियों से वितरित धनराशि वापस ले ली गई है । एक व्यक्ति ने धनराशि वापस नहीं की । उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 420 आई0 पी0 सी0 थाने में दर्ज करा दी गई है । लेखपाल मनीराम व प्रधान श्री राम गोपाल को, जिन्होंने इन 18 व्यक्तियों के घर गिरने की गलत तस्दीक की था, निलम्बित कर दिया गया है तथा चार्जशीट भी दे दी गई है ।

47--श्री राम आसरे पासवान तथा श्री राम करन--

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

48--श्री पंचानन--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम सभा, जीयनपुर में भूमि का फर्जी पट्टा

49--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में ग्राम सभा जीयनपुर जो अब टाउन एरिया बन गयी है की जमीन के फर्जी पट्टे की शिकायतें राजस्व विभाग के अधिकारियों को वर्ष 78-79 एवं 79-80 में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

पट्टे प्रधान द्वारा अनियमित रूप से किये गये थे जिनकी कोई मान्यता नहीं है उनके अवैध होने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

50--श्रीमती गौरी देवी--

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

तहसील सण्डीला, जिला हरदोई के आबकारी निरीक्षक, श्री श्रीकृष्ण बयशिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

51- श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या आबकरी मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि हरदोई की तहसील संडीला के आबकारी निरीक्षक (श्री श्रीकृष्ण बयशिया) द्वारा असामाजिक तत्वों की मदद से स्थानीय विभिन्न स्थानों पर नशीली पदार्थों की खुलेआम बिक्री तथा अन्य

अनियमितताओं की सूचना अध्यक्ष जिला कांग्रेस (आई0) कमेटी, संडीला द्वारा राज्यपाल, गृह सचिव तथा आबकारी सचिव आदि को दिनांक 3-5-80 को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार उनका अविलम्ब स्थानान्तरण कर उसके विरुद्ध शिकायतों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां, इस आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुयी थी। सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा शिकायतों की विभागीय जांच की जा रही है।

गोरखपुर जिले के चक्रवात पीड़ित ग्रामों को दी गयी शिकायत

52—श्रीमती गौरी देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले में माह सितम्बर, 80 में चक्रवात पीड़ित गांवों को सहायता एवं गृह अनुदान शीघ्र देने के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, गोरखपुर को अक्तूबर, 80 में निर्देश दिया था ? यदि हां, तो क्या उन गांवों में 5 नवम्बर, 80 तक सहायता व गृह अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो किसको और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

उक्त चक्रवात से प्रभावित व्यक्तियों को दिनांक 9-11-80 तक दी गई सहायता का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या 611 पर।

गोरखपुर जिले के बाढ़ ग्रस्त ग्राम गिरधरपुर-दुबौलिया एवं गिरधरपुर-चौबे को गृह निर्माण अनुदान

53—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के ग्राम गिरधरपुर, तहसील बांसगांव में वर्ष 1980 में बाढ़ व अतिवृष्टि से गिरे मकानों के निर्माण हेतु किन-किन मकान मालिकों को कितनी धनराशि दी गई ? क्या उन मकान मालिकों को शासन के निर्देश के अनुसार गृह अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

गोरखपुर जनपद की तहसील बांसगांव में गिरधरपुर नाम का ग्राम नहीं है, बल्कि गिरधरपुर दुबौलिया तथा गिरधरपुर चौबे नाम के ग्राम हैं, जहां 1980 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से गिरे मकानों के फलस्वरूप ग्राम गिरधरपुर दुबौलिया के 23 तथा ग्राम गिरधरपुर चौबे के 20 व्यक्तियों को गृह अनुदान पात्रता के आधार पर दिया गया, जिसका विवरण संलग्न* तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 618 पर।)

विद्युत् कर्मचारी संघर्ष कमेटी, सीतापुर का मांग-पत्र

54—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या बिजली मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् कर्मचारी संघर्ष कमेटी सीतापुर का कोई मांगपत्र दिनांक 22 अक्तूबर, 1980 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित उन्हें मिला ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । उक्त संघर्ष कमेटी का मांगपत्र जिलाधिकारी, सीतापुर को यथोचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ।

ग्राम शरबतरवानी, जिला वाराणसी में चकबन्दी

55—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम शरबतरवानी, तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी की चकबन्दी का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ है ? क्या इस गांव में चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम शरबतरवानी, तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी में चकबन्दी कार्य दिनांक 19 जुलाई, 1964 से प्रारम्भ हुआ है । इस गांव में कब्जा परिवर्तन तथा मुकदमों के निस्तारण का कार्य पूर्ण हो चुका है । नये अभिलेख बनाये जा रहे हैं ।

बदायूं जिले के ग्राम प्रानपुर पुख्ता की भूमि का आवंटन

56—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बदायूं के परगना सलीमपुर ग्राम प्रानपुर में ग्राम समाज की कितनी आराजी है, उसका आवंटन भूमिहीनों व अनुसूचित जाति के लोगों में अब तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त आराजी का आवंटन करायेगी और कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद बदायूं के परगना सलेमपुर के ग्राम प्रानपुर पुख्ता में कुल 272 बीघा भूमि ग्राम सभा की थी जिसमें से 84 व्यक्तियों को 201 बीघा 9 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है । प्रानपुर खास में कुल 156 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम समाज की थी जिसमें से 51 व्यक्तियों को 81 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है । शेष भूमि को तुरन्त आवंटित करने के आदेश जिलाधिकारी को भेज दिए गए हैं ।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, तिलहर, शाहजहांपुर में पिराई का कार्य

57—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि "दि किसान चीनी सहकारी मिल तिलहर, जिला शाहजहांपुर" द्वारा गन्ना पिराई का काम कब तक शुरू हो जावेगा ? सरकार शीघ्र पिराई शुरू कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, तिलहर, जिला शाहजहांपुर द्वारा गन्ने की पिराई फरवरी, 1981 तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है। मिल को शीघ्रातिशीघ्र चालू करने के लिये निर्माण कार्य तीव्रगति पर चालू है।

शाहजहांपुर जिले के ग्राम संगाहा का पंचशाला बन्दोबस्त के नक्शे का गबन

58—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर में तहसील और परगना जलालाबाद के ग्राम संगाहा की आराजी का पंचशाला बन्दोबस्ती का नक्शा मुहाफिज खाने से गायब हो गया है ? यदि हां, तो सरकार क्या नक्शे की तुरन्त तलाश करवायेगी और न मिलने पर कब तक नया नक्शा बनवायेगी और इस लापरवाही के लिये क्या सरकार दोषी कर्मचारियों को दंडित करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

तहसील और परगना जलालाबाद के ग्राम संगहा की आराजी का पंचसाला बन्दोबस्त 1962 (1369–70 फसली) में हुआ था। उस समय तैनात लेखपाल ने उक्त से सम्बन्धित नक्शा मुहाफिज खाने में दाखिल न कर अपने उत्तराधिकारी के चार्ज में दे दिया था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अतः नक्शा मुहाफिज खाने से गायब हुआ नहीं पाया गया। दोषी पाये गये लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस ग्राम में मानचित्र संशोधन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

59—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कानपुर जिले के कतिपय विकास खण्डों के किसानों का गृह निर्माण अनुदान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

60—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक बिल्हौर व ब्लाक ककवन तथा ब्लाक रसूलाबाद के गाँवों के किसानों को कितनी-कितनी दरख्वास्तें सम्बन्धित तहसीलदारों, परगनाधिकारियों तथा जिलाधिकारी को घर-गिरी का अनुदान पाने हेतु दिनांक 1 अगस्त, 1980 से दिनांक 1 नवम्बर, 1980 तक प्राप्त हुई ? और उन दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही हुई तथा उनमें कितने-कितने लोगों को घर-गिरी का अनुदान दिया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक बिल्हौर व ब्लाक ककवन तथा रसूलाबाद के गांवों के किसानों की 398 दरख्वास्तें संबंधित तहसीलदारों, परगना अधिकारियों तथा जिलाधिकारी को क्रमशः 144,78 तथा 176 गृह अनुदान पाने हेतु दिनांक 1 अगस्त, 1980 से दिनांक 1 नवम्बर, 1980 तक प्राप्त हुई और उनमे से 210 दरख्वास्तों पर पात्र व्यक्तियों को गृह अनुदान वितरण किया गया शेष 188 प्रार्थना-पत्र ऐसे पाये गये जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे इसलिए उन्हें गृह अनुदान नहीं दिया गया ।

बस्ती जिले के ग्राम तरैना में कथित मृत व्यक्ति को दी गयी तकावी

61--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील में दिनांक 12 अगस्त, 1980 को कितने लोगों को तकावी दी गई ? और क्या यह सत्य है कि ग्राम तरैना के एक व्यक्ति को 500 रु0 तकावी दी गई, जिसको मरे हुये 4 वर्ष हो गया है, इसके बारे में दिनांक 14-6-80 को ए0 डी0 एम0 श्री रमा शंकर सिंह को कुछ काश्तकारों ने शिकायत के रूप में बताया ? यदि हां, तो तकावी क्लर्क के विरुद्ध जिसके द्वारा यह हुआ सरकार उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

तहसील डुमरियागंज में दिनांक 12 अगस्त, 1980 को कुल 29 व्यक्तियों को तकावी दी गयी ।

तरैना ग्राम के तीन व्यक्तियों को 500 रु0 प्रति व्यक्ति तकावी दी गयी है जिनमें से कोई मृत नहीं है ।

दिनांक 14-6-80 को नहीं बल्कि 14-8-80 को कुछ व्यक्तियों ने श्री रमाशंकर सिंह, ए0 डी0 एम0 से शिकायत की । रेकार्ड की जाँच की गयी, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि किसी भी एसे व्यक्ति को तकावी नहीं दी गयी है जो मर चुका हो । शिकायत निराधार होने के कारण तकावी क्लर्क के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत् विभाग में डाक्टरों का साक्षात्कार एवं नियुक्ति

62--श्री पंचानन--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् विभाग में मेडिकल आफीसरों की नियुक्ति हेतु 8 एवं 9 अक्तूबर, 1980 को कोई साक्षात्कार सम्पन्न हुआ है ? यदि हां, तो यह पद कब विज्ञापित हुआ है ? कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा साक्षात्कार में बुलाने के लिए क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां ।

परिषदीय चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी (सामान्य) एवं चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ) पदों पर भर्ती हेतु जून, 1980 के प्रथम सप्ताह में विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया गया था ।

चिकित्साधिकारी (सामान्य) एवं चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ) पदों प भर्ती हेतु क्रमशः 262 एवं 59 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। साक्षात्कार में बुलान हेतु निम्न प्रकार मानदंड रखा गया था :—

चिकित्साधिकारी (सामान्य)

एम0 बी0 बी0 एस0 डिग्री अन्तिम वर्ष की परीक्षा 58 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण, अनु0 जाति एवं अनु0 जन-जाति के अभ्यर्थियों हेतु यह मानदंड 52.5 प्रतिशत था।

चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ)

(1) मेडिसिन—स्नातकोत्तर डिग्री सहित एम0 बी0 बी0 एस0 डिग्री अन्तिम वर्ष की परीक्षा 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण।

(2) एनेस्थीसिया—स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा सहित एम0 बी0 बी0 एस0 डिग्री अन्तिम वर्ष की परीक्षा 54.5 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण।

(3) पीडियाटिक्स—स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा सहित एम0 बी0 बी0 एस0 डिग्री अन्तिम वर्ष की परीक्षा 62 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण।

(4) रेडियोलोजी—विज्ञापन में निहित पात्रता शर्तों के अनुसार केवल दो अभ्यर्थी अर्ह पाये गये थे जिन्हें साक्षात्कार हेतु बुला लिया गया था।

(5) पैथोलाजी—केवल दो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिन्हें साक्षात्कार हेतु बुला लिया गया था।

(6) आफथलमोलोजी—विज्ञापन में निहित पात्रता शर्तों के अनुसार केवल 3 अभ्यर्थी ही अर्ह पाये गये थे जिन्हें साक्षात्कार हेतु बुला लिया गया था।

(7) दन्त चिकित्सक—स्नातकोत्तर डिग्री धारक अभ्यर्थियों एवं बी0 डी0 एस0 डिग्री अन्तिम वर्ष की परीक्षा 56.75 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हेतु यह मानडंड 55 प्रतिशत था।

अलकनन्दा, भागीरथी, काली गंगा नदियों की विद्युत् उत्पादन योजना

63—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अलकनन्दा, भागीरथी, काली व गोरी व गंगा नदियों पर किन स्थानों पर बांध बांधकर तथा सुरंग लगाकर विद्युत् उत्पादन की योजना सरकार की है और उससे अलग-अलग कितनी बिजली पैदा होगी ?

श्री ब्रह्म दत्त —

उत्तर प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85 में अलकनन्दा, भागीरथी, काली व गोरी व गंगा नदियों पर जिन स्थानों पर बांध बनाकर या सुरंग लगाकर विद्युत् उत्पादन की योजनायें है उनसे अलग–अलग विद्युत् उत्पादन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है —

क्रम–सं0	जल विद्युत् योजना का नाम	विद्युत् गृह स्थिति	अधिष्ठापित क्षमता मे0 वाट	वार्षिक विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)
	अलकनन्दा नदी—			
1	विष्णु प्रयाग	जोशी मठ के निकट	262	1494
2	श्रीनगर	श्रीनगर के निकट	168	728
	भागीरथी नदी			
3	मनेरी भाली प्रथम चरण	उत्तर काशी	90	592
4	मनेरी भाली द्वितीय चरण	जसपुर	156	913
5	टेहरी बांध (बहुउद्देशीय)	टेहरी	1000	2969
6	पाला मनरी	कुसाल्टी	142.5	725
7	तोहारीनाग पाला	पाला	282	1427
8	कोटेश्वर	कोटेश्वर के निकट	240	1093
	काली (शारदा) व गोरी गंगा नदियाँ—			
	इस समय कोई नहीं	..	..	..
	गंगा नदी—			
9	गढ़वाल–ऋषिकेश–चिल्ला	चिल्ला	144	726

इन परियोजनाओं के प्राक्कलन भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं और उनकी स्वीकृति आपेक्षित है ।

इन परियोजनाओं के प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं ।

विद्युत् परिषद् का विद्युत् उपभोक्ताओं पर बकाया विद्युत् शुल्क

64—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1980 तक उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् को कुल कितनी धनराशि विद्युत् उपभोक्ताओं से लेनी बाकी हैं तथा उसकी शीघ्र वसूली के लिये क्या विद्युत् कनेक्शन तुरन्त काट देने की व्यवस्था की जा रही हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

30 जून, 1980 तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में उपभोक्ताओं के विरुद्ध 82.80 करोड़ रुपये विद्युत देयों की धनराशि बकाया थी । परिषद् ने इस धनराशि की वसूली करने की दिशा में विद्युत् विच्छेदन के साथ ही अनेक अन्य प्रभावशाली कदम उठाये हैं ।

गन्ना शोध केन्द्र, सेवरही में प्रथम श्रेणी के अधिकारी का रिक्त पद

65--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना शोध केन्द्र सेवरही में अभी तक प्रथम श्रेणी का कोई अधिकारी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, पदधारक की प्रोन्नति के कारण पद रिक्त है । इस पद पर विज्ञापन के माध्यम से नियुक्ति विचाराधीन है ।

नायब तहसीलदारों का स्थायीकरण

66--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीधी भर्ती के नायब तहसीलदारों के स्थायीकरण का मामला इस समय राजस्व परिषद् के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और कितने नायब तहसीलदारों का ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। वर्ष 1967 से 1973 तक की अवधि के सीधी भर्ती के 56 नायब तहसीलदार ऐसे हैं जिनका स्थायीकरण अवशेष है । इनमें से 23 नायब तहसीलदारों द्वारा विभागीय परीक्षा पास कर ली गयी है और परिषद् द्वारा उनके स्थायीकरण पर विचार किया जा रहा है ।

वाराणसी जिले में नलकूप के विद्युत् कनेक्शन

67--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् विभाग, वाराणसी के पास तार तथा क्लैम्प न होने की वजह से सैकड़ों पंम्पिग सेट के कनेक्शन एग्रीमेंट होने के बाद भी मार्च, 1980 से पेन्डिग पड़े हुये हैं क्या यह सही है कि अकेले पिंडरा ब्लाक में 80 तथा बड़ा गांव ब्लाक में 60 के करीब हैं ? यदि हां, तो तार व क्लैम्प की व्यवस्था न करने का कारण क्या है और यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त --

वाराणसी जनपद में 31-3-1980 तक नलकूप कनेक्शन के लम्बित कुल 158 मामलों में से तीन (3) विवादग्रस्त मामलों को छोड़कर अन्य सभी को कनेक्शन दिया जा चुका है ।

पिंडरा तथा बड़ागांव ब्लाक में 31-3-80 तक में नलकूप कनेक्शन के लम्बित 46 व 11 मामलों में से बड़ा गांव ब्लाक के दो (2) विवादग्रस्त मामलों को छोड़कर अन्य सभी को कनेक्शन दिया जा चुका है । प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले के साहूपुरी स्टोर में एस0 पी0 ए0 स्कीम के अवशेष तार तथा क्लैम्प

68--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में एस0 पी0 ए0 स्कीम का तार तथा क्लैम्प साहूपुरी स्टोर में कई माह से बचा पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त बैलेंस में पड़े तार व क्लैम्प को नार्मल स्कीम के मातहत ब्लाकों में ट्रांसफर न करने का कारण क्या है ? क्या जल्द से जल्द उनका ट्रांसफर कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मालगुजारी में संशोधन किए जाने पर विचार

69--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 74-75 में लागू की गयी लगान की सिंचित व असिंचित क्रमशः 20 रु0 एकड़ व 10 रु0 एकड़ की परिभाषा को सरकार खत्म करके जमीन की रुस्टर रेट के हिसाब से लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त कानून में संशोधन कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मालगुजारी के वर्तमान आधार व स्वरूप में संशोधन परिवर्तन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

70--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1974 व 1975 में जमीन का नया सेटलमेन्ट करने के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्यों सरकार नया सर्वे कराने और जमीन की किस्म तय करने तथा जमीन की क्वालिटी पर लगान निश्चित करने पर पुनः विचार कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, प्रदेश में नया राजस्व बन्दोबस्त कराने के निमित्त सन् 1974 में सेटलमेन्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गयी थी ।

2--मालगुजारी के वर्तमान आधार व स्वरूप में संशोधन-परिवर्तन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में संशोधन किए जाने पर विचार

71--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट जो बहुत पुराना पड़ गया है उसको बदलने हेतु सरकार कोई नया कानून बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील--

"लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894" भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है। भारत सरकार इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है तथा राज्य सरकार ने संशोधन के सम्बन्ध में अपने विचार उक्त सरकार को भेज दिए हैं।

आबकारी विभाग, इलाहाबाद की प्रयोगशाला तथा आबकारी आयुक्त के हेड क्वार्टर की प्रयोगशाला में नमूनों एवं शीरे के नमूनों का विश्लेषण

72--श्री ऊदल--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर इलाहाबाद स्थानान्तरित प्रयोगशाला की इलाहाबाद में उपयोगिता जांचने के लिए शासन ने आबकारी आयुक्त से सूचना मांगी थी ? यदि हां, तो आबकारी आयुक्त से क्या सूचना प्राप्त हुई और प्रयोगशाला कब तक इलाहाबाद से उपयोगी स्थान को स्थानान्तरित कर दी जायगी ?

73--शासनादेश दिनांक 24-4-78 द्वारा अलकोहल टैक्नालाजी के साथ कितने पद सृजित किये गये तब से 15 सितम्बर, 1979 तक कौन-कौन पदाधिकारी कब तक कानपुर स्थित लैब में कार्य करते रहे ? आबकारी आयुक्त के हेड क्वार्टर पर स्थित प्रयोगशाला में तथा कानपुर में नियुक्त स्टाफ द्वारा वर्ष 1978-79 तथा 1-4-79 से 15-9-7 तक किस प्रकार से कितने-कितने नमूनों का विश्लेषण अलग-अलग किया गया और उससे क्रमशः कितनी आय प्राप्त हुई ? वर्ष 1977-78 में संदर्भित प्रयोगशाला से एच० बी० टी० आई० को कितनी आय प्राप्त हुई थी ?

74--विज्ञप्ति दिनांक 6-2-78 के अनुसार शीरे में विद्यमान किण्वीय शर्करा का निर्धारण करने के लिए वर्ष 1978-79 तथा 1-4-79 से 15-9-79 तक डिस्टिलरियों द्वारा इस्तेमाल किये गये शीरे के कितने नमूनों का परीक्षण उपरोक्त दोनों जगहों पर किया गया और किस-किस डिस्टिलरी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

75-76-श्री ऊदल--

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

77-श्री ऊदल--

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कोषागार, वाराणसी का भवन एवं कर्मचारी

18-श्री ऊदल--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी ट्रेजरी में जगह की बहुत कमी है सिर्फ एक बड़ा कमरा कलेक्टरेट इमारत के अन्दर है और

[श्री ऊदल--]

कर्मचारियों की भी कमी है ? यदि हां, तो कोषागार वाराणसी के लिए इमारत की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गयी और काम को देखते हुए कर्मचारियों को क्यों नहीं बढ़ाया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त--

वाराणसी कोषागार के लिए दो बड़े कमरे तथा तीन छोटे कमरे आवंटित हैं । इसके अतिरिक्त जगह की कमी को देखते हुए कुछ बरामदों को घेर कर भी कमरे बनाये गये हैं । स्थल की कमी दूर करने के लिए नये भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

79--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[2रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सभा, अहरौली सलोनी, जिला फैजाबाद की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

80-श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम सभा अहिरौली सलोनी, परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद में ग्राम सभा की कृषि योग्य भूमि पर किन्हीं लोगों का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद फैजाबाद, परगना पच्छिमराठ के अन्तर्गत ग्राम सभा अहरौली सलोनी की 6 बीघा 19 बिस्वांसी कृषि योग्य भूमि पर गांव सभा द्वारा दिये गये पट्टों के आधार पर कतिपय व्यक्ति काबिज हैं किन्तु दिये गये पट्टों में अनियमितताएं पायी गयी हैं । फलस्वरूप उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी है जो कि अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

81-श्री विद्यासागर नौटियाल--

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पन्नीजी शुगर मिल, बुलन्दशहर पर बकाया गन्ना मूल्य

82-श्री किरनपाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर की पन्नीजी शुगर मिल पर किसानों का गन्ने का मूल्य का रुपया बकाया है ? यदि हां, तो कितना उसे कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, बुलन्दशहर की पन्नी जी शुगर मिल पर किसानों का गन्ने का मूल्य दिनांक 31-12-80 तक की स्थिति के अनुसार 10.07 लाख रुपया बकाया है । इस बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु प्रयास जारी है ।

बुलन्दशहर-धमेड़ा केरल मार्ग का सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरण

83—श्री किरन पाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बुलन्दशहर—धमेड़ा केरल मार्ग को सा० नि० वि० को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार को विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक स्थानान्तरित होने की संभावना है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

प्रश्नगत मार्ग मरम्मत एवं रख—रखाव हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है ।

अमृतसर शुगर मिल्स, रोहानाकलां, मुजफ्फरनगर में कर्मचारियों की नियुक्ति

84—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या गन्ना विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आढ़ाता (श्री वी० के० सिंह) द्वारा अपने कार्यकाल में कितनी नियुक्ति अमृत शुगर मिल रोहाना कलां, जनपद मुजफ्फरनगर में की गयी है ? उनमें से कितने उक्त अवधि में नव नियुक्ति कर्मचारी इस मिल क्षेत्र के हैं, कितने जनपद के हैं तथा कितने जनपद मुजफ्फरनगर से बाहर के हैं ? मिल क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति का क्या औचित्य है ? क्या इस क्षेत्र के लोगों को इस मिल में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

अमृतसर शुगर मिल्स, रोहानाकलां (मुजफ्फरनगर) के आढ़ाता (श्री बी० के० सिंह) के कार्यकाल में (8—3—80 से 17—11—80 अर्थात् प्रश्न की तिथि तक) 3 स्थायी रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई व 11 अस्थायी अप्रेन्टिस रखे गये व इसके अतिरिक्त कुछ अस्थायी व्यक्ति आवश्यकतानुसार रखे जाते रहे हैं । उक्त 3 स्थायी पदों पर नियुक्तियां समाचार पत्रों में पब्लिसिटी देकर एक चयन समिति द्वारा की गई । नियुक्त तीनों व्यक्ति जनपद के बाहर के हैं, क्योंकि निर्धारित योग्यता के अनुकूल जनपद का कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था । ये तीनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाईयों में कार्यरत थे । जो 11 अस्थायी अप्रेन्टिस विभिन्न ट्रेड में रखे गये उनमें से 9 रोहाना मिल क्षेत्र के व 2 मुजफ्फरनगर जनपद के हैं ।

उक्त चीनी मिल में होने वाली नियुक्तियों में क्षेत्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है । निर्धारित योग्यता के अनुसार क्षेत्रीय व्यक्तियों के उपलब्ध न होने पर ही बाहर के उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है ।

85—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

86—श्री रियासत हुसैन—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

87—श्री मित्रसेन—

[2रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

88—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

विद्युत् विभाग, फूलपुर, जिला वाराणसी के फूलपुर फीडर के काटे गये केबुल की जांच

89—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या 12 प्रथम सत्र 80 के पाँचवें मंगलवार के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जो कहा गया है कि किरतपुर स्थान के अलावा और कोई केबुल काट कर नहीं निकाला गया है तो क्या यह सही है कि फूलपुर फीडर से केबुल जुलाई, 1980 में ही जूनियर इंजीनियर ने खोद कर तथा काट कर निकाला था और फूंक कर तांबा बनाकर बेचा था जिसको फूलपुर थाने की पुलिस ने सगड़ी पर ले जाते हुए पकड़ा और ता0 10-8-80 को उक्त तार के बारे में फूलपुर थाने में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया है ? यदि हां, तो उसकी जाँच क्यों नहीं की गई ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने विद्युत् मंत्री को 14 अक्तूबर, 1980 को पत्र लिखा है, उस पर क्या हुआ ?

श्री ब्रह्म दत्त—

प्रथम, सत्र 1980 के पांचवे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दिये जाने के समय फूलपुर 11 के0 वी0 फीडर से केबुल निकालने की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसकी सूचना सहायक अभियन्ता को दिनांक 3-11-1980 को प्राप्त हुई तथा जांच करने पर यह तथ्य सामने आया कि फूलपुर फीडर की केबुल निकाली जा चुकी है। इस सम्बन्ध में अवर अभियन्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया है जो प्रतीक्षित है।

जी नहीं।

पुलिस द्वारा पकड़े गये सामान में 11 के0 वी0 केबुल का ताँबें का तार नहीं है। उक्त तार विशेष के बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं है जो रिपोर्ट दर्ज की गई है वह लोहे आदि के कबाड़ के सामान, कुछ तांबे के तार तथा दो बजनी गले हुये शीशे के गोल टुकड़े के विषय में है।

फूलपुर 11 के0 वी0 फीडर से केबुल निकालने की सूचना दिनांक 3-11-1980 को प्राप्त होते ही तुरन्त उसकी जांच सहायक अभियन्ता द्वारा की गई। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी को समस्त मामले की विस्तृत जांच हेतु आदेश दिये गये हैं।

90—श्री ऊदल—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

91—श्री निर्मल कुमार—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]।

महाराष्ट्र के जिला नियोजन प्रणाली का राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा अध्ययन एवं रिपोर्ट

92—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके नेतृत्व में एक प्रदेशीय दल ने महाराष्ट्र और गुजरात में शासन व्यवस्था का मौके पर

अध्ययन करने के लिए हाल ही में दौरा किया था ? यदि हां, तो क्या उस दल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन के मुख्य पहलू क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

नियोजन एवं वित्त मंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के अधिकारियों के एक दल ने महाराष्ट्र की जिला नियोजन प्रणाली का अध्ययन करने के लिए दिनांक 27 अक्तूबर से 30 अक्तूबर, 1980 तक केवल महाराष्ट्र का भ्रमण किया था। अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवेदन में नियोजन प्रक्रिया को विकेन्द्रित करने के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं। इस प्रतिवेदन पर अभी शासन में विचार हो रहा है।

प्रदेश में विद्युत् की कमी एवं नई विद्युत् योजनायें

93—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में अभी भी बिजली का गम्भीर अभाव बना हुआ है ? यदि हाँ, तो प्रदेश में बिजली की कमी के कारण क्या हैं और कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

वर्तमान समय में विद्युत् आपूर्ति की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक संतोषजनक है। कटौती पहले से कम की जा रही है।

पिछले दिनों गम्भीर कमी का कारण यह था कि तमाम तापीय विद्युत् इकाइयां, जिनका वार्षिक अनुरक्षण वर्ष 1979 में सूखे के कारण संभव नहीं हो सका था वर्ष 1980 में करना अनिवार्य हो गया था एवं नियोजन अनुरक्षण हेतु बन्द करनी पड़ी थी। दिसम्बर, 80 में लगभग 430 मेगावाट तापीय क्षमता की अनुरक्षण के बाद वापसी हुई। जनवरी, 81 में और वापसी आपेक्षित है। जिसके उपरांत विद्युत् आपूर्ति में और सुधार होने एवं घोषित कटौती में अपेक्षाकृत कमी होने की संभावना है।

भविष्य में विद्युत् मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करने हेतु नई योजनाओं को चालू करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है एवं छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अन्तर्गत 12 नई योजनाओं की स्वीकृति हेतु केन्द्र से मांग की जा रही है। यदि ये सभी योजनायें स्वीकृत हो जाती हैं तथा इन योजनाओं के लिए परिव्यय में धनराशि प्राविधानित कर दिया जाता है तो आशा की जाती है कि वर्ष 1989-90 के अन्त तक प्रदेश में विद्युत् का अभाव नहीं रहेगा।

परिचालनाधीन इकाइयों से सुचारु रूप से उत्पादन प्राप्त करने हेतु बड़ी स्वदेशी इकाइयों में सुधार/नवीनीकरण तथा कोयले की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था के प्रयास केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर किए जा रहे हैं।

न्याय पंचायत कुकरा, जिला लखीमपुर खीरी में भूमि का आवंटन

94—श्री भीखालाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत कुकरा, जिला लखीमपुर खीरी में 15-11-80 तक कितनी भूमि सीलिंग द्वारा अतिरिक्त घोषित करके सरकार के कब्जे में आई और उसमें से कितनी जमीन का बटवारा, भूमिहीनों में कर दिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

न्याय पंचायत कुकरा, जिला लखीमपुर खीरी में 15-11-80 तक कुल 3425.065 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी जिसपर कब्जा लिया गया। उसमें से 1524.988 एकड़ भूमि का बंटवारा 688 भूमिहीनों में कर दिया गया है।

आजमगढ़ जिले के महुवा मढ़वल बांध के निकट के ग्राम शाहडीह एवं भदौरामकरन्द की चकबन्दी

95—श्री पंचानन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी के किनारे बने महूला गढ़वाल बांध के दक्षिण स्थित गांव की पुनः चकबन्दी कराने हेतु वर्ष 1979 में कोई सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु क्या हैं ? क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि जिन गांवों का रकबा बांध के दोनों तरफ है उनके भी दक्षिणी भाग के चकबन्दी कराने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो क्या शाहडीह और भदौरा ग्राम उसमें सम्मिलित हैं ? इन ग्रामों की चकबन्दी कब तक प्रारम्भ होगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

पुनः चकबन्दी नहीं वरन् चकबन्दी योजना के प्रसार हेतु पुनः सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में चकबन्दी से छूटे सगड़ी तहसील के 162 गांवों में से केवल 39 ग्राम चकबन्दी के योग्य पाये गये। इन 39 ग्रामों में से 21 ग्राम महुवा मढ़वल बांध के दक्षिण पूरब तथा 18 ग्राम बांध के दोनों ओर स्थित हैं। शाहडीह ग्राम उन ग्रामों की सूची में नहीं है जो चकबन्दी योग्य पाये गये भदौरा नाम का कोई ग्राम इस तहसील में नहीं है। भदौरा मकरन्द नाम का ग्राम है जो चकबन्दी के योग्य पाया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में चकबन्दी के योग्य पाये गये ग्रामों में चकबन्दी योजना का प्रसार किये जाने की संभावना है।

96—श्री राम आसरे वर्मा—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]।

97—श्री पंचानन—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्टेट शुगर कारपोरेशन की चीनी मिलों में प्रबन्धकों की नियुक्ति

98—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्टेट शुगर कारपोरेशन के द्वारा कितनी मिलों का संचालन हो रहा है, उनके प्रधान प्रबन्धकों की नियुक्ति का

मापदंड क्या निर्धारित किया गया है ? क्या इस मापदंड के अतिरिक्त भी क्या कुछ प्रधान प्रबन्धक कार्यरत कराय गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई विशिष्ट योग्यता वाली नियुक्ति करन का विचार रखती है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा कुल 19 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है जिसमें से 13 इकाइयां उसकी हैं व चीनी मिल (जानकी शुगर मिल्स, डोईवाला) का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा आई० डी० आर० एक्ट के अन्तगत नियुक्त स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। शेष 5 चीनी मिलें राज्य चीनी निगम की सहायक कम्पनियों के रूप में कार्यरत हैं।

सामान्य प्रबन्धकों की नियुक्ति निम्नलिखित स्रोतों से की जाती है—

1—विभिन्न राज्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

2—निगम की चीनी मिलों में कार्यरत चीफ इन्जीनियर और चीफ केमिस्टों तथा अन्य अधिकारी में से जो प्रबन्धात्मक अनुभव रखते हों।

3—उप प्रधान प्रबन्धक तथा उसी के समकक्ष पदों पर जिन अधिकारियों को पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो उनकी सामान्य प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति द्वारा।

उपर्युक्त स्रोतों के अलावा सरकार का कोई विशिष्ट योग्यता वाली नियुक्ति करने का विचार नहीं है।

न्याय पंचायत, कुकरा, जिला लखीमपुर खीरी के श्री नईमुल गनी एवं श्री नसीमुल गनी की अतिरिक्त भूमि

99—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत कुकरा, जिला लखीमपुर खीरी में नईमुल गनी व नसीमुल गनी की कितनी भूमि सीलिंग में अतिरिक्त घोषित की गई और उस जमीन का बंटवारा भूमिहीनों में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बजनाथ कुरील—

सर्व श्री नईमुल गनी व नसीमुल गनी की जोत में से अभी तक कोई भूमि अंतिम रूप से अतिरिक्त घोषित नहीं हुई है। अतः भूमि आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है।

100—श्री माता प्रसाद पान्डेय—

[2 रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

महात्मा गांधी स्कूल, राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद की भूमि के स्थानान्तरण सम्बन्धी मुकदमा

101—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम सभा अम्मरपुर, परगना अमृतपुर, सदर तहसील, जनपद फर्रुखाबाद की 85 बीघा जमीन अवैध रूप से

किसी विद्यालय के नाम स्थानान्तरित की गई और बाद में विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा यह जमीन अवैध रूप से अपने निकट के लोगों को स्थानान्तरित की गई तथा इस सम्बन्ध में शिकायतें 1974 में की गयी ? यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस अवध स्थानान्तरण को निरस्त कर इस जमीन को भूमिहीन हरिजनों में वितरित करायेगी ? और इस स्थानान्तरण को अवध रूप से स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । ग्राम सभा अम्बरपुर के ग्राम जगतपुर की भूमि संख्या 185 क्षेत्रफल 16 एकड़ को ग्राम सभा प्रधान ने भूमि प्रबन्धक समिति से दिनांक 14-11-62 को प्रस्ताव पारित कराकर प्रेसीडेन्ट कमेटी गंगापार राजेपुर विद्यालय को पट्टा कर दिया तथा बाद में दुरस्ती कागजात के आधार पर उक्त भूमि गंगापार महात्मा गांधी विद्यालय राजेपुर के नाम अंकित हुई । इसके बाद उक्त भूमि के कुछ अंश का स्थानान्तरण बजरिये बैनामा कतिपय व्यक्तियों को किया गया है । इस अनियमितता की जानकारी होने के बाद अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें हुए निर्णय दिनांक 12-12-77 के द्वारा पट्टा खारिज करके भूमि गांव सभा में निहित कर दी गई । इस निर्णय के विरुद्ध पट्टेदार महात्मा गांधी स्कूल राजपुर ने आयुक्त, इलाहाबाद के न्यायालय में निगरानी दायर कर दी है जो अभी विचाराधीन है । न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने तक कोई अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में बाढ़

102--श्री पंचानन--

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि वर्ष 1980 की बाढ़ राहत कार्य में आजमगढ़ जनपद में कुल कितनी धनराशि 20 अक्तूबर, 1980 तक व्यय की गयी ? इसमें से कितनी धनराशि सगड़ी तहसील में व्यय की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1980 की बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों की राहत हेतु 20 अक्तूबर, 1980 तक अहेतुक सहायता मद में 13,31,231 रुपये विशेष सहायता मद में 3,62,561 रुपये तथा गृह अनुदान मद में 50,000 रुपये अर्थात् कुल 17,44,392 रुपये राहत कार्य में व्यय किये गये । इसी में से तहसील सगड़ी में अहेतुक सहायता मद में 3,12,156 रुपये गृह अनुदान मद में 23,000 रुपये तथा विशेष सहायता मद में 77,202 रुपये अर्थात् कुल 4,12,358 रुपये व्यय किये गये ।

103--श्री पंचानन--

(2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में बाढ़

104--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, 1980 की बाढ़ से तहसील तरबगंज जिला गोंडा के कितने क्षेत्रों में फसल नष्ट हुई और उसकी अनुमानित

हानि कितनी हुई है ? राहत कार्यों में कितना धन वितरण हुआ ? क्या सरकार बाढ़ नियंत्रण हेतु किसी विशेष योजना पर विचार हेतु विशेषज्ञों की किसी टीम द्वारा इस पीड़ित क्षेत्र का सर्वे कराने का इरादा रखती है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में गृह अनुदान एवं अहेतुक सहायता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

105--श्रीमती गौरा देवी--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर में गृह अनुदान एवं अहेतुक सहायता वितरण में धांधली एवं अनियमितता के सम्बन्ध में माह अक्तूबर, सन् 1980 में कोई शिकायती पत्र उन्हें मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

गोरखपुर में गृह अनुदान एवं अहेतुक सहायता वितरण में धांधली एवं अनियमितता के सम्बन्ध में माह अक्तूबर, 1980 में राजस्व मंत्री को सम्बोधित कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित माननीय सदस्या का एक पत्र दिनांक 9-10-80 अवश्य प्राप्त हुआ था जिसमें गृह अनुदान में धांधली तथा अन्य बिन्दुओं का भी उल्लेख है, जिसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा करायी गई । जांच रिपोर्ट के अनुसार अनुदान वितरण में अनियमितता पाई गई ।

अल्मोड़ा जिले के गरुड़ गढ़सेर के हरिजनों की बेदखली

106--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरुड़ गढ़सेर, तहसील बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में हरिजन परिवारों को 1980 में बेदखल किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खेर नगर बाजार, गोयल मेडिकल स्टोर, जिला मेरठ की शराब से मृतकों की संख्या

107--श्री मंजूर अहमद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 20-9-80 को मेरठ नगर में खेर नगर बाजार के गोयल मेडिकल स्टोर से शराब खरीद कर पीकर मरने वालों की संख्या 32 हो गयी है और 10 आदमी गम्भीर हालत में हैं ? यदि हां तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है और इस प्रकार के मामलों को रोकने में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

108—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[2रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में हरिजनों को भूमि का पट्टा एवं निरसन सम्बन्धी मुकदमों का स्थगन आदेश

109— श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पट्टा निरस्तीकरण धारा 198 जमींदारी विनाश अधिनियम के मुकदमे में आदेश शासन द्वारा भेजा गया है कि उसे स्थगित किया जाय ? यदि हां, तो उक्त आदेश कब भेजा गया कितने दिनों के लिए भेजा गया ? क्या उक्त स्थगन आदेश पट्टे की वैधानिकता की छानबीन के लिए सरकार प्रतिबन्ध हटाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

भूमि आवंटन अभियान के दौरान जहां ग्राम सभा की धारा 132 की आरक्षित भूमियों का पट्टा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दिया गया था तथा उनके निरस्त करने हेतु मुकदमें दायर हुए थे उन्हीं मुकदमों को स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। यह आदेश दिनांक 18-8-78 तथा 2-2-79 को भेजे गए। अब 10 नवम्बर, 1980 के अध्यादेश द्वारा ऐसे सब मुकदमे अबेट (Abate) कर दिया गए हैं तथा ऐसे आवंटियों को 'आसामी' के अधिकार दे दिए गए हैं।

विकास खण्ड ककवन एवं बिल्हौर जिला कानपुर में गृह निर्माण अनुदान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

110—श्री मौतीलाल देहलवी—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि अतिवृष्टि के कारण घर गिरने के सरकारी घोषणा के अनुसार अनुदान पाने हेतु प्रश्नकर्ता ने 1 अगस्त, 1980 से 21 नवम्बर, 1980 तक अपने पत्र के साथ संलग्न कर ब्लाक ककवन व ब्लाक बिल्हौर, जनपद कानपुर के कुल कितने आवेदन पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी, कानपुर व परगना अधिकारी तथा तहसीलदार बिल्हौर के पास भेजे और क्या उनमें से किसी को घर गिरी का अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो कितने लोगों को और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कार्यालय विद्युत् विभाग, जीयनपुर, आजमगढ़ का स्थानान्तरण

111—श्री पंचानन—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् का सब डिवीजन कार्यालय जीयनपुर आजमगढ़ में था ? यदि हां, तो इसे वहां से हटाने के क्या कारण हैं ? आजमगढ़ के किन-किन तहसील मुख्यालय पर अब भी सब डिवीजनल कार्यालय है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां। राज्य विद्युत् परिषद् का सब डिवीजनल कार्यालय जौनपुर (आजमगढ़) में था।

उक्त सब डिवीजन के अन्तर्गत आने वाले अन्य क्षेत्रों--महाराजगंज, रौन्तापार व बिलरियागंज के विद्युत् उपभोक्ताओं को जौनपुर आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध न थी। उन्हें विद्युत् सम्बन्धी प्रत्येक कार्य के लिए आजमगढ़ होकर जौनपुर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की जनता को अपने विभिन्न कार्यों हेतु आए दिन आजमगढ़ आना जाना होता था। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भी विभागीय कार्यों को सम्पन्न कराने अक्सर आजमगढ़ जाना पड़ता था, जिससे विद्युत् उपभोक्ताओं-का विद्युत् सम्बन्धी कार्य हेतु उनसे सम्पर्क नहीं हो पाता था। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जौनपुर स्थित सब डिवीजनल कार्यालय को परिषद् द्वारा आजमगढ़ स्थानान्तरित कर दिया गया था।

आजमगढ़ के निम्नलिखित तहसील मुख्यालयों पर अभी भी सब डिवीजनल कार्यालय हैं --

(क) फूलपुर।

(ख) लालगंज।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम पिथनापुर का ट्रान्सफार्मर

112--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास खंड के ग्राम पिथनापुर का विद्युत् ट्रान्सफार्मर गत ढाई वर्ष से जल गया है परन्तु बदला नहीं गया है ? यदि हां, तो यह ट्रान्सफारमर कब बदला जायेगा और इस देरी के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

फर्रुखाबाद जनपद के ग्राम पिथनापुर में लगे ट्रान्सफार्मर को जो काफी समय पहले जल गया था दिनांक 10-12-80 को बदल दिया गया है।

उक्त ट्रान्सफार्मर पर कोई भी कनेक्शन न आने की स्थिति में ही उसको जल जाने पर इसके पूर्व बदला नहीं गया था। इसके लिए कोई दोषी नहीं है। अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। इस ट्रान्सफार्मर पर कनेक्शन के लिए पहला आवेदन पत्र दिसम्बर, 1980 में ही प्राप्त हुआ है तथा उक्त प्रकाश एवं पंखा का कनेक्शन दिनांक 14-1-81 को दे दिया गया है।

हरदोई जिले में बाढ़ एवं सहायता

113--श्री राम लाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में वर्ष 1980 की बाढ़ से राहत हेतु क्या-क्या कार्य किए गए और किस क्षेत्र में किए गए और उनका माध्यम क्या था ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1980 की बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को जिला हरदोई की सदर, शाहाबाद, संडीला तथा बिलग्राम तहसीलों में 18,80,429 रु0 नकद तथा 15,64,544 रु0 की सामग्री अहेतुक सहायता के रूप में, 36,63,114 रु0 गृह निर्माण अनुदान व 45,21,550 रु0 तकावी वितरित की गई। राहत कार्य राजस्व विभाग तथा विकास खंडों के कर्मचारियों के माध्यम से किया गया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा पशुधन विभागों ने भी राहत कार्य किए। स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री, वस्त्र तथा आवश्यक वस्तुएं वितरित कीं।

लखनऊ नगर में बाढ़ एवं सहायता

114—श्री राम लाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980 में गोमती नदी की बाढ़ से कौन-कौन क्षेत्र लखनऊ नगर में प्रभावित हुए हैं और उन क्षेत्रों के समस्त बाढ़ पीड़ितों को क्या राहत व सुविधायें प्रदान की गयीं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1980 में गोमती नदी की बाढ़ से लखनऊ नगर के निम्नलिखित 4 सेक्टर प्रभावित हुए थे—

1—चौक सेक्टर में लाजपतनगर, शीशमहल, घंटाघर, लंगरखाना, रईस-मंजिल, सुरैया मंजिल, कूंडियाघाट, भोलानाथ घाट।

2—ठाकुरगंज सेक्टर में मल्लाही टोला, बरफखाना, मिश्रीबाग, मुरमुरी-टोला, अहमदगंज, गऊघाट, लोधपुरवा, नेपियर रोड, रामगंज, हाता-मिर्जा अली खां, मोहनी पुरवा, दौलतगंज, शिवपुरी।

3—निशातगंज सेक्टर में अकबर नगर, शक्तिनगर, गिरधर नगर, कसौला।

4—हजरतगंज सेक्टर में मसालची टोला, बाबा पुरवा, मोहनी पुरवा, खदरा, मुराई टोला, दीनदयाल नगर, मदेहगंज, बांस मंडी, पुरानी, कदम रसूल, बाग शाहजी, मक्कागंज, भांड़ों का टोला, नई बस्ती, मनकामेश्वर, बरौलिया, नदवा स्कूल तथा इन्द्रानगर।

उक्त क्षेत्रों के बाढ़ पीड़ितों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने हेतु 261 नावें लगाई गई थीं तथा उन्हें खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने हेतु 45 ट्रकों की व्यवस्था की गई थी। बाढ़ सहायता केन्द्रों पर शरण दी गई व निम्नलिखित सामग्री वितरित की गई—

आटा—304 कुंतल, 85 कि0 500 ग्राम।

चना—13 कुंतल, 9 कि0 788 ग्राम।

गुड़—4 कुंतल, 52 कि0।

नमक—9 कुंतल, 55 कि0 700 ग्राम।

मिट्टी का तेल—865·300 लीटर ।

माचिस—2256 ।

मोमबत्ती—1358 ।

इसके अतिरिक्त 81,360 रु0 गृह अनुदान बांटा गया, 1,962 कुंओं में दवा डाली गयी, 7,127 व्यक्तियों को इंजेक्शन लगाए गए, 135 व्यक्तियों को दवा दी गई तथा 1,134 मकानों में दवा छिड़की गई ।

बाराबंकी जिले के ग्राम बेनमा मजरे मलूकपुर में वर्षा से क्षति

115—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम बेनमा मजरे मलूकपुर, परगना देवां, जिला बाराबंकी में बाढ़ से काफी नुकसान हो गया है, फसल डूब गई तथा करीब 25 मकान गिर गए हैं ? क्या इस सम्बन्ध में गांव की जनता ने जिलाधिकारी, बाराबंकी तथा माननीय मुख्य मन्त्री एवं माल मन्त्री को अगस्त, 80 में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम बेनमा मजरे मलूकपुर में बाढ़ से कोई नुकसान नहीं हुआ है, परन्तु अधिक वर्षा एवं जलप्लावन के कारण नीचे वाले भाग में पानी एकत्र हो जाने से फसलों को 48 पैसे की क्षति हुई । अधिक वर्षा के कारण दीवालों को पानी की बौछार से नुकसान हुआ किन्तु कोई भी मकान पूर्ण-रूपेण नहीं गिरा है ।

ग्राम बेनमा मजरे मलूकपुर के निवासियों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर जांच कराई गई । जांच में पाया गया कि कोई भी मकान बाढ़ अथवा अधिक वर्षा से नहीं गिरा है, इस कारण गृह अनुदान वितरित नहीं किया गया । किन्तु जांच में यह पाया गया कि पांच परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है । इस कारण पांच व्यक्तियों को 100-100 रुपये की अहेतुक सहायता वितरित कर दी गई है ।

श्री शोभनाथ तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, आजमगढ़ का स्थानान्तरण

116—श्री तपेश्वर—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता की शिकायतों पर चकबन्दी आयुक्त ने अपने पत्रांक संख्या 8743, दिनांक 30-11-79 द्वारा श्री शोभानाथ तिवारी, ए0 सी0 ओ0, 11 काठतरांव, आजमगढ़ का स्थानान्तरण आजमगढ़ से जिला बांदा किया ? क्या यह सही है कि पुनः 3-7-80 के आदेश द्वारा उन्हें बांदा से बलिया केवल 7 माह के अन्दर पुनः स्थानान्तरित किया गया, इस प्रकार करीब 2,500 रु0 की टी0ए0, डी0 ए0 देकर राजकीय कोष को क्षति पहुंचाई गई है ? इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, तत्कालीन राजस्व मन्त्री जी के निर्देशानुसार श्री शोभनाथ तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी को चकबन्दी आयुक्त के आदेश, दिनांक 25 जुलाई, 1980 द्वारा पुनः जनपद बांदा से बलिया स्थानान्तरित किया गया है ।

ईंट भट्ठों पर लगाया गया बिक्री-कर

117—श्री ऊदल—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ईंट भट्ठा उद्योग के लिए प्रति वर्ष दो मुश्त करके बिक्री-कर प्रत्येक भट्ठे की क्षमता देख कर लगाने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं । इस समय सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा चेक पोस्ट पर कोयले का फर्जी फार्म

118—श्री ऊदल—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 74 से लेकर अगस्त, 80 तक बिहार-उत्तर प्रदेश की सीमा चेक पोस्ट पर फर्जी फार्म 31 दिखाकर कोयला ले जाया जाता रहा है ? यदि हां, तो उसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अगस्त, 74 से लेकर अगस्त, 80 तक बिहार-उत्तर प्रदेश की सीमा चेक पोस्ट पर फर्जी फार्म-31 दिखाकर कोयला ले जाने के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं । इस प्रकार के अवैध कार्य को रोकने के लिए विभाग की ओर से की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

श्री लालजी राय, अवर अभियन्ता, पिंडरा, जिला वाराणसी का स्थानान्तरण

119—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री प्रथम सत्र 80 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 100 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि लालजी राय, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण पिंडरा सब-स्टेशन से विद्युत् वितरण खंड द्वितीय मिर्जापुर को, दिनांक 31-7-80 को कर दिया गया है, तो क्या यह सत्य है कि तारीख 28-9-80 तक भी अवर अभियन्ता ने आदेशों का पालन नहीं किया है ? जो अवर अभियन्ता चार्ज लेने के लिये आया था, उसको चार्ज नहीं दिया ? यदि हां, तो लालजी, अवर अभियन्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

*(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 620 पर) ।

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां। श्री लालजी राय, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण पिंडरा सब-स्टेशन से विद्युत् वितरण खंड, मिर्जापुर को कर दिया गया था। परन्तु श्री राय द्वारा अपने पद का चार्ज नहीं दिया गया। अतः समाचार-पत्र में विज्ञापन देकर दिनांक 29-10-80 को उनकी अनुपस्थिति में उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया। बाद में स्थानान्तरण आदेशों में संशोधन करके श्री लालजी राय को 33 के0 वी0 सब-स्टेशन, नौगढ़ पर तैनात कर दिया गया, जहां उन्होंने, दिनांक 15-12-80 को कार्यभार संभाल लिया है।

गांव सभा बसनी, जिला वाराणसी की श्रीमती मकतुला का बिजली के खम्भे से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र एवं ट्रान्सफार्मर

120--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बसनी (दर्जिया का पूरा) ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी की श्रीमती मकतुला ने माननीय विद्युत् मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत्, वाराणसी को क्रमशः 27-8-80, 3-9-80 को प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनका चक नं0 430 रकबा 76 डि0 है उसमें पहले से ही बिजली के खंभे गाड़े गए हैं और कनेक्शन प्राइवेट लोगों को दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पुनः डबल पोल उसके छोटे चक में गाड़ने के लिए विद्युत् विभाग, वाराणसी प्रयत्न कर रहा है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री ब्रह्मदत्त--

श्रीमती मकतुला का दिनांक 18-7-1980 का एक प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में प्राप्त हुआ था तथा यह सत्य है कि श्रीमती मकतुला के चक में पहले से ही बिजली के खम्भे गाड़ कर व्यक्तिगत नलकूपों को विद्युत् कनेक्शन दिया गया है। डबल पोल लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मूल प्रस्ताव के अनुसार श्रीमती मकतुला के चक में चार सिंगिल (Single) पोल तथा दो 'स्टे' लगाकर नए विद्युत् कनेक्शन देने का प्रस्ताव था। श्रीमती मकतुला द्वारा आपत्ति किए जाने पर प्रस्ताव का पुनरीक्षण करके विद्युत् लाइन को अब इस प्रकार बिछाया जा रहा है कि उनके चक में केवल एक पोल नया एक 'स्टे' लगेगा।

जी हां।

121--श्री ऊदल

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चक नं0 430 के बगल के चक में पहले से ही ट्रांसफार्मर लगाया गया है जो 25 हार्स पावर का है? यदि हां, तो और कनेक्शन देने के लिए उक्त स्थान पर दूसरा बड़ा 65 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर न लगाने का क्या कारण है?

श्री ब्रह्मदत्त--

प्रश्नगत ट्रान्सफार्मर की क्षमता 25 के0 वी0 ए0 है। पूर्व स्थापित विद्युत् उपकेन्द्र की क्षमता को बढ़ाकर नये चार नलकूपों को कनेक्शन दिए जाने की

स्थिति में उपभोक्ताओं को वांछित विभव पर विद्युत् आपूर्ति करना संभव न हो सकेगा ।

विद्युत् सब-स्टेशन, पिंडरा, वाराणसी की फूलपुर फीडर के काटे गए केबुल

122--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र के 5वें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के संदभ में बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर फीडर सब-स्टेशन पिंडरा, वाराणसी के कटे केबुल एवं पिंडरा के कटे केबुल जो 10-7-80 के पूर्व काटे गए थे और जिसको जलाकर ताँबा निकाला गया है उसको एक ट्राली पर ले जाते हुए फूलपुर थाने की पुलिस ने पकड़ा है और उसका मुकदमा भी जुलाई, 1980 में थाना फूलपुर, वाराणसी में दर्ज है तथा ट्राली चालक को गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अधिशासी अभियन्ता जुलाई, 1980 में सब-स्टेशन पिंडरा पर गए थे और जाँच की थी तो केवल फूलपुर फीडर एवं पिंडरा को काटकर रक्खा गया था जिसे स्टाक में नहीं चढ़ाया गया था ? क्या सरकार फूलपुर के केबुल एवं पिंडरा के केबुल की जांच करायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

प्रथम सत्र 1980 के पांचवे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दिए जाने के समय फूलपुर 11 के0 वी0 फीडर से केबुल निकालने की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी । इसकी सूचना सम्बन्धित सहायक अभियंता को दिनांक 3-11-1980 को प्राप्त हुई तथा जांच करने पर यह तथ्य सामन आया कि फूलपुर फीडर की केबुल निकाली जा चुकी है । इस सम्बन्ध में अवर अभियन्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया है जो प्रतीक्षित है ।

जी नहीं । पुलिस द्वारा पकड़े गए सामान में 11 के0 वी0 केबुल का तांबे का तार नहीं है । उक्त तार विशेष के बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं है । जो रिपोर्ट दर्ज की गई है वह लोहे आदि के कबाड़ के सामान, कुछ तांबे के तार तथा दो वजनी गले हुए शीशे के गोल टुकड़े के विषय में है । पुलिस न तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिसमें ट्राली चालक भी है ।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा जुलाई, 1980 में पिंडरा सब-स्टेशन का निरीक्षण किए जाने के दौरान केवल पिंडरा फीडर का केबुल ही पाया गया था जिसे 10-7-1980 को स्टाक पर ले लिया गया था । समस्त मामले की विस्तृत जांच हेतु मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी को आदेश दे दिए गए हैं ।

गाजीपुर जिले में राज्य विद्युत् परिषद् का बकाया विद्युत् शुल्क

123--श्री राम नरायन--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में विगत 10 वर्षों में एवं मार्च, 1980 तक राज्य विद्युत् परिषद् की बिजली की बकाया धनराशि सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों, निगमों एवं अन्य व्यक्तियों के जिम्मे

कितनी देय है और शासन ने उक्त धनराशि की वसूली हेतु अब तक कौन से ठोस कदम उठाया है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप-संचालक, चकबन्दी, गाजीपुर के न्यायालय में विचाराधीन निगरानियां

124--श्री राम नरायन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में उप-संचालक, चकबन्दी के न्यायालय में वर्ष 1970 से मार्च, 1980 तक कितनी निगरानियां विचाराधीन हैं ? सरकार उनके निस्तारण हेतु कोई त्वरित कदम उठाने पर विचार करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नगत अवधि में गाजीपुर जनपद के उप-संचालक चकबन्दी के न्यायालय में कुल 1,438 निगरानियां विचाराधीन थीं ।

उनके शीघ्र निस्तारण हेतु गत अप्रैल, 1980 से शासन द्वारा एक उप-संचालक, चकबन्दी की नियुक्ति कर दी गई है । इसके अतिरिक्त निगरानियों के निस्तारण के लिए बाहर से भी अन्य अधिकारियों के दौरे का कार्यक्रम बनाया जाता है ।

125--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[32 मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर जिले में सीड प्रोडक्शन अधिकारी का रिक्त पद

126--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर में सीड प्रोडक्शन अधिकारी का पद कब से रिक्त है ? पद पर किसी व्यक्ति के कार्यरत न होने के कारण क्या हैं तथा इसकी व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सीतापुर में सीड प्रोडक्शन अधिकारी का पद दिनांक 1-8-80 से रिक्त है ।

पद के रिक्त रहने का कारण इस पद पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्यभार न ग्रहण करना रहा है । शासनादेश दिनांक 6-1-81 द्वारा इस पद पर अब श्री टी० एन० वर्मा की नियुक्ति कर दी गयी है ।

सहकारी गन्ना विकास समिति, पलिया कला, जिला खीरी द्वारा सड़क निर्माण हेतु धन की कथित कटौती

127--श्री भीखा लाल--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समिति पलियां कलां, जिला खीरी ने पलियां-पटिहन मार्ग बनाने के लिए पिछले वर्ष

[श्री भीखा लाल—]

किसानों से जो रुपये काटे हैं, उस रुपये से क्या सड़क का निर्माण हो गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

सहकारी गन्ना विकास समिति पलिया कलां (खीरी) द्वारा पलिया–पटिहन मार्ग निर्माण के लिये पिछले वर्ष किसानों से कोई कटौती नहीं की गयी है ।

श्री सूबेदार सिंह, पेशी कानूनगो, सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्यालय, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती–पत्र

128—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्यालय, गोरखपुर के श्री सूबेदार सिंह, पेशी कानूनगो के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं कुष्ट रोग से ग्रसित होने के सम्बन्ध में संसद सदस्य (लोक सभा) श्री महावीर प्रसाद एवं अन्य विधायकों तथा व्यक्तियों से 1980 में प्राप्त शिकायती प्रार्थना–पत्र पर जिलाधिकारी, गोरखपुर ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री महावीर प्रसाद, संसद सदस्य का एक पत्र श्री सूबेदार सिंह, पेशी कानूनगो सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्यालय गोरखपुर की शिकायत के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था जिस पर जिलाधिकारी गोरखपुर ने जांच करी और केवल इतना सही पाया कि श्री सूबेदार सिंह कुष्ट रोग से प्रभावित लगते हैं परन्तु मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर ही इन्हें सेवा में रखा गया था ।

पायल सिनेमा, भदोही, वाराणसी का मनोरंजन कर

129—श्री ऊदल—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पायल सिनेमा भदोही, वाराणसी के ऊपर मनोरंजन कर का कितना बकाया पड़ा है और उसको वसूलने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

इस सिनेमा के ऊपर मनोरंजन कर का कोई बकाया नहीं है । ऐसी स्थिति में बकाये की वसूली का प्रश्न नहीं उठता ।

130—श्री हुकम सिंह—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

131–132—श्री दीप नारायण—

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18–19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सठियांव, जिला आजमगढ़ के क्षेत्र में गन्ना उत्पादन

133—श्री पंचानन—

क्या गन्ना विकास तथा चीनी मिल मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास विभाग, आजमगढ़ द्वारा दि किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़ के क्षेत्र में गन्ना विकास का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में वर्ष 1979–80 में क्या मुख्य–मुख्य कार्य किये गये ? क्या इसके फलस्वरूप वर्ष 1978–79 की तुलना में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सठियांव (आजमगढ़) के क्षेत्र में गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्ष 1979-80 में गन्ना उत्पादन बढ़ाने हेतु किये गये प्रमुख विकास कार्यों की स्थिति निम्नलिखित है :—

(1) सिंचाई सुविधायें बढ़ाने हेतु 488 नलकूपों का निर्माण, 173 पम्पिंग सेटों का निर्माण तथा 4596 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता की वृद्धि की गई है ।

(2) उर्वरक वितरण में 665 मी0 ट0 नाईट्रोजन, 150 मी0 ट0 फास्फेट तथा 37 मी0 ट0 पोटास वितरित किया गया ।

(3) 2206 मी0 ट0 गन्ना बीजों का वितरण किया गया ।

(4) नई पौधशालायें लगाने के मद में 2–31 हेक्टेयर में आधार पौधशालायें, 29–43 हेक्टेयर में प्राथमिक पौधशालायें, 87–32 हेक्टेयर में माध्यमिक पौधशालायें रखी गई तथा 36–53 हेक्टेयर में पौधशालाओं का प्रदर्शन किया गया ।

(5) वर्ष 1978–79 में गन्ने का क्षेत्रफल 18510 हेक्टेयर था । औसत उपज 387 क्विंटल/प्रति हेक्टेयर थी तथा गन्ना उत्पादन 71–63 लाख क्विंटल था ।

वर्ष 1979–80 में क्षेत्रफल घटकर 15460 हेक्टेयर तथा उपज 306 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही और गन्ना उत्पादन केवल 47·51 लाख क्विंटल रहा ।

गन्ना उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण गन्ना क्षेत्रफल में कमी तथा वर्ष 1979–80 में अप्रत्याशित सूखा पड़ने के कारण गर्मी की ऋतु में फसल को सिंचाई के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होना है । फलस्वरूप गन्ना उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

वित्त सेवायें अनुभाग–2 के सहायक लेखाधिकारियों की दक्षता रोक एवं सेवा प्रसार

134—श्री सतीश अजमानी—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि वित्त सेवायें अनुभाग–2 में सहायक लेखाधिकारियों के अनेकों दक्षता रोक के मामले अनिस्तारित पड़े हैं ? यदि हां, तो किस–किस के अभी तक निस्तारित नहीं किये गये हैं और क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 में संलग्न सूची में उल्लिखित सहायक लेखाधिकारियों के वक्षतारोक के मामले अनिस्तारित पड़े हैं जो सम्बन्धित अधिकारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा वेतन गलत निर्धारित किये जाने तथा उनसे सम्बन्धित अवधि की गोपनीय चरित्र-प्रविष्टियां समय से प्राप्त न होने आदि कारणों से सम्बन्धित हैं । उन्हें शीघ्र निस्तारित करने हेतु यथावश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 621 पर ।)

135--श्री सतीश अजमानी--

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन ऐसे सहायक लेखाधिकारियों के सेवा प्रसार के पक्ष में विचार कर रहा है जिन्हें विभागीय मैनुअल को बनाने में लगाया गया है ? यदि हां, तो किस अवधि तक ?

श्री ब्रह्मदत्त--

ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

चकबन्दी विभाग, आजमगढ़, सगड़ी के श्री नियाज अहमद, चपरासी की सेवा समाप्ति

136--श्री पंचानन--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की चकबन्दी की सगड़ी यूनिट में कार्यरत किन-किन परिचालकों की सेवायें 1 अगस्त, 77 से 30 सितम्बर, 77 के बीच समाप्त की गयीं ? इनमें कितने कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने सेवा से अलग किये जाने की तिथि को 7 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली थी ? इन्हें सेवा से हटाये जाने के क्या प्रमुख कारण थे ? क्या इन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

केवल एक अस्थायी, चपरासी श्री नियाज अहमद की सेवायें समाप्त की गयी । श्री नियाज अहमद ने 7 वर्ष से अधिक की सेवायें पूरी कर ली थी । 90 दिन से अधिक समय तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 157-ए के सहायक नियम (4) (1) के अन्तर्गत श्री नियाज अहमद की सेवायें बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, आजमगढ़ (सगड़ी) के आदेश दिनांक 2 सितम्बर, 1977 द्वारा स्वतः समाप्त मान ली गयी थी । श्री नियाज अहमद को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

137-138--श्री पुरुषोत्तम दास--

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

139—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

140—श्रीमती कमला साहनी—

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राज्य योजना आयोग के अवर वर्ग सहायकों के स्थायीकरण की मांग

141—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नियोजन मंत्री को ज्ञात है कि राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) में तीन वर्षों से कार्यरत नियमित अवर वर्ग सहायक को स्थायी नहीं किया गया है ? क्या इसी विभाग में अन्य पदों पर कार्यरत सहायकों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

राज्य योजना आयोग में अभी तक किसी भी अवर वर्ग सहायक की नियमित नियुक्ति नहीं हुई है, अतः स्थायीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता । नियमित रूप से चयनित वैयक्तिक सहायकों, समन्वय सहायकों तथा टंककों को ही स्थायी किया गया है ।

ग्राम रामपुर बगहा व सिघावट जिला देवरिया के अभिलेखों में जालसाजी

142—श्री कुबेर भंडारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर बगहा व सिघावट, तहसील हाटा, जिला देवरिया में अभिलेखों में गोल-माल और जालसाजी करके दूसरे किसानों की भूमि को श्रीकान्त, मैनादेवी, रामदरसन व सूर्यभान के नाम जो चक निर्माण हुए थे वह शिकायतों पर हुई जांच के फलस्वरूप निरस्त कर दिए गए परन्तु इन चकों पर इसके वास्तविक भूस्वामी श्री दर्शन व लक्ष्मी सिंह के नाम अभी तक अंकित नहीं किए गये और मामले से सम्बन्धित फाइल को गायब करवा दिया गया है ? यदि हां, तो इस गम्भीर मामले की जांच कराकर सरकार तुरन्त कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

1—ग्राम रामपुर बगहा में खतौनी में कुछ मतरूक नम्बरों पर चकबन्दी अधिकारी द्वारा वाद सं0 30 टी0 बी0 में पारित आदेशों के अनुसार श्री श्रीकान्त का नाम दर्ज कर दिया गया था । गांव सभा की ओर से पुनर्स्थापना का प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर यह एकतरफा आदेश निरस्त कर दिया गया है । सम्बन्धित पत्रावली मफलूत है, जिसकी तलाश करायी जा रही है । यदि यह पत्रावली नहीं मिलती है तो इस का पुनर्निर्माण करा लिया जायेगा ।

2—ग्राम सिघावट में खतौनी में मतरूक 2 गाटों पर चकबन्दी अधिकारी के वाद सं0 12288 में पारित आदेशों द्वारा श्री लक्ष्मी, श्रीमती मैना देवी बेवा जयराज, श्री राम दरश, श्री सूर्यभान पुत्रगण श्री श्रीकान्त का नाम अंकित किया गया था परन्तु इन आदेशों को एकपक्षीय होने के कारण निरस्त कर दिया गया है । सम्बन्धित पत्रावली नहीं मिल पायी परन्तु इसका पुनः निर्माण करा दिया गया है । गुण दोष पर वादों का निस्तारण होना अवशेष है ।

3—दोनों वादों में गुण दोष पर अन्तिम आदेश पारित होने के पश्चात् ही न्यायिक रूप से असल भू-स्वामियों के स्वत्व का निर्धारण हो सकेगा ।

[श्री बैजनाथ कुरील--]

4--दोषी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करके आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

143--श्री हुकम सिंह--

[उरे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जौनपुर टाउन एरिया, जिला आजमगढ़ का विद्युतीकरण

144--श्री पंचानन--

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ की जौनपुर टाउन एरिया के विद्युतीकरण विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में करीब 6 माह पूर्व जमा कर दी गई है तथा एस्टीमेन्ट भी हो चुका है किन्तु अभी तक विद्युतीकरण का विस्तार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

जी हां ।

विद्युतीकरण विस्तार का कार्य जनवरी, 1981 के प्रथम सप्ताह में पूरा कर दिया गया है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगवानदीन, अमीन, बीकापुर, फैजाबाद के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

145--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 15-10-80 को (भगवानदीन, अमीन, बीकापुर, जनपद फैजाबाद से सम्बन्धित) प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-10-1980 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को भेज कर उनसे आख्या मांगी गई थी । जिलाधिकारी, फैजाबाद से अपेक्षित आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है । जिलाधिकारी, फैजाबाद से आख्या प्राप्त होने पर वस्तुस्थिति से माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायगा ।

146--श्री हुकम सिंह--

[उरे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

147,-148,-149--श्री दल बहादुर यादव--

[उरे शुक्रवार के लिए स्थगित]

150--श्री प्रताप नारायण द्विवेदी--

[उरे शुक्रवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में दैवी आपदाओं पर दी जाने वाली छूट

151—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषकों को कृषि क्षेत्र में होने वाली दैवी आपदाओं की क्षति पर छूट दिए जाने की क्या शर्तें हैं ? और प्रतिशत क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

दैवी आपदा से खरीफ की फसल के प्रभावित होने की दशा में साधारणतयः वसूली का निलम्बन ही पर्याप्त होता है किन्तु जब आपदा विशेष रूप से भयंकर होती है, जब लोगों की आर्थिक स्थिति पिछले फसलों के नष्ट होने से कम हो जाती है या जहां खरीफ की फसल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है तो मालगुजारी में छूट नियमानुसार दी जा सकती है। रबी की फसल के प्रभावित होने पर साधारणतयः मालगुजारी में छूट देने पर विचार किया जाता है।

क्षति के अनुसार निम्नवत् छूट दी जाती है :—

सामान्य उपज में हानि का प्रतिशत	छूट का प्रतिशत
50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक हानि पर	40 प्रतिशत
60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक	60 प्रतिशत
75 प्रतिशत अथवा उससे ऊपर	शत प्रतिशत

नानपारा, जिला बहराइच में सहकारी चीनी मिल की स्थापना का प्रस्ताव

152—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की नानपारा तहसील के नानपारा नगर के निकट सहकारिता के आधार पर निर्माण हेतु प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जनपद बहराइच की नानपारा तहसील के अन्तर्गत एक नई सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु भारत सरकार को प्रार्थना-पत्र भेज दिया गया है, जो अभी भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त होने के बाद ही निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

153—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या चीनी उद्योग मंत्री को यह ज्ञात है कि उक्त प्रस्तावित चीनी मिल हेतु क्षेत्रीय जनता से शेयर राशि भी जमा करा ली गई है और उस शेयर राशि का कोई हिसाब सरकार की जानकारी में नहीं है ? यदि हां, तो दोषी दायित्वधारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

उक्त प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल के शेयर के लिए अभी तक क्षेत्रीय जनता से कोई धनराशि जमा नहीं कराई गई है ।

154--श्री झिलमिट राम--

[2 रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत गृहों मे लगाई गई टरबाइन एवं विद्युत उत्पादन पर प्रति यूनिट खर्च

155--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र 1978 के प्रथम गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या विद्युत मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि अन्य किन-किन कम्पनियों द्वारा निर्मित टरबाइन्स राज्य विद्युत परिषद् द्वारा किस-किस क्षमता की कहां-कहां लगाई गई हैं और गत 3 वित्तीय वर्षों में उनके द्वारा उत्पादित बिजली का उत्पादन खर्च प्रति यूनिट कितना रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उत्तर प्रदेश राज्यविद्युत परिषद् में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के अलावा अन्य कम्पनियों द्वारा निर्मित निम्नलिखित टरबाइनें (लघु तापीय विद्युतगृहों को छोड़कर) चालू हैं :--

विद्युत गृह	इकाइयों की क्षमता	चालू होने की तिथि	निर्मित कंपनी का नाम
1	2	3	4
(क) तापीय--			
1--ओबरा 'अ'	5 × 50	अगस्त, 1967 मार्च, 1968 अक्तूबर, 1968 जुलाई, 1969 जुलाई, 1971	यू0 एस0 एस0 आर0
2--हरदुआगंज 'अ'	3 × 30	अप्रैल, 1962 जून, 1962 अप्रैल, 1964	ए0ई0जी0जर्मनी हिटाची, जापान
3--हरदुआगंज 'ब'	2 × 50	मार्च, 1968 जनवरी, 1969	यू0 एस0एस0आर0
4--पनकी 'पुराना'	2 × 32	नवम्बर, 1967 मार्च, 1968	यूगोस्लाविया

1	2	3	4
(ख) जल विद्युत--			
1--रिहन्द	6 × 50	मार्च, 1962 फरवरी, 1962 फरवरी, 1962 मार्च, 1962 मार्च, 1962 नवम्बर, 1966	इंगलिश इलेक्ट्रिक इंग्लैंड
2--ओबरा (जलीय)	1 × 33	मई, 1970	इंगलिश इलेक्ट्रिक इंग्लैन्ड
3--मातातीला	3 × 10	फरवरी, 1965 जून, 1965 सितम्बर, 1965	हिटाजी जापान
4--खटीमा	3 × 13.8	जनवरी, 1955 अप्रैल, 1955 अगस्त, 1955	इंगलिश इलेक्ट्रिक इग्लैन्ड
5--इकरामी	3 × 11.25	नवम्बर, 1965 मार्च, 1966 जनवरी, 1970	यूगोस्लाविया
6--डालीपुर	3 × 7	दिसम्बर, 1965 मार्च, 1966 मार्च, 1970	यूगोस्लाविया

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के मुख्यतापीय विद्युत् गृहों द्वारा गत तीन वर्षों में उत्पादित बिजली के प्रति यूनिट उत्पादन खर्च का विवरण निम्नलिखित है :--

विद्युत् गृह	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन व्यय पैसे प्रति यूनिट		
		1977-78	1978-79	1979-80
1--ओबरा 'अ'	5 × 50 (3 × 100 को सम्मिलित करके)	14.21	18.43	21.42
2--हरदुआगंज 'अ'	3 × 30	22.48	22.47	28.62
3--हरदुआगंज 'ब'	2 × 50 + 2 × 55	24.53	27.93	31.58
4--पनकी 'पुराना'	2 × 38	12.67	19.97	24.17

156--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र 1978 के प्रथम गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या विद्युत् मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 78-79 तथा 79-80 में बिजली का उत्पादन खर्च प्रति यूनिट कितना रहा है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विभिन्न तापीय विद्युत् गृहों के द्वारा उत्पादित बिजली का उत्पादन वर्ष प्रति यूनिट वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में निम्नलिखित रहा है :--

विद्युत् गृह का नाम	अधिष्ठापित क्षमता यूनिट सं० मे० वा०	उत्पादन खर्च पैसे प्रति यूनिट		
		1977-78	1978-79	1979-80
1--ओबरा 'अ'	5×50+3×100	14·21	18·43	21·42
2--ओबरा 'ब'	3×200	..	25·54	27·29
3--हरदुआगंज 'अ'	3×30	28·42	22·47	28·62
4--हरदुआगंज 'ब'	2×50+2×55	24·53	27·93	31·58
5--हरदुआगंज 'स'	1×60+1×110	26·45	28·43	38·05
6--पनकी 'पुराना'	2×32	12·67	19·97	24·17
7--पनकी विस्तार	2×110	23·12	27·56	32·50

आजमगढ़ जिले के लिये विद्युत् कनेक्शन

157--श्री पंचानन--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में दिनांक 24-10-80 को कितने किसान ऐसे थे जिन्होंने बी० एल० फार्म जमा कर दिया है किन्तु उन्हें विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया गया है ? क्या मंत्री जी इन्हें शीघ्र कनेक्शन देने के सम्बन्ध में आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जनपद आजमगढ़ मे 2-10-80 तक उन किसानों की संख्या, जिन्होंने बी० एण्ड एल० फार्म जमा कर दिया था और उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया है, 3910 है । इसका विवरण निम्न प्रकार है :--

(1) निजी नलकूपों/पम्प सेटों के लिए	..	2769
(2) औद्योगिक कनेक्शन हेतु	..	112
(3) बत्ती एवं पंखे के कनेक्शन हेतु	..	1029

उपरोक्त कनेक्शन सामानों की उपलब्धता एव प्राथमिकता के आधार पर किसानों को दिये जा रहे हैं ।

158--श्रीमती गौरी देवी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया] ।

159--श्रीमती गौरी देवी--

[2रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

बकाया बिक्री-कर

160--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 21 मार्च, 1980 को सेल्स टैक्स की कितनी धनराशि वसूली के लिये है और सबसे पुराना बकाया धनराशि कितनी है और किस सन् की है तथा शासन इस वसूली को शीघ्र कराने के लिये क्या ठोस कार्यवाही कर रहा है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

31 मार्च, 1980 को बिक्री की कुल बकाया धनराशि 128·52 करोड़ रुपये थी । इसमें से बकाया 72·71 करोड़ रुपये तथा चालू मांग 55·81 करोड़ रुपये थी। कुल बकाया 128·52 करोड़ रुपये धनराशि में से 42·73 करोड़ रुपये की वसूली सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्थगित थी । 10·14 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष वसूली योग्य नहीं थी और 35·03 करोड़ रुपये धनराशि वसूली के लिये परिपक्व नहीं हुई थी। इस प्रकार शुद्ध वसूली योग्य बकाया बिक्रीकर की धनराशि 40 62 करोड़ रुपये थी ।

सबसे पुरानी बकाया रु0 15,494 है कर निर्धारण वर्ष 1948-49 से सम्बन्धित है ।

उपरोक्त बकाया के समापन के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं और बिक्रीकर अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

161--श्री रामस्वरूप वर्मा--

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

हरदोई, चीनी मिल पर कथित बकाया गन्ना मूल्य

162--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई स्थित चीनी मिल पर किसानों का (गन्ना आपूर्ति) इस समय (पिराई सत्र 1979) कुल कितना रुपया बकाया है ? इसे दिलाने हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है तथा रुपया कब तक अदा हो जाने की संभावना है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

हरदोई चीनी मिल पर किसानों (गन्ना आपूर्ति) इस समय (पेराई सत्र 1979) का कोई रुपया बकाया नहीं है ।

163—श्री जटा शंकर सिंह—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले में चक्रवात का प्रकोप एवं दी गई सहायता

164—श्रीमती गौरी देवी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि अक्तूबर, 1980 में जिलाधिकारी, गोरखपुर को बांसगांव एवं सदर तहसील के कुछ गांवों मे चक्रवात आने से हुई क्षति के सम्बन्ध में सहायता आदि के लिए निर्देश दिया था ? यदि हां, तो क्या ? और जिलाधिकारी, गोरखपुर ने कौन सा कदम इस सम्बन्ध में उठाया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

जिलाधिकारी गोरखपुर को यह निर्देश भेजे गए थे कि चक्रवात से पीड़ितों को यथाशीघ्र सहायता करने की तुरन्त व्यवस्था करें ।

जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को 3,710 रु0 अहेतुक सहायता, 9,000 रु0 गृह निर्माण अनुदान वितरित किया गया । इसके अतिरिक्त 100 धोतियां/साड़ी भी वितरित की गई ।

तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में पुनः चकबन्दी

165—श्री जंग बहादुर—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के तहसील शाहगंज में पुनः चकबन्दी कराने के लिए प्रश्नकर्त्ता का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 अगस्त, 1980 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज में पुनः चकबन्दी कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 23 अगस्त, 1980 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु इस आशय का दिनांक 25 अगस्त, 1980 का पत्र प्राप्त हुआ । उक्त तहसील में पुनः चकबन्दी कराने हेतु शासन द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1980 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है ।

जौनपुर जिले के बदवापुर को तहसील बनाने पर विचार

166—श्री जंग बहादुर—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में बदवापुर तहसील बनाने हेतु शासन के समक्ष कोई मामला इस समय विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक का कोई पत्र दिनांक 23 जून, 1980 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

मामला विचाराधीन है ।

167–168–169 —श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 145, 146, 147 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आजमगढ़ जिले के मुहल्ला महरूपुर के श्री चन्द्रिका हरिजन की भूमि पर कब्जा

170—श्री पंचानन

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रिका हरिजन, मुहल्ला महरूपुर, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ की भूमि पर परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 5 सितम्बर, 1980 के बाद भी कब्जा नहीं दिलाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इसके लिए उत्तरदायी कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

दिनांक 5 सितम्बर, 1980 को परगनाधिकारी द्वारा श्री चन्द्रिका की भूमि पर कब्जा दिलाने का कोई आदेश नहीं हुआ ।

प्रश्न का शेष भाग उत्पन्न नहीं होता ।

जिला वाराणसी के ग्राम अभयनपुर उर्फ लखनपुर की गांव समाज की भूमि पर श्री शौकत अली का दर्ज किया गया नाम

171—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की गांव अभयनपुर उर्फ लखनपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में आराजी नं० 376 व 369 जो गांव समाज की आराजी थी उसको कानूनगो भदोही की रिपोर्ट एवं परगनाधिकारी, ज्ञानपुर की स्वीकृति 15–1–79 के द्वारा गांव समाज लखनपुर उर्फ अभयनपुर का नाम निरस्त कर उसकी जगह शौकत अली पुत्र अली अहमद खां, भदोही का नाम खतौनी में चढ़ाकर मालिकाना हक दे दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस कार्य की जांच करा कर कार्यवाही करेगी ? क्या इसकी स्वीकृति ता० 22–2–79 को ए० डी० एम० ज्ञानपुर ने भी दिया है ?

172—क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शौकत अली के पास एक सिनेमा हाऊस, पायल तथा दसियों बीघा जमीन एवं करोड़ों का कारबार कालीन का विदेशों से एवं बीसों लाख के मकान कस्बा भदोही, वाराणसी में हैं ? यदि हां, तो इनको भूमिहीन कैसे ज्ञानपुर तहसील के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने मान लिया है ?

173—क्या राजस्व मन्त्री खतौनी ग्राम लखनपुर उर्फ अभयनपुर परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी सन् 1383 से 1388 फ० में परिवर्तन सम्बन्धी आदेश सन् 1386 फ० का मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत् सब स्टेशन, पिंडरा, वाराणसी का अनुपयुक्त कैपिसीटर एवं भूतपूर्व अवर अभियन्ता का क्वार्टर

174--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सब विद्युत् स्टेशन पिंडरा, जिला वाराणसी में वोल्टेज मेन्टेन करने हेतु एक लाख रु० का कैपेसिटर यूनिट मार्च, 80 में लगाई गयी थी ? यदि हां, तो क्या सत्य है कि उक्त यूनिट की बैटरी चार्जर की बैटरियां, भू० पू० अवर अभियन्ता द्वारा बच दी गयीं जिससे कैपिसिटर यूनिट खराब पड़ा है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां । भूतपूर्व अवर अभियन्ता ने स्थानान्तरण पर अवमुक्त होने पर 6 बैटरियों को चार्ज में नहीं दिया जिसके सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है । इन 6 बैटरियों के उपलबन्ध न होने के कारण वर्तमान समय में कैपिसिटर प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है ।

175--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भू० पू० अवर अभियन्ता को 29-10-80 से पिंडरा सब विद्युत् स्टेशन से कार्यमुक्त अभियन्ता के क्वार्टर पर आज भी उन्होंने कब्जा कर रखा है और उसी में रह रहे हैं ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां । अवर अभियन्ता ने स्थानान्तरण पर नये मुख्यालय चकिया पर दिनांक 15-12-80 को पद भार ग्रहण कर लिया है । परन्तु उन्होंने अपना पुराना क्वार्टर खाली नहीं किया है इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

वाराणसी जिले के विद्युत् स्टोर चौकाघाट एवं साहूपुरी स्टाक का सत्यापन

176--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के विद्युत् स्टोर चौकाघाट (रिहन्द) एवं विद्युत् स्टोर साहूपुरी में विद्युत् के कितने सामान तार, क्लैम्प, अन्डर ग्राउन्ड केबुल इंगल, खंभे लोहे के आदि पड़े हैं ? क्या कभी इसका बैरीफिकेशन भी किया गया है या नहीं ? क्या इसकी जांच सरकार करायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

वाराणसी के चौकाघाट स्थित विद्युत् प्रेषण खण्ड प्रथम वाराणसी के स्टोर में लगभग 15.43 लाख रु० तथा साहूपुरी स्थित विद्युत् भंडार खंड, गोरखपुर, विद्युत् प्रेषण खंड (प्रथम), वाराणसी, विद्युत् प्रेषण खन्ड (द्वितीय) वाराणसी तथा विद्युत्

प्रेषण खन्ड (तृतीय), वाराणसी के स्टोर में क्रमशः लगभग 54.41 लाख रु0 50.02 लाख रु0 15.47 लाख तथा 3.48 लाख रु0 की कीमत के साधन उपलब्ध हैं ।

पिछले एक वर्ष के दौरान साहूपुरी स्थित सभी स्टोर्स का भौतिक सत्यापन सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया है । चौकाघाट स्थित स्टोर का भौतिक सत्यापन सहायक अभियन्ता द्वारा प्रगति पर है । कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

177--श्री पंचानन--

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ जिले के विकास खन्ड अजमतगढ़ एवं हरैया के ग्रामों का विद्युतीकरण

178--श्री पंचानन--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ तथा हरैया ब्लाक से कौन-कौन सी ऐसी ग्राम सभाएं हैं जिनमें 20 अक्तूबर, 1980 तक विद्युत् नहीं पहुंची है ? क्या सरकार विद्युतीकरण शीघ्र कराने पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ तथा हरैया ब्लाक में क्रमशः 27 व 56 ग्राम सभायें ऐसी हैं जिनमें 20 अक्तूबर, 1980 तक विद्युत् नहीं पहुंची है। (सूची संलग्न) । हां, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ पर)

बाराबंकी जिले के शीत गृहों एवं अन्य उद्योगों पर बकाया विद्युत् शुल्क

179-श्री श्यामलाल वाजपेयी--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में शीतगृहों, सरिया मिल तथा अन्य उद्योगों पर विद्युत् विभाग का कितना बकाया है ? क्या शासन बकायादारों के नाम बताते हुए बकाया वसूली के लिए कोई उपाय करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बाराबंकी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति

180--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बाराबंकी में ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को सायं 6 से रात 10 बजे तक बिजली नहीं मिलती? यदि हां, तो यह स्थिति कब से है, उसके कारण क्या हैं तथा क्या उपभोक्ताओं को सायं 6 बजे से बिजली देने के लिए कार्यवाही की जायगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां, यह व्यवस्था गत कई वर्षों से है । राज्य विद्युत् परिषद् ने यह व्यवस्था विद्युत् की मांग उसकी उपलब्धता से अधिक होने के कारण की है । राज्य विद्युत् परिषद् को विद्युत् उत्पादन तथा विद्युत् की मांग की स्थिति को

[श्री ब्रह्मदत्त--]

देखते हुए जिन नगरों तथा ग्रामों की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 20,000 या इससे कम है, उनको शिखर मांग के समय शीतकाल में सायंकाल 5 बजे से रात 9 बजे तक विद्युत् आपूर्ति करना सम्भव नहीं है। नगर/ग्राम वह जिनकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 के बीच है, को बत्ती एवं पंखे के लिए दो फेज सायंकाल 5 बजे से 9 बजे तक चार घंटे प्रतिदिन यथासम्भव विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था है।

आजमगढ़ जिले के महुला-गढ़वल बांध के विद्युतीकरण की मांग

181--श्री पंचानन--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में घाघरा के किनारे बने महुला-गढ़वल बांध के विद्युतीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस पिछड़े क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रख कर इस बन्ध का विद्युतीकरण कराने की कृपा करेगी?

श्री ब्रह्मदत्त--

महुला-गढ़वल बांध के विद्युतीकरण की कोई योजना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता। यदि महुला-गढ़वाल बांध के विद्युतीकरण का प्रस्ताव सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकार किया जायेगा, वहां विद्युत की व्यवस्था की जायेगी।

मुरादाबाद जिले के नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

182--श्री अकबर हुसैन--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में कितने निजी नलकूपों के अनुबन्ध राज्य विद्युत् परिषद्, मुरादाबाद सर्किल द्वारा किये गये? क्या उन सबको क्रमानुसार कनेक्शन दे दिए गए? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त--

वर्ष 1979-80 में राज्य विद्युत् परिषद् के दोनों मुरादाबाद सर्किल द्वारा कुल 6,139 निजी नलकूपों के अनुबन्ध किये गये, जिसमें से 5,970 नलकूपों की औपचारिकतायें पूरी की गई थीं। इनमें से इस वर्ष अब तक क्रमानुसार 4,667 कनेक्शन दे दिए गये हैं।

उपरोक्त 5,970 नलकूपों में से शेष 1,303 को आवश्यक सामान उपलब्ध होने में कठिनाई के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सका।

वाराणसी जिले के ग्राम औरांव, देसराई एवं सरांय को विद्युत् आपूर्ति

183--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब-स्टेशन विद्युत्, सप्लाई वाराणसी की औरांव, देसराई, सरांय, जिला वाराणसी की विद्युत् पिंडरा, दिनांक 23-8-80 से 26-8-80 तक नहीं हो पायी? यदि हां, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी नहीं। 11 के0 वी0 पिन्डरा लाइन के द्वारा ग्राम देवराय, अबरान तथा सरांय की विद्युत् आपूर्ति की जाती है, दिनांक 23-8-1980 से 26-8-1980

तक इन ग्रामों को 6 घंटे प्रतिदिन निर्धारित विद्युत् आपूर्ति विरुद्ध क्रमशः 9 घं0 5 मिनट, 8 घं0 15 मि0, 8 घं0 20 मि0 तथा शून्य विद्युत् आपूर्ति की गई ।

दिनांक 26-8-1980 को वर्षा तथा तूफान में लाइन पर पेड़ गिर जाने के कारण 33 के0 वी0 मण्डुआडीह-पिंडरा लाइन में ब्रेकडाउन हो गया था । फलस्वरूप इस दिन उपरोक्त ग्रामों की विद्युत् आपूर्ति नहीं हो पायी थी ।

कानूनगो से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति की मांग

184--श्री रामनरायन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदार सेवा नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत सुपरवाइजर कानूनगो प्रशिक्षित बैच 1973-74 से 1977-78 तक उत्तर प्रदेश में प्रथम पोजीशन पाने वाले कानूनगोओं का चयन नायब तहसीलदार पद पर प्रशिक्षण समाप्ति के 2 वर्ष व्यतीत होने पर भी अब तक क्यों नहीं हुआ ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या आवश्यक कार्यवाही कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

कथित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार किसी कानूनगो प्रशिक्षण बैच के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले अभ्यर्थी अंतिम परीक्षा के दो वर्ष के पश्चात् नायब तहसीलदार पद हेतु चयन के लिए विचारार्थ परिपक्व होते हैं । इस प्रकार कथित वर्षों में से वर्ष 1977-78 बैच के अभ्यर्थी अभी चयन हेतु परिपक्व नहीं हुए हैं । शेष वर्षों के अभ्यर्थियों का नायब तहसीलदार पद हेतु चयन न हो पाने में विलम्ब इस कारण हुआ कि इनमें से पहले वर्ष (1973-74) के प्रथम तीन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में नियमावली में निर्धारित कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट प्राप्त न हो सकी थी । वर्ष 1973-74, 1974-75 तथा 1975-76 के बैचों के प्रथम तीन-तीन अभ्यर्थी के सम्बन्ध में निर्धारित आख्या अब प्राप्त हो गई है और उनमें से नायब तहसीलदार पद हेतु चयन कराने के लिए लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को 6 अक्तूबर, 1980 को लिख दिया गया है । 1976-77 बैच के प्रथम तीन अभ्यर्थियों के बारे में अभी नियमावली में निर्धारित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसके प्राप्त होने पर चयन के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।

गन्ना काश्तकारों को सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की कटौती

185--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रबी व खरीफ फसल के लिये सघन सहकारी समितियों के माध्यम से खाद व बीज के लिये सहकारी बैंकों से जो ऋण दिया जाता है उस ऋण की वसूली गन्ना क्षेत्रों के गन्ना काश्तकारों से गन्ने के भुगतान के समय सहकारी बैंक द्वारा दी गई सूची के अनुसार ऋण की कटौती की जाती है । क्या यह सही है कि कटौती की गई धनराशि को पृथक-पृथक विवरण सहकारी बैंक को तत्काल न भेजे जाने के कारण ऋण दाताओं को भारी व्यय की क्षति के साथ-साथ बकायेदार की श्रेणी में रहने के कारण अगली फसल पर ऋण मिलना कठिन हो जाता है ? यदि हां, तो उसमें सुधार लाने एवं काश्तकारों को ब्याज की क्षति से बचाने हेतु सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां ।

2 व 3--शासन की जानकारी में वर्णित कठिनाइयां हैं और इनके निराकरण हेतु विकल्पों पर कार्यवाही एवं विचार किया जा रहा है ।

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम गब्यांग दरखोला, जुम्मा आदि के पुनर्वास की व्यवस्था

186--श्री चारु चन्द्र ओझा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में भू-स्खलन व पहाड़ के धंसने से प्रभावित ग्राम दरखला, रांकी जम्बा व गब्यांग आदि ग्रामों के लोगों को दिये गये पुनर्वास का आश्वासन शासन द्वारा पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील--

जिला पिथौरागढ़ में भू-स्खलन व पहाड़ के धंसने से अत्यधिक प्रभावित ग्राम गब्यांग दरखोला, जुम्मा तथा स्यांकुरी के 473 परिवारों को सम्पूर्णानन्द शिविर जल फार्म, सितारगंज, जिला नैनीताल में एक एकड़ प्रति परिवार की दर से कुल 473 एकड़ भूमि पुनर्वास हेतु आवंटित की गई है ।

पिथौरागढ़ जिले में भूकम्प का प्रकोप एवं दी गयी सहायता

187--श्री चारु चन्द्र ओझा--

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 1980 में जनपद पिथौरागढ़ के भारी भूकम्प से प्रभावित किसानों व निवासियों को पर्याप्त सहायता राशि दी गयी व उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील--

भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल सहायता हेतु 7,300 रु0 अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया । इसके अतिरिक्त 28,000 रु0 की आर्थिक सहायता प्रधान मन्त्री सहायता कोष से बांटा गया । भूकम्प के फलस्वरूप बेघर होने वाले व्यक्तियों को तत्काल आश्रय दिया गया तथा पुनर्वास की व्यवस्था की गई व नियमानुसार गृह निर्माण अनुदान भी वितरित किया गया ।

पहाड़ी क्षेत्रों में भूकम्प का प्रकोप

188--श्री मोहन सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भूकम्प के भयंकर झटकों से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ ? भूकम्प के झटके की अग्रिम सूचना के सम्बन्ध में शासन कोई यथोचित कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बंजनाथ कुरील--

दिनांक 27-7-80 को पहाड़ी क्षेत्रों के केवल 4 जिलों में भूकम्प के झटके आये थे जिसके फलस्वरूप 2 पशुओं की मृत्यु हुई, 91 मकान तथा एक प्राइमरी

स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई। कुल लगभग 4,66,475 रु0 की क्षति हुई है। कोई मानव जीवन की हानि नहीं हुई। भूकम्प के झटके की अग्रिम सूचना के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

नेबुआ-नौरंगिया पुलिस, जिला देवरिया के सम्बन्ध में मंत्री, आबकारी निरीक्षक संघ का पत्र

189—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आबकारी निरीक्षक संघ, उ0 प्र0 के महामन्त्री श्री एस0 एन0 सिंह ने इसी माह अपने पत्र द्वारा नेबुआ-नौरंगिया पुलिस (देवरिया) द्वारा गत 2-8-80 को एक आबकारी निरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की है ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है एवं अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, मन्त्री, आबकारी निरीक्षक संघ ने उप आबकारी निरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की है जिस पर जांच कराई गई जो अभी समाप्त नहीं हुई है।

(समय 12 बज कर 7 मिनट)

झांसी नगर में राशन कार्ड की व्यवस्था तथा राशन वितरण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 5 स्वीकार हुई हैं।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। झांसी नगर की लगभग 70 प्रतिशत जनता अल्प आय वाली है, इसमें कुल आबादी की तीस प्रतिशत जनता के पास राशन कार्ड नहीं हैं। इसके अतिरिक्त झांसी के शहरी व देहाती इलाकों में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर गत चार पाँच माह (1980-81) से गल्ला व शक्कर इत्यादि निश्चित समय पर तथा शासन से निर्धारित मात्रा में वितरित नहीं हो पा रही है। गरीब व खेतिहर मजदूर ऐसी दशा में भूखों मरने की स्थिति में आ गया है। पिछले वर्ष बाढ़ एवं सूखा पड़ जाने से उसको काम भी नहीं मिल पा रहा है जिससे स्थिति और भी भयावह होती जा रही है।

(1) अतः आपसे अनुरोध है कि नगर व देहाती क्षेत्र के सभी राशन कार्ड का निरीक्षण कर पुराने व फर्जी कार्डों को रद्द कर नये कार्ड बनाये जाँय।

(2) शासन द्वारा सस्ते गल्ले की दूकानों पर माह के प्रथम सप्ताह में ही वितरण के लिए पूरा गल्ला पहुंचा दिया जाय।

(3) पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण प्रति यूनिट गल्ले की मात्रा बढ़ाकर 10 किलो प्रतिमाह कर दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ में एच0 ए0 एल0 के प्रदर्शनकारी मजदूरों पर लाठीचार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपके माध्यम से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में पुलिस जुल्म की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना लाना चाहता हूं। मान्यवर, राजधानी लखनऊ में एच0 ए0 एल0 संस्थान के मजदूर तथा कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए गत लम्बे समय से पूर्ण हड़ताल पर थे। मांगे केन्द्रीय सरकार से थी। अतः उनकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता परन्तु, मान्यवर, उ0 प्र0 सरकार की पुलिस ने कल उन शांत प्रदर्शनकारियों पर जो जुल्म किया उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बिना किसी पूर्व सूचना के लाठी चार्ज किया गया। अनेकों को चोटें आईं एक की दशा चिन्ताजनक है तथा लगभग 30 निर्दोष मजदूरों को पुलिस ने बलात पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं कल रात कई मजदूर नेताओं के घर जाकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस ने घरों में घुस कर औरतों को भी अपमानित किया। पुलिस के इस दमनकारी रवैये के प्रति संपूर्ण कर्मचारी वर्ग में भीषण असंतोष है।

अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित तथा अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को शिक्षा देने तथा बंदी मजदूरों को रिहा किये जाने की मांग पर बल देता हूं।

देवरिया जनपद की प्रतापपुर शुगर मिल में मजदूरों तथा किसानों के मध्य मारपीट तथा पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, देवरिया जनपद के प्रतापपुर शुगर फैक्टरी में दिनांक 21-1-81 को मजदूरों में विवाद हो गया। दूसरे दिन 22-1-81 को 8 बजे सुबह मजदूरों एवं किसानों के बीच जमकर मारपीट हो गयी। ईंट पत्थर चले। गोली चली। जिसमें 25 आदमी घायल हुए। कहा जाता है कि दो बन्दूकें गायब कर दी गई हैं तीसरे दिन 23-1-81 को 7 बजे शाम पुलिस अधीक्षक, देवरिया मौके पर गए तथा जनरल मैनेजर से 50 हजार रुपये लेकर मिल के मजदूरों के खिलाफ कार्यवाही करने से रोक दिया और किसानों के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया तथा इन लोगों को 23-1-81 के 9 बजे रात से 25-1-81 के 5 बजे शाम तक इधर-उधर घुमाया गया, जलील किया गया। पुलिस अधीक्षक ने 50 हजार रुपया का पूरा काम किया।

आज भी वहां काफी तनाव है। पुलिस नंगा नाच कर रही है। पुलिस अधीक्षक धन अर्जित करने में लगे हैं। प्रत्येक थानों से एक हजार माहवार रकम वसूल रहे हैं।

अस्तु, आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि पुलिस अधीक्षक के भ्रष्टाचार पर रोक लगा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रियासत रामपुर की कोठी में हीरे जवाहरात की चोरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी चोरी की वारदात, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, कहीं नहीं हुई। यह चोरी रामपुर की कोठी खासबाग पैलेस में हुई। रियासत के जमाने में यह उस समय के नवाब का यह महल था। उसी में एक इमामबाड़ा भी था जिसमें करोड़ों रुपयों की मालियत के अलम रखे थे। जिनको स्ट्रांग रूम के अन्दर रखा जाता था। स्ट्रांग रूम तथा उसके तहखाने का रास्ता सिर्फ नवाबे वक्त या उनकी बेगम को विरासत के तौर पर मालूम होता था। बड़े ड्रामाई तौर पर एक रोज मालूम हुआ कि स्ट्रांग रूम की छत काटकर डाकू लगभग 20 करोड़ रुपये की मालियत के अलम चुराकर ले गये, लेकिन अजीब बात यह है कि किसी व्यक्ति को और न ही स्थानीय पुलिस को इस बात का यकीन है कि यह सारा माल किसी बाहरी शख्स ने चोरी किया हुआ।

भूतपूर्व नवाब मुर्तजा अली खां 24 अक्तूबर, 1980 को देहली रुकते हुए पाकिस्तान से रामपुर लौटे और 27 अक्तूबर को उन्हें यह मालूम हुआ कि स्ट्रांग रूम की छत, जिसको काट दिया जाना अचम्भे की बात है, से धार्मिक अलम चोरी कर लिये गये। इसमें 38 कि0 ग्रा0 से ज्यादा सोना, ढाई क्वींटल से ज्यादा चांदी और बेश कीमत हीरे जवाहरात जड़े हुए थे।

भूतपूर्व नवाब श्री मुर्तजा अली खां के सगे छोटे भाई भूतपूर्व नवाबजादे श्री जुल्फिकार अली खाँ, संसद सदस्य (कांग्रेस आई) ने भारत सरकार को लिखा है और समाचार-पत्रों को तथा इण्डिया टूडे मैगजीन को बताया है कि यह धार्मिक सम्पत्ति चोरी नहीं हुई है बल्कि स्वयं उनके बड़े भाई श्री मुर्तजा अली खां ने चुराकर पाकिस्तान भेज दी है जो कि इनके दामाद तथा बेटी के नाम जमा है। कई वर्षों पूर्व 1954 में कलकत्ता विमान अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर करोड़ों रुपये के हीरे जवाहरात पहिले भी जब्त किये थे जिसमें मुर्तजा अली खां की पत्नी को नैनीताल में हिरासत में लिया गया था तथा 1960 में लोक सभा में यह प्रश्न उठा था कि पेरिस और जिनेवा में यह हीरे जवाहरात नीलाम हुए हैं। संसद सदस्य ने अपने भाई का पासपोर्ट जब्त करने तथा मुकदमा चलाने की सरकार से मांग की है।

अतः गरीब शहर रामपुर की करोड़ों रुपये की जनता की शोषित मालियत चोरी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाय, चाहे व्यक्ति कोई हो।

इलाहाबाद के चक बन्दी विभाग में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

महोदय, आपके द्वारा जनपद इलाहाबाद के चकबन्दी विभाग में हुये एक बड़े घोटाले को माननीय सदन तथा प्रदेशीय शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

मान्यवर, सैकड़ों फर्जी मामले फर्जी तरीके से कायम करके मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं, सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी की एक रिपोर्ट दिनांक 11-11-80 के अनुसार जिसकी फोटो स्टेट की एक प्रति संलग्न है, इस प्रकार है ।

"न्यायालय लिपिक की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वाद संख्या 415 से 527 तक का मिसिलबन्द या इन्द्राज भ्रामक है । क्योंकि इन्द्राज पर किसी भी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा विभिन्न लिखावट में किया गया है । क्रम संख्या 1 से 414 तक के इन्द्राज प्रधान लिपिक श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव तथा श्री स्वामी सिंह न्यायालय लिपिक की हस्तलिपि में बताये जाते हैं, किन्तु वाद नं0 415 से 454, 452 से 458 तथा 459 तक की लिखावटें भिन्न-भिन्न हैं और पता नहीं चलता है कि लिखावटें किनकी है । इस बात का भी प्रयास किया गया है कि यह मिसिलबन्द किस लिपिक द्वारा कब दाखिल हुआ किन्तु इसका पता नहीं चल पाया । जिन व्यक्तियों के पक्ष में इन्द्राज किया गया है, उनको 30-1-80 को सूचना दी गई थी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुये ।

उपरोक्त परिस्थितियों में मिसिल बन्द का इन्दराज सन्देहात्मक प्रतीत होता है किन्तु मिसिल बन्द का इन्दराज खारिज करना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है । ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त सभी चार प्रार्थना-पत्र आपकी सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित हैं । ह0 11-11-80 (सुरेश चन्द्र सक्सेना) चकबन्दी अधिकारी, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद ।

मान्यवर, मुझे सन्देह है कि उपरोक्त 112 मामलों की फाइलें भी कार्यालय से गायब कर दी जावेगी । यह फर्जी इन्द्राजों के षडयन्त्र इसलिए किये गये हैं कि सन् 1978 में कचेहरी रिकार्ड रूम में आग लग गई थी । छानबीन करने से अभी और भी मामले प्रकाश में आवेंगे । यह सभी मामले गम्भीर हैं तथा भ्रष्टाचार से संबंधित हैं और लोक महत्व के हैं । अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि श्रीमन्, आप शासन को निदेशित करें कि अत्यन्त शीघ्र सख्ती से कार्यवाही करके तथ्यों से सदन को भी सूचित करें ।

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, अभी जो सुलहकुल हुआ था उससे संबंधित पुस्तिका को यहां वितरित किया गया परन्तु किसी को मिला और किसी को नहीं । इसे माननीय मंत्री जी ने सबको दिया है या इसे ऐसे ही रखा गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वास्थ्य मन्त्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है जिसमें उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि दिनांक 25 सितम्बर, 1980 की कार्यसूची में अंकित तारांकित प्रश्न संख्या 13 के पूरक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने जानबूझ कर गलत बयानी की और सदन को गुमराह किया।

मैंने इस संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की, जो उनके पत्र दिनांक 9-10-80 द्वारा दिनांक 10-10-80 को प्राप्त हो गयी है। मैंने माननीय सदस्य श्री यूसुफ की शिकायत सदन की दिनांक 25 सितम्बर, 1980 की सन्दर्भित कार्यवाही एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से प्राप्त स्पष्टीकरण को गौर से पढ़ा। माननीय सदस्य श्री यूसुफ के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह अवश्य कहा है कि "वह चार्ज दे कर जा चुके हैं।"

इस पर माननीय श्री यूसुफ ने पुनः अनुपूरक प्रश्न किया कि "अभी कल तक उन्होंने वहाँ जा कर चार्ज नहीं लिया है, यह मेरी जानकारी है, तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर इसकी जांच करायेंगे और गलत सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे मुझे यह भी जानकारी मिली है कि उनको निलम्बित करने के लिए स्वास्थ्य सचिव को लिखा गया है।" माननीय मंत्री जी ने इस पर उत्तर दिया कि "जो अधिकारी आदेशों का पालन नहीं करेगा उसे निलम्बित ही नहीं बरखास्त कर दिया जायेगा।"

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने पूरक प्रश्न के उत्तर में यह अवश्य कहा था कि संबंधित चिकित्साधिकारी चार्ज दे कर जा चुके हैं। इस संबंध में जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी है उसके अनुसार संबंधित दोनों अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पर्वतीय क्षेत्र में तैनाती के आदेश निर्गत कर दिये गये थे, किन्तु उक्त अधिकारी स्थानान्तरण आदेश प्राप्त न करके अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना है कि इस प्रकार सम्पूर्ण व्यावहारिक अभिप्राय तथा विधिक दृष्टिकोण से विभागीय स्तर पर उन्हें कार्यमुक्त समझकर इनके रिक्त स्थान पर प्रतिस्थानी भेजा जा रहा है। यद्यपि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पत्रों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने किस आधार पर पूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि सम्बन्धित अधिकारी चार्ज दे कर जा चुके हैं, फिर भी उक्त स्पष्टीकरण से उन का आशय यह प्रतीत होता है कि जब स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिये गये तो उन्होंने यह समझा कि उस के अनुपालन में सम्बन्धित अधिकारी चार्ज देकर जा चुके होंगे, क्योंकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह कहा था कि "जो अधिकारी आदेशों का पालन नहीं करेगा उसे निलम्बित ही नहीं बरखास्त कर

[श्री अध्यक्ष--]

दिया जायेगा ।" माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मनवापुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी के निलम्बित करने के आदेश शासन द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं और दूसरे चिकित्साधिकारी को भी निलम्बित करने की कार्यवाही की जा रही है । मनवापुर के दोनों चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा रही है ।

माननीय सदस्य, श्री यूसुफ के इस कथन के संबंध में कि "उक्त अधिकारी संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्य कर रहे हैं "माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि "शारीरिक रूप से यहां से हटना संभव नहीं है । अतः हो सकता है कि वह अब भी यहीं रह रहे हों । इस तथ्य की जांच स्थानीय रूप से मैं अलग से करा रहा हूं जिसमें कुछ समय लग जायेगा ।"

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिए सूचना दी है । केवल गलत सूचना देने के आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है क्योंकि यदि कोई सूचना गलत दी गयी हो तो उसे शोधन वक्तव्य द्वारा सुधार करने का अधिकार मंत्री को है । विशेषाधिकार की अवहेलना के लिए यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करे जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि गलत सूचना जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिए दी गयी है । ऐसा कोई प्रमाण माननीय सदस्य श्री युसुफ ने प्रस्तुत नहीं किया है । अतएव विशेषाधिकार की अवहेलना के इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति मैं नहीं देता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस संबंध में एक मिनट सुन लें । मान्यवर, अनुमति हो तो मैं कहूं । मान्यवर, अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धीकरण के पंचम संस्करण का नियम 220 यह कहता है "सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायेगी उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा । यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मंत्री संबंधित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे ।"

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, आप की व्यवस्था के बाद माननीय सदस्य ने दूसरी व्यवस्था दे दी । आप की व्यवस्था के बाद कौन सी व्यवस्था होती है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने आप की व्यावस्था को चुनौती नहीं दी है ... ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आप की बात समझ रहा हूं । एक प्रक्रिया के अंदर आप इस प्रश्न को उठायें तो उसे पूछ लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सदन का अपमान हुआ है। शासन को गलत सूचना मिल गयी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी ने गलत सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की या विचाराधीन है? यह बता दें।

श्री रियासत हुसैन--

कोई कार्यवाही हुई हो तो सदन में माननीय मंत्री जी रख दें कि यह कार्यवाही उस अधिकारी के विरुद्ध की गई है या अगर होने वाली हो तो इसकी घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष--

करण 218 में प्रक्रिया दी है "यदि कोई सदस्य किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य में कोई त्रुटि या अशुद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहे, तो उस विषय का निर्देश सदन में करने से पूर्व वे अध्यक्ष को पत्र लिख कर उस त्रुटि या अशुद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे और सदन में विषय को उठाने के लिए उन की अनुमति मांगें।" पहले यह प्रक्रिया की जाय, उसके बाद हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री विद्यासागर नौटियाल को मुख्य मन्त्री कार्यालय के बाहर गलियारे में दो पुलिस जनों द्वारा रोके जाने के संबंध में उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

दिनांक 28 जनवरी, 1981 को माननीय सदस्य, श्री विद्यासागर नौटियाल ने नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना के एक प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 17 जनवरी, 1981 को जब वह प्रतिनिहित विधायन समिति की बठक में भाग लेने हेतु जा रहे थे तो विधान भवन में माननीय मुख्य मंत्री के कार्यालय के बाहर गलियारे में प्रवेश करने से उनको दो पुलिस जनों ने बलात् रोक लिया और उनके द्वारा यह बताये जाने पर कि वह विधायक हैं पुलिस जनों ने स्पष्ट किया कि वे इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं किन्तु उनके आदेश ही ऐसे हैं कि जिनके अनुसार मुख्य मन्त्री के अपने विधान भवन कार्यालय में विद्यमान रहने पर विधायकों को भी उनके कार्यालय के बाहर स्थित गलियारे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, और इस प्रकार माननीय विधायकों के विधान भवन के अन्दर स्वच्छन्दता पूर्वक तथा निर्विघ्न आवागमन करने के अधिकार का हनन किया गया है। इस सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि माननीय सदस्य किसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहते हैं उनको रोकने वाले 2 पुलिस जनों (जिनके नाम नहीं दिये गये हैं) के विरुद्ध अथवा उन्हें रोकने के लिए सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को आदेश देने वाले किसी अधिकारी के विरुद्ध। इस प्रकार यह सूचना नियमानुसार नहीं है।

[श्री अध्यक्ष--]

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 3 (य) के अनुसार सदन के परिसर का तात्पर्य मुख्य विधान भवन स्थित सभा मंडप, सभा-कक्ष, दीर्घायें, विधान सभा सचिवालय के अध्यासन में कमरे, अध्यक्ष-कक्ष, उपाध्यक्ष-कक्ष, समिति कक्ष, विधान पुस्तकालय, विधान वाचनालय, पार्टियों के कमरे, सभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ विधान भवन के सब स्थान तथा उसकी ओर जाने वाले मार्गों से हैं तथा उन स्थानों से भी है जिन्हें अध्यक्ष समय-समय पर निर्दिष्ट करें। विधान भवन स्थित मुख्य मन्त्री के कार्यालय के कक्ष तथा उसके बाहर का गलियारा विधान सभा सचिवालय के अध्यासन में नहीं है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17 जनवरी, 1981 को प्रतिनिहित विधायन समिति की बैठक समिति कक्ष संख्या 48-क में हुई थी और विधान भवन के मुख्य द्वार से वहां तक जाने वाले मार्गों में मुख्य मन्त्री के उक्त कार्यालय के बाहर का गलियारा नहीं पड़ता। इस प्रकार उपर्युक्त नियम के अर्थ के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री के कार्यालय का गलियारा सदन के परिसर के अन्तर्गत नहीं आता।

अतः मैं उपर्युक्त कारणों से इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर श्रीमन् की यह जो व्यवस्था है, उस पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि जब माननीय सदस्यों को किसी मीटिंग में भाग लेने के लिए आना हो तो उसके लिए जो शार्टेस्ट रूट हो, वह भी निर्धारित करना पड़ेगा। मैं रायल होटल में रहता हूं और वहां से हम किस गेट से आएं, इस पर पाबन्दी लगेगी तो मैं यह कहूंगा कि मुख्य मन्त्री जो यहां न बैठकर किसी दूसरी जगह बैठें। क्योंकि वे जहां इस समय बैठते हैं, उसके गलियारे में कौन सदस्य चले कौन न चले, इसका फैसला उनको करना है तो फिर आपके द्वारा जो हमें सुरक्षा मिलनी चाहिये, उससे हम वंचित हो जाते हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, विधायकों को उस गलियारे में जाने में कोई बाधा नहीं रहेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता था।

श्री रियासत हुसैन--

मुख्य मन्त्री जी ने जो बात कही है, वह सही है, लेकिन जो रोकने वाले हैं, उनको आइडेन्टिटी कार्ड दिखा कर जाने दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

अब इस उत्तर के सम्बन्ध में कोई और प्रश्न नहीं उठता है। जहां तक नौटियाल जी के प्रश्न की बात है, उनको भी इस तरह की कोई परेशानी पैदा नहीं हुई और उनको भी पुलिस के आदमी ने पहिचाना।

श्री रियासत हुसैन--

इस सदन में ऐसे भी माननीय सदस्य हैं, जिनको पुलिस मैन नहीं पहिचान सकते।

श्री अध्यक्ष—

अब कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

एक सदस्य—

अगर पुलिस मैन अपना कर्तव्य पालन करता है और आपसे परिचय-पत्र मांगता है तो क्या वह गुनाह है ?

श्री अध्यक्ष—

कोई चीज गुनाह नहीं है । गुनाह केवल गुनाह है ।

(समय 12 बजकर 29 मिनट)

कार्य सूची में शामिल किए बिना मुख्य मन्त्री द्वारा कतिपय नीति विषयक वक्तव्य देने पर आपत्ति

(श्री अध्यक्ष द्वारा मुख्य मन्त्री को पुकारे जाने पर) ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आपने आइटम नम्बर 6 पर मुख्य मन्त्री जी को बुलाया है । यह कुछ एजेन्डे में गोलमाल लिखा हुआ है । मुख्य मन्त्री जी किस सिलसिले में कौन सा नीति विषयक वक्तव्य देने वाले हैं । यह साफ नहीं है ।

(व्यवधान)

हमारा अधिकार है कि एजेन्डे में जो चीज हो उसके सम्बन्ध में हम तैयार होकर आयें ।

(व्यवधान)

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, कतिपय से हम क्या समझें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । जो सूचना मुख्य मन्त्री जी आपको देंगे, उसका अधिकार उनको है, क्योंकि कोई भी मन्त्री या मुख्य मन्त्री को सदन को सूचना देने का अधिकार है । सूचना देने के बाद कोई प्रश्न आप उठाना चाहेंगे तो वह आगे रख सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह नियम है कि अगर कोई कागज या वक्तव्य सदन में दिया जायेगा तो उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिये, बिना आपके पास आये कोई सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि वह रेलीवेन्ट है, प्रासांगिक है या अप्रासांगिक है, नियम में वह आता है या नहीं, उसके लिय जानकारी देनी होगी ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास वह जानकारी है, प्रतिलिपि मेरे पास आई है। विवाद की आवश्यकता नहीं है।

पर्वतीय जिलों की पर्वतीय पट्टियों के छोटे-छोटे क्षेत्रों पर अनधिकृत कब्जों का नियमितिकरण के सम्बन्ध में वक्तव्य

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय सदस्यों को सम्मानित सदन में देनी है, वह पर्वतीय जिलों की पर्वतीय पट्टियों के छोटे-छोटे क्षेत्रों पर अनधिकृत कब्जों का नियमितीकरण से सम्बन्धित है।

शासन अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के भूमिहीन लोगों तथा अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने की दिशा में उन्हें कृषि योग्य भूमि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील है। पर्वतीय जिलों में इस श्रेणी के काफी व्यक्तियों ने शासन की बेनाप भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर उसे कृषि योग्य बना लिया है। सामान्यत: शासन की भूमि पर अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जाती है, किन्तु पर्वतीय जिलों में उक्त श्रेणी के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए मन्त्रि-परिषद् ने दिनांक 28 जनवरी, 1981 को इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और यह निर्णय लिया कि वन विभाग वन पंचायत की नियन्त्रण वाली भूमि, अन्य सरकारी विभागों जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपयोग की भूमि तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़ते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की बेनाप भूमि पर अनधिकृत कब्जों को निम्न शर्तों के साथ नियमित कर दिया जाय :--

1--कब्जा नियमित करने की सीमा ऐसे क्षेत्रफल तक होगी, जिससे काबिज व्यक्तियों के पास अपनी निजी जोत की भूमि को मिला कर 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि न होने पाये।

2--कब्जा दिनांक 1 जुलाई, 1975 के पूर्व का होना चाहिये। इसकी जांच अभिलेखों के आधार पर अथवा तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

3--कब्जादारों को पट्टा जिलाधिकारी द्वारा गवर्नमेन्ट ग्रान्ट ऐक्ट के अन्तर्गत दिया जायेगा। पट्टेदारों को स्थायी एवं वंशानुगत अधिकार (परमानेन्ट हैरिडेटरी राईट्स) दिए जाएंगे, परन्तु पट्टेदार को भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा। पट्टेदार वित्तीय संसाधनों से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक रख सकेंगे।

4--भूमि का उपयोग कृषि के साथ-साथ उद्यान तथा पशुपालन आदि के लिए भी किया जा सकेगा।

उपरोक्त सुविधा सभी जातियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगी। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस नियमितीकरण से 20,000 से भी अधिक परिवारों को लाभ होगा और लगभग 7,000 एकड़ भूमि पर कब्जा नियमित हो सकेगा और लाभान्वित होने वाले परिवारों में लगभग 12,000 अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के भूमिहीन परिवार होंगे, जिन्हें लगभग 5,000 एकड़ भूमि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपलब्ध होगी । इन व्यक्तियों के कब्जों को नियमित करने हेतु कोई नजराना नहीं लिया जाएगा, परन्तु कब्जे की अवधि का लगान काबिज व्यक्ति द्वारा देय होगी ।

नियमितीकरण के समय भू-संरक्षण तथा वन संरक्षण के सिद्धान्तों को भी ध्यान में रक्खा जायेगा ।

खाण्डसारी में नियोजित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में वक्तव्य

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

दूसरी सूचना जो मैं सम्मानित सदन के सामने रखना चाहता हूं, वह खांडसारी में नियोजित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के पुनर्रीक्षण के सम्बन्ध में है । यह सूचना इस प्रकार है :

खांडसारी में नियोजित कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन पिछली बार 15-7-1972 में निर्धारित किया गया था । उसके अनुसार खांडसारी में नियोजित कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन पंच महानगरों के लिए 100 रु0 प्रति मास या 3·85 रु0 प्रति दिन रखा गया था और प्रदेश के शेष क्षेत्रों में यह 78 रु0 प्रति मास या 3 रु0 प्रति दिन था । इस नियोजन में न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण पिछले लगभग 8 वर्षों में नहीं किया गया था । हमारी सरकार ने शासन की बागडोर संभालने के पश्चात् 22 जुलाई, 1980 को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(1)(ख) के अधीन एक अधिसूचना जारी करके खांडसारी में नियोजित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण के प्रस्ताव प्रकाशित करके सुझाव एवं आपत्तियां आमन्त्रित कीं ।

वर्ष 1972 में खांडसारी में नियोजित केवल अकुशल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई थी, जबकि वर्ष 1980 की अधिसूचना में यह न्यूनतम दरें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों के लिए सम्पूर्ण प्रदेश के लिए प्रस्तावित की गई । हमारी सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करके खांडसारी में नियोजित श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की दरें निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित करने का निर्णय किया है :--

क्रम-संख्या	श्रमिक का वर्ग	वयस्क कर्मचारियों के लिए सर्व समावेशी न्यूनतम वेतन की दरें
1	अकुशल	10 रु0 प्रति दिन या 260 रु0 प्रति मास ।
2	अर्धकुशल	11·50 रु0 प्रति दिन या 299 रु0 प्रति मास ।
3	कुशल	13·50 रु0 प्रति दिन या 351 रु0 प्रति मास ।
	लिपिकीय वर्ग	
(क)	प्रथम श्रेणी	360 रु0 प्रति मास ।
(ख)	द्वितीय श्रेणी	300 रु0 प्रति मास ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त वेतन दरों के पुनरीक्षण से खांडसारी में नियोजित लगभग 40,000 से ऊपर श्रमिक लाभान्वित होंगे ।

प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों की कक्षा 8 की गृह परीक्षा लिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

तीसरी सूचना में सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि जो जूनियर हाई स्कूलों की परीक्षा के बारे में है । प्रदेश के मान्यता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1978 से पूर्व अशासकीय मान्यता प्राप्त ऐसे जूनियर हाई स्कूलों में, जिनके प्रधानाध्यापक प्रशिक्षित स्नातक थे, को यह विकल्प प्राप्त था कि वह कक्षा 8 की परीक्षा को गृह परीक्षा के रूप में लें और उस सुविधा को पुनः उनको प्रदान किया जाय । शासन द्वारा इस बिन्दु पर सम्यक् विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापक, जो प्रशिक्षित स्नातक हैं, कक्षा 8 की परीक्षा को गृह परीक्षा के रूप में करा सकते हैं ।

प्रदेश में खान्डसारी चीनी पर लेवी तथा लेवी मूल्य के सम्बन्ध में वक्तव्य

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

चौथी सूचना जो है वह खान्डसारी चीनी पर लेवी के सम्बन्ध में है । उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी को देखते हुए शासन ने भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् यह निर्णय किया है कि खांडसारी उत्पादकों द्वारा उत्पादित फर्स्ट प्रोसेस की खांडसारी पर 50 प्रतिशत लेवी लगायी जावे । इस प्रकार लेवी लगाकर जो खांडसारी प्राप्त की जावेगी उस का कुछ अंश प्रदेश सरकार अपनी जन वितरण प्रणाली में आवंटन हेतु प्रयोग में आवेगी । शेष जो जन विवरण प्रणाली के प्रयोग में नहीं लाई जावेगी उसे भारत सरकार को उनके उपयोगार्थ उपलब्ध कराई जावेगी । लेवी खांडसारी का मूल्य 320 रु0 प्रति कुन्तल रखा गया है जिनमें एक्साइज, बोरा भराई तथा प्रदेश सरकार के क्रय केन्द्र तक संचरण इत्यादि सभी खर्चे शामिल होंगे । इससे सस्ते गल्ले के दुकानों के माध्यम से विक्रय का मूल्य 3·50 रु0 प्रति किलो होगा क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस की खांडसारी, चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की तरह होती है इन दोनों के विक्रय मूल्य में अन्तर रखना उचित नहीं लगता है । लेवी, खांडसारी उत्पादकों के पास इस समय उपलब्ध खांडसारी पर, लागू होगी और भविष्य में उनके द्वारा किये जा रहे उत्पादन पर भी लगेगी । लेवी की वसूली प्रदेश के खाद्य विभाग की मार्केटिंग शाखा द्वारा की जावेगी और प्रदेश की आवश्यकता का अंश रोकने के पश्चात् शेष खांडसारी भारतीय खाद्य निगम को दी जावेगी ।

श्रम मन्त्री द्वारा सफाई मजदूरों के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने का प्रयास

श्रम एवं सेवायोजन मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र)--

श्रीमन्, आज इस सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि प्रथम बार प्रदेश में सफाई मजदूरों का त्रिदिवसीय सम्मेलन 3.00 बजे से प्रारम्भ होने वाला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । उस सम्मेलन में जो विषय है वह तो वहां चर्चा होने के बाद जैसी सहमति होगी, वैसा जनता के सामने आयेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह अलग परम्परा है ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि यह सूचना देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सदन चल रहा है और जो भी सूचना देनी है वह कहीं बाहर नहीं दी जा सकती है, वह केवल इस सम्मानीय सदन में ही दी जा सकती है । चूंकि माननीय मन्त्री जी को उसम सम्बोधन करना है इसलिए वह आपकी अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

उसे सदन के टेबिल पर रखा जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अच्छी परम्परा का निर्वाह किया, आपको सूचना दे दी । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने शिक्षा सम्बन्धी जो वक्तव्य दिया, वह भी लीक हो चुका है । इससे यह स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी का अपने मन्त्रिमण्डल में विश्वास नहीं है । इसमें अगर हमारी आलोचना की बात है तो प्रक्रिया नियमावली देखें । हमारी प्रक्रिया नियमावली यह कहती है कि अगर आपको इतना निवेदन करना था तो 10·00 बजे सूचना दे दिए होते ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक आपकी इस सूचना का प्रश्न है यह अभी-अभी आयी है । कल भी आ सकती थी और पहले भी आ सकती थी ।

(विरोध पक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयी ।)

इसलिए मैं इसको प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं देता हूं ।

(पुनः विरोध पक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयीं ।)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 4 के खंड (3) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 4 के खंड (3) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन के संकल्प को वापस लेने का प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे यह प्रस्ताव पेश करते हुए एक दो बातें कहनी हैं और वे ये हैं कि प्रदेश और केन्द्र में सरकार एक ही पार्टी की है और इसमें शासन ने अनावश्यक रूप से आर्डिनेन्स लाकर, विधेयक पेश करके और चर्चा कराकर इस सदन का अमूल्य समय नष्ट किया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप पहले प्रस्ताव तो रखिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन का संकल्प, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 22 सितम्बर, 1980 को प्रस्तुत किया गया था, को वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन का संकल्प, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 22 सितम्बर, 1980 को प्रस्तुत किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 को वापस लेने का प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 16 सितम्बर, 1980 को पुनःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 16 सितम्बर, 1980 को पुनःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

कार्यस्थगन प्रस्ताव की नियम 56 के अन्तर्गत आज तीन सूचना प्राप्त हुई हैं । एक सर्वश्री हरिवंश सहाय तथा नन्द किशोर सिंह की है प्रदेश के पूर्वी जिलों में खाद्यान्न योजना बन्द होने से भुखमरी की विषम परिस्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में, दूसरी है सर्वश्री गोपीनाथ वर्मा तथा राम सागर की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सैयद हमीद को विद्यार्थियों द्वारा कुलपति के घर में जबरियन कैद कर रखने के बारे में तीसरी है सर्वश्री राजेन्द्रकुमार गुप्त, राजेन्द्र अग्निहोत्री, रामलाल और जटाशंकर सिंह की दिनांक 29-1-81 को लखनऊ स्थित हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के शान्त प्रदर्शनकारी मजदूरों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में इन तीन सूचनाओं को मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के मध्य महिला पुलिस द्वारा महिला सदस्यों को सदन से बाहर निकाले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूं । उस दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय जिस तरह का दृश्य यहां उपस्थित था उससे सदन अवगत है । विरोध पक्ष द्वारा विरोध का प्रदर्शन करने के पश्चात् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था । जिस समय यह प्रक्रिया चल रही थी उस समय 2 महिला सदस्यायें बैठी हुई थीं । हो सकता है वे महिला सदस्यायें बाहर न जाना चाहती हों और यहां बैठे रहना चाहती हों, वहां पर दो महिला पुलिस सदन के अन्दर आयीं और उनको उन्होंने सदन से बाहर कर दिया ।

मान्यवर, इस सचिवालय के सुरक्षा दल में कोई महिला नहीं है । जब उसमें महिला नहीं है, तो बाहर की पुलिस महिला को सदन में बुलाना, माननीया सदस्यों को बाहर करने के लिये, उचित नहीं था । उनके यहां पर बुलाने का कोई औचित्य नहीं है । मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी कृपा व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

इस विषय पर मैंने अपनी रूलिंग सुरक्षित रखी है। आज जो औचित्य का प्रश्न आपने उठाया है उसको भी उसी में सम्मिलित कर दिया जायेगा। महिला पुलिस को किसने बलाया, निकालने का आदेश किसने दिया, यह सारे प्रश्न उसमें निहित है। उसी के साथ इस पर भी निर्णय दे दिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था कब देंगे।

श्री अध्यक्ष--

3 या 4 तारीख को दे देंगे।

(समय 12-55 अपरान्ह)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

*श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है यह प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, कमर तोड़ महंगाई आदि के बारे में आशा थी कि कुछ मार्गदर्शन हमें मिलता, लेकिन मान्यवर, खेद है यह कहते हुए कि तमाम अभिभाषण में इन सब बातों पर कोई संकेत नहीं है। मान्यवर, प्रदेश में कितनी व्यापक समस्यायें हैं, कितनी बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था हमारे सामने है। मैं उस पर न आकर मान्यवर 10 मिनट की सीमा चूंकि बांधी गयी है, मैं अपने जनपद और चुनाव क्षेत्र के बारे में और वहां की समस्याओं के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। मान्यवर, जहां तक इस सरकार के प्रति विश्वास की बात है, वह केवल औपचारिक विश्वास की बात रह गयी है। इस सरकार ने पिछले 6 महीने में गलत आंकड़े और गलत बयानी देकर जनता को गुमराह किया है। मान्यवर, जिस जनपद से मैं आता हूं उस जनपद की तहसील कैराना है। 1953 में पहले चकबन्दी कानून जब बना तो तहसील कैराना से ही चकबन्दी शुरू हुई थी। वहां पर इतनी लुटाई की गयी थी कि शायद ही कुछ आने वाले समयों में उस चकबन्दी की लुटाई को भुलाया जा सकता है। मान्यवर, मुझे खेद है यह कहते हुए कि जिस प्रकार अब वहां पर लुटाई शुरू हुई है, मौजूदा चकबन्दी के दौरान वह शायद 1953 की चकबन्दी की लुटाई को भी मात कर देगी। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी वहाँ की शिकायत की गयी। वहां के कुछ अधिकारियों की शिकायत सुनकर सरकार ने उन अधिकारियों को हटाया भी, लेकिन कितने दिन तक हटाया गया? शामली से चकबन्दी अधिकारी 1 महीने बाद, चार्ज छोड़ने के बाद, दुबारा वहां पर पहुंच गया। सरकार के आदेश होने के बावजूद, चार्ज छोड़ने के बाद दुबारा 1 महीने के बाद वह फिर वहां पर आ गया। अब खुलेआम वह कहता है कि प्रदेश के वित्त मंत्री का मैं रिश्तेदार हूं, देहरादून का रहने वाला हूं। आज तक वह वहां पर लुटाई कर रहा है।

---

†दिनांक 29 जनवरी, 1980 की कार्यवाही से।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानून व्यवस्था के बारे में, गन्ने के बारे में, कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार को बधाई दी। आपके सामने ही, इसी सरकार के सामने, पिछले सदन में 13 रुपये प्रति कुंटल के भाव से घोषणा की गयी थी और इन्हीं माननीय सदस्यों ने सरकार को बधाई दी थी। 13 रुपये का भाव ये ठीक समझते थे। आज अगर 23 रुपया हो गया, तो आपको दुःख होना चाहिए। दुःखी आप आगे तक हो गये, क्योंकि आप कितनी शक्ति लगा ले, कितनी नीतियां बना लें, 23 रुपये पर आप मिल को गन्ना दिलवा नहीं सकते। 10 दिन अगर यह आसमान साफ रहेगा, तो तमाम किसानों का रुपया गन्ना मिल पर इकट्ठा होने के बावजूद भी रुपया नहीं मिल पायेगा, लेकिन मान्यवर, वह मिल वालों को देना पड़ेगा। मान्यवर, कानून व्यवस्था की बहुत सी बातें कही गयीं। आँकड़े भी रखे गये। डकैती, जनता सरकार में कितनी थी और अब कितनी डकैती कम हो गयी। मैं तो मुजफ्फरनगर के बारे में भी जानता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि 6 महीने के भीतर दिसम्बर, 1980 तक जिन लोगों को बन्दूक के लाइसेन्स हत्यारों को दिये गये थे, उसकी सूची आप मंगा लें। उसको देखने से मालूम हो जायगा कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है।

मान्यवर, मैं पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कहना चाहता हूं कि इन 6 महीनों के अन्दर केवल उन लोगों को लाइसेन्स दिये गये हैं जिनके पीछे चोरी और डकैती व राहजनी के इल्जाम थे। ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को, जिनको कि आत्म-सुरक्षा की आवश्यकता थी, यह कहकर दरख्वास्त खारिज कर दिया है कि शासन की नीति लाइसेन्स देने की नहीं है। मान्यवर, माननीय काशीनाथ जी पुराने समाजवादी हैं और अब इन्दिरावादी हैं कम से कम शासन में बैठकर इतनी तो तकलीफ कर लें कि पूरे प्रदेश में नहीं तो मुजफ्फरनगर केवल एक जनपद की सूची मंगाकर देख लें। चाहे मंत्री के कहने से हो, विधायक के कहने से हो या जिलाधिकारी ने अपने विवेक से लाइसेन्स दिया हो, आपको देखने से मालूम हो जायेगा कि जो क्रिमिनल मीसा में बन्द थे, उनके पास रिवाल्वर, बन्दूक और पिस्तौल के लाइसेन्स हैं।

इसके साथ ही साथ कुछ समस्या हैं जिनके बारे में कहना चाहूंगा। माननीय काशीनाथ जी सोच लें तो कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की पाठशालाओं की हालत देख ले। अगर मुजफ्फरनगर की यह हालत है तो उसी से अंदाज कर सकते हैं कि प्रदेश की पाठशालाओं की क्या हालत होगी। सैकड़ों पाठशालाओं में छत और दरवाजे नहीं हैं। न विद्यार्थियों के लिये पढ़ने की व्यवस्था है और न बैठने की। जो आपके भावी नागरिक बनेंगे, उनके स्कूलों में न छत है और न दरवाजे और न टाट-पट्टी न अध्यापक पढ़ाते हैं और न आपके पास समय है इसको देखने के लिये। मैंने इन बातों को जिलाधिकारी की नोटिस में लाया। मैंने उनसे कहा कि इस समय सारी ताकत तो आप में निहित है, तो सर्वे कराकर देख लें। लेकिन कहने के बावजूद भी प्रदेश तो क्या जिला स्तर के किसी भी अधिकारी ने जनपद के किसी पाठशाला का दौरा तक नहीं किया। देखा तक नहीं कि उनकी क्या हालत है। तो यह प्रशासन हमारी समस्याओं का समाधान क्या कर पायेगा जहां पर जिलाधिकारी की यह हालत है।

मान्यवर, बिजली के बारे में बात कही गयी। मुख्य मंत्री जी का पत्र मिला कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10/12 घंटे तक बिजली मिलेगी। लेकिन कभी इस बात को देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 4 से 5 घंटे तक ही

[श्री हुकुम सिंह--]

बिजली पहुंच पाती है और भगवान ने कृपा न की होती और वारिश न हो गयी होती तो प्रदेश सूखाग्रस्त होता। कोई ट्यूबवेल चल नहीं पाता। उसका कारण है कि आपकी नियत चाहे कसी हो, आपके प्रशासनिक अधिकारी लोगों को आपका डर नहीं है। तो केवल विधायकों को और सांसदों को पत्र लिखकर सूचित करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिये कभी-कभी 2/4 गांवों में जाकर देख लें कि 4 घंटे या 5 घंटे बिजली आ रही है क्योंकि 10/12 घंटे कहकर काश्तकार को भ्रम में डालना चाहते हैं। अगर चाहते ह कि देश और प्रदेश में विकास कार्य हों, तो उसी प्रकार करना भी पड़ेगा जिस तरह से कि एक मंत्री को करना चाहिये। केवल लखनऊ में बैठकर फाइलें देखने से काम नहीं चलेगा। मुजफ्फरनगर में जहां चोरी और डकैतियां हो रही हैं, नवम्बर के महीने में कृषि प्रदेश की संज्ञा देकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

सारे किसान गेहूं बोने में लगे हुए हैं और कृषि प्रदर्शनी की संज्ञा देकर एक आयोजन किया जाता है। उसमें दिल्ली बम्बई से अभिनेत्री बुलाई जाती ह। मेरी समझ में नहीं आता कि उस कृषि प्रदर्शनी में खेती की बात सिखाने के लिये अभिनेत्री की क्या आवश्यकता थी। जब उस समारोह का समापन हुआ तो लाखों रुपये जिले के किसानों से इकट्ठा करके ऐश इशरत पर खर्च किये गये।

केबिनेट स्तर के मंत्री यहां से समापन के लिये गये और वहाँ के जिलाधिकारी मंत्री को और मंत्री जिलाधिकारी को पुरस्कृत कर रहे थे और विधायकों को भी एक-एक ब्रीफ केस दिये गये। जिस रात को म्यूजिक नाईट की संज्ञा देकर अभिनेत्री नाच रहीं थी तो मुजफ्फरनगर में एक पेट्रोल पम्प पर डकैती पड़ रही थी। मेरे पास फोन आया कि कुछ किया जाय। मैंने कांटेक्ट किया तो मालूम हुआ कि म्यूजिक नाइट में जिलाधिकारी गये हुए हैं। मंडी समिति का निर्माण कराया गया, करोड़ों रुपया देश व प्रदेश का उसमें लगा लेकिन सारे प्रदेश में सारी इमारतें खड़ी हैं पिछले एक साल से और मंडी समिति में अनाज नहीं गया और लाखों रुपया उनके रख-रखाव पर खर्च हो रहा है। जिस प्रदेश की सरकार का यह हाल हो वह सरकार कितने दिन चल सकेगी। इन शब्दों के साथ जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया हैं उसका मैं समर्थन करता हूं मुझे प्रसन्नता है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बहुमुखी विकास की बात कही है। इसके लिये वह निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। परन्तु आज देखने में क्या मिलता हैं विरोधी दल यह सोचता है कि शासक दल जो कर रहा है उसका वह उल्टा ही भाषण करे। अगर प्रजातंत्र को कायम रखना है तो इस प्रक्रिया को खत्म करना होगा। कल एक विवाद पर मेरे एक साथी कह रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ विद्यार्थी याचिका देने जा रहे थे उनको पुलिस ने खदेड़ कर मारा। मैं अध्यक्ष जी के मार्फत सदन को बतलाना चाहता हूं कि इस तरह से सदन को गुमराह नहीं करना चाहिये और विधायकगण को इस प्रकार का दुराग्रह नहीं करना चाहिये कि जो बात सही न हो उसे यहां इस प्रकार से कहा जाय। मेरे भाई हुकम सिंह ने कहा कि सरकार ने ऐसे लोगों को काफी लाइसेन्स दिये हैं जिनको अपराधी कहा जाता है। मैं किसी अपराधी को लाइसेन्स देने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन मेरा विश्वास है शायद आपने अपने दो वर्ष के राज्य में उनको अपराधी बना दिया है। उनको लाइसेन्स दिया गया तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या गुनाह किया गया । आपकी बातों से हम यह नहीं कहते हैं कि कांग्रेस जब से शासन में आई है सब कुछ अच्छा किया है, यह तब सम्भव है जब सब का बराबर सहयोग हो छुद्र छिद्रान्वेषण की मुद्रा समाप्त की जाय । आपके जमाने में विद्यालयों की क्या हालत हुई 2–2 वर्ष पर इम्तहान हो रहे हैं । महंगाई बढ़ रही है यह महंगाई कब बढ़ी है कैसे बढ़ी है । 30 पैसे में नमक हर देते थे आपने उसको 60 पैसे किया और पिछले साल 2 रुपये का बिका, सातवें भावों में । सोने से लेकर लोहे तक रेट आपने 4 गुना 5 गुना किया है मैं हर एक का व्योरेवार नाम नहीं लेना चाहता हूं । आप चीनी की बात कहते हैं, आपके जमाने में चीनी 2 रुपये 85 पैसे किलो थी और गन्ना का भाव था 9 रुपये में और उसके बाद 6 में था और 3 रुपये में था और लोगों को खेत में आग लगानी पड़ी और गन्ना जला दिया ।

(इस समय 1 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री धर्मसिंह पीठासीन हुए)

जब गन्ना इतना था तो चीनी 2 रुपये 85 पैसे में थी । आज हमने गन्ने का भाव 23 रुपये कर दिया तो कहते हैं चीनी का भाव उठता जा रहा है । जब कि 65 पैसे बढ़ा है साढ़े 3 रुपये किया है । माननीय अधिष्ठाता जी, इस देश में 10 परसेंट बेंचता है, 90 परसेंट खरीद कर खाने वाला है और 90 परसेंट लोग गरीबी की रेखा से नीचे की जिन्दगी जीते हैं । दूसरी बात गेहूं की है । आज बाजार में गेहूं ढाई रुपये किलो है । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो भंडार अनाज का था उसको आपने समाप्त किया सड़क तो बनी नहीं अनाज बांट दिया गया । आप कहते हैं गल्ला दूकानों पर नहीं बिकता । गल्ला कहां से आयेगा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर से आयेगा, विधान भवन देगा । जब आपके पास स्टाक में नहीं होगा । जब हम स्टाक इकट्ठा कर रहे थे तो आप उसके विरुद्ध थे कि लेवी लेना गलत है । पूस–माघ में तो चिड़ियों को भी दाना नहीं मिलता । क्या महंगाई चैत में आयेगी । मैं यह नहीं कहता कि हर चीज आपने किया लेकिन स्थिति हर चीज कराती है । सीमेन्ट जो 16 रुपये में था उसको आपने 32 और 34 रुपये में किया, सोना को 4 सौ से 14 सौ रुपये में करके दिया । तो क्या इन सब चीजों को इन्दिरा गांधी सस्ता कर देगी । कम से कम आप विधायकों की भूमिका को निभायें । यहां पर एक विधायक पर कितना खर्च हो रहा है । कल विधान सभा के अन्दर मोहन सिंह ने उप मंत्री श्री सरजू प्रसाद सरोज को एक लड़की भगाने की बात कही । मैं, अध्यक्ष महोदय, कहता हूं कि उन्होंने 11–8–80 की दरखास्त पढ़ी थी वह चरित्र हनन की प्रक्रिया थी । मैं कहता हूं विरोधी दल के लोगों से वे चरित्र हनन का काम न करें, यह प्रदेश के लिये अच्छा नहीं है, इस सदन के लिये अच्छा नहीं होगा और हम सब और उनके लिये भी अच्छा नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा––

आप लोग चरित्र हनन की बात बन्द कर दें ।

(व्यवधान)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी––

मैंने मोहन सिंह जी को नहीं रोका था, आप लोग भी टोका–टाकी न करें । तारीख 11 की दरखास्त उनकी है तारीख 8 की यह दरखास्त है जिसे लड़की ने दिया है . . .

(व्यवधान)

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--]

आप लोग जरा गौर से सुनने का कष्ट करें । श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, जिला प्रतापगढ़ । महोदय जी, निवेदन है कि प्रार्थिनी निर्मला देवी, उम्र 22 साल, पुत्री लक्ष्मण, ग्राम शिवगढ़, था । रानीगंज, वारिदहाल विवेकनगर, थाना कोतवाली, जिला प्रतापगढ़ की निवासिनी है । ग्राम शिवगढ़ के कुछ लोग प्रार्थिनी के पिता को परेशान करके मकान व आराजी हड़प लिए हैं । प्रार्थिनी का पिता अरसे से इधर-उधर भटकता रहा । प्रार्थिनी का पिता दिनांक 6-8-80 को 6 बजे शाम श्री बाबू लाल, भूतपूर्व विधायक के निवास स्थित पुलिस लाइन समीप गया और अपनी स्थिति बताया इस पर बाबू लाल ने सहायता करने का आश्वासन दिया और प्रार्थिनी के पिता से कहा कि तुम्हारी लड़की सयानी हो गयी है उसे इधर-उधर न रहने दो । पूरे परिवार के साथ हमारे घर पर आओ रहने की व्यवस्था कर देंगे । प्रार्थिनी के पिता ने कहा कि इतनी जल्दी सामान न ला पावेंगे कल से रहेंगे । बाबू लाल ने कहा कि अपनी लड़की को यहीं रहने दो क्योंकि समय बहुत खराब है । प्रार्थिनी के पिता ने प्रार्थिनी को बाबू लाल के घर पर रोक दिया और स्वयं विवेकनगर चला गया । प्रार्थिनी बाबू लाल के घर खाना खा पीकर बगल में छोटे से कमरे में लेटी रही । समय लगभग 11 बजे रात उक्त बाबू लाल प्रार्थिनी के कमरे में आए और प्रार्थिनी का हाथ पकड़ कर बेइज्जती करने की नियत से छेड़खानी करने लगे. . .

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय खत्म होता जा रहा है ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

लड़की के चिल्लाने पर बाबूलाल की स्त्री जाग गयी और उसने बाबू लाल को भला-बुरा कहा । सुबह प्रार्थिनी का पिता आया । बाबू लाल ने. . . .

(व्यवधान)

श्रीमन्, मेरे पास इनसे ज्यादा आँकड़े और कागज हैं । उसके पिता से जबरदस्ती अंगूठा 2-3 कागजों पर लगवाया. . . .

(व्यवधान)

मैं उन्हें चेतावनी दूंगा अगर भविष्य में इस तरह की कभी चरित्र हनन का काम किया तो ठीक नहीं होगा । ऐसे लोगों को विधान सभा म नहीं आना चाहिए. . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठ जायें ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

कोर्ट के अन्दर मैरेज किया और दरख्वास्त में भी दिया है कि मेरी शादी हो गयी है । मेरे पिता मुझे बेचना चाहते हैं. . . .

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी कल माननीय सदस्य भाई मोहन सिंह जी ने एक उपमंत्री के ऊपर फर्जी आरोप लगाया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए कि इस तरह के चरित्र हनन के काम न करें....

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

ये किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया लिख कर दे दें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, दो दिनों से जो भाषण हो रहे हैं उस पक्ष से, उन सब भाषणों में एक बात और साम्य दिखायी दिया और वह यह कि माननीय मुख्यमंत्री की सब लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, उन्हें बड़ा योग्य और प्रशासन में दक्ष बताया और उनसे बड़ी आशायें संजोयी हैं । कल बाराबंकी के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, तब मुझे उनके सम्बन्ध में एक घटना याद आयी । एक बार एक गांव में एक किसान था, वह एक भैंस खरीद कर लाया । जब उसकी खबर फैली, तो लोग भैंस देखने आने लगे । जो गुण उसमें होने चाहिए थे, वह थे और वह सुन्दर भी थी । जब उससे दाम पूछा गया तो उसने बताया कि 700 रु0 की लाया हूं । लोगों में जिज्ञासा हुई कि 700 रु0 में कैसे ले आया, उसमें कोई विशेषता अवश्य होगी, जो 700 रु0 में मिल गयी । जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने बताया बहुत धीमे से कि यह भैंस ब्रह्मचारिणी है/अर्थात् दूध नहीं देगी । तब लोगों को वस्तुस्थिति का पता लगा । तो मान्यवर, सम्पूर्ण प्रशासन को देखने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है कि उनके खिलाफ किसी भ्रष्टाचार की तो कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन सम्पूर्ण प्रदेश की सम्पूर्ण प्रशासन की जो स्थिति देखने में आयी है, उस प्रशासन की स्थिति से साफ यह दिखायी देता है कि प्रगति के नाम पर प्रदेश को पीछे हटाया है । आज जो स्थिति दिखायी देती है, वह यह है कि किसान आन्दोलित है कर्मचारी आन्दोलित है और छात्र आन्दोलित है । ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आन्दोलन में रत न हो । जो जन आकांक्षायें संजोयी गयी थीं, उन पर पानी फिर गया है । जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता । मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते हैं कि उनके सहयोगी भ्रष्टाचार में कहां तक धुसे हुए हैं । मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि दो मंत्री तो निकाल दिए गए लेकिन एक अन्य मंत्री की सिफारिश पर उस अधिकारी के खिलाफ कुछ दिन को रोकने के लिए टिप्पणी विभाग से लिखवा दी गयी, तो क्या मंत्री का समान दोष नहीं है । ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण आयेंगे, जिससे इस बात की जानकारी मिलती है कि मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर खुद विश्वास नहीं है । ये उनकी प्रशासनिक क्षमता को अच्छी तरह से जानते हैं, लोग नियमों को नहीं जानते हैं और नियमित अनियमित आदेश दे देते हैं । मुख्यमंत्री की ओर से मुख्य सचिव द्वारा 2 जनवरी को यह आदेश जारी कर दिया कि अगर मंत्रियों के सीधे आदेश आ जायं, तो उन्हें न माना जाय । यह मान्यवर, बड़ी विडम्बना है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी से यह निवेदन करना चाहता हूं और सूचनार्थ जानना चाहता हूं कि कृपया जिस उद्धरण को वह प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको केवल पढ़ दें कि क्या उसमें यह लिखा हुआ है कि सीधे विभागाध्यक्ष कोई आदेश न मानें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं नहीं चाहता....

(शोर)

इनकी कांग्रेस कमेटी ने इनके खिलाफ लिखकर भेजा है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जिस सम्बन्ध में मैं जानकारी चाहता था, मुझे नहीं मिली । मुझे लगता है कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, जो पर्ची मिल जाती है उसी के आधार पर....

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो दूसरे पक्ष से विशेषकर शासक वर्ग से एक जिम्मेदार व्यक्ति, राज्य मंत्री के स्तर के खड़े होकर समय को नष्ट न करें इनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थोपी जानी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं त्रिपाठी जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था लेकिन उन्होंने मजबूरन कहलवा दिया । मान्यवर, अगर जनता का विश्वास समाप्त हो जायगा तो क्या स्थिति होगी ? मुख्यमंत्री ने 14 दिसम्बर को एक घोषणा की, दो महीने में हम प्रदेश की हालत को ठीक कर देंगे । मैंने विश्वास कर लिया ।

श्री अधिष्ठाता--

यह उनका इंटरनल मामला है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह पार्टी के अन्दर की बात नहीं है । मैंने विश्वास कर लिया लेकिन 2 महीने पूरे होने में 14-15 दिन शेष हैं । लेकिन क्या प्रदेश की हालत ठीक हो गयी है ? मान्यवर, एक चीज और देखेंगे मुख्य मंत्री ने थोड़े दिन पहले कहा कि हम अस्थायी पुलिस अधिकारियों को 15 दिन में स्थायी कर देंगे : 10

दिसम्बर को घोषणा हुयी थी । तो मैंने पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क किया इस घोषणा के बारे में तो मुझे पता लगा कि कहीं किसी तरह की पत्रावली वगैरह की कोई प्रगति नहीं है । यह मैं कल तक की जानकारी के अनुसार कह रहा हूं इसमें कोई प्रगति नहीं हुयी है । मान्यवर, दो दिन पहले एक और घोषणा हुयी कि तीन साल के जितने अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर दिया जायगा । तो केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा । अगर केवल घोषणाओं से काम चलायेंगे तो प्रदेश कहां से कहां पहुंच जायगा । आज प्रदेश की जनता परिणाम को देखना चाहती है । एक माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे वह हमारे शासन काल की बात कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि आप पुरानी बातों से अपने पापों को कब तक छिपायेंगे । सात महीने का समय कम नहीं होता है । आज आपकी उपलब्धि क्या है सारी जनता देखना चाहती है । अभी शांति और व्यवस्था की चर्चा हुई, मैं उसमें जाना नहीं चाहता समय लगेगा । यह बात सही है कि कत्ल होते हैं, डाके पड़ते हैं, हत्यायें होती हैं, सभी शासन में होती हैं लेकिन आज परिस्थिति भयावह हो गई है ऐसी परिस्थिति कभी नहीं थी ।

श्री अधिष्ठाता--

यह पहले भी होते थे ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, आप अधिष्ठाता हैं, आप ऐसी बात कह रहे हैं । यह आपके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने स्वीकार किया था कि होते हैं । पर इस तरह से नहीं होता था कि डाकू छविराम घूमे, महिला डकैत लाउड स्पीकर पर घोषणा करे कि बाजार लूट लिया जाये । यह बड़ी लज्जा की बात है । डकैती पहले भी पड़ी हैं लेकिन यह बात नहीं होगी कि एक परिवार के 8-10 सदस्यों का एक ही दिन में कत्लेआम कर दिया जाय । पुलिस के सामने वह महिला डाकू पुलिस को गालियां दें और एटा के एस0पी0 कहे कि हम क्या करें । जिस समय डाका पड़ा वह जीप के नीचे छिप गए । मान्यवर, फिरौती के मामले चम्बल, बुंदेलखंड में सुनते थे लेकिन अब हमारे जिले के आसपास ऐसा हो रहा है । यह पहली घटना हुई है । अभी लखीमपुर में एक लड़का पिंटू गायब हो गया । उसके बाप नेन रो-रो कर वहां के एस0पी0 को बताया कि फिरौती का पैसा मांगा गया है लेकि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और दो दिन के बाद उस मासूम पांच वर्षीय बच्चे की लाश मिली । इससे भी ज्यादा बात यह है कि इन सब में चिन्ता की बात नहीं है बल्कि चिन्ता की बात है कि आज सरकार अपनी असफलता और निकम्मेपन को स्वीकार नहीं करती है । अमृत प्रभात, 16 जनवरी में है कि डाकुओं से मुकाबला करने के लिए हमारी पुलिस के पास हथियारों की कमी ही नहीं होती है बल्कि जो हथियार उनको मिले हैं उसमें से अधिकांश प्रयोग में नहीं लाये जा सकते हैं । यह मान्यवर, चिन्ता की बात है । पत्रकारों से बात करते हुए श्री महेन्द्र सिंह ने स्वीकार किया कि पुलिस डाकुओं को अधिक इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि गोली चलाने का उन्हें पर्याप्त अभ्यास नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि पुलिस के पास हथियार नहीं है तो यह किसकी जिम्मेदारी है । क्या मुख्य मन्त्री की प्रशंसा करके अपने इस पाप को छिपा सकते

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

हैं । मैंने समाचार-पत्र में बयान दिया था कि राज्यपाल को चाहिये कि ऐसे प्रशासन के मुख्य मन्त्री को वह बर्खास्त करदें कि जो आवश्यक चीज लोगों को मुहैया नहीं कर पाते हैं ।

आपने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि सेना के हथियारों को चोरी करने का बड़ा गिरोह पकड़ा गया जो फैजाबाद और लखनऊ में यह काम करता था । अभी मुठभेड़ में विदेशी हथियार डाकुओं के पास मिले थे । यह क्या है ? दूसरी ओर चिन्ता की बात यह है कि जिनको हम रक्षक कहते हैं वही हमारे भक्षक हो रहे हैं । मन्त्री जी को और आपको जानकारी होगी कि आगरा की पुलिस लाइन के भीतर अवैधानिक हथियार बनाने की फैक्टरी पाई गई । यह क्या हो रहा है ? इसका भी कारण है । कानपुर के मन्त्री के लड़के के अच्छे कामों के कारण क्राइस्ट चर्च कालेज में पढ़ाई यूनिवर्सिटी टीचर्स ने बन्द कर दिया है । वह स्वयं स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि कानपुर जिले के थाने में पुलिस के अफसर डाकुओं और अपराधियों के साथ बैठकर चाय पीते हैं । यह आपको पता था तो बताते कि कौन-कौन अधिकारी हैं और कौन-कौन अपराधी हैं जिनके साथ वह बैठकर चाय पीते हैं । लेकिन उनको नहीं बताया गया । चूंकि वह पुलिस के लोग उनके लड़के के ऊपर अंकुश रखते । यदि हकीकत थी तो उनके नाम बताते । यह पुलिस इनके नियंत्रण से बाहर क्यों हो रही है, इसका भी कारण है । यह जानबूझ कर ऐसा करवा रहे हैं जिससे प्रदेश और देश में फिर से इमरजेन्सी पैदा की जाय और इस तरह अराजकता पैदा कर दी जाये । यह मेरा आरोप है । इसमें तथ्य है । आल इंडिया फेडरेशन ने सरकार पर आरोप लगाया है कि देश की पुलिस को आंदोलित रवैया अख्तियार करने के लिए पुलिस को भड़काया जा रहा है जिससे फिर से इमरजेन्सी लगाई जा सके । श्री हुकम सिंह ने कहा कि असलहा दिलवा दिया लेकिन मैं कहता हूं कि विरोध पक्ष की बात न माने किन्तु आपके श्री संजय गांधी, जिनका नाम आप बहुत लेते हैं, समाचार-पत्र से मैंने पढ़ा है कि टाइटलर जो सांसद हैं, उनके प्रमुख स्तम्भ थे और आज भी हैं, उनके बारे में समाचार है.....।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

श्री टाइटलर के सम्बन्ध में न कहें, पार्टी की बात यहां न लायें । यदि हम भी पार्टी की बात उठायेंगे तो नाराज हो जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी सुन लेते तो अच्छा होता । मेरे मुख से वह हल्की बात नहीं सुनेंगे । श्री टाइटलर ने जो अच्छे काम किये उनको सुनना तो वह पसन्द करेंगे । कांग्रेस ने बड़े लोगों को एनरोल किया । कांग्रेस (इ) में शामिल होने के लिए बहुत लोग आ गये लेकिन बहुत से ऐसे अपराधी प्रवृति के लोग भी घुस आये जिससे कांग्रेस की छवि पर प्रभाव पड़ने का अन्देशा हो गया । इस प्रकार इस सरकार से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है । साहस के साथ सामने आना चाहिये । जो अपराध शील व्यक्ति हैं उनका साथ छोड़ देना चाहिये । जो मंत्रिमंडल में अपराधी तत्व घुस आये हैं उनको हटा दिया जाना चाहिये ताकि पुलिस पर नियंत्रण हो सके ।

हरिजन भक्ति की बात की जाती है । क्या यह सही नहीं है कि अभी ड़की में 6 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया । जिन लोगों ने जिन्दा जलाया

उनमें से एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ क्योंकि यह सत्तारूढ़ दल के लोग हैं। तो गिरफ्तार किसको करेंगे ? मान्यवर, यह दोहरा मान दंड है । हमसे कोई गलती हो जाय तो हम बक्शे नहीं जायेंगे लेकिन यदि सत्तारूढ़ दल की ओर से कोई गलती कर दे तो उससे कुछ नहीं कहा जायेगा ।

(श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के खड़े होने पर)

मान्यवर, मैं ईल्ड नहीं करता ।

श्री अधिष्ठाता--

जब तक माननीय सदस्य बैठ न जायं, मैं माननीय मंत्री को आज्ञा नहीं दे सकता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं अर्ज कर रहा था कि गढ़मुक्तेश्वर में हमारी शाखा 20 साल से लगती थी। उसके कार्यकर्त्ताओं पर कातिलाना हमला किया गया। नामजद एफ0 आई0 आर0 147, 484 तथा 307 के अन्तर्गत लिखाई गई । लेकिन क्या कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ जबकि एक लम्बा अर्सा हो गया । मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखा था और उनके सचिव की ओर से उत्तर आया कि आपका पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1980 का मिला । मामले से सम्बन्धित कार्यवाही करने के लिए निर्देश शासन द्वारा पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को दे दिये गये हैं। कल मैंने टेलीफोन पर बातचीत की लेकिन पता चला कि मेरठ से आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । माननीय सदस्य मेरठ खुद गए । जाकर एस0 पी0 और डी0 एम0 को प्रभावित करते हैं ताकि गिरफ्तारी न होने पाये । इसके अलावा समाचार पत्रों में सुर्खियों-में एक मामला यह भी छपा था कि मलिहाबाद में एक अपराधी को पुलिस ले जा रही थी और कुछ लोगों ने उसे पुलिस से छीन कर वहीं मार दिया ।

मान्यवर, क्या माननीय त्रिपाठी बतायेंगे कि आज तक उन लोगों को जिसको पुलिस ने घर में घुस कर मार डाला । इस समय शिक्षा मंत्री जी होतीं तो ज्यादा अच्छा होता । वहां के सदस्य तथा शिक्षा मंत्री जी वहां थीं, आप सी0 आई0 डी0 से पता लगवा लीजिये कि पुलिस ने किस बेरहमी से लोगों को मार डाला ।

(व्यवधान)

यह तो यहीं मान्यवर, शान्ति और व्यवस्था है ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसके बाद में मुरादाबाद के बारे में एक मिनट और बोलूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

बस एक मिनट में आप अपना भाषण समाप्त कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुरादाबाद की बात बहुत जरूरी है । मुरादाबाद की बात कल कही गयी । हमारे सदस्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह निष्पक्ष रहें और हमारी बात

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

को सुने । पुलिस ने जो जुल्म वहां पर किया यदि निष्पक्ष हो कर देखें तो पुलिस द्वारा किये गये सारे जुल्म सामने आ जायें । एक तरफ हमारे मंत्री जी सुलहकुल मना रहे थे और उसी दिन वहां पर बालमीकियों और कहारों पर क्या गुजर रही थी वह आपसे भी छिपी नहीं है । क्या यह बात सही नहीं है कि श्री धनीराम सन्तो नाम के एक सुनार को मार डाला गया । उसका डाइंग डिक्लेरेशन हुआ । उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में एक बात कही कि वहां के विधायक अपनी कार ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने उतर कर धनीराम को मारा और उसकी पत्नी ने पत्र लिखकर इसकी शिकायत मुख्य मंत्री जी के पास भेजी रो-रो कर वहां पुलिस अधिकारियों से सारी बात ब्यान की परन्तु वह कागजात गायब हैं । मैं कहता हूं कि वह कागजात थे, आप उसे सदन के सामने पेश करें वहां कांग्रेस (आई) दल के विधायक के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही किया ? ऐसे अपराध करने वाले विधायक जो आपके साथ थे उन बारे में मैं जानना चाहता हूं कि उनके ऊपर जो मुकदमें चल रहे हैं उनको आपने वापस ले लिया ।

(शेम-शेम की आवाजें)

श्री लोक पति--

यह परम्परा आपने लगायी है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, दो मिनट और दे दें । बहुत बड़ी कृपा होगी । यह सरकार सही नतीजे पर पहुंचेगी नहीं । मैंने इस सदन में आरोप लगाया आप नहीं जानते कि मुरादाबाद की सही हालत, स्थिति की गम्भीरता को आंके । वहां एक जिला जज इन्क्वायरी कर रहे थे । अपने मुख्य मंत्री स्वयं लखनऊ से वहां गये । फिर लखनऊ से लिख कर चला गया कि इसकी इन्क्वायरी हाई कोर्ट के जज करेंगे । आपने हाई कोर्ट के जज को नामांकित नहीं किया और इन्क्वायरी की कार्यवाही रह गयी । जो आदमी स्टेटमेन्ट देना चाहता था उसको रोक कर हाई कोर्ट के जज की बात करके कार्यवाही रोक दी गयी । जो सहूलियतें एक जज की इन्क्वायरी से जनता को थीं, वह हाई कोर्ट के जज से नहीं । उसके लिये सहारनपुर जाना पड़ता है । सहारनपुर जाने पर मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखा था कि आप मुरादाबाद में जांच करा लें क्योंकि वहां आने-जाने में हर आदमी को असुविधा होती है । या तो सरकार सारी सुविधायें उपलब्ध करायें । लेकिन आप उसे टाल गये ।

श्रीमन्, प्रदेश में सबसे अधिक पीड़ित वर्ग जो है वह मान्यवर, हमारे प्रदेश का किसान है । आज मान्यवर, प्रदेश में उसे यूरिया कहां नहीं मिल रही है आज हम पर आरोप लगाये जाते हैं कि हम किसानों को भड़का रहे हैं । हम किसानों को भड़काते हैं लेकिन हम राजनैतिक दल उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ेंगे, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयत्न करेंगे और उनकी समस्याओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ।

श्रीमन्, यहां लखनऊ में 6 अप्रैल को एक विशाल प्रदर्शन करेंगे । उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी, उनका हक उनको नहीं मिलेगा तो मान्यवर, वह नेतक

बल नहीं पायेंगे । जो सुविधायें मिल रही हैं वह किसानों तक नहीं पहुंचती हैं। मेरा निवेदन है कि उस तरफ से किसानों के लिये एक "दरिद्रनारायण कोष" स्थापित किया जाय । उन गरीबों की बात सोचिए जिन बेचारों के पास कुछ नहीं है ।

एक बात और कह कर समाप्त करना चाहूंगा । इधर एक आचार संहिता बनाने की बात कही गयी है । राजनीतिक दलों की आचार संहिता बननी चाहिए । मैं इससे अच्छी तरह से सहमत हूं । लेकिन यह बात आदमी जब सत्तारूढ़ दल में चला जाता है तब कहता है । बंगाल में सेक्रेटेरिएट को घेर लिया गया, उत्तर प्रदेश में हम से कहा जाय कि आन्दोलन न करें । यह आचार संहिता पूरे देश की संहिता बनेगी । आचार संहिता बनाने का दायित्व आप पर होगा, उसको निभाने की जिम्मेदारी आप पर होगी । इस पर सोचा जाय । जब नारायणपुर काण्ड हुआ था उस समय हमने आरोप लगाया था कि आप स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो श्रीमती गांधी ने कहा था कि क्यों न उठायें । आज जब बागपत काण्ड हो गया, न्यायमूर्ति ने सब दलीलें झूठी सिद्ध कर दीं, सरकार से कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए तो कहा जाता है कि राजनीतिक लाभ न उठायें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह सत्तारूढ़ दल की जिम्मेवारी है । इन शब्दों के साथ में संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में माननीय राज्यपाल जी ने जो नीतियों और कार्यों का चित्र रखा उस के लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं ।

एक सदस्य—

आप तो बुजुर्ग हैं इतना तो नहीं कहना चाहिए ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

बुजुर्ग होने के नाते आप लोगों को सुनने के बाद मुझे कहना पड़ रहा है । बहरहाल, आप लोगों को विदित होगा कि कुछ दिनों पहले पालेकर का एवार्ड पत्रकारों के सम्बन्ध में आया और उसमें जो दोष थे उन दोषों को जिनको वर्किंग जरनलिस्ट और नान वर्किंग जरनलिस्ट ने दर्शाया था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनमें से बहुतों को अपना समर्थन दिया । 26 दिसम्बर, 1980 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उसमें निर्णय लिया । जिन मुद्दों पर पालेकर एवार्ड संशोधित हुआ वे वही थे जिन पर सरकार ने वर्किंग और नान वर्किंग जरनलिस्टों के दृष्टिकोण का समर्थन किया था । महीना भर भी पूरा नहीं हो पाया, 16 जनवरी को एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया आप लोगों को यह जान कर हर्ष होगा कि इसके बावजूद कि चर्चा बहुत तेजी के साथ चली रही थी कि पत्र कर्मचारी और मालिक एक नहीं होंगे लेकिन उनकी पांच सूत्रीय सहमति हो गयी । उस सहमति के अन्तर्गत प्रदेश सरकार का एक आदेश निकला है जिसके मातहत 15 फरवरी, 1980 से ले कर 16 जनवरी, 1981 के बीच जो भी कर्मचारी अखबार के मिसकन्डक्ट को

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--]

छोड़ कर निकाले गये हैं उन्हें पहली मार्च तक नौकरी पर वापस लिया जायेगा। नान वार्किंग जरनलिस्ट के लिए स्टडी ग्रुप बन गया है और वर्किंग जरनलिस्ट के लिए बनने वाला है आप को जान कर हर्ष होगा कि यह दोनों पक्षों की सहमति से हुआ। दूसरी चीज मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि शक्कर कारखानों के मजदूरों का वेतन सहमति से बढ़ा, इंजीनियरिंग मजदूरों की त्रिदलीय समिति ने भी सहमति प्रकट कर इंजीनियरिंग मजदूरों के वेतन बढ़ाये, खांडसारी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो गई है। उसकी सूचना मुख्य मंत्री द्वारा उसको आज मिल गई। अन्य क्षेत्रों में भी प्रयास हो रहे हैं। 49 उद्योग हमारे मिनिमम वेजेज ऐक्ट की अनुसूची में हैं। उसमें अनेक में लगे मजदूरों के वेतनों मे वृद्धि हो चुकी है अब सब से बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि दुर्बल वर्ग उन्नति करें लेकिन दुर्बलतम वर्ग जिन्हें भंगी कहते हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं हमारे गांधी जी के तथा महाकवि टैगोर के इष्टदेव तो भंगी अर्थात सफाई कर्मचारी हैं। उनके लिए सरकार ने एक 13 सूत्रीय योजना बनाई है। उसमें पहली बात यह है कि जो मैला निकलता है उसको कम्पोस्ट में कनवर्ट करके बेचा जाय और उसके 1/4 भाग का प्रयोग कर उनको आवास इत्यादि का निर्माण कराया जाय। दूसरी बात यह है कि पंचवर्षीय योजना मे जो मकान बनने हैं दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिये बनने वाले है उसमें से 50 प्रतिशत मकान प्रतिरक्षित किये जायं। तीसरी चीज यह है कि यदि वे अपना मकान बनाना चाहते है और वे भविष्य निधि से जो एडवान्सेज मांगें उन्हें उदारतापूर्वक दिये जायं इन्डास्ट्रियल सेंटर्स में जहां तक उनके आवासों के पर्यावरण के सुधारने की बात है, उसमें भंगियों को मलिन बस्तियों में प्राथमिकता दी जाय। यह भी हमारे 13 सूत्री कार्यक्रम में है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिये 4 लाख 68 हजार रुपये उनके उन बच्चों पर लगा रहे हैं जो हाई स्कूल से पहले के दर्जों में पढ़ते हैं और 1 लाख 32 हजार हम दे रहे हैं जो हाई स्कूल व उसके बाद के दर्जों में पढ़ेंगे। बड़े-बड़े कारपोरेशन्स में 17 शिशु-गृह स्थापित करने की भी योजना है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां जो सफाई मजदूरों की म्युनिसिपैलिटियों में संख्या निर्धारित होती है वह परम्परागत ढंग से यू० पी० हेल्थ मैनुअल के हिसाब से निश्चित की जाती है। उनसे परामर्श कर उसमें रिवीजन करने का विचार है। पेंशन और सामूहिक बीमा योजना लोकल बाडीज के लगभग सभी कर्मचारियों पर लागू करने का निश्चय हो गया है। यह 13 सूत्री कार्यक्रम का 11वां प्वाइन्ट है। हमारा प्रयास होगा कि चाहे वह नोटिफाइड एरिया हो या लोकल बाडीज हो या म्युनिसिपैलिटीज हो अगर इनमें सफाई कर्मचारियों के लोग चुनकर नहीं आते हैं तो सरकार उनको नामिनेट करने का प्रयास करेगी। इसकी भी मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। अन्त में मैं यह चाहूंगा कि अगर आप हमें आज्ञा दें तो उनके साथ बैठकर हम इन सब बातों को तय करें और उनकी एक कमेटी बनाकर उनके सम्बन्ध में विचार कर लें म्युनिसिपल बोर्डों ने सरकार से पैसा मांगा है उसमें हम चाहते हैं कि हम पहले उसमें से उनकी तनख्वाह दे दें। ये हमारी 13 सूत्री योजना है जिसके लिये है जो हम श्रमिक पक्ष की सहमति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यही सहमति के आधार पर बने मालिकों व कर्मचारियों के सम्बन्ध अपेक्षाकृत आधार दृढ़ होते हैं उनकी सृजनता में हम लगे हैं ऐसा हमारे लिये संभव बनाने वाले राज्यपाल को हमें आज्ञा है। आपको धन्यवाद तथा साधुवाद।

(श्री राम स्वरूप निम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन है और मैं कल से बराबर खड़ा हो रहा हूं तो क्या प्रस्तावक को बोलने का अधिकार है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

अवश्य है।

श्री सूबेदार सिंह—

है, तो मुझे टाइम दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

अवश्य मिलेगा।

*श्री राम स्वरूप निम—

मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने पेश किया है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण को पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें सामन्ती प्रथा की बू आ रही है। यह सरकार जो कि सामन्तों की सरकार है और सामन्तों के इरादों को पूरा करने के लिए यहाँ गठित की गई है और हरिजनों के ऊपर जो सामन्ती युग में अत्याचार होता था, वही आज भी होता चला आ रहा है।

हमने सुना था कि हरिजनों पर अत्याचार अगर कभी हुए तो वह बिहार में होते थे लेकिन इस सरकार के आते ही चाहे वह कफलटा कांड अल्मोड़े का हो या रुड़की का हो या दूसरे हों जिसमें कोई अगर मारा गया है तो यह हरिजन मारा गया। माननीय त्रिपाठी जी चले गए। यदि रुड़की की घटना को किसी तरह से गलत साबित कर दें तो माननीय सदन जो दंड उचित समझे वह मैं भोगने के लिए तैयार हूं, वहां पर 6 हरिजनों को इकट्ठा जला दिया गया एक झोपड़ी में इकट्ठा कर फूंक दिया गया। मैंने इस पर सदन में माननीय अध्यक्ष जी से नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए निवेदन किया था। मैं त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं क्यों नहीं इस सदन में वह बयान देते हैं अगर हमारी बात गलत होगी तो हम हर प्रकार के दंड को भोगने के लिए तैयार हैं। जब बागपत कांड की बात हमने कही थी तो यह कहा जाता था कि यह गलत बात है लेकिन उनकी ही जुडिशियरी ने यह साबित कर दिया कि हम गलत नहीं थे बल्कि आप गलत थे। मैं कहना चाहता हूं कि केवल भाषणों से, आश्वासनों से इस देश और प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 20 किलो फूस में और भीगी हुई झोपड़ी में जलकर 6 आदमी कैसे मर गये और वह भी उसी अवस्था में थे उनमें से कोई इधर-उधर हिला-डुला नहीं तो यह कैसे हो सकता है। किसी झोपड़ी में अगर आग लगती है उसमें कुत्ता बिल्ली भी अंदर हों तो वह भी भागने की कोशिश करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि वह लोग क्यों नहीं भागे।

मेरा आरोप है कि उनको जहरीली दवा देकर सुला दिया गया और उसके बाद मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। यह घटना 29/30 तारीख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरुप निम--]

की है जब पुलिस को आठ बजे इस बात की रिपोर्ट दे दी गई कि वहाँ पर यह घटना हो गई है जिसे पुलिस ने अपने रोजनामचे में 10½ बजे दाखिल कराया और 2 बजे रवानगी हुई और मौके पर 5 बजे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद बिना पोस्टमार्टम के 5 आदमियों से पंचनामा जबरदस्ती लिखा कर लाशों को लदवा कर फुंकवा दिया गया। तो क्या कारण था कि उनका पोस्ट मार्टम नहीं किया गया। अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसका पोस्टमार्टम अवश्य होता है। सहारनपुर में एक बुढ़िया एक्सीडेंट में गाड़ी से मर गई तो उसके लिए मैंने और वहां के संसद सदस्य ने डी0 एम0 और एस0 पी0 से बगैर पोस्टमार्टम के लाश देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट से मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम अवश्य होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो हरिजन मरे यह एक्सीडेंट नहीं था, क्यों इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। बदकिस्मती से उस फेमिली की एक लड़की किसी प्रकार भाग निकली 29 तारीख की 11 बजे रात की यह घटना है। उसके साथ बलात्कार किया जाता है। उस परिवार का जो हेड बाबूराम था उसको 30 तारीख को इलाज के लिए रुड़की दाखिल किया जाता है और उसके बाद भी उसका डाइंग डिक्लिरेशन नहीं लिया जाता है और न उसकी इंजुरी नोट की जाती है। उस लाला ने पैसा देकर उस बाबूराम को ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि वह बाबूराम फिर कभी बोल नहीं सका।

श्री अध्यक्षता--

निम साहब, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम स्वरूप निम--

मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि उस बेचारे की इंजुरी नोट नहीं हुई और न ही डाइंग डिक्लिरेशन लिया गया। उसके बाद उसकी लाश को उसके घरवालों को नहीं दिया गया। तो यह सरकार अपने दामन और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह अच्छा बताती है।

मुझे अफसोस होता है यह देखकर कि इस मंत्रिमंडल के दो राज्य मंत्री घटनास्थल पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने जनता से कहा कि ऐसी-तैसी, ऐसे ही हो रही है, आप इसको किसी तरह से दबाओ। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए इस तरह की बात करते हुए। जब असन्तुष्ट और आन्दोलित लोगों ने इस बात की सच्चाई के तथ्य स्पष्ट किए तो मंत्री जी ने कहा कि इनको भी पार्टी मीटिंग में बुला लिया करो। इनका भी ध्यान रखा करो।

(व्यवधान)

अजीत सिंह सेठी और चन्द्रमोहन सिंह नेगी--दोनों ने आन दि स्पाट का भ्रमण किया था। जिस झोपड़ी में आग लगी, उसके 6-6 इंच की दूरी पर अन्य झोपड़ियों में आग क्यों नहीं लगी? जिस लकड़ी पर वह झोपड़ी टिकी हुई थी, वह लकड़ी क्यों नहीं जली? यह तमाम प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए, तथ्य दर्शाते हैं कि इसमें वास्तविकता कुछ दूसरी ही है, लेकिन घटना को इस तरह से बनावटी रंग दे दिया गया है। जहां नेहरू जी पाकिस्तान बनवाने के लिए जिम्मेदार थे, इसी तरह से यदि हरिजनों पर अत्याचार होते रहे तो श्रीमती इन्दिरा गांधी और मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां पर एक अछूती स्थान

बनवाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे । इसलिए मैं इस निकम्मी सरकार से कहना चाहता हूं कि वह तथ्यों को जाने, शर्म खाये और कुछ करे ।

श्री राम नरेश शुक्ल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने कृपा करके हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसके समर्थन के लिए समय दिया । मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन इसलिए करता हूं कि आज पहली बार उत्तर प्रदेश में छात्र युवकों, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया है । 5 करोड़ रुपये से छात्रनिधि की स्थापना करने के बाद प्रदेश स्तर की एक समिति बनाई गई है जो इनकी समस्याओं को देखेंगे । उनकी समस्याओं को इसके द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है । छात्रों का जहां तक सम्बन्ध है, उनके बीच में मुझे काम करने का अवसर मिला है--इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन में उसके अध्यक्ष और महामंत्री के पद पर और उत्तर प्रदेश छात्रसंघ के अध्यक्ष पद पर काम करके मुझे उनकी समस्याओं को जानने का अवसर मिला है । मैं सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि छात्रयुवकों के विषय में यदि कहीं भी कोई गलतफहमी हो तो उसमें देशभक्ति है, उनमें काम करने की तमन्ना है, उनमें समाज को बदलने की शक्ति है, लेकिन साथ ही साथ उनके कुछ सपने, कल्पनाएं और तमन्नाएं भी हैं ।

यह सरकार बधाई की पात्र है कि उसने समिति का गठन करके और कल्याण-कोष की स्थापना करके उनकी तमन्नाओं और सपनों को समझने का प्रयास कर रही है । इसलिए मैं आपके द्वारा राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छात्रों की समस्याओं का अपने अभिभाषण में जिक्र किया है इसके

(समय 2 बजे अपराह्न)

अतिरिक्त एक बात के लिए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वह यह है कि पत्रकारों के लिए एक सहायता निधि, मान्यता प्राप्त पत्रकार, जो सेवा निवृत्त हो गये हैं या दिवंगत हो गए हैं, उनके लिए 3 लाख रुपया के कल्याण कोष की स्थापना की गई है, यद्यपि इसे मैं कम समझता हूं, लेकिन इसको कायम करके सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, कौन नहीं जानता कि पत्रकारों का वर्षों से कितना शोषण हो रहा है । इस बुद्धजीवी वर्ग का, इस मेहनतकश इन्सान का किस तरह से शोषण किया जाता रहा है । शोषण जहां भी हो उसका अन्त किया जाय, जहां भी मिले समाप्त किया जाय वहीं से समाजवाद शुरू हो जाता है तो मैं समाजवाद की दिशा में सरकार का यह एक अच्छा कदम समझता हूं । दूसरी बात यह है अधिष्ठाता महोदय, कि--

निज पूर्वजों के सद्गुणों का ध्यान जो रखती नहीं,
वह जीवित जातियों में रह कभी सकती नहीं ।

यह मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए । जहां आज आप बैठे हुए तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, विदेशों में जहां आप जाते हैं वहां स्वतन्त्र देशवासी की हैसियत से बैठते हैं यह किनकी देन है । यह हमारे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की ही देन है । उनके लिए सरकार ने उनके सम्मान में उनकी पेन्शन 100 रुपया मासिक देने का निर्णय लिया है वह भी सराहनीय कार्य है । मैं तो चाहता था कि और ज्यादा देते लेकिन जो उन्होंने सबको बराबर

[श्री राम नरेश शुक्ल]

एकरूपता से 100 रु0 मासिक से देने का विचार किया है उसके लिए भी वे धन्यवाद के पात्र हैं। इससे सरकार के सुदृढ़ संकल्प की झलक मिलती है। सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं विमुक्त जातियों की रक्षा और हितों के लिए भी दृढ़ संकल्प है।

इसके अतिरिक्त माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने किसानों की तरफ जो विशेष ध्यान दिया है, वह एक अच्छा काम किया है। मैं इस विवाद में कभी नहीं पड़ता कि इधर से अच्छा काम किया गया है या उस तरफ से अच्छा काम किया है। सरकार ने किसानों को 23-24 रु0 गन्ने का मूल्य दिया है क्या विरोध पक्ष के लोग यह इन्कार कर सकते हैं कि यह पहली बार नहीं दिया गया है? यह बात तो सत्य है कि पहली बार दिया गया। आपने अधिष्ठाता महोदय, देखा कि मुख्य मंत्री जी ने किसानों के हित के लिए एक एलान किया था, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। किसान देश की रीढ़ हैं। अधिष्ठाता महोदय, उसकी जितनी भी मदद की जा सके, जितनी भी उसके हितों की रक्षा की जा सके उसका इस राज्यपाल के अभिभाषण में ध्यान रखा गया है, उसमें किसानों के हितों का जिक्र है, इसलिए भी वे धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात को विश्वास के हद तक मानता हूं कि जब तक सहकारी समाज नहीं बनेगा जब तक सहकारिता के आधार पर समाज नहीं बनेगा तब तक भ्रष्टाचार का अन्त नहीं होगा। सरकार ने सहकारिता के आधार पर वितरण करने का फैसला किया है, उसमें इससे सिद्ध होता है कि उसका समाजवाद की तरफ जाने का एक लक्ष्य है। अधिष्ठाता महोदय, 24 सूत्रीय कार्यक्रम पर अपनी निष्ठा व्यक्त करके इन्दिरा जी के हाथों को मजबूत करने का जो संकल्प लिया गया है सरकार द्वारा, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास पुराने राज्यपालों के वर्ष 1977-78, 1978-79 के अभिभाषण रखे हुए हैं लेकिन चूंकि समय नहीं है वरना उनमें से कुछ अंश मैं यहां पर अवश्य उद्धृत करता। वर्ष 1947 में क्रान्ति हुई गांधी और नेहरू के रास्ते से, उससे देश स्वतंत्र हुआ। वर्ष 1977 में प्रति क्रान्ति और 1980 में फिर इन्दिरा जी के नेतृत्व में क्रान्ति हुयी और जब दूसरी बार क्रान्ति होती है तो देश मजबूत होता है।

कल मैंने भाई रियासत हुसैन का भाषण बड़े गौर से सुना। वे कभी हमारी कांग्रेस पार्टी में भी थे। जब उनका सम्बन्ध हमारी पार्टी से विच्छेद हुआ तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी लेकिन कल उनके भाषण को सुनने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह अच्छा ही हुआ था कि वे कांग्रेस से बाहर चले गये। हमारे माननीय गुप्ता जी को तो एमरजेन्सी का फोबिया सा हो गया है, उन्हें हर समय इमरजेन्सी ही इमरजेन्सी दिखाई पड़ती है।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*.श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जिस प्रकार से एक नीति निर्देशक के रूप में होना चाहिए था वह उस रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। अभिभाषण से ही शासन की नीति झलकती है। इस बार तो यह सदन का सौभाग्य या

*.वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुर्भाग्य समझिये राज्यपाल का आचरण भी कुछ ऐसा लगा जो एक आयना शासक वर्ग के सामने रखा कि वे अपना शोचनीय चेहरा भी उसमें देख लें। वैसे प्रायः यह बात देखने में आती है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को या हमारे जैसे लोगों की हरकतों से परेशान होते हैं लेकिन जिस दिन माननीय राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा उस दिन ऐसा लगता था कि वे स्वयं उनकी हरकतों से परेशान थे।

जहां तक शासन में हमारे मंत्रीगण हैं उनके क्रिया-कलाप, उनके आदेश जिस रूप में जनता के सामने आ रहे हैं, इस सदन में वे चाहे जिस रूप में कहें, लेकिन जनता के बीच जाकर उन्हें बात करने की हिम्मत नहीं है। यहां पर आप किसी भी मंत्री को ले लें, उसके आदेशों का पालन उसी के विभाग में नहीं हो पाता है। मंत्रियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपने आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें। इस बार हमारे कृषि मंत्री ने इसी सदन में लखनऊ डेयरी के बारे में एक आश्वासन दिया था। आज के शासन के तहत मेरी लिखी हुई एक चिट्ठी पर एक आदेश भी दिया था आदेश एक साधारण कर्मचारी की बहाली किए जाने के बारे में थे। वह कर्मचारी अस्पताल में जिन्दगी की आखिरी क्षण गिन रहा था, यह अच्छी बात हुई कि वह अच्छा हो गया, उसके बारे में मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसका पालन नहीं हुआ, उनके आदेशों का पालन नहीं हुआ।

मान्यवर, अखबारों में यह पढ़ने को मिलता है कि मुख्य मंत्री जी भ्रष्ट मंत्रियों के घेरे में हैं। अब वह भ्रष्ट मंत्री कौन-कौन हैं वे स्वयं ही अपने चेहरे अखबारों के आइने में देख लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रि परिषद् के सदस्यों को जिस मर्यादा के साथ बंधे होना चाहिए। उस मर्यादा को उन लोगों ने तिलांजलि दे रखी है। हमारे यहां अभी एक कैबिनेट रैंक के मंत्री आये और वे एक स्मगलर के यहां दावत खाने गये। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनको कहा कि उनका उसके यहां जाना उचित नहीं है, उन कैबिनेट रैंक के मंत्री के साथ एक भी अधिकारी उस स्मगलर के यहां दावत में नहीं गया, मंत्री जी अकेले ही गये। जब कोई अधिकारी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, अधिकारियों ने मना किया, फिर भी मंत्री जी ने पता नहीं क्यों वहां जाने के अपने निर्णय को नहीं बदला। तो इस तरह के मंत्री हैं जिनके कार्यकलापों की चर्चा सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी होती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। उसका इस्तेमाल सरकार राजनैतिक लोगों को दबाने के लिए किया जा रहा है। बड़ी बेशर्मी के साथ शासक वर्ग के लोग यह कहते हैं कि इस अधिनियम का उपयोग जन आन्दोलन को और विरोधियों को कुचलने के लिए किया जायेगा। किसान आन्दोलन को कुचलने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। आज हमारे त्रिपाठी जी के रोज बयान निकल रहे हैं। जैसे नया-नया मुसलमान प्याज-प्याज ज्यादा चिल्लाता है, उसी तरह से हमारे त्रिपाठी जी के नये-नये रोज बयान निकल रहे हैं और वे बयान देने के आदी हो गये हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल राजनैतिक तत्वों के खिलाफ किया जायेगा। उनके नेता प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तक ने ऐसी बात नहीं कही है, पर इनको ऐसी बात तक कहने में शर्म नहीं आती।

[श्री राम आसरे वर्मा]

मान्यवर, यह ढिंढोरा पीटते हैं प्रजातन्त्र का, मगर जन आन्दोलन को कुचलने में इन्हें शर्म नहीं आती। क्या राजनैतिक लोगों को दबाना और उनको जेलों में भेजना और इसके लिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का सहारा लेना ही जनतन्त्र है ?

मान्यवर, बागपत कांड के बारे में जांच के आदेश दिये गये। सदन में भी और सदन के बाहर भी लोगों को यह आशा बंधी थी कि जांच के बाद जो उसके परिणाम होंगे, जो कार्यवाही की जायेगी, वह सामने आयेगी। मगर नहीं आयी। इसके पहले नारायणपुर कांड हुआ था। उस कांड के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही गयी थी और उसी सिलसिले में एक अधिकारी को निलम्बित भी किया गया था उस समय। पर इस सरकार ने आते ही उस दोषी अधिकारी को, दंडित करने की बात तो दूर रही, बड़ी बेहयायी के साथ उसको टाल दिया।

मुरादाबाद और उसके परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के कई स्थानों पर दंगे हुए। दंगे की जड़ क्या है, इसके लिए जांच के भी आदेश दिये गये। कल माननीय रियासत जी ने वहां का जो विवरण पेश किया, उसके सामने और कुछ कहना सूरज के सामने एक दिये को दिखाना होगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुरादाबाद में इन दंगों को भड़काने में, वहां की जनता के लाखों रुपये की सम्पत्ति को लूटने वाले अधिकारी, दंगे को तहस-नहस करने वाले अधिकारी आज भी वहां पर मौजूद हैं। वहाँ का शहर कोतवाल, जिसके घर में आज भी छापा मारा जाय, तो मुरादाबाद की जनता की गाढ़ी कमाई वहां पर उस कोतवाल के यहाँ पर मिलेगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा का सहारा लेकर बेगुनाह लोगों को वह कोतवाल फंसाने का काम कर रहे हैं। वह कहते हैं कि राजनैतिक सुरक्षा के अन्दर तुम्हारा वारन्ट है, पैसा दे जाओ, नहीं तो तुम गिरफ्तार हो जाओगे। एक तरीका उनका है। कुछ मुकदमें मुसलमान भाइयों के खिलाफ चलाये गये, मुझे अच्छी तरह से जानकारी है, बहुत से वहां के मुसलमान भाइयों के बारे में, जितने धर्मनिरपेक्ष वहां के हिन्दू, हिन्दू होने के नाते नहीं हैं, उससे ज्यादा वहां के मुसलमान हैं, जिनका जिक्र मैं करने जा रहा हूं। उनको मुकदमें में फंसाया गया। यहां पर न्याय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को लिखकर मैंने दिया कि ये लोग धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, उनको गलत फंसाया गया है। शहर कोतवाल बुलाकर कहता है कि मंत्री और मुख्य मंत्री कुछ भी लिखते रहें, लेकिन अगर ढाई हजार रुपये आप जमा कर दें, तब तो मैं आपको निकालने की बात कर सकता हूं वरना नहीं। तो इस तरह से तो मुरादाबाद के अन्दर घटनायें हो रही हैं। एस० एस० पी०, शहर कोतवाल वहीं मौजूद हैं। वहां के दंगे के गुनहगार, वहां पर ऐश-आराम कर रहे हैं, लेकिन शासन के कान में जूं नहीं रेंग रही है। मान्यवर, शांति-व्यवस्था की बात जब पिछली बार राज्यपाल का भाषण हुआ था, तो सबसे पहला काम बताया गया था कि शांति व्यवस्था कायम करना यह पहला काम है। शासन ने इस दायित्व को कहां तक निभाया, इसकी मिसालें इसी सदन के अन्दर अकेले विपक्ष की तरफ से ही नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी सुनने को मिल रही हैं। अगर इन मिसालों से भी विश्वास न हो, जो हमारे सामने आई, माननीय मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दिया था और यह कहा था कि चूंकि शांति व्यवस्था कायम करने में वह असफल हो रहे हैं, इसलिए इस्तीफा। अगर वहीं तक गाड़ी रुकती, तो हर आदमी उनकी सराहना करता कि एक दायित्व उन्होंने सम्भाला था, संकल्प लिये थे और संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह कुर्सी छोड़ रहे हैं। लेकिन शांति

व्यवस्था कितनी सुधरी, कितनी बिगड़ी इसकी फिक्र किये बिना, उनका वह इस्तीफा हवा का हवा में रह गया। जनता को गुमराह करने के लिए सस्ती पापुलारिटी हासिल करने के लिए वह ढोंग रचा गया था। मान्यवर, मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था, उस समय तमाम पत्रों में अलग-अलग टिप्पणी आई थी।

मुख्य मन्त्री जी को इस्तीफा देना होता तो अपने इस्तीफे को गवर्नर के पास भेजते। उसमें अखबार में टिप्पणी निकली थी कि कुछ परिस्थितियां बन गयी हैं। शांति व्यवस्था का सम्बन्ध उन परिस्थितियों से है। ये जो परिस्थितियां बन गयी हैं और यह जो राजनैतिक लोगों का दृष्टिकोण बन गया है, उसे बदलने में मुख्य मंत्री जी असमर्थ हैं। उनकी असमर्थता का कारण वही है। मान्यवर, कहते हैं कि कानून अंधा होता है और छोटे बड़ों का फर्क नहीं करके सब पर एक समान तलवार चलाता है। लेकिन राजनीति ने कानून को आंख दे दी है जिसका नतीजा है कि वह देखकर निर्बल वर्ग को दन्डित करता है और सबल वर्ग और आतताइयों को छोड़ देता है। यह सही तरीका नहीं है और इससे समस्या नहीं सुलझेगी। इस तरह से अखबार की टिप्पणी जो थी, कितनी सही साबित हो रही है।

मान्यवर, शांति व्यवस्था कायम करने की दिशा में माननीय राज्य गृह मंत्री जी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया और पुलिस अधिकारियों से जा जाकर मिले और उनकी मीटिंग्स की। उनको अस्त्र क्या दिया कि जाकर एनकाउन्टर करो। अगर एनकाउन्टर नहीं दिखाते हों, तो पद से अवनतियां कर दी जायेंगी। तो सवाल शांति व्यवस्था कायम करने का नहीं। सवाल है कि तुम मार कर लाओ। अगर इस दृष्टिकोण की जगह यह निर्देश दिये होते कि जिस थाने के अन्दर जिस जिले में जुर्म कम होंगे, जिस जिले की पुलिस अच्छा काम करेगी, उसको पुरष्कृत किया जायेगा, तो मान्यवर, इससे पुलिसजनों को भी प्रोत्साहन मिलता। लेकिन यहां तो खुद पुलिस को उत्साह दे रहे हैं जाकर गुनाह करो, जुर्म करो। तो शांति व्यवस्था का दम भरने वाले खुद अपने प्रशासन की मशीनरी का इस्तेमाल करके अर्थ व्यवस्था ही पैदा करना चाहते हैं और यह बात जो राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कही है कि ये यह सब इसलिये कर रहे हैं ताकि जनता के सामने आपातकालीन स्थिति के पूर्व लक्षणों को दिखा सकें। वह बिल्कुल ठीक है।

मान्यवर, ग्रामीण औद्योगिक विकास के सिलसिले में राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया था। लघु उद्योगों के साथ-साथ वृहत् और मध्यम उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने के लिये कहा है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आधे से ज्यादा हमारी औद्योगिक इकाइयां बीमार पड़ी हैं और बीमारी का कारण है कि उनको कोयला नहीं मिल रहा है, उनको बिजली नहीं मिल रही है, उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है। तो भी बीमार इकाइयां पड़ी हुयी हैं, उनको दुरुस्त करने की दिशा में शासन सोच नहीं पा रही है, लेकिन योजनाओं पर योजनाओं की बात करते जा रहे हैं। और मैं यह कहने में भी संकोच नहीं करता कि यदि शासन का यही रुख रहा तो वे योजनायें भी कागज पर बन जायेंगी और जनता को उनका लाभ नहीं मिल सकेगा।

मान्यवर, ये किसानों के दर्द से कितना पीड़ित हैं, यह भी देखने की बात है। एक तरफ तो आज किसानों के ऊपर जो सरकारी देय है, उनकी वसूली के

[श्री राम आसरे वर्मा]

लिये जोर जबर्दस्ती के उपाय अख्त्यार कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों के द्वारा जो पैदा की हुयी चीजें हैं, उनकी उचित कीमत के बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अगर किसानों को उचित मूल्य भी दिलाये जाने के बारे में बात होती तो अच्छा होता ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी, कुछ नोट भी करते चलिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

उनको नोट करने की जरूरत क्या है ?

मान्यवर, आज किसान कितना असहाय है इस शासन में दूसरे लोग असहाय नहीं है । जहां रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आसमान छूने वाली मंहगाई पर पहुंच गई है वहीं उसके उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है । मान्यवर, जब तक इस प्रदेश के किसानों का भला नहीं किया जाता है तब तक किसी भी तरह की योजना लागू करने की बात शासन कहे तो लागू नहीं कर पायेंगे दूसरे विश्वास भी नहीं है । ऐसी स्थिति में मान्यवर, अभी श्रम मंत्री जी पड़े हुए और कह रहे थे कि श्रमिकों के मसले आपसी समझौते से हल कराए जाते हैं । मान्यवर, इसकी एक मिसाल है हमारे पास मोदी नगर के हिन्दू मजदूर सभा के मजदूर हड़ताल कर रहे थे और अपनी न्यायोचित मांगों को रख रहे थे । लेकिन जब शासन की ओर से थोड़ी पहल हुई तो उस संगठन के नेता मुख्य मंत्री से मिलकर मुख्य मंत्री को ही सारा भार सौंप दिया कि आप ही मध्यस्थ बन जायं और आप ही निर्णय कर दें हमारी मांगों का । उनके औचित्य और अनौचित्य का लेकिन मान्यवर, आज तक मुख्य मंत्री जी उसका निर्णय नहीं कर पाए । कई महीने हो गए बात क्या इसका एक ही कारण है और वह श्रम मंत्री ने हिन्दू मजदूर सभा के पदाधिकारियों को बता भी दिया कि इंटक के कुछ लोगों को लाए तो निर्णय जल्दी हो जाएगा । लड़ाई हिन्द मजदूर सभा के लोग करें लेकिन निर्णय का श्रेय इंटक को जाय । किस इंटक को जिसका सीधा सम्बन्ध सत्ता पक्ष से है । यह है इनके फैसला करने का तरीका और बात ऐसी करते हैं जैसे बड़े पाक दिल होकर शासन कर रहे हैं ।

मान्यवर, अल्पसंख्यकों के बारे में पिछली बार जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसमें कहा गया कि उर्दू को प्रोत्साहन दिया जावेगा और राज्य की दूसरी भाषा बनाई जायेगा । राज्यपाल के अभिभाषण में प्रोत्साहन दिया गया लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वह प्रोत्साहन समाप्त कर दिया गया । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा जन वितरण प्रणाली के बारे में। मान्यवर, इसमें भी विभेद किया जा रहा है । हमारे हरदोई जनपद में 2 सहकारी समितियां पहले से चल रही थी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था। लेकिन वहां पर इन सबको 2 सहकारी समितियों के पास केन्द्रित कर रहे हैं । ऐसी समितियों के पास केन्द्रित कर रहे हैं जिनके खिलाफ 3/7 के एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के खिलाफ मुकदमा चल चुका है जो ब्लैक लिस्टेड है । आज वह समितियां हरदोई के अन्दर 10-10 हजार रुपया लेकर और 3000 रुपया टिप के रूप में लेकर सेलसमैन नियुक्त कर रहे हैं । निहित स्वार्थों से पीछा छुड़ाने के लिए दूसरे निहित स्वार्थों के हाथों में इसको सौंपा जा रहा है । इससे जनता तक कोई चीज नहीं पहुंच पाएगी । एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जो बहुत महत्व की है और लोकहित की है । भ्रष्टाचार का मामला स्वास्थ्य विभाग में किसी से पीछे

नहीं है । हर सी0 एम0 ओ0 के खिलाफ लाखों रुपए के घोटाले का मामला आ रहा है ।

फार्मेसिस्ट उत्तर प्रदेश के 23 तारीख से संघर्ष के रास्ते पर हैं और 2 फरवरी से उन्होंने निर्णय ले लिया है कि पूरे प्रदेश में पूरी तरह से स्टोर बन्द कर देंगे । मान्यवर, जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा । यह कहते हुए जो राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्ताव रखा गया है धन्यवाद का, मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, माननीय सदन, मैं जो हमारे सम्मानित विधायक श्री विमल प्रसाद तिवारी जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है म उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं और उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूं । मान्यवर, मैंने बहुत सी बातें कहनी चाही लेकिन इसके पहले 2-3 भाषण सुने । उसके बारे में अगर मैं कुछ न कहूंगी तो अन्याय होगा । हरिजनों को जलाने की बात बड़े जोर से कही और कहा कि उसमें एक महिला भी थी और बड़ी तकलीफ थी उनको । मैं जानना चाहती हूं कि जिस वक्त बेलछी में 13 हरिजन जला दिए गए थे उस समय आवाज उनकी कहां थी ।

(व्यवधान)

आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं कहूंगी जरूर और आप यह समझ लें । तो मान्यवर, उस वक्त मैं होता क्या है कि इनके दल बहुत हैं अलग-अलग और जनता को गुमराह करने के लिए एक झण्डे और एक निशान लेकर सारे लोग इकट्ठे हुए और कहा कि हम तो तुम्हारी बड़ी सेवा करेंगे अब शासन में बैठने के बाद लड़ाई शुरू हो गई कि तुम तो इतने दिन रह लिए अब हम रहेंगे । वह कहते हैं कि हम जनता पार्टी नहीं हैं, वह कहते हैं कि हम जनता पार्टी नहीं हैं । इसलिए कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं हैं । जब हमने अपने मुख्य मंत्री जी के प्रति आस्था प्रकट की तो वह भी इनको अच्छा नहीं लगा । हमें विश्वास है कि हमारे दल की नीति और जो मुख्य मंत्री हैं उनकी भावनायें अच्छी हैं इस प्रदेश के लिए, यहां के निवासियों के लिए, किसान के लिए, हरिजनों और महिलाओं के लिए तथा इस प्रदेश के उत्थान के लिए । और हमें विश्वास है कि इसके लिए जो भी कार्यक्रम हैं वह जमीन पर जरूर उतरेंगे, कागज पर ही नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से समझिए आप लोगों के मनसूबे पूरे नहीं होंगे और ये योजनायें जरूर लागू होंगी ।

एक बात मुरादाबाद के दंगे की कही । उसमें मान्यवर, मैं आपको बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं लेती, एक बड़ी योजना थी इस जनप्रिय सरकार को बदनाम करने की । एक लम्बे अर्से से उस योजना को बनाया और वहां पर दंगा हुआ । मैं यह नहीं कहती कि नहीं हुआ लेकिन मैं आज भी कहती हूं कि उस दंगे के पीछे कुछ लोगों का हाथ था जिनके निहित स्वार्थ थे । उनके मनसूबे थे कि जब यहां दंगा शुरू होगा तो हम इस जनप्रिय सरकार के खिलाफ सारे प्रदेश में दंगा फैला देंगे । हमारी नीयत साफ थी, उस दंगे से निपटने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम तैयार थे ।

यही नहीं इस लखनऊ राजधानी में एक मौका उनको मिला । फिर वही जो मुरादाबाद में हुआ वही लखनऊ में पेश हुआ । कहा गया कि यहां भी मुरादाबाद काण्ड होकर रहेगा । मन्सूबे नापाक थे, अधूरे रह गए । हम वक्त

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी]

पर जगे, हमारी सरकार वक्त पर जगी और आपके मन्सूबे पूरे नहीं हुए। निकाला कि लखनऊ में भी झगड़ा है, लेकिन दूसरे दिन सुना कि झगड़ा शान्त हो गया बड़ा बुरा लगा होगा, इसलिए कि क्या बतलायें मुरादाबाद की पुनरावृत्ति लखनऊ में नहीं हुई। न होने का एक कारण है कि हमको ठीक से पता चल गया था कि कौन सी साजिश थी। कुछ लोगों के निहित स्वार्थ हैं, जो चैन लेना नहीं चाहते हैं। हम शान्ति व्यवस्था बनाना चाहते हैं, हमारी गलती निकालिए, हम उसे सुधारेंगे। लेकिन आपकी करनी और है कथनी और। इससे यह साफ समझ में आ गया कि जब सारे प्रदेश में दंगे नहीं हुए कि हम जागरूक थे। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि एक बात बड़े जोर से कही गई--"बागपत काण्ड"। इसकी जब आप कुछ बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे पहले के बारे में कभी आपने अपने आपको देखने की कोशिश नहीं की मैं तात्कालिक मुख्य मन्त्री श्री बनारसीदास वह कहते हैं नरायणपुर में कुछ नहीं हुआ, स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए यानी सत्यता।

(शोर)

को दिखाया गया जब कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बागपत कांड में एक महिला पर आपके बताए अत्याचारों को सुना और न्यायिक जांच के आदेश दियें....लेकिन जरा निकालिए प्रोसीडिंग नारायणपुर काण्ड हुआ....।

(शोर)

आप जरा सा प्रोसीडिंग उठाए। हमारे बहुत से साथी इतने योग्य हैं, पढ़े-लिखे हैं। मुख्यमन्त्री का इसी सदन में बयान हुआ। मैं बता दूं अखबार के पन्नों को पलट कर देख लीजिए हम लोगों के खिलाफ जब हम लोग विरोध पक्ष में बैठे थे। महिलाओं का एक जुलूस निकला, उस जुलूस पर लाठियां चलीं, महिलाएं घायल हुईं। श्री राम नरेश यादव जी ने सदन में क्या बयान दिया, क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई महिला अस्पताल में नहीं है। मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी अस्पताल में नीचे बैठे थे, इत्तफाक से मैं भी गयी, मुख्यमंत्री जी बैठे थे क्योंकि उनका लड़का बीमार था, मैंने कहा कि ऊपर कुछ औरतें घायल पड़ी हुई हैं, मुख्यमंत्री जी चुप रहे। उससे दूसरे दिन मुख्यमंत्री का बयान आया कि कोई औरत घायल नहीं हुई है। मान्यवर, मैं बजट की तरफ जाना चाहती थी, यह बात मैं फिर कहूंगी। मान्यवर, हम सत्यता स्वीकार करते हैं और ये सत्यता को छिपाते हैं।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है। आप बैठें।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, एक मिनट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन में एकरूपता कर 100 रु० मासिक पेंशन देने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, वह बड़ी बात है। उनके परिवार के सदस्यों को भी कुछ सहायता यदि मिल जाती कम से कम एक बार उन्हें भारतभ्रमण की सुविधा निःशुल्क कराने की कृपा अवश्य करें। मान्यवर, इन शब्दों के साथ म समाप्त करती हूं।

श्री सूबेदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है आपने उस पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को देखा, मुझे तकलीफ हुयी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़कर । विशेष रूप से लोकतांत्रिक समय में, अगर किसी राजदरबार का भाषण होता तो शायद प्रसंशा के योग्य होता । लेकिन यह प्रसंशा पत्र के अलावा कुछ और नहीं लगता है । आप देखें यह कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है । आज प्रदेश असंतोष की आग में जल रहा है । प्रदेश की जो स्थिति है अगर सोचें तो शासक दल के लोग महसूस करेंगे कि प्रदेश की स्थिति भयावह है । स्थिति को देखें और अगर सही है तो मैं एक शेर कह दूं :—

अभी क्या है, एक एक बूंद को तरसेगा मैखाना,
जो अहले जर्फ के हाथों में पैमाना नहीं आया ।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार है असंतोष असंतुलन, अकर्मण्यता, भष्टाचार का रूप है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आप देखें : अगर मंत्रियों की लिस्ट उठाकर देखें तो उसमें क्षेत्रीय विषमता है । केवल इलाहाबाद जिले के ही 5 मंत्रिमंडल के सदस्य हैं । प्रतापगढ़ से 3 हैं, फैजाबाद से 2 हैं, गोरखपुर से 2 हैं, खीरी से 2 हैं, मथुरा से 2 हैं, कानपुर से 2 हैं, बलिया से 2 हैं, सीतापुर से दो हैं, देहरादून से दो हैं, अल्मोड़ा से 2 हैं, बरेली से दो हैं लखनऊ से दो हैं, सुल्तानपुर से एक हैं गाजीपुर से एक हैं, गढ़वाल से एक हैं, उन्नाव से एक हैं, बुलंदशहर से एक हैं, मेरठ से एक हैं, मिर्जापुर से एक हैं, इटावा के एक हैं, बदायूं से एक हैं, मुजफ्फरनगर से एक मंत्रिमंडल के सदस्य हैं । लेकिन 33 जिलों से कोई प्रतिनिधि सरकार में नहीं है । यह तो मैं क्षेत्रीय विषमता की बात कर रहा हूं । हमारी कम के कम 2 दर्जन महिला सदस्य हैं उनमें से केवल एक को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है । मैं श्रीमन्, दूसरी बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं । 42 सदस्यों के मंत्रिमंडल में आप देखें पिछड़े वर्ग में से केवल 3 सदस्य हैं, 7 सदस्य हरिजन हैं । 5 सदस्य अल्पसंख्यकों में से हैं और 27 उच्च वर्ग के मंत्रिमंडल में सदस्य हैं । तो श्रीमन्, आप देखें कितनी विषमता है मंत्रिमंडल के गठन में ।

श्रीमन्, मैं तो यह भी महसूस करता हूं कि मंत्रिमंडल के गठन में लोगों को सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । थोड़े से उपमंत्री बनाये गये हैं उन्हें विशेष विभाग नहीं दिया गया है । केबिनेट स्तर के मंत्रियों में किसी युवक को शामिल नहीं किया गया है यह तकलीफ की बात है । श्रीमन्, मैं जो असंतुलन की बात कह रहा था उसमें जो विभागों का वितरण हुआ है उसमें भारी असंतुलन है । मुख्य मंत्री के पास 18 विभाग हैं । ब्रह्मदत्त के पास 8 विभाग हैं । वीर बहादुर सिंह के पास 3 विभाग हैं, लोकपति त्रिपाठी के पास 3 विभाग हैं, बलरामसिंह के पास 6 विभाग हैं, जगदीश प्रसाद के पास 6 विभाग हैं, रामसिंह खन्ना के पास 1 विभाग है, अम्मार रिजवी के पास 9 विभाग हैं । विद्या भूषण के पास 1 विभाग है, जगदीश चन्द्र दीक्षित के पास एक विभाग है, श्री छेदालाल के पास एक विभाग है, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के पास एक विभाग है, श्री भानुप्रताप सिंह के पास एक विभाग है, श्री वासुदेवसिंह के पास एक विभाग है, श्री बैजनाथ

[श्री सूबेदार सिंह]

कुरील के पास एक विभाग है, श्री श्रीकृष्ण गोयल के पास एक विभाग है तो श्रीमन् अगर असंतुलन को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को देय । तो भारी असंतोष इसमें है ।

श्रीमन्, हमने जो अभिभाषण पढ़ा तो उसमें यह दोहाई दी गई है कि पिछड़े इलाकों की विशेष उत्थान और विकास की व्यवस्था सरकार करने जा रही है । तो मंत्रीमंडल में आपने देखा है कि पिछड़े वर्ग का क्या प्रतिनिधित्व रहा वह है केवल 3, इसी तरह नौकरियों में देखें तो पिछड़े वर्ग का स्थान नगण्य है । 15 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये थे लेकिन उनका भी कार्यान्वयन नहीं हो रहा है । आप देखें जो पिछड़े वर्ग के लिये स्कालरशिप मंजूर की गयी थी वह भी नहीं बांटी गयी । पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के प्रवेश में घोर उपेक्षा है । वह सरकार दावा करती है पिछड़े वर्ग से कल्याण के लिये कि कार्यक्रम बना रहे हैं तो यह सर्वथा झूठ और निराधार है ।

श्रीमन्, आप देखें पिछड़े क्षेत्र जैसे देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बलिया, इलाहाबाद से 14 विधायकों में से 5 मंत्री हो गये, आजमगढ़ से 14 विधायक हैं कोई मंत्री नहीं, बस्ती में 14 विधायक कोई मंत्री नहीं, देवरिया में 14 विधायक कोई मंत्री नहीं, गोंडा में 11 विधायक कोई मंत्री नहीं हुआ । श्रीमन, आज सबसे बड़ी तकलीफ तब हुई जबकि हरदोई से श्री रामअौतार दीक्षित को बुलाया और कार भी एलाट की गयी लेकिन उनको शपथ नहीं दिलायी गयी । तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में किस तरह से भारी असंतोष और असंतुलन है ।

श्रीमन्, यदि इतिहास के पन्नों से तुलना करें तो आपको मालूम होगा कि इस सरकार के कारनामें मोहम्मद तुगलक की सरकार से भी बदतर है । मोहम्मद तुगलक की सरकार के कारनामें थे कि दौलताबाद से दिल्ली और दिल्ली से दौलताबाद । तो उसी तरह इस सरकार के कारनामें मैं पेश करना चाहता हूं । जैसे अभी मंत्रि मंडल का निर्णय था कि रीजन में जाकर कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। उसकी केवल एक मीटिंग झांसी में हो पायी । उसके बाद मीटिंग कार्यक्रम स्थगित हो गया । मेरठ की जो मीटिंग थी वह नहीं हो पायी उसका कारण मुख्यमंत्री की वीर बहादुर सिंह से झड़प हो जाने के कारण रद्द करना पड़ा । यह अखबार की बात है । श्रीमन्, प्रदेश के हालत सभी को मालूम है लेकिन कहते हैं कि प्रदेश बहुत खुशहाल हो रहा है । हिन्दुस्तान सर्वेक्षण का रिपोर्ट 1977-78 के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणजन गरीबी की रेखा से नीचे हैं और जो 30 प्रतिशत जनता है उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं है । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु की स्थिति और चिन्ताजनक ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की है और उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है लेकिन दोस्तों को अच्छी स्थिति नजर आ रही है । इसलिये यदि यह चेते नहीं तो यह भी हमारी तरह शिकार हो जायेंगे ।

श्रीमन्, आज मंत्री लोग अपने गले को झांक कर देखें कि आपका क्या प्रभाव है सरकारी मशीनरी पर । सरकारी मशीनरी पूरी तरह से आजाद है और आपका कोई अंकुश नहीं है । आपके बजट का 80 फीसदी उनकी जेब में जा रहा है । ईमानदारी से सोचें जितना बजट पास होता है वह ठीक से इस्तेमाल हो जायें तो प्रदेश खुशहाल हो सकता है लेकिन यह नौकरशाही आपको चलने नहीं

दे रही है। जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। इस अभिभाषण में प्रदेश में विकास की जो प्रगति है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है। माननीय सदस्यों ने जो विरोध पक्ष के हैं ज्यादा ध्यान हमारे दल, हमारी पार्टी पर या मंत्रिमंडल के पुनर्गठन पर दिया जब कि विरोध पक्ष का काम यह है कि वह सरकार द्वारा जो विकास के कार्यक्रम प्रतिपादित हों उनमें त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाये। लेकिन हो यह रहा है आज कि जो 70 विपक्ष के सदस्य हैं उनमें फूट पड़ रही है जिसके परिणाम स्वरूप कल चन्द्रजीत यादव तथा बनारसी दास को चौधरी साहब ने अपनी पार्टी लोकदल से निष्कासित कर दिया। हम पर आरोप लगाया जाता है कि हमारे मुख्य मंत्री जी भ्रष्ट मंत्रियों से घिरे हैं। शायद उनके यहां सब से ज्यादा ईमानदार थे चोटी के नेता थे जिनको चौधरी साहब निकाल रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर प्रदेश में विकास तथा प्रगति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने कहा कि गढ़मुक्तेश्वर के कालेज में पिछले 20 साल से आर0 एस0 एस0 की शाखा चलती थी जिसके प्रधानाचार्य महेन्द्र सिंह है। यह उनका बिलकुल भ्रामक प्रचार है। वहां कोई शाखा नहीं लगती थी। मैं उनको बतला दूं कि सेल्फ स्टाइल्ड लीडर उन्हीं के दल में हैं। एक शेर में कहना चाहूंगा :

ठोक सकते हैं ये लोग ईसा के बदन में कीलें,
ये लोग तो मंसूर को भी सूली पर चढ़ा सकते हैं।
मेरी तो औकात ही क्या है,
ये लोग तो गांधी को भी गोली से उड़ा सकते हैं।

विरोध पक्ष के लोगों ने कहा कि प्रदेश में किसानों, छात्रों में असंतोष है। मेरा अनुरोध है उनसे कि वह जरा अपने गिरेवां में झांककर देखें जब वे सत्ता में थे तो किसान से उनको कितनी हमदर्दी थी। किसान की हमदर्दी ने ही ढाई तीन रुपये कुन्टल गन्ना बिकवा दिया था जिससे प्रदेश का किसान त्राहि त्राहि करने लगा था। विपक्ष ने कहा था कि प्रदेश का किसान गन्ना मिल गेट पर गन्ना नहीं ले जायगा और गन्ना किसान हड़ताल करेंगे, लेकिन वह विफल हो गयी। किसान गन्ना देता रहा क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने उनको 23 रुपये कुन्टल गन्ने का भाव दिलवाया। विपक्ष का काम केवल किसान को गुमराह करना रह गया है जब कि उनकी सरकार ने किसान की प्रगति को 20 साल पीछे ढकेल दिया था और आज इन्द्रा गांधी तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने गन्ने का भाव 45 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके उनको राहत की सांस दिलाई है। राम आसरे वर्मा जी ने कहा कि मजदूरों में असंतोष है।

(समय 3 बजे अपराह्न)

मोदी नगर कपड़ा मिल के 15 हजार मजदूर क्यू में खड़े हुये थे जिनको केवल मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने ही बचाया। उन्हें बचाया ही नहीं, उनको उनकी फैक्ट्री के अन्दर भी पहुंचाया और सारी सुविधायें दिलायीं। यह हमारे मुख्य मंत्री जी की ही तस्वीर है। उन जैसा देवता आदमी आपको कहां मिलेगा। एक आपके मुख्य मंत्री जी थे चौधरी चरण सिंह जी उन्होंने मजदूरों को भट्ठी में जला दिया था। हमारे मुख्य मंत्री जी को गरीबों से दिली

[श्री दामोदर शर्मा]

हमदर्दी है । और मान्यवर, हरिजनों पर अत्याचार की बात पर जोरों से हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा । एक हरिजन महिला जिसकी रिपोर्ट में खुद लिखवाने गया था थाने में वहीं श्री राम नरेश यादव मुख्य मंत्री एक पुस्तक के विमोचन के सिलसिले में गये हुये थे या किसी पत्रिका का विमोचन करने गये थे तो मैंने कहा कि इस हरिजन महिला पर अत्याचार हुआ है, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने में आया हूं । तो मुख्य मंत्री जी ने कहा पत्रिका का विमोचन करने आया हूं । यह उस समय के मुख्य मंत्री की तस्वीर है ।

आज बड़े हर्ष के साथ में इस अभिभाषण पर जो चीनी मिल मजदूर के वेतन को बढ़ाया उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और इतना ही ग्राम्य विकास के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितना ध्यान हमारे मुख्य मंत्री जी को है, मजदूरों की, ग्रामीण जनता के विकास का ध्यान हमारे मुख्य मंत्री जी को है उतना आपके शासन में कभी नहीं हुआ । दूसरी बात खाण्डसारी उद्योग में लगे हुए मजदूरों की है ।

(व्यवधान)

(श्री लल्लू सिंह चौहान के खड़े होने पर) ।

अधिष्ठाता—

चौहान साहब कृपया आप बैठें, श्री दामोदर शर्मा जी बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप लोग बैठें ।

श्री दामोदर शर्मा—

यह हालत थी उस समय प्रशासन में । इन्सपेक्टर डी0 आई0 जी0 पुलिस का ट्रान्सफर करा देता था, यह प्रशासन की हालत थी आपके ढ़ाई साल के प्रशासन में । मान्यवर, इन शब्दों के साथ में श्री विमल प्रसाद तिवारी द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री लल्लू सिंह चौहान, केवल 7 मिनट आपके लिए है ।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के विरोध में जो विरोधी पक्ष के नेताओं ने संशोधन रखे हैं, उनके समर्थन में बोलने का मौका दिया । मान्यवर, आप सब जानते हैं, यह माननीय सदन जानता है कि मैं एक देहाती क्षेत्र से आता हूं । माननीय राज्यपाल ने एक भी शब्द इस बात के लिए नहीं कहा, कोई खेद प्रकट नहीं किया, कोई चेतावनी अपने शासन, प्रशासन को नहीं दी कि सारे प्रदेश में पुलिस अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व से विमुख है । अब पुलिस में कोई उत्तरदायित्व नहीं रह गया है । किसी प्रकार का भी कोई शासन शान्ति, व्यवस्था, कानून-व्यवस्था कतई नहीं रह गयी है । जहां उन्होंने पुलिस

की तमाम बातों की सराहना की है, वहीं एक बात और जोड़ देते कि अभी शान्ति और व्यवस्था की स्थिति में वांछित सुधार नहीं हो पाया है तो कम से कम थोड़ी तसल्ली हो जाती ।

मान्यवर, मेरे जिले मैनपुरी की पिछली बार भी बात यहां सदन में आयी थी कि हरिजनों "का कत्ले आम किया गया और

(शेम–शेम की आवाजें)

यह ओछा थाने का जिक्र है जहां कत्ले आम हुआ और उसी ओछा थाने जिसमें खेरिया में बचान सिंह के परिवार को मार डाला । भून डाला, जला डाला । एक आदमी, जिसकी उम्र 40 साल और तीन उसके भतीजे एक की उम्र 18 साल, एक की 16 और एक की 14 साल । एक कमरे में बन्द करके, डकैतों ने आग लगाई । डकैत चार घन्टे तक उस गांव में रहे । ढाई किलोमीटर पर औछा थाना है पुलिस चौकी मधन एक कि0 मीटर पर है । चार घन्टे तक डकैत गोला बारी करते रहे लेकिन पुलिस का कहीं पता नहीं । मैं कहना चाहता हूं कि यह बचान सिंह एक समाजसेवी कार्यकर्ता था । सारे इलाके में इसकी सोहरत थी । पंचायत में गांव वालों द्वारा बुलाया जाता था । अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था, नेकनियती के लिए मशहूर था । चार बीघा जमीन से अपने परिवार का गुजारा करता था । अब उसकी 38 साल की विधवा पत्नी है और दो साल का एक मासूम बच्चा उसके गोद में है । अभी 4–5 रोज पहले मैं इस गांव में गया । मुझ से वह विधवा महिला रोती हुई मिली । वहां न कलेक्टर गया, न एस0 पी0 और न डी0 आई0 जी0 । आप घोषणा यह करते हैं कि इस प्रकार के जो जरूरतमन्द लोग होते हैं उनकी सहायता करते हैं, मकान बनाने की सुविधा, अनुदान की सुविधा देते हैं । अपने जिले मैनपुरी की जानकारी दूं तो आप का सिर शर्म से झुक जायगा । माननीय सदन से मैं कहना चाहता हूं कि 10–10 रुपया गृह अनुदान दिया गया जिसमें एक बांस की बल्ली भी नहीं आती । माननीय राजस्व मंत्री प्रातःकाल कह रहे थे कि अनुदान थोड़ा दिया गया । उनकी मंशा मकान बनाने को नहीं है लेकिन कुछ रोटी दाल का इन्तजाम करना है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजारों आदमियों को 50 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये तब दिये गये जब पांच रुपये के नान जूडिशियल स्टाम्प पर लिखा लिया गया कि आप उसी काम में लगायेंगे जिस काम के लिए मिल रहा है । तो यह है अनुदान की स्थिति । मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण यथार्थता से और वास्तविकता से दूर हट कर तैयार किया.. ।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य बहुत बोलने वाले हैं इसलिए पांच से सात मिनट तक बोलें तो सब को मौका मिल जायगा ।

(किसी ने आपत्ति नहीं की)

श्री लल्लू सिंह चौहान––

मान्यवर, जिन तथ्यों पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं शासन को चाहिए कि उन पर विचार करे और ऐसे जरूरतमन्द परिवार को ऐसी सहायता दे, जिससे उस परिवार का पोषण हो सके । बचान सिंह की विधवा

[श्री लल्लू सिंह चौहान--]

पत्नी को पेन्शन दी जाय । उसे दस हजार रुपये का मुआवजा दिया जाय । उसका पति मरा है और तीन भतीजे मरे हैं ।

अभिभाषण में हरिजनों की हमदर्दी की बात कही गई है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी आदमी ऐसा पुलिस थाने में नहीं ले जाया गया है, जिसने हरिजनों की जमीन पर कब्जा कर रखा है । उत्तर प्रदेश में एक भी मिसाल अगर आप दे दें तो मैं अपना कथन वापस ले लूं । दूसरी तरफ हरिजनों के हितों के लिए कानून बनाया गया कि 3 1/8 एकड़ से कम जमीन जिस हरिजन के पास होगी, वह उसे बेच नहीं सकेगा । इससे तो और हानि होगी । हमारे यहां का एक आदमी जिसकी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, गांव छोड़कर शहर जाना चाहता है । उसे भी जमीन बेचने की इजाजत नहीं दे रहे हैं । 3 1/8 एकड़ से कम जमीन उसके पास है । शहर में जमीन लेना चाहता है । ऐसे मामलों में आपको विचार करना चाहिए ।

शिक्षा के बारे में यह कहना चाहता हूं कि मैनपुरी जिला हेडक्वार्टर है । विज्ञान के महाविद्यालय की बात हम बहुत दिनों से उठा रहे हैं । मुख्य मन्त्री जी को पत्र दिए हैं । शिक्षा मन्त्री जी को पत्र दिए हैं । मैं चाहता हूं कि जिला केन्द्र होने के नाते वहां साइन्स का कालेज जरूर होना चाहिए ।

एक बात आपकी जानकारी के लिए और कह दूं । हरिजनों के हित की आप बात करते हैं । जितनी शराब की दूकानें हैं वे हरिजनों के मुहल्लों के नजदीक क्यों हैं । उन्हें शराब से बचाना चाहते हैं, शराब पीना छुड़ाना चाहते हैं तो ऐसे आदेश दीजिए कि हरिजनों की बस्तियों में शराब की दूकानें खोलना ठीक नहीं है । शराब की दुकानें हरिजन बस्तियों से दूर खोलने के आदेश दिए जायं । सामन्त वर्ग के लोग अपनी गन्दगी हरिजन बस्तियों में ले जाते हैं और उनके साथ हर तरह का अनाचार और दुराचार करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है । आप कृपया बैठें ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

अन्त में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब तक मैनपुरी में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया जायेगा तब तक ला एन्ड आर्डर की समस्या हल नहीं होगी । इसलिए वहां पर बड़े उद्योग स्थापित किए जायं ।

श्री सतीश अजमानी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव जो कि हमारे श्री विमल तिवारी जी लाये हैं, के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया है । आज तीन दिन से दोनों तरफ से बातें सुनी जा रही हैं कि क्या-क्या कहा जा रहा है । माननीय मोहन सिंह जी जब बोल रहे थे तो ऐसा आभास होता था कि जैसे हार जाने के बाद सब ऋषी-मुनी यहां से उठकर विरोध में चले गए हैं और कोई भी अच्छा काम आजतक इस कांग्रेस शासन ने किया ही नहीं । अकसर कहा जाता है कि विरोधी दल रचनात्मक सहयोग और सुझाव देंगे । कोई भी ऐसी बात शायद शासक दल नहीं कर पाया, जिससे विरोधी दल के सहयोग की अपेक्षा की गई है । मोहन सिंह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक राजा की कहानी

सुनाई थी । मुझे भी उस समय एक बचपन की बात याद आ गई कि जब कोई खिलाड़ी खेल में हार जाया करता है तो वह इस तरह की बात करता है कि जिससे दूसरा खिलाड़ी भी न खेल पाये वह कहता है कि न मैं खेलूंगा और न खेलने दूंगा । इस तरह का उनका काम है जो वह चाहते हैं कि न हमने कोई अच्छा काम किया है न हम कभी आप लोगों को करने देंगे । भाई रियासत जी ने पिछले बजट सत्र में एक बात कही थी और उसका जवाब मैं नहीं दे पाया था । इस वक्त देना चाहता हूं । उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि उत्तर प्रदेश के यह पहले मुख्य मन्त्री हैं जो कि बहुत ही कमजोर हो गए हैं । मैं उनकी बात को मानता हूं । उनका अन्दाजा लगाने का तौर-तरीका बहुत बढ़िया है । लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कमजोर क्यों हो गए हैं । वे कमजोर इसलिए हो गए हैं, क्योंकि आपके द्वारा शासन में विरासत में जो हमको बुराइयां मिलीं, उन्हीं के चिंतन में वे रात दिन लगे रहते हैं और इसलिए कमजोर हो गए हैं । इस तरीके से 3 साल के अन्दर जो आपके शासन ने गन्दगी फैलाई थी, प्रदेश को बरबाद कर दिया था, उस बरबादी की सफाई करने के चिंतन में अगर कोई असली मुख्य मन्त्री होगा, जिसको की गरीब जनता की फिक्र होगी तो वह निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा । दूसरी बात उन्होंने अपने भाषण में जो कल कही, वह उन्होंने मुरादाबाद के बारे में उठाई । ऐसा लगता है कि मुरादाबाद का सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं को है और उन्होंने मुरादाबाद के बारे में ही कहकर अपना सारा समय बिताया ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

जब आपकी नजर मुरादाबाद के बारे में नहीं गई तो आपको क्या फिक्र है ।

श्री सतीश अजमानी--

वे इस बात को भूल गए कि 13 महीने तक लगातार अलीगढ़ में मुसलमान भाइयों के ऊपर अत्याचार होता रहा, उस समय वे कहां थे, उस समय वे घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे थे । मैं कहता हूं कि जितना जोर माननीय मोहन सिंह और माननीय रियासत भाई अपना भाषण देने में लगाते हैं कि उनके पसीना आ जाता है यदि उतना जोश और जोर का 1/4 हिस्सा भी वे मुरादाबाद में अमन-चैन लाने में लगाते तो न मालूम वहां की कितनी ही माताओं की गोद सूनी न हो गई होती । वे यह बातें केवल इस विधान सभा में ही बोलते हैं । मुरादाबाद के बारे में कुछ करते तो हमें खुशी होती ।

आज मुरादाबाद में अमन-चैन आया है । वह सोचते थे कि लखनऊ में क्यों कत्लेआम नहीं हुआ, क्यों चोरियां और डकैतियां नहीं हुई । विरोधीदल के नेता तमाम अखबारों की कटिंग ले आये, लेकिन वह इस बात को नहीं जानते कि 1977 में जो उन्होंने विरासत में हमको दिया, उसको हम भुगत रहे हैं, आजादी के नाम पर उन्होंने चोरों को चोरी करने की आजादी दे दी, डकैतों को डकैती का हक दे दिया, कत्ल करने वालों को कत्ल करने की आजादी दे दी तो उसी की वजह से आज हम परेशान हैं, जिसको आज हम ठीक कर रहे हैं और और ठीक करके ही हम रहेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्री धनीराम वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। यह सत्ता पक्ष जो अपने को किसान का हमदर्द कहता है, उसने किसानों के खून को चूस लिया है, उस पर मांस नहीं रह गया है केवल हड्डी मात्र रह गई है और ऐसा लगता है कि वह भी उसके शरीर पर रहने वाली नहीं है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में किसान का बच्चा जो पढ़ने आता है, उससे अब शुल्क मांगा जा रहा है तो अब कौन सी फसल आ गई है जो किसान अपने बच्चे को फरवरी और मार्च में शुल्क अदा करे। इसका मतलब यह हुआ कि किसान का बच्चा पढ़ न पाए, यह आप चाहते हैं। इतना ही नहीं आप देखेंगे कि इस सरकार ने किसान के खाद और डीजल के दाम बढ़ा दिए। किसान के गेहूं की कीमत बुआई से पहले निर्धारित न करके उसका बहुत बड़ा नुकसान किया है।

मान्यवर, जहां तक प्रश्न है आपके विद्युत् उत्पादन का आप हमेशा अखबारों में निकालते हैं कि विद्युत् उत्पादन बढ़ा है, लेकिन हम देखते हैं कि किसान को आज भी ट्यूबवेल के लिए बिजली नियमित रूप से नहीं मिलती है जब कि रोज आप कहते हैं कि हमारा विद्युत् उत्पादन बढ़ रहा है। झूठी अखबार बाजी यह करते हैं, शासक दल के लोग झूठी प्रशंसा करते हैं। मेरी अभी सिंचाई अभियन्ता से बात हुई तो वह कहते हैं कि इस वक्त नहरों में पानी कम मिलने का कारण यह है कि कालागढ़-डैम में पानी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस साल इतनी भयंकर बाढ़ आई और आप कहते हैं कि कालागढ़ डैम में पानी नहीं है। इसमें सत्यता यह है कि उन अधिकारियों ने कालागढ़ डैम का पानी उस समय बहा दिया जब कि सारा प्रदेश बाढ़ से तबाह हो रहा था, लेकिन वह कहते हैं कि उस क्षेत्र में पानी नहीं बरसा है। इन परिस्थितियों में सत्ता पक्ष के लोग शासन व्यवस्था की प्रशंसा कर रहे हैं।

मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को और त्रिपाठी जी को, कि हमारे इटावा से औरैया, दानपुर और सिकन्दराऊ के इलाके में 5, 6 टोलियां डकैतों की पड़ी हुई हैं, जिनकी संख्या 70, 20, 30, और 40-40 की है। मैंने एस० पी० महोदय से कहा कि रोज पकड़ होती है। और फिर रुपया लेकर छोड़ दिया जाता है। तो वह कहते हैं कि हमने प्रयास किया है कि छोटे डकैतों को संरक्षण देकर बड़े डकैतों का उन्मूलन उनके माध्यम से किया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज छोटे-छोटे डकैत आजादी से तबाही कर रहे हैं। अभी हाल ही में औरैया में अजीतमल में लाखों रुपये की तबाही की लेकिन शासन का उस ओर जरा भी ध्यान नहीं जाता है। हम चाहते हैं कि उस चम्बल इलाके को, बीहड़ के इलाके को समतल करायें, जिससे डाकुओं की भीषण समस्या हमेशा-हमेशा के लिए हल हो जाए। लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा मैं कहना चाहूं कि यह सरकार अपने को किसानों का एकमात्र हमदर्द घोषित करती है, लेकिन उसने हमारे जनपद इटावा में किसानों के बच्चों की शिक्षा के लिए केवल 3 प्राइमरी स्कूल खोले हैं और एक जूनियर हाई स्कूल। स्कूलों की इस कमी से उनमें शिक्षा का प्रसार कैसे हो सकेगा और कैसे उनका विकास और कल्याण हो सकेगा? पिछले समय में पिछली सरकार ने 50-60 स्कूल बराबर जनपद इटावा में खोले हैं, लेकिन इस सरकार ने केवल वहां तीन स्कूल खोलने की घोषणा की है और अभी केवल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घोषणा की है खोले एक भी नहीं है। हमारे जनपद में हत्यायें भी काफी हो रही हैं, उनपर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं रह गया है। केवल जसवन्तनगर क्षेत्र में ही 15–16 हत्यायें सत्तापक्ष के लोग अपने विरोधियों की करा चुके हैं और वहां के जो यहां पर एक मन्त्री हैं, उनकी छत्रछाया में ये हत्यारे पल रहे हैं, उनकी शह पर वे हत्याएं कर रहे हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इन हत्याओं की विधिवत जांच कराई जाए। इतना ही नहीं, वहां के लिए जो अहेतुक सहायता या बाढ़ सहायता दी गई है, वह वहां पर निहायत पक्षपात पूर्ण ढ़ंग से दी गई है ....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठ जाइये, मैं कह रहा हूं, अब मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री धनी राम वर्मा--

मैं अंत में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गोरे लाल शाक्य--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और अपने विपक्षी साथियों को अपनी बुद्धि के अनुसार नेकनियती से सुझाव देना चाहता हूं कि एक जौहरी ही हीरे-जवाहरात की परख कर सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण में जो आम आदमी और हरिजनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लिखी गई हैं, वह उनकी समझ में नहीं आ सकती हैं। क्योंकि यह सारे के सारे लोग, हमारे समाजवादी लोगों को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं। इसीलिए शोषण को मिटाने की कोई बात उनको पसन्द नहीं है और वह उसका विरोध करते हैं। अभी जो सरकार ने असामाजिक तत्व निवारक बिल वापस लिया है, उससे यह लोग कितने खुश हुए, यह समझने की बात है। यदि यह असामाजिक तत्व निवारण विधेयक पास कर देते तो ये लोग नाराज होते। मैं तो कहता हूं कि सरकार ने इसको वापस लेकर गल्ती की है। सरकार को इस हथियार को अपने पास जरूर रखना चाहिए था।

मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ही वह संस्था है जिसने हरिजनों में चेतना पैदा की है और उन्हें अन्याय और अत्याचार से लड़ने की प्रेरणा दी है। उसी प्रेरणा से वह अपने शोषकों से लड़ रहे हैं और उसी में मारे भी जाते हैं। अभी हमारे विपक्षी सदस्यों ने गुन्डा तत्वों को आर्म्स दिये जाने की एक बात कही थी, उस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अकेले हमारे इटावा जनपद में थर्टी-कारबाइन के जो लायसेंस दिये गये हैं वह पूरे हिन्दुस्तान के 80 प्रतिशत इटावा में दिये गये हैं। और इनमें से 70 परसेंट लाइसेंस जनता शासन काल में दिये गये हैं। यह कांग्रेस शासन में ला ऐण्ड आर्डर की स्थिति की बात करते हैं, लेकिन यह सब पिछली सरकार ने ही बिगाड़ा है, मैं जनता शासन में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में हुए अपराधों की उतनी भारी संख्या को गिना सकता हूं जितने विरोधी दल के सदस्यों ने पूरे प्रदेश में गिनाया है। अब मैं विरोधीदल के नेता से कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि बसों का किराया बढ़ा दिया गया है दूसरे तरफ कहा कि महंगाई बढ़ा दी गई है। तो एक तरफ कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ कहते हैं कि भाड़ा बढ़ा दिया है। यदि हम ईमानदार हैं तो

[श्री गोरे लाल शाक्य--]

एक कमेटी में बैठकर महंगाई को रोकने के ऊपर विचार कर ले। दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, महंगाई कम करना है तो उत्पादन बढ़ाना होगा। भाड़े में वृद्धि होकर हो सकता है। अन्य टैक्सों के द्वारा हो सकता है तभी महंगाई कम हो सकती है वरना महंगाई कम नहीं हो सकती है टैक्स वसूल करके जनता शासन काल के दौरान एक बात और कहना चाहता हूं, उसका उदाहरण दे सकता हूं, मंत्री का नाम बता सकता हूं, मंत्री की कार में डाकू बैठकर चलता था, उसके माध्यम से मंत्री ने लाखों रुपया कमाया। मा० रियासत हुसेन जी अभी बैठे थे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ और मुरादाबाद में स्वयं गया और वहां की घटनाओं को देखा। वहां पर हमारी सरकार को और पुलिस को किन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है, मैं उसकी मिसाल दे सकता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस को प्राइवेट लोगों के घरों में शेल्टर लेना पड़ा हो। आप इसका समर्थन नहीं करते हैं लेकिन यह हकीकत है कि पुलिस को प्राइवेट लोगों के यहां शेल्टर लेना पड़ा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ, आप कृपा करके बैठें।

*श्री धरमपाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरुद्ध प्रस्तुत संशोधन के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सारे विचारों को सुनने के बाद, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विरोध पक्ष के हों, मेरा यह कहना है कि मौजूदा सरकार एक निकम्मी सरकार है। मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा हैं, ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं निष्ठावान हैं, देखने में सुन्दर हैं, इसके अलावा उनमें प्रशासन चलाने की क्षमता नहीं है। मान्यवर, यह तो ऐसा हुआ कि जैसे किसी नवयुवती का विवाह देखने में सुन्दर लेकिन नपुंसक युवक से कर दिया गया हो।

मान्यवर, प्रदेश की सरकार को देखने से ऐसा लगता है कि इस सरकार का गठन ही व्यभिचारियों के लिए भ्रष्टाचारियों के लिए या व्यापारियों के लिए किया गया है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अखबार कहते हैं, पत्रिकायें कहती हैं कि मंत्री तक भ्रष्ट हैं। एक पत्रिका मेरे हाथ में है उसमें मुख्य मंत्री के मंत्रि-मण्डल के 9 रत्नों में से 7 रत्नों की तस्वीर छपी है। शासक दल में साहस हो तो इस पत्रिका को झूठा साबित करे। पहला आरोप विद्युत मन्त्री जी के ऊपर है। उन्होंने अपने एक चहेते के लड़के को चेयरमैन नियुक्त करवा दिया। क्या अधिकार था आपको अपने चहेते के लड़के को नियुक्त करने का। इसी में आगे 20,000 रु० लेने का आरोप है। इसी पत्रिका के एक और पन्ने में नं० 2 पर वीर बहादुर सिंह का चित्र है। उसके आगे एक पन्ना है जिसमें श्री बलराम सिंह यादव का चित्र है जो कि डकैतों को संरक्षण दिया करते हैं। इसके आगे इसमें यशपाल सिंह का जिक्र है जिसमें उनकी हसीन कहानी छपी हुयी है कि वे सुरा और सुन्दरी में लिप्त थे। जिस प्रदेश में पूरा सरकारी अमला या जिसको हम सरकार कहते हैं ऐसा हो जो अनैतिकता के कार्य में लिप्त हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, व्यभिचार में लिप्त हो, प्रदेश की गाढ़ी कमाई लूटने में लिप्त हो तो उस सरकार से क्या आशा की जा सकती है।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक ला एण्ड आर्डर की बात है कहा जाता है कि ठीक हो गया लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आज सत्ता पक्ष में कितने विधायक हैं जो बिना शैडो के हैं। यह है आपके ला एंड आर्डर की व्यवस्था।

महंगाई की क्या स्थिति है। आज पंजाब में 150 रुपये प्रति क्विन्टल गेहूं मिल रहा है और वही गेहूं जो हमारे गरीब किसानों से यहां पर 105 और 110 रुपये प्रति क्विन्टल में खरीदा गया था षड़यंत्र करके वही गेहूं आज 225 रुपये प्रति क्विन्टल में बिक रहा है।

यहां सदन में गन्ने के दाम की बड़ी दुहाई दी जा रही है कि गन्ने का दाम 23 रुपये प्रति क्विन्टल दिलाया जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने अर्थ शास्त्र पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लें। जितने रुपये मन शूगर का दाम उतने आने मन गन्ने का दाम होना चाहिये। इस प्रकार से गन्ने का दाम कम से कम 37-38 रुपये प्रति क्विन्टल होना चाहिये। आप किसी अर्थशास्त्री को बुला लें वह आपको आंकड़े समझा देगा और अगर मेरा कहना सही हो तो आप फिर से विधान सभा भंग करके नये चुनाव कराइये।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती महारानी दोहरे—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। आज 30 जनवरी है। मैं आज अपनी बात इस सदन में रखने के पूर्व पूज्य बापू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाई मोहन सिंह जी से निवेदन करना चाहती हूं कि उनकी ओर से आज गांधी जी और हरिजनों का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अगर आप हमारे संविधान को देखें तो उसमें "हरिजन" शब्द कहीं भी नहीं लिखा गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सभी माननीय सदस्य कि उन्हें अनुसूचित जाति के नाम से संबोधित करने की कृपा करें। अगर आप सन् 1977 से 1980 के बीच का इतिहास उठाकर देखें तो पायेंगे कि अनुसूचित वर्ग उस समय की सरकारों को कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि सीमित और संकुचित दायरे में रहकर जो उनकी स्थिति रही, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वह भुलाया नहीं जा सकता है। जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, विरोध पक्ष का विरोध करना बुरा नहीं होता है, विरोध होना ही चाहिये, लेकिन वह स्वच्छ और रचनात्मक होना चाहिए।

जिस प्रकार से इस देश में शान्ति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है उतना ही विरोध पक्ष की भी होनी चाहिये। यदि आप वास्तव में महिलाओं के बारे में कुछ करना चाहते, तो मैं नारायणपुर कांड की बात तो नहीं कहूंगी लेकिन इटावा में जादवपुर में 14 अनुसूचितों को एक साथ जलाया गया और आपके तत्कालीन सम्मानित मंत्री द्वारा एक षडयंत्र रचाया गया। पी0 डब्लू0 डी0 के बंगले में डकैतों को रखा गया। इटावा का अनुसूचित वर्ग आपको कभी माफ नहीं करेगा। 14 अनुसूचितों को एक साथ जमुना जी के किनारे जला दिया गया था। मैं सन् 1977 के विरोध पक्ष को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने सोये हुये हरिजनों को जगाया था, उनको सजग किया था। आज सवाल श्रीमती इन्दिरा गांधी का या कांग्रेस पार्टी का नहीं है, सवाल देश की एकता का है

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

आपने स्वयं कहा था कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये, और आप स्वयं अपने भाषण में बार-बार हरिजन शब्द इस्तेमाल कर रही हैं।

(हंसी व्यवधान)

श्रीमती महारानी दोहरे--

देश की राष्ट्रीय एकता के खिलाफ आज जो अराजक तत्व हैं, जो विरोध पक्ष में हैं, उनको समझना चाहिये कि आज किस तरह इस देश को ऊपर उठाना है। इस देश प्रदेश और समाज को ऊपर उठाने के लिए ही इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कई बातें कही गयी हैं, कई कार्यक्रमों को चलाने की बात कही गयी है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिये। इस अभिभाषण में कई अच्छे कार्यक्रम चलाये जाने की बात है। "जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर परायी", वाली बात आज है। अगर आप गरीबों का दुख और दर्द समझते और जानते तो कभी ऐसी बातें न कहते, जो यहां कहते हैं। इस अभिभाषण में जो एकीकरण की योजना की बात है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात है, भूमिहीनों को भूमि दिये जाने की बात है, अनुसूचित वर्ग को ऊपर उठाने की बात है, उनके हितों की बात है, श्रमिकों के हित की जो योजना है, मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी की जो बात है, यह सभी बातें प्रदेश को आगे ले जाने वाली हैं। इनका स्वागत किया जाना चाहिये। यदि आपका केवल यही काम है कि हम किसी तरह से श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके कार्यक्रमों को असफल करें, तो यह समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज दबा हुआ शोषित समाज श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर जागा है, कांग्रेस के नाम पर जागा है। हमारे यहां एक महिला सम्मेलन हुआ था। उसमें एक गरीब अनुसूचित महिला जो काफी बुजुर्ग थी स्टेज पर आयी और हमारे अध्यक्ष से बोली कि हम गरीब हैं, आज तक हमें कुछ नहीं मिला, मिलना भी नहीं है, हम दबे हुये हैं, लेकिन फिर भी हम इन्दिरा गांधी को उठायेंगे, उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम हरिजन हर तरह से उनके साथ हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नौटियाल जी, आपको 5 मिनट मिलेंगे।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का आगे आने वाले वर्षों का दिग्दर्शन कराता है। मुझे यह कहते हुये अत्यन्त दुख है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिन-जिन बातों का जिक्र किया है, काश वे उन बातों को अच्छी तरह से समझते। उन्होंने उसमें अपनी सरकार की ही प्रशंसा की है। उसमें उन्होंने पिछले 6-7 महीनों में जिन बातों की चर्चा की है उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंहगाई के बारे में उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने उस पर काबू पा लिया है। मान्यवर, इन पिछले 7-8 महीनों के अन्दर 5 गुना मंहगाई बढ़ी है। साम्प्रदायिकता का जहां तक प्रश्न है, वह भी नित्य नये अखबारों में छपने वाली खबरें स्वयं इसका प्रत्यक्षदर्शी कार्य कर रही हैं। इस तरह कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जो कि इन 5-6 महीनों के भीतर करके दिखाया हो और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने प्रसंशा ऐसी की जैसे उन्होंने स्वयं नीति निर्धारित करने का कार्य किया। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सीधे-सरीखे गवर्नर इस प्रदेश के राज्यपाल हैं, आज तक कहीं भी एक उदाहरण नहीं होगा जहां स्वयं राज्यपाल अध्यक्ष अपने को चुना हो। मान्यवर, यही श्री सी० पी० एन० सिंह, स्वयं बद्रीनाथ, केदारनाथ के अध्यक्ष अपने को चुन लिये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय डाक्टर साहब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर ही बोले।

डाक्टर शिवा नन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैं उसी अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप अभिभाषण पर नहीं बोल रहे हैं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में न तो किसानों की बात की, न छात्रों की, न अल्पसंख्यकों की बात की और न कोई ठोस सुझाव की बात की और यह कहा गया कि हम सुगम रास्ते बनायेंगे। हमारे उत्तराखण्ड हेलेन चोटी पर साढ़े 5 रुपये किलो नमक मिल रहा है और राशन बिलकुल बन्द हो गया है, न गेहूं मिल रहा है और न चावल मिल रहा है, सड़क की बात कर रहे हैं कि हम सड़क बनायेंगे।

श्री मुईद अहमद--

नौटियाल साहब आप इधर से भेजे गये हैं, इतनी शख्त बात क्यों कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण इस प्रकार का नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही हो, तो उस समय उनकी जिन्दगी के बारे में कोई सदस्य कुछ कह सकता है ?

श्री अधिष्ठाता--

नहीं कह सकता है। मैंने उनको टोक दिया है कि वह उनके आचरण पर न बोलें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आगे आने वाली नीतियों का निर्देशन होता है। मान्यवर, उस पर कहने के लिए हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है।

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--]

माननीय सदस्यों के लिए स्वतंत्रता है । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत रोना रोया गया है । इस बजट में यह कहा गया है कि साढ़े 62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायगा, जब कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए 568 करोड़ रुपया है । लेकिन 570 करोड़ का तो बजट हमारे पर्वतीय क्षेत्र का होना ही चाहिए था । मान्यवर, 570 करोड़ रुपये के बजट में केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित हो गयी, तो हमारा बजट बहुत ही शून्य जा रहा है । मान्यवर, अगर इस प्रकार का अदूरदर्शी अभिभाषण जो राज्यपाल महोदय ने दिया है, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, जो बजट आज प्रस्तुत होने वाला है । मैं प्रदेश की जनता की ओर से उस बजट का घोर विरोध करता हूं और अपने साथी की ओर से जो प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय तिवारी जी के धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलने की आज्ञा दी । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण शासक दल की नीतियों का द्योतक और आइना होता है । माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आज की सामान्य, सामयिक और जो सार्वभौमिक चीजें थीं, उन सभी पर सरकार ध्यान आकर्षित किया है । माननीय राज्यपाल ने एक तरफ हरिजनों, गुरुजनों और अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के हल खोजने के सम्बन्ध में अनुसंधान किया है कि किस तरह से हल करेंगे और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रदेश में कैसे स्वच्छ प्रशासन हो । कैसे चीजों का अच्छा वितरण हो और जो सबसे गरीब और पिछड़ा तबका है, उसे कैसे न्याय मिले । इसलिए, मान्यवर, मैं माननीय राज्यपाल महोदय को इसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, हम जानते हैं कि देश की कोटि-कोटि जनता ने इन्दिरा जी में आस्था व्यक्त की है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय सरकार की ओर से कोई मंत्री नहीं है । अतः मुझे मजबूर होकर हाउस को एडजार्न करना पड़ेगा ।

श्री राजकुमार राय--

हमें वर्तमान को ठीक करना तो भूतकाल की गलतियों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा । हमारे कांग्रेस के लोगों ने आज माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह पर आस्था व्यक्त की है ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी तक कोई मंत्री नहीं आया । कृपया किसी भी मंत्री को जल्दी बुलाइये ।

(संसदीय कार्य मंत्री आ गये)

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, पिछले 3 वर्षों में इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट और चौपट हो गई थी । उसे ठीक करने का हमारे ऊपर दायित्व था ।

हम जानते हैं कि हमें लम्बा अनुभव है। जनता की सेवा में हमारी पार्टी ने 100 वर्ष बिताये हैं। इसीलिए जनता ने कुशल और कारगर लोगों को नेतृत्व सौंपा है। लेकिन आपके अनुभवहीन लोगों को नेतृत्व देकर बिना समझ बूझे लोगों के जरिये इस प्रदेश में जो मुसीबत बुलाई थी, उस का नतीजा आज हो रहा है। सरकारी कर्मचारी तो एक चतुर घोड़ा की तरह होता है। सवार ठीक नहीं तो हिनहिना कर रह जाता है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से विरोधी पक्ष के लोगों से बताना चाहता हूं कि जब आप में ढंग नहीं था। तौर-तरीका नहीं था, अनुभव नहीं था, कोई काम करने की प्रणाली और शैली नहीं थी, तो बिलावजह जनता को गुमराह के लिए नहीं जाना था।

मंजिल कहां है, डगर जानती है,
कहां नीर कम है, लहर जानती है,
कहां मोतियां हैं, कहां सीपियां हैं,
तटों से न पूछें, भंवर जानती है।

तो कैसे शासन किया जाय इस बात को माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जानते हैं और कांग्रेस के लोग जानते हैं। इसलिए हम शासन को चलाना जान हैं। इसलिए इस देश की जनता ने हमको चुना है, श्रेय दिया है और सद्भाव दिया है। तो हमारे पास भी उनके लिए अच्छा दिल है और दिमाग है और हम उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम आपकी तरह से केवल छिन्द्रान्वेषण नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सदन के पटल पर चीजों का सही अन्वेषण हो। जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी कही जायं और जो बुरी चीजें हैं, बुरी कही जायं। अगर बिगड़ी नौकरशाही है, तो उसको कैसे ठीक किया जाय, इसके सुझाव भी दिये जायं। वरना आपके जमाने में 'ला ग्राइन्ड्स दी पूअर एण्ड रिचमैन ग्राइन्ड्स दी ला की स्थिति थी।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करने का मुझे मौका दिया। श्रीमन्, मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने का मौका मिला और इसके पहले भी पहले राज्यपाल के अभिभाषण पढ़े। लेकिन मान्यवर, इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन्होंने इसमें सिर्फ अपने सरकार की तारीफ किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें इन्होंने शासन और अनुशासन की बात कही है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं और तवाज्जह चाहता हूं। अम्मार रिजवी साहब का शासन है शेर है "अनुशासन गायब शासक यूं कमजोर हुए हैं, भागे, छिपे फिरते हैं उजेरे अंधेरे में कुछ यूं पुरजोर हुए हैं, बाढ़ सी आ गई जुल्म की है, अब जालिम यूं सहजोर हुए हैं, शाह तबाह हुए इस दौर में, चोर सभी शिरमौर हुए हैं।" इसमें कहा गया है कि खाद्यान्न की आपूर्ति व्यवस्था हम ठीक कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले महीने में सारे दुकानदारों ने चीनी का कोटा उठाया किन्तु एक छटांक चीनी कहीं पर नहीं वितरित की गई। यह इतने कमजोर हो गये हैं कि वह इनके खिलाफ कोर्ट में चले गये और इन्होंने इसकी वकालत भी नहीं किया। अब वह दूसरे महीने की भी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उनको डर है कि कहीं आपकी दूसरी व्यवस्था न हो जाय।

---

*उन्होंने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ--]

मान्यवर, यह उर्दू की बात करते हैं। अखबार के फ्रंट पेज में निकला कि उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा बनाया जायेगा सरकार की नीति है। जो मुख्य मंत्री जी कहते हैं जो नीति होती है वह अभिभाषण में होना चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उसको उर्दू की भाषा बनाया जाय और इसमें है कि उर्दू को तरक्की दी जायेगी। मान्यवर, मैं कहता हूं यहां हरिजनों की बात कही जाती है। मैं हरिजनों के अत्याचार का एक उदाहरण देना चाहता हूं मेरे जिले के परमात्मा सिंह जी हैं उन्हीं की कान्स्टीट्यूंसी में एक गांव है करमहियां, वहां पर हरिजनों पर अत्याचार हुआ। वहां के दरोगा ने उनके घरों को फुंकवा दिया, 2-3 बार हमले किए गये। लेकिन उनके खिलाफ 107/17 की कार्यवाही तक नहीं की गई और एस0 डी0 एम0 तक मौके पर नहीं गये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और एक शेर अर्ज करना चाहता हूं--

यह किसका हाथ है फिर काट क्यूं नहीं देते,
जो सारे शहर के शम्मे बुझाये देता है।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं यह माया में आया विद्युत मंत्री के मामले में। आज भी मेरी तहसील में उनके साथी गुन्डेगर्दी बढ़ा रहे हैं और अधिकारियों के सीने पर सवार होकर कहते हैं ऐसा होना चाहिए। मेरे जिले के सुखपाल पान्डे जो इस सदन के दो-दो बार सदस्य रह चुके हैं, सभी उनको जानते हैं, नर्वदेश्वर शुक्ला को एक दरोगा ने मारा और बेईज्जती किया था। मैं कहता हूं अगर सुखपाल पान्डे के लिए शासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया तो एक दिन कन्डोलेंस करनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं--

गर्दिशे अंत की ठोकर पर हैं मुहताज सभी,
चलती यार यूं हंसी ख्वाब सजाने वाले,
गर्दिश से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई दर्द,
बांट लो अत्याचार और दर्द जमाने वालों।

*श्री जंग बहादुर--

मान्यवर, श्री विमल प्रसाद तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 7-8 माह पूर्व इस प्रदेश की जनता ने इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, इनकी नीतियों तथा कांग्रेस की नीतियों के कारण, आस्था प्रकट की और इस प्रदेश में प्रबल बहुमत के आधार पर जिताया और इतना ही नहीं केन्द्र में भी कांग्रेस को बहुमत का समर्थन मिला और जिस समय यह सत्ता कांग्रेस के हाथ में आयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे मुख्य मंत्री चुने गये। इससे पूर्व यदि हम देखें, जिन परिस्थितियों में शासन सौंपा गया, क्या स्थिति थी। 9 विद्यार्थियों के आन्दोलन चल रहे थे, विश्वविद्यालयों में समय से परीक्षायें नहीं हो रही थीं, गाजियाबाद, मेरठ, फैजाबाद में मजदूरों पर गोलियां चलायी गयीं, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके पूर्व इस प्रदेश में सूखा पड़ा था और जैसे ही यह शासन आया एक दैवी विपदा आयी, तूफान आया। लेकिन हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस प्रदेश में राहत कार्य जितना भी सम्भव था किया और इस प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों को किसी को भूखों नहीं मरने दिया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं जौनपुर की बात कहता हूं। जैसे ही वहां पानी बढ़ना शुरू हुआ इस शासन ने 10 लाख रुपये जिलाधिकारी के पास भेज दिये और 8 करोड़ रुपये इस प्रदेश में खर्च किये गये और आज उनके घर को बनाने के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए शासन प्रयत्नशील है। जैसे ही नया शासन आया, पिछले शासन ने पंच-वर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था, नये ढंग से पंचवर्षीय योजना बनायी और केन्द्र सरकार की सहायता से 6.200 करोड़ की योजना बनी जिसमें निर्बल, हरिजन वर्ग के लोगों को ऊंचा उठाने की योजना बनी। इससे पूर्व जब कांग्रेस शासन था तो हरिजनों को बहुत बड़ी संख्या में भूमि आवंटित की गयी थी....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मंत्रिगण आपस में कृपया बात न करें।

श्री जंग बहादुर--

कागज पर उनके नाम दर्ज कर दिये गये लेकिन कब्जा नहीं दिया गया। इस शासन ने 50 हजार एकड़ भूमि पर लोगों को कब्जा दिलाया। इस शासन ने अध्यादेश जारी किया कि जो लोग अवैध रूप से कब्जा किये हैं उन पर जुर्माना किया जाये। तीन हजार रुपये जुर्माना और 3 वर्ष का कठोर दण्ड और कम से कम 3 माह की सजा देने का प्राविधान किया गया है। अभी विपक्ष के लोगों ने जो किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, क्या किया। इस शासन में जो हरिजन हैं, जो लघुकृषक हैं उनके लिए 80 करोड़ रुपये के उर्वरक की व्यवस्था की है और उनको उर्वरक दिया जा रहा है।

(समय 4 बजे अपराह्न)

श्री अधिष्ठाता--

श्री जंगबहादुर जी, आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री मशहर जाफरी--

मान्यवर, मैं मा0 नेता विरोधी दल द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं। महामहिम ने अपने भाषण में बाढ़ और सूखे से प्रदेश के किसानों की क्षति के कारण लगान और सरकारी कर्जे के माफ करने की कोई बात नहीं कही है और न उद्योगपतियों के करोड़ों रुपये के बकाये के वसूली की कोई बात कही है और न प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का ही उल्लेख किया है। उर्दू भाषा को प्रदेश की दूसरी भाषा घोषित करने की कोई बात नहीं कही गयी है। प्रदेश के अन्य पिछड़े जिलों में प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला गोंडा, जो प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है, उसको सम्मिलित करने की कोई बात नहीं कही गयी है और न जिला गोन्डा की सबसे पिछड़ी तहसील उतरौला में राजकीय महिला इन्टर कालेज और न राजकीय डिग्री कालेज के खोलने का कोई उल्लेख है, जब कि उतरौला तहसील को राप्ती के सैलाब से हर वर्ष तबाह व बर्बाद होना पड़ता है। न उस पर बांध बांधने की कोई बात कही गयी है और न किसानों को दूसरे मंडी में अपनी पैदा की हुयी वस्तुओं को ले जाने के लिये राप्ती के पिपराघाट पर पुल बांधने की कोई बात कही गयी है और न उतरौला की जितनी सड़कों पर पिछले कई वर्षों में मिट्टी का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मशरूर जाफरी]

काम हुआ है, उन पर खड़ंजा लगाने और पुलिया बनाने तथा जिन पर खड़ंजा हो गया है उनको पक्का करने की कोई बात कही गयी है ।

उतरौला तहसील में 24-1-1981 को ओला, पत्थर गिरने से सम्पूर्ण रबी की फसल की हानि हुई है उस पर लगान माफ करने तथा सरकारी कर्जा माफ करने की कोई बात नहीं कही गयी है और न उतरौला में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये उद्योग लगाने की कोई बात कही गयी है ।

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

उतरौला तहसील गोन्डा में राप्ती नदी के कटान के कारण हजारों किसान भूमिहीन हो गये हैं और उनकी भूमि डुमरियागंज तहसील में चली गयी है जैसे ग्राम महुआ घनी आदि और इससे पूर्व राप्ती के कटान के कारण तेरूयबपुर, पूरे पान्डे जोत आदि की भूमि, जो कट कर डुमरियागंज तहसील में चली गयी थी, वह वर्षों के बाद वापस आयी है । परन्तु सीमा का विवाद सरकार द्वारा न हल होने के कारण दो वर्षों से भूमि परती पड़ने के कारण हजारों किसान भुखमरी के शिकार हो गये हैं, उस विवाद को हल करने के लिये कोई उल्लेख नहीं किया गया है । बड़े दुख की बात है कि जिला गोन्डा प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है, जहां तीन चीनी मिलें थीं, अभी तक भी वहां चौथी चीनी मिल नहीं है । उद्योग बिजली की कमी के कारण चल नहीं पा रहे हैं ।

मेरी समझ में नहीं आता है कि जब बस्ती और बहराइच जिले का नाम पिछड़े जिलों में शामिल किया गया है तो गोन्डा जिले का क्यों नहीं शामिल किया है । जिला गोन्डा में एक तो वैसे ही उद्योगों की कमी है और दूसरे खाद का कारखाना भी वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि डर है कि मजदूर कहीं "इन्कलाब" का नारा न लगा दें । इसके अतिरिक्त मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट के बारे में महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कुछ नहीं कहा और बाकी 144 गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ से ले लिये गये हैं । अभी हाल ही में हमारे राज्य गृह मंत्री वहां गये थे तो मैंने यह बात उनसे कही थी । मान्यवर, यह सुनने में आ रहा है कि मनकापुर का फर्टीलाइजर का कारखाना इसलिये हटाया जा रहा कि कहीं मजदूर इंकलाब का नारा अगर मनकापुर में देंगे तो राजमहल जल जायगा । सुनने में आ रहा है कि वह कारखाना बहराइच जा रहा है । महामहिम राज्यपाल ने कहीं भी मंगल देव विशारद की रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया है जबकि राजा मनकापुर के यहां कुत्ते और बिल्लियों के नाम पर भूमि है । अगर यह जमीन निकाली जाय तो काफी लोगों को भूमि मिल सकती है । मान्यवर, अगर एक बात ही तो कहूं, मैं किन-किन बातों का तजकिरा करूं । हमारे जिले में हालत यह है कि हजारों मजदूर धान की कटाई के समय पंजाब और हरियाणा को चले जाते हैं । अगर हमारे जिले में उद्योग होते तो वह हमारे जिले में ही काम करते ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठे ।

श्री मशरूर जाफरी--

मान्यवर, जो हमारे दल के नेता ने अपना जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसका मैं जबरदस्त समर्थन करता हूं ।

*श्री हरदेव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुये महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो माननीय तिवारी जी द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं । माननीय अध्यक्ष जी मैं सत्ता पक्ष के और विरोध पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि इस सदन के प्रति हमारा, आपका सबका दायित्व है । अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सदन में सबका बराबर दायित्व है, आपको उस दिन का याद होनी चाहिये जिस दिन आपने गरीब जनता को प्रलोभन दिये कि हम अगर जीत कर आयेगें तो गरीबी दूर करेगें, गांवों की उन्नति करेगें, मकानों का इंतजाम करेगें, सारे बच्चों के पढ़ने का इंतजाम करेगें । लेकिन मेरे भाइयो प्रदेश की जनता ऊपर बैठी हुयी हम लोगों का ड्रामा, नाटक या कहानी की बातों को देखती है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कृपया आप गैलरी को न सम्बोधित करें । आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करके बोलें ।

श्री हरदेव--

आप लोगों ने जो 27 तारीख को प्रदर्शन किया वह बड़ा निंदनीय रहा क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी बातों को आपको सुनाया नहीं, वह चीजें जो देश की प्रगति के लिये हैं उसको, पूरी बातों को सुनना चाहिये था । सुनने के बाद आप अपना अनुशासन बनाये रखने के साथ वाद-विवाद माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सुनाते । लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि ला एंड आर्डर की हमेशा आप लोग परवाह नहीं करते हैं । जब आपही कानून और व्यवस्था का पालन नहीं करेगें तो प्रदेश की जनता क्या कर सकती है । मैं कहना चाहता हूं कि वह गरीब जनता जिसके लिये हम आप यहां पर आये हैं, एक कहावत है मेरे ध्यान में आ गयी है मैं सुनाना चाहता हूं :--

चढ़े असाढ़ घटा घनघोर, ऐ दादा हर जोतो मोर,

आइल कातिक परलों भोर, कार्य बिगड़लों ससुर मोर ।

तो जब गरीब की जरूरत होती है तो उसका आदर करते हैं । लेकिन बाद में उसको छोड़ देते हैं । प्रत्येक माननीय सदस्य पर सैकड़ों रुपया पर डे खर्च होता है । इसका जवाब जनता के बीच में देना होगा कि आपने सदन में क्या किया । इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं । समय मूल्यवान है इसलिये देश, प्रदेश और गरीब जनता का उत्थान करना है तो उसमें अपने बहुमूल्य समय को लगाने की कृपा करेंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीबों के उत्थान की दोहाई देने वाले जब आपकी हुकूमत रही तो हरिजनों के उत्थान के लिये 38 करोड़ रुपये मिला लेकिन हमारी सरकार आयी तो 119 करोड़ रुपये मिला । तो कौन गरीबों को नुकसान पहुंचाता है, इस ओर ध्यान देना होगा । जनता पार्टी और लोकदल की सरकार में जब आप रहे हैं तो उसमें यह हुआ कि आप लोगों ने भोली-भाली जनता को गुमराह करके अपना फायदा उठाया और देश को तबाही में डाल दिया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरदेव]

अपने मन चाहा काम किया और हर चीज लुटा दिया। अपने लोगों को ऊंचे स्थानों पर रख दिया और फिर कहते हैं कि व्यवस्था खराब हो रही है। तो उसको हम सब को मिलकर सुधारना होगा। गरीब और कमजोर, हरिजनों और बलात्कारों की आप बात करते हैं लेकिन इसको कैसे दूर किया जाय, क्या सुधार किया जाय इसकी ओर आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि हरिजन वह संज्ञा है जिससे आप हम सभी फायदा लेते हैं और जब उसके फायदे की बात करते हैं तो उसको भूल जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि हरिजनों के उत्थान के लिये जो व्यवस्था और स्कीम है वह अच्छी होनी चाहिये।

मान्यवर, दूसरी बात चाहे हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो यदि उसमें कोई भी जालिम, गलत, भ्रष्ट और बेईमान है तो मैं चाहता हूं कि उसको छोड़ा न जाय। मान्यवर, आज नारियों की इज्जत का सवाल है। इसलिये मैं चाहूंगा कि उनकी इज्जत के लिये जिनसे कि भारतीय संस्कृति और गरिमा कायम है उसकी इज्जत का मजाक न उड़ाया जाय बल्कि जो विदेशी वेष-भूषा है उसमें हमारी भारतीय संस्कृति को कायम किया जाय।

श्री राम सागर--

मैं मान्यवर, नेता विरोधी दल की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण में जो प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, जबसे 6-7 महीनों से यह सरकार आयी है तबसे कानून व्यवस्था बराबर बिगड़ती जा रही है और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से प्रदेश की जनता त्रस्त है। हरिजनों पर आये दिन अत्याचार हो रहे हैं, कहीं हरिजन फूंके जा रहे हैं, कहीं साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं और कहीं आये दिन पुलिस के सामने गरीब निरीह लोगों को गोली से उड़ा दिया जा रहा है। तो इन सारी घटनाओं से जनता त्रस्त है। इन समस्याओं से हल पाने के लिये जनता को छुटकारा देने के लिये महामहिम राज्यपाल ने पूरे भाषण में कुछ भी नहीं कहा है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने जिले की एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। बिजली विभाग के हमारे क्षेत्र में एक श्री के० के० मिश्र सहायक अभियन्ता हैं। उन्होंने विभाग का कई लाख का बिजली का सामान चोरी से किसान के हाथ बेच दिया था। मैंने इस घटना का जिक्र जिले के अधिशासी अभियन्ता से कहा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। फिर जिलाधिकारी से लेकर लखनऊ में संयुक्त सचिव तक से इस घटना का जिक्र मैंने किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी आप बेकार परेशान हैं, यह सब चला ही करता है। यह बिलकुल वैसी ही बात है जैसे एक आबादी में एक मकान के सामने एक लड़का पेशाब कर रहा था। लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसके बाप से शिकायत करने गये तो देखा कि बाप भी दुमंजिले से वही काम कर रहा है। व्यवस्था यह होती है कि जब कोई कर्मचारी गलती करता है तो उसके बड़े कर्मचारी से शिकायत की जाती है लेकिन इस शासन में जब सारे के सारे ही कर्मचारी तथा अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो फिर शिकायत किससे की जाय। आज गांवों की यह दुर्दशा है कि गरीब जनता खुश नहीं है। यह सरकार गरीब जनता की नहीं है बल्कि जो सामन्त तथा गुंडे हैं वह कहते हैं कि हमारी हुकूमत है।

बाराबंकी जिले के एक थाने कसन्डा में घटना डकैती की हुई। सोसाइटी का सचिव तथा जिया डाकू डकैती डालते हुए पकड़े गये चौहान पुरवा गांव में। सचिव साहब और जिया डकैत चारों ओर घेर लिये गये जिया डकैत तो मौके पर ही मार दिया गया लेकिन सचिव साहब पकड़ लिय गये और 1 महीने बाराबंकी जेल में रहे। जेल से छूट कर आये तो सचिव साहब फिर सोसाइटी का काम करने लगे जब कि वह घटना स्थल पर पकड़े गये थे और बिलकुल काम करने के लायक साबित नहीं रह गये थे। इस सरकार में भ्रष्ट आदमी ही शासन के योग्य समझा जाता है। इसके लिये मुझे बड़ा खेद है कि सोसाइटियों का काम, कोटा व शंकर का वितरण बेईमान लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। वास्तव में ये लोग जनता को फायदा पहुंचाने के बजाय लूटपाट करेंगे और इस प्रकार इस व्यवस्था के जरिये मन्त्रियों तक लेनदेन का काम खुल गया है। मेरे जिले में जन स्वास्थ्य रक्षकों का चयन किया गया। राजनारायण जी जब स्वास्थ्य मन्त्री थे तब यह स्कीम चलाई गयी थी। बाराबंकी जिले में जन स्वास्थ्य रक्षकों के चयन में 1 हजार रुपया लेकर फर्जी प्रमाण-पत्र दिया गया। जन स्वास्थ्य रक्षकों के चुनाव में यह शिकायत जिलाधिकारी तथा सी० एम० ओ० से की गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जो दवा के बक्से दिये गये वह खोल के डाक्टर उनमें से दवा वगैरह निकाल ली। यही नहीं, हमारे यहां जिले में जो अस्पताल है, उसमें जो सी० एम० ओं० साहब हैं उनके माध्यम से पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बिना शिकायत के एक भी मरीज का इलाज नहीं होता।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री राम सागर--

श्रीमन्, जिले में मिश्रा एक महिला डाक्टर हैं। हमारे ब्लाक में एक औरत के पेट का आपरेशन किया था तो उन्होंने उसके पेट के अन्दर कैंची सिल दिया। तो श्रीमन्, इस तरीके से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था है। राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा गया है। मान्यवर, मैं अन्त में विरोधी दल के नेता ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये। माननीय श्री धर्म सिंह का नाम पुकारा गया है।

श्री धर्म सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैंने विपक्ष के लोगों की बातों को सुना और माननीय तिवारी जी ने जो प्रस्ताव धन्यवाद का रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मुझे बड़ा दुख हुआ मैंने पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त का जमाना देखा है। 1952 में मैं ट्रेजरी बेन्च में बैठा करता था, उस समय अपोजीशन क्या था। सन् 1952 का मैंने जमाना देखा है, मैंने 1962 का जमाना देखा है, मैंने 1967 का जमाना देखा है, मैंने 1969 का जमाना देखा है, मैंने 1974 का जमाना देखा है और मैंने 1977 का भी जमाना देखा है जब हम लोग उधर बैठते थे, और आप इधर

[श्री धर्म सिंह]

बैठे थे मान्यवर, 25 साल तक इस लेजिसलेचर का, इस सदन का सदस्य रहने के नाते में दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी अच्छी सरकार माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है और मैं दावे के साथ कहता हूं और चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि मेरी राय में इस तरह की सरकार न आयी है और मैं यह समझता हूं न ही आयेगी ।

मान्यवर, मुझे बहुत दुख हुआ

(व्यवधान)

जरा सब्र कीजिये और सुनिये । तो मैं कह रहा था कि मुझे बहुत दुख है कि जब महामहिम राज्यपाल यहां पर थे तब यहां के लोगों ने व्यवधान पैदा किया, यहां के लोगों ने डेमोक्रेसी की परम्परा को तोड़ा, उन नियमों को तोड़ा और डेमोक्रेसी का सत्यानाश किया । मैं मानता हूं कि सभी को हक है अपनी बात को कहने का लेकिन मान्यवर, उस बात को कहने का एक तरीका होता है, एक पद्धति होती है । आपके कांस्टीट्यूशन का जो प्रतीक है उस कांस्टीट्यूशन के प्रतीक की आप इन्सल्ट करेंगे । आप उसकी इन्सल्ट नहीं करते, आप देश की इन्सल्ट करते हैं, प्रजातन्त्र की इन्सल्ट करते हैं । मान्यवर, पांच साल बाद में आपको मौका मिलता है इस बात को याद रखिये । हां, हमने चुनाव कराये हैं, आपमें क्या यह हिम्मत है ? अभी राजस्थान में चुनाव हुये, मध्य प्रदेश में चुनाव हुये हरियाणा में चुनाव हुये । है हिम्मत आपमें । हम लोगों में हिम्मत थी तो चुनाव कराये । आप हम लोगों की हथेली पर सरसों न जमाइये ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया आप लोग बैठे ।

श्री धर्म सिंह--

उसके बाद में यहां चुनाव होंगे । आपके भी होंगे, हमारे भी होंगे । जनता जानती है, गरीब आदमी जानता है, यहां के भूमिहीन को, यहां के हरिजन को, यहां के मुसलमान को, यहां की पिछड़ी जाति के लोगों को सरकार में विश्वास है और इसकी इस सरकार की जानकारी है । वही फिर सरकार बनायेगी, वही फिर यहां पर प्रतिनिधियों को चुनकर भेजेगी । आपमें हिम्मत नहीं होगी मतदान में भाग लेने की ।

मान्यवर, मैं मानता हूं इस बात का मुझे बड़ा दुख होता है । मेरे क्षेत्र के पास के नेता, अलीगढ़ से आये हुए नेता विरोधी दल बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइये ।

श्री धर्म सिंह--

मान्यवर (शोर) ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री धर्म सिंह—

सब से काम लीजिए। हमारी समस्यायें और आप की समस्यायें अलग-अलग नहीं हैं। देश आप को भी प्यारा है हम को भी प्यारा है। धोखा धड़ी नहीं चलेगी। हम लोगों ने जनता में विश्वास पैदा किया है, हमारे नेता ने विश्वास पैदा किया है। आप की सरकार तीन साल देख ली (तालियां) केवल इस बात के अलावा कि पैसा पानी की तरह बहाया, आप ने क्या किया? सोना आप ने नहीं छोड़ा, तिजारत आप ने नहीं छोड़ी, स्कूल के बच्चों का सत्यानाश कर दिया। मैं मानता हूं चौधरी साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए खून बहाया है। ऐसे लोग इधर भी हैं उधर भी हैं। आप ने अपने शासनकाल के दौरान इनक्वायरी कमीशन बैठाया, लोगों को जेल भिजवाया। इतना ही नहीं मैं कहना नहीं चाहता आप ने डेमोक्रेसी का मर्डर किया है। इंदिरा गांधी चुन कर आई आपने उन की मेम्बरशिप समाप्त करा दी। बिना किसी बात के जेल भिजवा दिया था। क्या कर सकते थे इससे ज्यादा? इस देश का सत्यानाश किया, इस राष्ट्र का सत्यानाश किया है। आप भूल गये हैं इस बात को कि देश हम को भी प्यारा है, आप को भी प्यारा है। मैं भी उस गरीब घर में पैदा हुआ हूं जैसे घरों में यहां के 80 फीसदी लोग पैदा हुये हैं। उस खानदान में पैदा हुआ हूं जिन के माता पिता दो-दो पैसा मजदूरी कर के, घास खोद कर अपने कुटुम्ब का पालन करते थे। मैंने एजूकेशन उस समय ली है जब पढ़ने लिखने का इन्तजाम नहीं था। हम लोगों ने ट्यूशन कर के एजूकेशन प्राप्त की है।

लेकिन माननीय रिजवी साहब जरा कृपा कर मेरी बात मुख्य मन्त्री जी तक अवश्य पहुंचा दें। एक कहानी याद आती है। दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। नुक्ताचीनी का सवाल नहीं है। एक जीजा थे। उन की बहुत सी सालियां थीं। सालियों के यहां जीजा जी दावत खाने चले गये। बड़े ठाठ बाट के साथ उनका स्वागत हुआ, तरह-तरह के खाने परोसे गये। जीजा जी बदचलन थे। उनको पता नहीं था कि सालियां कम नहीं हैं। लिहाजा कोई काम नहीं बना। अगले दिन सालियों ने यह निश्चय किया। (एक सदस्य के हंसने पर) आप को पता नहीं है यह कहानी इस सदन में कही जा चुकी है। क्या हंसते हैं जो पुराने लोग हैं वे जानते हैं कि अगले दिन जीजा जी को गंगा नहाने ले जायेंगे। सालियां भी चलीं अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर। नहाने के लिए मान्यवर, जीजा जी गंगा में ले जाये गये। डुबकियां लगाते वक्त कोई उन पर पानी फेंके कोई हंसे। नतीजा यह हुआ कि उन सालियों ने जीजा जी को डुबो दिया। वह हंसती रहीं। लाश इधर-उधर होती रही। जीजा जी बहुत हंस रहे हैं, सालियों का कहना था। लेकिन जीजा जी तो मर गये थे। राम राम सत हो गई थी उनकी। पता नहीं चल पाया लाश का, सालियों को बाद में पता चला तो कहने लगी कि क्या करें हमारे जीजा जी चले गये और उसके बाद एक ऐशोआराम की जिन्दगी चली गई। माननीय रिजवी साहब इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। आप मुख्य मन्त्री जी को जीजा न बनायें। सालियों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह देश का सवाल है। आप को मौका दिया है जनता ने पांच साल के लिए चुनने के बाद। अगर आपने गड़बड़ियां कीं और बड़ी-बड़ी कारें देखने के बाद आपका जी ललचा गया तो यह देश आपको माफ नहीं करेगा, आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। यहां की

[श्री धर्म सिंह--]

10 करोड़ जनता ने आपको मौका दिया है। सालियां अपने को सुधारें। हमारा कुछ नहीं बिगड़ता हम तो भूखे नंगे हैं और 25 साल तक इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए।

मैंने बड़ी-बड़ी सरकारों को देखा है। मैंने डाक्टर सम्पूर्णानन्द के नेतृत्व की सरकार देखी है, गुप्ता जी की और पंत जी के नेतृत्व वाली सरकार देखी है, कमला पति त्रिपाठी, ठाकुर हरगोविन्द सिंह, गुप्ता जी, अली जहीर, जुगुल किशोर जैसे लोगों के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला है और इनकी सरकारों को देखा है जिनसे देश आगे बढ़ा है। 25 साल तक इस सदन का सदस्य होने के नाते मुझ जैसे आदमी के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। हमारी कोई परम्परा नहीं है कि मैं यहां का मेम्बर बना रहूं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जो सदस्य इस सदन का 25 साल तक सदस्य रहे उसको आप संतोष दें। मेरी मुख्य मन्त्री जी से कोई शिकायत नहीं है लेकिन जो यहां से आप आदेश भेजते हैं उनका क्यों पालन नहीं होता है? उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है। क्या इस तरह से डिमोक्रेसी चलेगी? इसे कोई जेनरेशन माफ नहीं करेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं। आज चारों तरफ गड़बड़ियां दिखाई देती हैं। मैं मानता हूं कि उसको दूर करने के लिये इस प्रदेश में बहुत से काम करने की आवश्यकता है। आप मुख्य मन्त्री जी को सलाह दें। हम आपके साथ है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां है। हमें कुछ नहीं चाहिए। 52 से लेकर 74 तक केवल 3 साल में बाहर रहा और फिर 80 में यहां चुन कर आया हूं। लेकिन इन माननीय सदस्यों का जो उधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं, उनका अपमान होता है, तिरस्कार होता है उनकी बातों को नहीं माना जाता है। तो यह सब देखने की चीजें हैं। माननीय ग्राइस साहब भी मैं समझता हूं सन् 52 से एम0 एल0 ए0 है। हम तो सिफारिशी लोग हैं। हमारी सिफारिश को आप मानेंगे--फारवर्डेड एन्ड रिकमन्डेड। हम तो, जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला। हम तो जनता के लोग हैं।

बातें तो बहुत थीं लेकिन केवल एक ही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आपके मंत्रि-मंडल में बड़े-बड़े योग्य व्यक्ति हैं। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने यहां से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये कदम उठाये हैं। उर्दू भाषा के बारे में स्पीकर साहब, आप भी उस समय यहां पर थे, सेक्रेटरी साहब आप भी थे, जब यह सवाल यहां पर आया था और आपने समस्या का समाधान किया था। आप धन्यवाद के पात्र हैं।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि एजूकेशन का जो आज पैटर्न है उसमें आप तब्दीली कर रहे हैं किसी के बच्चे बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ने के लिये जाते हैं उनको सभी सुविधायें प्राप्त हैं और किसी के बच्चे को बिछाने के लिये मैट की व्यवस्था भी स्कूलों में नहीं है। क्या इसकी तरफ आपका ध्यान गया? इसके अलावा आपने इम्तिहानों को ठीक वक्त पर कराया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सन् 67 के बाद जो एग्जामिनेशन पैटर्न में गड़बड़ियां थीं चाहे वे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के बारे में हों, हायर सेकेन्डरी स्कूलों के बारे में हों, आपने उनकी परीक्षाओं को ठीक वक्त पर कराया है, इसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं।

मान्यवर, यह किसानों के बड़े हिमायती अपने को कहते हैं, चौधरी साहब उनके लीडर रहे हैं। मैं कहता हूं यादव जी, आप किसानों के हिमायती नहीं है। किसानों के हिमायती हम हैं, हमने 23 रु0 गन्ने का भाव किया है (व्यवधान) आपने तो किसानों को लूटा है जब आपका स्वार्थ होता है आप किसानों और मजदूरों की बात करते हैं। आप तो बड़े-बड़े किसानों की बात करते हैं छोटे किसानों की बात नहीं करते क्योंकि आप बड़े-बड़े किसान हैं ट्रैक्टर वाले हैं। हम से पूछिये जो घास खोदने वाले हैं। आपने जब आवश्यकता हुई हाय किसान, हाय किसान कह कर उसको लूटा है और फायदे के नाम पर उसे जीरो फायदा पहुंचाया। चाहे वह गन्ने के मामले में हो चाहे गुड़ के मामले में हो, चाहे गेहूं के मामले में हो, चाहे लगान के मामले में हो। इस सरकार के नेतृत्व में, प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, इस बात की कोशिश की गयी कि किसान की समस्या हल हो। इस सरकार को इस बात को ध्यान में रखना होगा खास कर माननीय मुख्य मन्त्री जी को, जो हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो भारत सरकार के प्लानिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें बहुत बड़ा हिस्सा दिया सारे कायदे कानूनों को तोड़ कर बिहार, राजस्थान आदि को देख लें, हाइयेस्ट मनी हमको दिया है उसका सदुपयोग करने की बात है नहीं तो आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी। अगर ठीक तरीके से अंकुश नहीं लगाया गया तो लोग माफ नहीं करेंगे क्योंकि यह गरीबों का पैसा है वह बड़े-बड़े किसानों का पैसा नहीं है, वह गरीब और छोटे-छोटे मजदूरों और रिक्शा वालों की कमाई है क्योंकि 80 फीसदी टैक्स वह लोग देते हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर ठीक से उपयोग नहीं किया गया तो इसका नतीजा बुरा होगा।

हमारा मुल्क बड़ा गरीब है, दूसरे लोगों ने इसे बरबाद कर दिया है। यहां पर अत्याचार हुए, दंगे हुए, रियासत साहब यहां पर बैठे हैं, रिजवी साहब यहां पर बैठे हैं हमारे मुख्य मन्त्री हों या दूसरे लोग हों उन्होंने 22-22 घंटे बैठकर दंगों को रोका है, आगे नहीं फैलने दिया, यहां की परम्परा को कायम रखा। इन लोगों ने सेन्सेटिव जिलों में लोगों को भड़काया, दूसरे मुल्क के लोगों ने भड़काया, अमेरिका ने भड़काया, हमारा देश गांधी और नेहरू का देश है उनके आदर्शों का इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने पालन किया है। आज जो यह बड़े-बड़े पावर हाउस देखते हैं, सीमेंट के कारखाने देखते हैं और बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट देखते हैं वह पंडित नेहरू की सरकार की नियामत है। आज कुछ लोग इधर हैं जो इस बात को नहीं देखते हैं।

आज जरूरत है इकोनामी पर अंकुश लगाने की, इसके लिए कोई कमेटी हो जो इस बात को देखे। इसके लिए पहले भी फाइनेंस डिपार्टमेन्ट की कमेटी बनी है, वह बननी चाहिए। यह जो इकोनामी की बात मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का जो नान-प्लान का बजट है उसका 80 फीसदी हिस्सा, उधर बैठने वाले अधिकारी मुझे माफ करें मैं नुक्ताचीनी की बात नहीं करता, उन पर खर्च हो जाता है। इस गाढ़ी कमाई का 80 प्रतिशत जो नान-प्लान का है सरकार की नौकरियों में जाता है, और आप लोग पैन्ट पहनकर दिन भर चाय वहां पीते हैं, और सरकारी आदेशों का, सरकारी कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। आप अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं, देश मुझे आपसे ज्यादा प्यारा है, इसके प्रति आपसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है।

[श्री धर्म सिंह--]

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, दो मिनट और दे दें, एक बात कहना चाहता हूं कि आप चले जाइये सेक्रेटेरिएट के बाहर, चाय पीने वालों और घूमने वालों की एक भीड़ मिलेगी। चाय भी चलती है और दूसरे काम भी होते हैं---यह कभी जनता के लोगों को घर पर बुला लेते हैं और कभी कहीं मिलने की बात कहते हैं और जब तक लेन-देन की थोड़ी बहुत बात, दान-दक्षिणा देने की बात, पक्की नहीं हो जाती है चाय पिलाने के दौरान, तब तक आपकी सरकार के आदमी काम नहीं करते हैं। सरकार कितने ही आर्डर करे, ये उनका पालन नहीं करते हैं।

मैं कहना चाहता हूं, आजकल पे कमीशन के स्केल्स के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, जिन लोगों के साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ है, उनके साथ पहले आप इंसाफ करें। उनकी आप बात सुनें और सबको समानता का अधिकार दें। जो गड़बड़ है, वह आप दूर करने का प्रयत्न करें। मैं मानता हूं, इसके लिए आपने 4-5 आदमियों की एक कमेटी बना दी है। लेकिन चाहे आपको कुरबानी देनी पड़े, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितनी शक्ति है, कितने संसाधन हैं, इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए।

मैं आपसे क्षमा चाहता हूं इस निवेदन के साथ कि यदि मुझसे गलती हुई हो या सरकारी आदमियों के बारे में या अपोजीशन के बारे में कोई बात कह दी हो, तो आप हमें, सब क्षमा कर दें और यह उम्मीद करता हूं कि देश जितना प्यारा आपको है, उतना ही प्यारा इधर के बैठने वालों को भी है। यह वक्त की बात है कि कभी आप इधर बैठते हैं और कभी हम उधर बैठते हैं। लेकिन समस्याओं को हल करने का जो तरीका है, चाहे वह इंग्लैंड की डेमोक्रेसी में हो या अमेरिका की डेमोक्रेसी का, उसे हमें पूरी तरह से मानना चाहिए और सरकार जो अच्छा काम करती है तो अपोजीशन का फर्ज हो जाता है कि वह समर्थन करे और उसमें सहयोग करे। आपने यदि सरकार का साथ उसमें न दिया तो इसका मतलब यह होता है कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं, श्रीमन्, और ट्रेजरी बेंचेज और अपोजीशन के साथियों से क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि मेरी अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना और जो स्वस्थ परम्पराएं हैं---जो डेमोक्रेसी की नींव को मजबूत करती हैं उनको ताकत देने के लिए आप पूरा सहयोग करें और स्वस्थ परम्पराओं को पूरी तरह से स्थापित करके उनका पालन करें।

*श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो समय दिया है, उसका मैं आभारी हूं। मैं समझता था कि राज्यपाल के अभिभाषण में माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात कही जाएगी और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा, लेकिन उसका इसमें जिक्र भी नहीं है। आज गांवों में स्कूलों की क्या हालत है? आज हजारों स्कूल बिना भवन और बिना छत के हैं। उनकी ठीक से कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें इस चीज का भी कोई जिक्र नहीं है कि पब्लिक स्कूल और शिशु मंदिर तथा दूसरे जो तरह-तरह के स्कूल्स पब्लिक सेक्टर में चलाए जा रहे हैं, वह खत्म कर दिए जायेंगे और सबके लिए एक समान शिक्षा कर दी जाएगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब मैं अपने देवरिया जिले की बात आपसे कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के साथ 42 एनकाउन्टर दिखाकर उनकी हत्या कर दी गई है, डकैत कहकर उनका मर्डर कर दिया गया है। इसे मैंने पिछली बार भी उठाया था। चौधरी की हत्या की गई और तमाम हत्यायें की गई, जिनमें से कुछ में तो 2/3 में तो 379 की रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी। इसी महीने की 11, 12 तारीख की रात को माननीय गन्ना विकास मंत्री वहां के विधायक सत्तारूढ़ दल के महेन्द्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे उन्होंने वहां खड़े सब-इंस्पेक्टर से कहा कि इसको मारो। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि महाप्रबन्धक को मारो और वहाँ जो सब-इंस्पेक्टर मौजूद था उससे कहा कि इसको महाप्रबन्धक को बन्द करो, हथकड़ी लगाओ महाप्रबन्धक को। थाने में रपट 307 में दर्ज कराई गई। मंत्री जी थाने तक गए। महाप्रबन्धक जब कोर्ट पहुंचा तो कहा गया कि तुम्हारी जमानत नहीं होगी।

(श्री मुईद अहमद द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मुईद अहमद--

माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह चिट्ठी थी मोहन सिंह की और आप गलत आरोप लगा रहे हैं।

श्री नन्द किशोर सिंह--

पूरी घटना की जांच होनी चाहिए कि किस तरह से मंत्री ने कहा फिर जो भी घटना हुई उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एक बिसुलपुरा का दरोगा था वह वारंट लेकर पहुंचता है, कहता है गोली से मारेंगे। इस तरह की घटना देवरिया में रोज हो रही है। कोई कानून नहीं है, यह जो तमाम समस्यायें हैं, उसको रोक सके। देवरिया में एक एस0 पी0 का स्थानान्तरण करके भेजा गया है। उसने बड़े पैमाने पर खिलाफत करना शुरू कर दिया है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, मैं दो मिनट और लूंगा, खाद्यान्न योजना जो बन्द कर दी गई है उससे मजदूरों के सामने, छोटे किसानों के सामने खाद्यान्नों की स्थिति, भुखमरी की स्थिति आ गई है। मैं चाहूंगा कि खाद्यान्न योजना को फिर से लागू कर दिया जाय ताकि जो लोग भाग करके बिहार और कलकत्ता की तरफ चले गए हैं उनकी खाद्यान्न समस्या हल हो सके। अन्त में मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* हरिजन तथा समाज कल्याण उप मंत्री (श्री सरजू प्रसाद 'सरोज')--

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने प्रस्ताव के समर्थन में अपने मुझे जो अवसर दिया, मैं उसका आभारी हूं।

बड़े गौर से सुन रहा था जमाना,
हमीं सो गए दास्तां कहते-कहते।

दोस्तों, मुझे विपक्ष से बड़ी आशायें थीं। जब मैं चुनाव जीतकर आया तो मुझे विश्वास था कि विगत वर्षों में हारे हुए और जीते हुए विधायक यहां आयेंगे जिनके अनुभवों से मुझे ज्ञान होगा। यों तो इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह राष्ट्र सुरक्षित है और यह गौरव की बात है कि प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं जो बड़े ही चरित्रवान, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं। तो दोस्तों....

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया अध्यक्ष को ही सम्बोधित करें ।

श्री सरज प्रसाद 'सरोज'—

हमारी सरकार के सामने एक ही मन्तव्य है कि समाज में उपेक्षित, पीड़ित और पिछड़े हुए व्यक्तियों को जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय है और जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे ह, उनका विकास करना। इसी सन्दर्भ में भाई मोहन सिंह जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे उनको सद्बुद्धि दें जिससे वे इसकी सदन की शोभा मर्यादित ढंग से शोभा बढ़ायें । कल दुर्भाग्य से मैं सदन में उपस्थित नहीं था जबकि भाई मोहन सिंह जी ने झूठी रिपोर्ट पर मेरे चरित्रहनन करने का प्रयास किया था । मै संक्षेप में उस बारे में बता देना आवश्यक समझता हूं । 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में जिस समय सदन चल रहा था मैं यहीं लखनऊ में सदन की कार्यवाही में सम्मिलित था । उसी समय 7 तारीख को लक्ष्मण नाम के व्यक्ति ने हरिजन लड़की के सम्बन्ध में छंगू नाम के व्यक्ति और कौशल्या नाम की महिला जो मेहतरानी है के बारे में एक एफ0 आई0 आर0 लिखायी । बाद में अपने मुकदमें के सिलसिले में जब श्री लक्ष्मण नाम के व्यक्ति बाबू लाल नाम के व्यक्ति, जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, के पास गए तो श्री बाबू लाल ने एक झूठी रिपोर्ट लिखायी : इस बारे में कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखायी गयी बल्कि जो दर्खास्त जिलाधीश को दी गयी उसमें कहा गया कि इस मामले में जो कुछ भी हुआ वह विधायक जी की साजिश से हुआ है । चरित्र जीवन की सुन्दरता होती है अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये भले ही विपक्ष में हैं लेकिन लोकतंत्र में जहां पर एक ओर अधिकार होते हैं, दूसरी ओर कर्त्तव्य भी होते हैं । ये एक दूसरे के पूरक होते हैं । इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि यदि इसमें एक रुपये में एक पैसा भी मेरे चरित्र के बारे में कोई बात साबित होती है तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हूं । यही नहीं यदि यह सिद्ध होता है तो मेरे मूंह पर कालिख लगाकर आप मुझे लखनऊ में घुमा सकते हैं ।

इन शब्दों के साथ में धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं जिनमें से एक सूचना जो माननीय नेता विरोधी दल, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री माता प्रसाद पांडेय, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री मोहन सिंह, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री हरिवंश सहाय, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री सुबेदार सिंह की हैं, को स्वीकार किया है । यह दिनांक 15-1-81 को ग्राम परशुरामपुर, थाना परशुरामपुर, जिला बस्ती में कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस की साजिश से भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, श्री सुखपाल पाण्डेय को जान से मारने की कोशिश तथा रात भर श्री पांडेय एवं उनके शेंडो को कमरे में बन्द होने के लिए मजबूर करने के बारे में है । शेष सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि वे इस पर कब अपना वक्तव्य दे सकेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, एक हफ्ते का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

5 फरवरी को इस पर वक्तव्य होगा।

बजट साहित्य की वितरण व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष 1981-82 का आय-व्ययक साहित्य वितरण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। महिला सदस्य तथा नीचे लिखे जिलों के माननीय सदस्यगण क्रमशः 'हां' तथा 'नहीं' कक्ष में अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें। 'हां' कक्ष में—महिला सदस्य, उत्तरकाशी, टेहरी-गढ़वाल, पौड़ी-गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ के जिले।

'नहीं' कक्ष में—बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून तथा श्री ए० सी० ग्राइस।

चूंकि 5 बजे बजट प्रस्तुत होना है, अभी 2-3 मिनट का समय शेष है, माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं केवल दो मिनट ही लूंगा। कांग्रेस के माननीय सदस्य बार-बार यह कहते हैं कि जनता पार्टी के राज्य में कुछ नहीं हुआ, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा वे अपने को देखें, जनता पार्टी की ओर न देखें। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आजादी के बाद इस देश में पब्लिक सेक्टर को दिया और उसके कारण जिस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, उस देश के अन्दर हवाई जहाज बनने लगे, मगर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा, उसका लाभ प्रदेश के भूमिहीनों को नहीं मिला। आपके योग्य इंजीनियर्स दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, दूसरे देशों के द्वारा आपको ठेका मिलता है, मगर अपने देश के अन्दर जो निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनमें कितना आज भ्रष्टाचार है, उससे कितना नुकसान हो रहा है। निर्माण के नाम पर आज कितने ही धन की हानि हो रही है। आपको इसे देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों को आगे की तरफ देखना चाहिए। आज गरीबों का करोड़ों रुपया निर्माण के नाम पर बर्बाद हो रहा है। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[समय 5 बजे अपराह्न]

वित्तीय वर्ष 1981-82 का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मुझे 1981-82 का बजट प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त हुआ है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, वह शब्द नहीं आये जो माननीय वित्त मंत्री को कहना चाहिए था । मान्यवर, इन्हें यह कहना चाहिए था कि मैं 1981-82 का बजट प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

शब्दों पर न जाओ, भावना देखो, भावना ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं वर्ष 1981-82 का बजट प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय वित्त मंत्री, आप बैठ जायं, बजट की कापी वितरित हो जाने दें ।

(बजट भाषण की प्रतियां वितरित हो जाने पर)

बजट भाषण की प्रतियां वितरित हो गयी हैं, अब माननीय वित्त मंत्री अपना भाषण जारी करें ।

श्री ब्रह्म दत्त --

मान्यवर, मुझे इस सम्मानित सदन के विचारार्थ वर्ष 1981-82 का आय-व्ययक प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त हुआ है । वर्ष 1966 के बाद यह प्रथम अवसर है, जब बजट यथासमय प्रस्तुत किया जा रहा है । बजट पर विचार करने तथा उसे समय से पारित करने के लिए सम्मानित सदन का सहयोग अपेक्षित है, ताकि अगले वर्ष के आरम्भ से ही तत्परतापूर्वक अपेक्षित कार्यवाही की जा सके । बजट का यथासमय प्रस्तुतीकरण सरकार के इस दृढ़ संकल्प का द्योतक है कि पिछली अस्त-व्यस्तता दूर की जायेगी तथा प्रदेश की जनता को यथा आश्वासित कुशल प्रशासन प्रदान किया जायेगा ।

वर्ष 1980-81 का बजट इस सदन में गत 16 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था तथा उसके साथ तीन माह का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया गया था । इस प्रकार गत वर्ष कुल लेखानुदान की अवधि सात माह रही । तत्पश्चात् केन्द्रीय योजना आयोग के साथ हुई वार्ता के फलस्वरूप 83.83 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्लान परिव्यय उपलब्ध होने तथा पिछली वर्षा ऋतु की अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार से विशेष सहायता प्राप्त होने के कारण सदन में अनुपूरक मांग भी प्रस्तुत करनी पड़ी थी । इस सदन द्वारा अनुपूरक मांग 13 अक्तूबर को पारित हुई थी । अब मात्र साढ़े तीन माह के अन्तराल से ही मैं सदन के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं ।

सदन के सदस्यों की सुविधा के लिए वर्ष 1979-80 से विभिन्न अनुदान विभागवार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्ष 1981-82 में भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। इसके अतिरिक्त आय-व्ययक साहित्य के खंड 3 में नई मांगों के प्रस्ताव भी इस वर्ष विभागवार प्रस्तुत किए गये हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता के लिए धनराशि की व्यवस्था, जो पहले विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत एकमुश्त की जाती थी, इस वर्ष भारत सरकार की बजट सम्बन्धी सुगम प्रक्रिया के अनुरूप वित्त विभाग के एक पृथक् अनुदान के अन्तर्गत की गई है। विभिन्न विभागों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे महंगाई भत्ते में वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता से सम्बन्धित अपनी आवश्यकताओं को पहले अपने अनुदानों से पूरा करें और तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराएं। वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रत्याशित धनराशि के लिए तदर्थ आधार पर एकमुश्त व्यवस्था भी उपर्युक्त अनुदान में ही सम्मिलित की गई है।

आर्थिक विकास पर समीक्षा

जिस समय वर्तमान सरकार ने सत्ता संभाली थी, उस समय आर्थिक विकास की सम्भावना अपेक्षाकृत न्यून थी। राज्य को कुछ दिनों पूर्व ही विनाशकारी सूखे का सामना करना पड़ा था। तत्कालीन सरकार के कुप्रबन्ध के कारण परिस्थितियां और भी बिगड़ गई थीं। इसके बाद भीषणतम बाढ़ आयी, जिससे 46 जिले प्रभावित हुए तथा 290 करोड़ रुपये की अनुमानित क्षति हुई। हमारी सरकार ने क्षति को कम करने तथा बड़े व्यापक पैमाने पर सहायता पहुंचाने के साथ-साथ दृढ़ निश्चय के साथ अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाया। परिणामस्वरूप निश्चित प्रतिफल प्राप्त हुए हैं और राज्य की अर्थ-व्यवस्था प्रगति की ओर अग्रसर हो गई है।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले बजट भाषण में मुख्य मन्त्री जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि वर्ष 1978-79 की तुलना में वर्ष 1979-80 में राज्य के कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में 30 प्रतिशत की कमी हुई थी। नवीनतम सूचना के अनुसार राज्य की समग्र आय वर्ष 1970-71 के स्थिर मूल्यों के आधार पर वर्ष 1978-79 के 5,311 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 1979-80 में 4,547 करोड़ रुपये रह गई थी। यह कमी सम्पूर्ण देश की मात्र 3 प्रतिशत की तुलना में इस प्रदेश में लगभग 14 प्रतिशत थी। वर्ष 1979 80 में गन्ने का उत्पादन 623.24 लाख मी0 टन से घटकर 512.28 लाख मी0 टन हो गया अर्थात् इसमें लगभग 18 प्रतिशत की कमी हुयी। उत्पादन की इस कमी के कारण चीनी का भी सामान्य अभाव हो गया। इसी प्रकार चावल के उत्पादन में भारी गिरावट आई जो वर्ष 1978-79 के 59.61 लाख मी0 टन से घटकर वर्ष 1979-80 में 25.51 लाख मी0 टन रह गया और गेहूं का उत्पादन वर्ष 1978-79 में 114.58 लाख मी0 टन की तुलना में वर्ष 1979-80 में मात्र 96.68 लाख मी0 टन हुआ। कम उत्पादन के फलस्वरूप खाद्यान्नों की उगाही तथा बाजार में उनकी उपलब्धि में गिरावट आई। वर्ष 1979 के सूखे के बाद की अवधि में अधिक मात्रा में खाद्यान्नों की निकासी के कारण केन्द्रीय सरकारी भण्डार खाली होने लगे, जिसके फलस्वरूप मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। असम आन्दोलन एवं अनुवर्ती तेल की नाकेबन्दी तथा अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर पेट्रोलियम पदार्थों के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आयात ने मूल्यों को और ऊपर उठा दिया। राज्य सरकार जन साधारण द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों से भली-भांति अवगत है। वर्तमान परिस्थितियों को

[श्री ब्रह्मदत्त---]

देखते हुए हम वित्तीय अनुशासन चुस्त रखने, सार्वजनिक धनराशि के व्यय का अधिकतम उत्पादक प्रभाव सुनिश्चित करने तथा समाज में कार्यरत सभी सृजनकारी एवं उत्पादक शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इसके साथ ही साथ हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए भी कदम उठाया है जो मुद्रास्फीति के विरुद्ध हमारी रणनीति का आधारभूत अंग रहेगा। जमाखोरों और चोरबाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि विभिन्न वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक उपायों द्वारा शीघ्र ही मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियन्त्रण हो जायेगा। सरकार द्वारा जो विभिन्न कदम उठाये गए हैं, उसके परिणामस्वरूप राज्य की आर्थिक व्यवस्था में निश्चित सुधार हुआ है और विकास की सम्भावनायें उज्जवल प्रतीत होती हैं। चालू वर्ष में कृषि क्षेत्र में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष के 42.79 लाख मी0 टन की तुलना में 86 लाख मी0 टन अनुमानित है जो लगभग शत-प्रतिशत अधिक है। प्रारम्भिक अनुमानों से यह पता चलता है कि चावल का उत्पादन गत वर्ष के 25.51 लाख मी0 टन की तुलना में 60 लाख मी0 टन होगा अर्थात् 135.2 प्रतिशत की वृद्धि प्रत्याशित है। आलू का उत्पादन गत वर्ष के 31.62 लाख मी0 टन की तुलना में 47 लाख मी0 टन तक तथा दलहन और तिलहन का उत्पादन गत वर्ष के 9.59 लाख मी0 टन की तुलना में लगभग 15 लाख मी0 टन सम्भावित है। अनुकूल शीतकालीन वर्षा के कारण गेहूं की भी अच्छी फसल होने की आशा की जाती है।

औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 6 महीनों में अर्थ-व्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ी है। जब वर्तमान सरकार ने सत्ता संभाली थी तो राज्य में औद्योगिक उत्पादन का मूल्य सूचकांक जून, 1980 को समाप्त होने वाले तिमाही में गत 3 वर्षों की तुलना में निम्नतम अर्थात् जून, 1979 के 121.3 और जून, 1978 के 145.4 की तुलना में 111.2 था। सीमेन्ट उत्पादन का मूल्य सूचकांक जून, 1979 के 131 के समक्ष जून, 1980 में उससे कम अर्थात् 124.2 था। वनस्पति का सूचकांक एक वर्ष पूर्व के 117.7 के समक्ष जून, 1980 में कम होकर 98.1 रह गया। सूती वस्त्रों का सूचकांक जून, 1979 के 81.5 के समक्ष जून, 1980 में 62.5 था। यद्यपि सितम्बर, 1980 का औद्योगिक उत्पादन मूल्य सूचकांक अभी उपलब्ध नहीं हो सका है फिर भी प्रारम्भिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि अप्रैल-जून, 1980 की तुलना जुलाई-सितम्बर, 1980 की तिमाही का उत्पादन 18 प्रतिशत अधिक था जबकि गत वर्ष के जुलाई-सितम्बर की संगत तिमाही में 8.8 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी। अक्तूबर, 1980 से विद्युत उत्पादन की स्थिति में सुधार के फलस्वरूप लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में, विशेष रूप से सीमेन्ट, उर्वरक, लोहे और इस्पात के उत्पाद, रसायन, कपड़ा, वनस्पति और कागज का उत्पादन बढ़ने की आशा है इस प्रकार दो प्रमुख मोर्चों अर्थात् विद्युत् स्थिति में सुधार लाने तथा औद्योगिक शांति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति का निश्चित प्रतिफल अभी से दिखाई देने लगा है।

इस वर्ष अक्तूबर-दिसम्बर में कुल ऊर्जा उत्पादन गत वर्ष की संगत अवधि से 514 मिलियन यूनिट अधिक था। परिणामस्वरूप मांग में वृद्धि होने के बावजूद न केवल रबी की सिंचाई की मांग संतोषजनक रूप से पूरा करना ही बल्कि उद्योगों तथा नगरों को और अधिक बिजली उपलब्ध कराना भी सम्भव

हो सका है। अक्तूबर-दिसम्बर, 1980 के महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों को वर्ष 1979 के 5 घंटे प्रति दिन के समक्ष 7 घंटे प्रति दिन बिजली दी गई थी। जबकि अक्तूबर-दिसम्बर, 1979 में उद्योगों पर 66.2/3 प्रतिशत विद्युत् कटौती लागू थी, इस वर्ष उक्त तिमाही में 25 नवम्बर, 1980 तक यह कटौती केवल 33 1/3 प्रतिशत तथा उसके बाद रबी की सिंचाई हेतु मांग उच्चतम सीमा पर होते हुए भी 50 प्रतिशत थी। खाद, सीमेन्ट, चीनी, वनस्पति एवं दवाइयों के कारखाने अगस्त, 1980 से सभी कटौतियों से मुक्त कर दिए गए थे। अन्य उद्योगों पर यह कटौती 1 जनवरी, 1981 से 33.1/3 प्रतिशत कर दी गई है। कुछ आवश्यक उद्योगों पर यह 25 प्रतिशत ही है। इसके अतिरिक्त आर्क भट्ठियों को जिन पर गत वर्ष इसी अवधि में 100 प्रतिशत कटौती लागू थी, इस वर्ष 8 घंटे प्रति दिन बिजली देना सम्भव हो सका है। अगस्त, 1980 से नई इकाइयों को 5 वर्ष के लिए बिजली की कटौती से छूट प्रदान करके नए उद्योगों को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने का साहसपूर्ण निर्णय भी शासन ने लिया है। गत वर्ष अक्तूबर-दिसम्बर में नगर क्षेत्रों में प्रति दिन 6 घंटे बिजली की ब्लाक कटौती की जाती थी जो अब केवल चार घंटे प्रतिदिन ही है। कस्बाल नगरों में यह एक घंटे ही है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु, जिसका उच्चतर उत्पादन का वातावरण पैदा करने में बहुत अधिक योगदान रहा है, यह है कि शासन की श्रम सम्बन्धी निर्दिष्ट नीति के कारण औद्योगिक शांति का वातावरण उत्पन्न हो गया है। जुलाई से नवम्बर, 1980 की अवधि के 47 हड़ताल एवं तालाबन्दी की तुलना में गत वर्ष इसी अवधि में 78 हड़तालें एवं तालाबन्दी हुई। इस वर्ष इसी अवधि में 3·11 लाख श्रम दिवसों की क्षति हुई, जबकि 1979 में 7·78 लाख तथा वर्ष 1978 में 6·98 लाख श्रम दिवसों की क्षति हुई थी। पारस्परिक विश्वास एवं उत्तरदायित्व का वातावरण उत्पन्न करने के लिए शासन ने 'प्रबन्ध में श्रम सहभागिता' को प्रोत्साहित किया है। हम उत्पादकता में वृद्धि लाने तथा राज्य के औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से स्थिर औद्योगिक सम्बन्ध एवं अधिकाधिक श्रम सहभागिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहते हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, पिछली सरकार द्वारा रोलिंग प्लान लागू किये जाने के कारण नियोजन की प्रक्रिया को गहरा धक्का लगा था। केन्द्रीय योजना आयोग के नेतृत्व में हमने अर्थ क्षम्य नियोजन पद्धति को पुनः स्थापित किया है। राज्य योजना आयोग के परामर्श से राज्य सरकार ने वर्ष 1980-85 की अवधि के लिए 9,661 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी छठी पंचवर्षीय योजना तैयार की। इसमें न्यूनतम विकास दर का लक्ष्य 6 प्रतिशत रखा गया। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने केन्द्रीय सहायता के फार्मूले में परिवर्तन करने तथा बाजार ऋण का अधिक अंश प्रदेश को उपलब्ध कराने के लिए प्रबल मांग की थी। आपको यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधान मन्त्री जी व राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा हमारी मांग स्वीकार कर ली गई और बाजार ऋणों के अंशदान तथा केन्द्रीय सहायता के फार्मूले को संशोधित कर दिया गया है जो हमारे अनुकूल है। उपाध्यक्ष, केन्द्रीय योजना आयोग व अपने प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी से विचार-विमर्श के पश्चात् प्रदेश के लिए 6,200 करोड़ रुपये का परिव्यय छठी पंचवर्षीय योजना हेतु पिछले माह दिसम्बर, 1980 में निश्चित हुआ

[श्री ब्रह्म दत्त--]

है । सभी सम्भव मंचों पर वृहत्तर योजना हेतु राज्य की मांग पर बल देने का हमारा प्रयास निरन्तर जारी रहेगा । यद्यपि केन्द्रीय सरकार, ऋण देने वाली संस्थाओं तथा बाजार से हर सम्भव सहायता प्राप्त होने की आशा है, फिर भी प्रदेश में यथासम्भव बड़े से बड़ा प्लान लागू करने के लिए हम स्वयं भी अपने संसाधनों में वृद्धि करने की दिशा में विवेकपूर्ण व सभी आवश्यक कदम उठाने के अपने निश्चय पर दृढ़ हैं । पिछली सरकार की निरुत्साहपूर्ण कार्यवाहियों तथा अनिश्चित नीतियों की बड़ी महंगी कीमत प्रदेश की जनता को चुकानी पड़ी है । हम प्रदेश को पुनःठोस रूप से प्रगति के मार्ग पर लाना चाहते हैं ।

हम पर्वतीय क्षेत्र के लिए हिमांचल प्रदेश की अपेक्षा कुछ अधिक परिव्यय के लिए योजना आयोग की सहमति प्राप्त करने में सफल हुए हैं । वर्ष 1980-85 का पर्वतीय क्षेत्र का परिव्यय 570 करोड़ रुपये रखा गया है ।

6,200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की वर्ष 1980-85 की हमारी योजना देश में सबसे बड़ी योजना है । निःसन्देह यह हमारी आकांक्षाओं से कम है, किन्तु योजना को वर्षानुवर्ष बढ़ाने की दिशा में हम निरन्तर प्रयास करते रहेंगे । वर्तमान क्षमता के श्रेष्ठतर सदुपयोग, कार्य पूर्ति के समुन्नत अनुश्रवण, व्यय की सामयिक स्वीकृति एवं अनुसरण द्वारा हम विकास पर आयोजनागत परिव्यय का इष्टतम प्रभाव उत्पन्न करने की आशा करते हैं । हमारी वर्तमान योजना वर्ष 1974-79 की 2,924.46 करोड़ रुपये से 112 प्रतिशत तथा वर्ष 1978-83 की 4,800·00 करोड़ रुपये की प्रारूप योजना से लगभग 30 प्रतिशत अधिक है । केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को और अधिक संख्या में प्राप्त करने की दिशा में हमें अपने प्रयासों में और अधिक तेजी लानी होगी ।

हमने यह भी निर्णय लिया है कि प्लान परिव्यय में कटौती के बावजूद प्रस्तावित विकास दर तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में हम कोई कमी नहीं होने देंगे । इसे वर्तमान क्षमता के अधिकतम उपयोग, व्यय में मितव्ययता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुशल प्रबन्ध तथा वृहत्तर निजी विनियोजन द्वारा सुनिश्चित करना होगा । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में संस्थागत वित्त भी जुटाना आवश्यक होगा ।

हमारी योजना में हमारी नीतियां प्रतिबिम्बित हैं । संक्षेप में छठीं योजना के अन्तर्गत कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं में 1,027·76 करोड़ रुपये अर्थात् 16·56 प्रतिशत, सहकारिता में 57·39 करोड़ रुपये अर्थात् 0·93 प्रतिशत, सिंचाई तथा विद्युत् में 3,337·00 करोड़ रुपये अर्थात् 53·83 प्रतिशत, उद्योग तथा खनिकर्म में 331·10 करोड़ रुपये अर्थात् 5·34 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार में 550·00 करोड़ रुपये अर्थात् 8·87 प्रतिशत और सामाजिक, सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं में 896·75 करोड़ रुपये अर्थात् 14·47 प्रतिशत के विनियोजन का प्रस्ताव है ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि हम वर्ष 1980-81 का वार्षिक योजना हेतु 933·83 करोड़ रुपये का आयोजनागत परिव्यय प्राप्त करने में सफल हुए थे । वर्ष 1981-82 के लिए केन्द्रीय योजना आयोग से परामर्श के पश्चात् 1,075 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । चालू वर्ष के परिव्यय से यह 15 प्रतिशत अधिक है । पर्वतीय क्षेत्र का परिव्यय वर्ष 1981-82 में 86 करोड़

रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है । वर्ष 1980–81 की तुलना में जिन क्षेत्रों के परिव्यय में वृद्धि की गई है उनमें प्रमुख यह हैं :—कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं में 33·16 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं विद्युत् में 60 करोड़ रुपये, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में 29·98 करोड़ रुपये और परिवहन एवं संचार क्षेत्र में 9.39 करोड़ रुपये ।

वर्ष 1981–82 के कुछ महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य निम्नवत् हैं—

खाद्यान्न उत्पादन	242 लाख मी0 टन ।
रासायनिक उर्वरकों का वितरण	14·70 लाख मी0 टन ।
निजी लघु सिंचाई कार्यों द्वारा लाभान्वित क्षेत्र	8·30 लाख हेक्टेयर ।
मध्यम तथा बड़े आकार की सिंचाई योजनाओं द्वारा लाभान्वित क्षेत्र	4·66 लाख हेक्टेयर ।
कृषि विपणन	17 मुख्य मन्डी स्थलों तथा 29 उप मुख्य मन्डी स्थलों का निर्माण ।
विद्युत् उत्पादन क्षमता में वृद्धि	200 मेगावाट ।
गांवों का विद्युतीकरण	5,430 गांव ।
हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	3,305 हरिजन बस्तियां ।
निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों का ऊर्जीकरण	51,000 ।
सड़कें तथा पुल—	
(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों का निर्माण	1,800 कि0 मी0 ।
(ख) वर्तमान सड़कों का पुन–निर्माण एवं सुधार	1,230 कि0 मी0 ।
नये स्कूल खोलना	480 प्राइमरी और 158 जूनियर हाई स्कूल ।
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप लाइन द्वारा पेय जल की व्यवस्था	20 नये नगरों तथा 2 100 गांवों में ।

सामान्य प्रशासन

राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सामान्य, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण सामाजिक वातावरण एक आधारभूत आवश्यकता है । हिंसात्मक कार्यवाहियों की सर्वथा भर्त्सना करने में सदन के सभी दलों के सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं । सामान्य जनता तोड़–फोड़ तथा आन्दोलनों से ऊब चुकी है । सामाजिक हित की दृष्टि से शान्तिमय पारस्परिक विश्वास का वातावरण पैदा करना आवश्यक है ।

पुलिस प्रशासन]

[श्री ब्रह्म दत्त—]

कानून विरोधी तत्वों से निपटने का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से पुलिस का है। पुलिस संगठन की विभिन्न शाखाओं को सुदृढ़ करने तथा उनकी दक्षता का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। इस वर्ष पी० ए० सी० की तीन विशेष वाहिनियां स्वीकृत की गई हैं तथा 2 और वाहिनियां शीघ्र ही गठित की जायेंगी। 203 नये थाने तथा 50 नई रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के खोलने के कार्यक्रम को पूरा करने के लिये शीघ्र ही 65 नये थाने और 16 नई रिपोर्टिंग चौकियां खोले जाने की आशा है।

समय से सूचना प्राप्त करने तथा पुलिस दल की गतिशीलता बढ़ाने के लिये वर्ष 1980–81 में 126 नये टेलीफोन लगवाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 1981–82 के बजट में 161 जीपों, 8 भारी गाड़ियों तथा 247 टेलीफोनों की व्यवस्था की गई है।

सरकार अपने सभी कर्मचारियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है, विशेष रूप से उन कर्मचारियों के, जिनका कर्तव्य विशिष्ट रूप से कठिन है। पूर्व में वेतनभोगी पुलिस कर्मचारियों के लिए कई सुविधायें शासन द्वारा घोषित की गई थीं। अब यह निर्णय लिया गया है कि पी० ए० सी० जवानों के 67 भोजनालयों में कूलर तथा एक्जास्ट पंखों की व्यवस्था की जाय, इंस्पेक्टरों, सब–इंस्पेक्टरों और सहायक सब–इंस्पेक्टरों के वर्दी भत्ते की धनराशि को 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाय तथा पुलिस कर्मियों के वर्दी के मानक को उदार बनाया जाय। वर्ष 1981–82 में सुल्तानपुर, बिजनौर, मैनपुरी और प्रतापगढ़ की पुलिस लाइनों, 37वीं पी० ए० सी० वाहिनी, कानपुर और पुलिस केन्द्र भंडार, कानपुर में पाइप द्वारा पेय जल की व्यवस्था की जायेगी। योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासीय भवनों के अतिरिक्त पुलिस आवास निधि पर अर्जित ब्याज से अगले वर्ष 378 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है।

कारागार

सरकार कारागारों की स्थिति में सुधार करने और बन्दियों को अतिरिक्त सुविधा तथा मानवोचित वातावरण सुलभ कराने के लिए सक्रिय है। वर्ष 1981–82 के बजट में 8 कारागारों में पेयजल सम्पूर्ति योजना तथा 15 कारागारों में विद्युतीकरण की व्यवस्था की गयी है। बजट में आहार का स्तर बढ़ाने, कम्बल की व्यवस्था करने, चिकित्सा सुविधा, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा उद्योग में लगे हुए कैदियों के पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

24 सूत्रीय कार्यक्रम

राज्य सरकार समाज के दुर्बल वर्गों के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में बहुत जागरूक है। 20 सूत्रीय तथा 4 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबों, भूमिहीनों, कारीगरों, बुनकरों अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। इस भाषण के अन्य भागों में प्रत्यक सूत्रों पर की गयी कार्यवाही का उल्लेख मैंने किया है। यहां मैं केवल इस बात पर बल देना चाहूंगा कि 24 सूत्रीय कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं: पहला—आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करना तथा दूसरा—समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर एवं आय को तेजी से और प्रभावी

ढंग से ऊंचा उठाना। इन कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रि–परिषद् की एक उपसमिति का गठन किया गया है। फील्ड स्तर पर शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अधिकारियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी गठित की गयी है।

वर्ष 1981 विकलांगों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। विकलांगों के लिए वर्तमान योजना को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा उन्हें अतिरिक्त सुविधायें दी जा रही हैं। कुशल विकलांग कर्मचारियों तथा उनके सेवायोजकों को पारितोषिक देने की योजना बजट में सम्मिलित की गयी है।

राजस्व प्रशासन

अब मैं नीति सम्बन्धी कुछ उन आधारभूत विषयों की चर्चा करूंगा जिन्हें हमारी सरकार शीर्ष प्राथमिकता देती है। यह सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के अधिकारों से सम्बन्धित हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1971–72 में उत्तर प्रदेश में 172 लाख परिवार कृषि पर आश्रित थे इनमें से 86 लाख अर्थात् 50 प्रतिशत परिवार या तो पूर्णतया भूमिहीन थे या उनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि थी। भूमि पर अधिकार न केवल आय एवं परिसम्पत्ति का द्योतक है बल्कि ग्रामीण जन समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक वर्गीकरण का आधार भी है। इस सन्दर्भ में निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :—

(क) दिनांक 10 नवम्बर, 1980 को उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 प्रवर्तित किया गया। इससे तीन बातें सुनिश्चित होंगी, प्रथम यह कि तालाब, पोखर तथा अन्य जलमग्न भूमि मछुओं, कुम्हारों और धोबियों आदि को आवंटित की जा सकेगी। दूसरे सार्वजनिक उपयोग की भूमि के आवंटन को जिन्हें पिछली सरकार निरस्त करना चाहती थी, अब आवंटियों को आसामी के अधिकार देकर विनियमित कर दिया गया है। इस प्रकार निर्बल वर्ग के 80,000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। तीसरे सहायक कलेक्टरों को प्राधिकृत किया गया है कि वे गांव सभा या सीलिंग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों को बेदखल कराने की स्वतः कार्यवाही करें। यदि ऐसा व्यक्ति भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो उसे कारावास का दंड दिया जायेगा जो 6 मास से कम न होगा और वह जुर्माने का भी भागी होगा। अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य में 3,000 से अधिक फौजदारी के मुकदमे चलाये गये हैं और कुल 19·54 लाख आवंटियों में से 18·41 लाख का कब्जा सुनिश्चित किया गया है।

(ख) जनजाति क्षेत्रों में जहां अवैध तत्वों ने जनजाति के व्यक्तियों के भूमि अधिकारों को हड़प लिया है, जमींदरी उन्मूलन अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि उन्हें भूमि वापस मिल सके।

(ग) सीलारोपण कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किया जायेगा और जो भूमि वर्ष 1972 के बाद सार्वजनिक सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत आई है, वह भी सीलिंग अधिनियम से प्रभावित होगी।

[श्री ब्रह्म दत्त—]

अब मैं क्षेत्रीय प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु किये गये प्रयासों का उल्लेख करना चाहूंगा। मुरादाबाद में एक नया मन्डल 11 सितम्बर, 1980 से सृजित किया गया है। कानपुर (देहात) जनपद को पुनर्जीवित किया गया है तथा 16 नवम्बर, 1980 से इलाहाबाद जिले में एक नई तहसील बारा बनायी गयी है। 144 तहसील मुख्यालयों पर परगना अधिकारियों, पुलिस सर्किल अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए कार्यालय, न्यायालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण किया जाना है। इनमें 73 स्थानों पर कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है। गाजियाबाद जिले में लघु सचिवालय (मिनी सेक्रेटेरिएट) के निर्माण की स्वीकृति दिसम्बर, 1980 में प्रदान की जा चुकी है। 15 पुराने तहसील भवनों के पुनर्निर्माण और बादरी, गढ़मुक्तेश्वर, कुलपहाड़, महमूदाबाद, तालबेहट, धौरहरा तथा भिन्गा के नव सृजित 7 तहसील मुख्यालयों पर कार्यालयों तथा आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है।

विकेन्द्रीकरण तथा क्षेत्रीय नियोजन

माननीय सदस्य गण बहुत लम्बे समय से यह चर्चा का विषय रहा है कि हम अपने प्रदेश को किस प्रकार प्रशासित करें जिससे कि निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकें। हमारी सरकार इस सम्बन्ध में विकेन्द्रीकरण की नीति के प्रति वचनबद्ध है। इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में एक टास्क-फोर्स की संस्तुतियों एवं मन्डलीय स्तर पर प्रशासनिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश के वित्त एवं नियोजन मंत्री की अध्यक्षता में एक दल ने महाराष्ट्र में जनपदीय नियोजन के ढांचे का अध्ययन किया। इसकी संस्तुतियां भी विचाराधीन हैं। इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा। वर्ष 1981-82 से प्रारम्भ करके कई चरणों में इसे कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इससे निःसन्देह प्रदेश की एक लम्बे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता की पूर्ति होगी।

कृषि विकास एवं समावेश क्षेत्र

अब मैं सदन का ध्यान कृषि की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ऐसे प्रदेश में जिसकी आय का लगभग 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है और जिसकी 85 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इस क्षेत्र में तीव्रतर आर्थिक प्रगति अर्थ-व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैंने अभी वर्ष 1980-81 की सम्भावनाओं पर चर्चा की थी। वर्ष 1981-82 में अधिक उत्पादन एवं प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए हमारी रणनीति बहु-फसली क्षेत्रफल को बढ़ाने अधिक उपजदायी प्रजातियों के प्रयोग, पौध सुरक्षा उपायों, रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग, भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध पर आधारित रहेगी। उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से बुन्देलखंड तथा पूर्वी क्षेत्रों में ड्राई फार्मिंग, मिश्रित फार्मिंग तथा इन्टर क्रापिंग पर विशेष बल दिया गया है तथा परती क्षेत्रों को समुचित फसलों से आच्छादन और सुरक्षित भंडारण तकनीकियों का प्रयोग अगले वर्ष बड़े व्यापक पैमाने पर किया जायेगा। पूर्व उल्लिखित लक्ष्यों के अतिरिक्त अगले वर्ष कपास की 10,000 गांठें, जूट की 1.20 लाख गांठें तथा 24.00 लाख मी० टन तिलहन के उत्पादन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। भौतिक लक्ष्यों में उन्नत बीज 1.80 लाख कुन्तल, 200 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौध सुरक्षा 11.55 लाख नमूनों का मृदा परीक्षण, 55,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में भूमि संरक्षण तथा 20,000 हेक्टेयर में ऊसर भूमि सुधार भी सम्मिलित है। अधिकतम कृषि

उत्पादन हेतु सिंचन क्षमता का पूर्ण सदुपयोग नितांत आवश्यक है। अतएव वर्ष 1981-82 में रामगंगा, शारदा सहायक तथा गन्डक समादेश क्षेत्र में 4.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फार्म विकास कार्य किये जायेंगे।

दलहन तथा तिलहन के उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु अगले वर्ष बुन्देलखंड क्षेत्र में चने में लगने वाले फली छेदक कीट से बचाव के लिए हवाई छिड़काव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी प्रकार आगरा, कानपुर, इटावा और लखीमपुर-खीरी जनपदों में सरसों की फसल को माहू कीट से बचाने के लिए हवाई छिड़काव भी प्रस्तावित है।

कृषि विपणन

कृषकों को केवल पर्याप्त विपणन व्यवस्था द्वारा ही उनकी उपज का पारितोषिक मूल्य सुनिश्चित कराया जा सकता है। इस उद्देश्य से वर्ष 1980-81 के 13 मुख्य तथा 15 उप मण्डी स्थलों के लक्ष्य के विपरीत वर्ष 1981-82 में 17 मुख्य तथा 29 उप मण्डी स्थलों का निर्माण प्रस्तावित है। अगले वर्ष मंडी समिति की 255 कि0 मी0 कच्ची सड़कों पर खड़ंजा लगाने का भी कार्य किया जायेगा।

औद्यानिकी

भयावह सूखे तथा अनुवर्ती बाढ़ के बावजूद वर्ष 1980-81 में फल व शाक-सब्जी तथा आलू के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की सम्भावना है। फलों का उत्पादन वर्ष 1979-80 के 29·80 लाख मी0 टन की अपेक्षा चालू वर्ष में 31·55 लाख मी0 टन होने की आशा है। इसी प्रकार आलू का उत्पादन 47 लाख मी0 टन होने की आशा है जो गत वर्ष की तुलना में 15·38 लाख मी0 टन अधिक होगा।

वर्ष 1980-81 में फलों के 60 लाख पौधे, 40 लाख दूसरी किस्म के पौधे, 2,500 क्विन्टल सब्जी के बीज, तथा राज्य प्रक्षेत्रों पर उत्पादित 55,000 क्विन्टल आलू का आधारित बीज कृषकों को वितरित किया गया। वर्ष 1981-82 में 13 उद्यानों जिनमें से प्रत्येक 5 एकड़ से अधिक हैं, के सुधार एवं रख-रखाव के लिए योजना प्रारम्भ की जायेगी। आय-व्ययक वर्ष में फल, शाक-सब्जी तथा आलू की खेती का लक्ष्य क्रमशः 6·05, 6·13 तथा 3·15 लाख हेक्टेयर रखा गया है जिससे क्रमशः 33·10, 71·04 तथा 48·00 लाख मी0 टन उत्पादन अनुमानित है।

ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई

अगले वर्ष कार्यान्वित किये जाने वाले सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, हरिजन बस्तियों में पेय जल की व्यवस्था, ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास की व्यवस्था तथा ग्रामीण कमजोर वर्गों के लिए स्थानीय विकास योजना पर विशेष बल दिया जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्यगण अवगत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी उन प्रमुख मुद्दों में से एक है जिनका प्रदेश को सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व चालू वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धनों के अभ्युत्थान के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार तथा स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्ति के सृजन के लिए 60 प्रतिशत सहायता भारत सरकार से प्राप्त होगी तथा शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान होगा। मुझे आपको यह

[श्री ब्रह्म दत्त--]

बताते हुये हर्ष है कि वर्तमान वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 17·21 करोड़ रु0 की नकद सहायता तथा तथा 74,500 मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया जा चुका है। वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक में 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की तदर्थ व्यवस्था कर ली गई है तथा वर्ष के दौरान अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने की भी हमें आशा है।

अक्तूबर, 1980 तक हरिजन बस्तियों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 10·80 करोड़ रुपय व्यय किये गये हैं तथा 24,141 कुएं और 673 डिग्गियों का निर्माण किया गया है। अगले वर्ष इस निमित्त 2 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। वर्ष 1981-82 की अवधि में यू0 पी0 डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन के डिजाइन पर सब्सिडी देकर लगभग 14,000 गृहों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जायेगा।

अगले वर्ष 20,000 केवल बोरिंग 1,52,640 निजी नलकूप तथा पंपसेट, 12,000 कुएं और रहट तथा बन्धी, गूल व हौज के द्वारा 8·30 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल में लघु सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव भी है। बुन्देलखंड, इलाहाबाद तथा मिर्जापुर के पथरीले क्षेत्रों में लगाये गये नलकूपों या पंपिंग सेटों पर 50 प्रतिशत तक राज्य सहायता जोकि अधिकतम 15,000 रुपया होगी, दिए जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। असफल नलकूपों के लिए यह सहायता 90 प्रतिशत होगी।

ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार के लिए 2 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों को उच्चीकृत किया जायेगा तथा वर्ष 1981-82 में बक्शी का तालाब में एक राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जायेगी।

एकीकृत ग्राम्य विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का एकीकरण एक आधारभूत आवश्यकता है। 2 अक्तूबर, 1980 को प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम का पूरे प्रदेश में विस्तार करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक विकास खंड में 600 परिवार इसके अन्तर्गत लिए जायेंगे। इस प्रकार वर्ष 1981-82 में लगभग 5·30 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

सहकारिता

कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरित ऋण का लक्ष्य, जो वर्ष 1980-81 में 327 करोड़ रुपये था, वर्ष 1981-82 में बढ़ाकर 355 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें 250 करोड़ रुपये अल्प-कालीन फसली ऋण, 30 करोड़ रुपये मध्यकालीन ऋण तथा 75 करोड़ रुपये लघु सिंचाई, भूमि विकास, औद्यानिकी, गोबर गैस संयंत्र तथा फार्म यंत्रीकरण के लिए दीर्घकालीन ऋण सम्मिलित है। चालू वर्ष के 181 करोड़ रुपये की तुलना में अगले वर्ष 210 करोड़ रुपये के रासायनिक उर्वरक प्रादेशिक सहकारी संघ के माध्यम से वितरित किये जायेंगे। विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत 67 करोड़ रुपए की लागत से 4,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 150 शीतगृहों का निर्माण भी अगले वर्षों में प्रस्तावित है। इस वर्ष के 17 के विपरीत अगले वर्ष 30 शीतगृहों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। हल्द्वानी में 6·50 करोड़ रुपये की लागत के 30,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लान्ट को

लगाने के लिए सहायता देना योरोपियन इकनामिक कम्यूनिटी ने स्वीकार कर लिया है और वर्ष 1981–83 से प्रारम्भ करके अगले 3 वर्षों में इसे पूरा किया जाने की आशा है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सहकारिता संघ को एक मूल्य उतार–चढ़ाव निधि स्थापित करने के लिए सहायता देने का भी निर्णय लिया है जिससे कि कृषि उत्पाद, जिस पर मूल्य समर्थन योजना लागू नहीं होती है, को भी उचित मूल्य पर खरीदा जा सके।

प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित कराने की नीति की घोषणा भी की है, जिसका उल्लेख मैं आगे करूंगा।

चीनी उद्योग

माननीय सदस्यगण भलीभांति अवगत हैं कि किस प्रकार पिछली सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण वर्ष 1977–78 में गन्ना उत्पादकों को कटु अनुभव हुआ था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वर्ष 1979–80 में गन्ने के उत्पादन में बहुत अधिक गिरावट आई थी, जिससे चीनी के उत्पादन में भी कमी हुई थी और निर्धन वर्गों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ा था। वर्ष 1980–81 में गन्ने का उत्पादन 540 लाख मी0 टन अनुमानित है। अगले वर्ष अच्छी फसल होने की सम्भावना है। चीनी की उपलब्धता की स्थिति में इससे निश्चय ही सुधार होगा। गन्ने के दाम इस वर्ष पश्चिमी व मध्य क्षेत्र में 20 रु0 प्रति कुन्तल व पूर्वी क्षेत्र में 19 रु0 प्रति कुन्तल निश्चित किये गये थे। इनमें अब पुनः 7 दिसम्बर, 1980 में 3 रु0 प्रति कुन्तल की वृद्धि की गई है। अब यह पिछले वर्ष से 45 प्रतिशत अधिक है। दिसम्बर, 1980 के अन्त तक गन्ना उत्पादकों के सत्र 1979–80 के गन्ना मूल्य के बकाए घटकर लगभग 24 लाख रुपये रह गए हैं। वर्तमान सत्र में गन्ना मूल्य के देयों का निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा इस वर्ष 2.62 करोड़ रु0 के अग्रिम की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण तथा पुनर्वासन की व्यापक योजनाएं वर्ष 1981–82 में प्रारम्भ की जायेंगी। तिलहर (शाहजहांपुर) चीनी मिल के निर्माण का कार्य इस वर्ष तक तथा सुल्तानपुर, गजरौला और महमूदाबाद चीनी मिलों का अक्तूबर, 1982 तक सम्पन्न होने की आशा है। वर्ष 1981–82 में अनूपशहर, बिलासपुर मोहीउद्दीनपुर, अमरोहा, किच्छा और चांदपुर चीनी मिलों के विस्तार के लिए 10.48 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त बगास पर आधारित लघु कागज प्लान्ट, जो प्रदेश में अपनी तरह का पहला है तथा चीनी मिलों की अर्थ–व्यवस्था में सुधार के लिए तीन डिस्टलरी के निर्माण के लिए भी वित्तीय प्राविधान किया जा रहा है।

वन

आर्थिक समृद्धि तथा पर्यावरण में सुधार लाने के लिए वर्ष 1981–82 में वन विकास कार्यक्रमों को तीव्र किया जायेगा। विश्व बैंक की सामाजिक वानिकी प्रायोजना के अन्तर्गत 41 जनपदों में 10,000 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया जायगा। 8,000 हेक्टेयर भूमि में आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों तथा 3,600 हेक्टेयर में शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण भी अगले वर्ष किया जायगा। 5,500 हेक्टेयर में यूकिलिप्टस तथा 5,000 हेक्टेयर में बांस प्रजातियों का तथा 900 किलो मीटर सड़कों के किनारे भी वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता हेतु ईंधन प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 40.90 लाख रु0 की योजना प्रस्तावित है।

[श्री ब्रह्मदत्त—]

पशुपालन एवं डेरी

पशुधन विकास के उद्देश्य से दुग्ध तथा पशुजनित पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि के लिए संकर प्रजनन की सुविधाओं का प्रसार तथा सूकर एवं बकरी पालन कार्यक्रमों को चलाने के लिए निर्बल वर्ग को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना हमारी नीति की आधारशिला होगी। देहरादून में गायों के लिए एक डीप फ्रोजेन–सीमन केन्द्र अगले वर्ष से कार्य करने लगेगा।

पंत नगर विश्वविद्यालय में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालन के लिये एक प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना के लिए 25·50 लाख रुपये धनराशि की व्यवस्था बजट में की गयी है।

माननीय सदस्यगण! मुझे यह सूचित करने में हर्ष है कि आपरेशन फ्लड–द्वितीय के लिए एक योजना राष्ट्रीय डेरी विकास परिषद् के विचाराधीन है तथा इसके अन्तर्गत प्रदेश में डेरी सेवा को और अधिक गतिशीलता प्रदान की जायेगी तथा उसे सुदृढ़ किया जायेगा। सहकारी डेरी के पुनर्वासन एवं सुधार के लिए 1·20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है तथा विपणन सुविधाओं के विकास के लिये भी एक योजना बजट में सम्मिलित की गयी है।

खाद्य एवं आवश्यक वस्तुएं

जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है, परिस्थितियां अभी भी विषम हैं। पिछले महीनों में चीनी की कमी थी; उसके बाद गेहूं की उपलब्धता में कमी होने के कारण कठिनाई आयी; अब चीनी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और आशा की जाती है कि आगामी महीनों में इसमें और अधिक सुधार होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वित किये गये हैं। यह निश्चय किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त तहसील तथा विकास खण्ड स्तर से भी किया जाय। यद्यपि वस्तुओं के बढ़े हुए संचरण के फलस्वरूप सरकार का व्यय बढ़ गया है, फिर भी यह आशा की जाती है कि नई व्यवस्था से जनसाधारण का हित होगा। ग्रामीण अंचलों में वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि सस्ते गल्ले की दूकानें सहकारी समितियों को सौंपी जायं। प्रथम चरण में लगभग 16 हजार दूकानें ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी गयी हैं। लक्ष्य यह है कि ग्रामीण अंचलों की सस्ते गल्ले की सभी दूकानें सहकारी समितियों द्वारा ही चलायी जायं। राज्य सरकार ने मुनाफाखोरों, जमाखोरों तथा अन्य आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध जेहाद बोल दिया है। अप्रैल, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक 34,357 छापे मारे गये, 2·65 करोड़ रुपये की आवश्यक वस्तुयें पकड़ी गयीं, 2,684 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज की गयीं तथा 2,720 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। खाद्य अपराधों की प्रभावी रोक–थाम के लिए पंच महानगरियों और गाजियाबाद में उड़न दस्ते गठित किए जा रहे हैं। हमारा यह दृढ़ मत है कि ऐसे व्यक्ति समाज के कलंक हैं और इनके साथ अत्यन्त कठोर व्यवहार किया जाना चाहिये। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का निःसंकोच प्रयोग किया जायगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण इस सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण का हार्दिक स्वागत करेंगे।

पर्वतीय विकास

राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के तीव्रतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया है। छठी पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र का प्लान परिव्यय बढ़ाकर 570 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो वर्ष 1978–83 के लिए पिछली सरकार द्वारा तैयार की गयी प्रारूप योजना में केवल 200 करोड़ रुपये था। वर्तमान वर्ष के 86 करोड़ रुपये के समक्ष वर्ष 1981–82 में 100 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

वर्ष 1981–82 में 800 गांवों में जिनमें पेय जल अभावग्रस्त 580 गांव भी सम्मिलित हैं, पेय जल की सुविधा प्रदान करना तथा 250 हरिजन बस्तियों में इस निमित्त डिग्गियों का निर्माण प्रस्तावित है। 800 कि0 मी0 नयी सड़कों का निर्माण, 250 कि0 मी0 वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण तथा सुधार, 30 पुलों का निर्माण तथा ओद्यानिकी के अन्तर्गत 6,000 हेक्टेयर, आलू की खेती के अन्तर्गत 1,000 हेक्टेयर और शाक–सब्जी के अन्तर्गत 1,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि लाना प्रस्तावित है। 5,200 हेक्टेयर भूमि में वनीकरण तथा 6,020 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचन सुविधा के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। 28,500 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि संरक्षण तथा चरागाह विकास प्रस्तावित है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन तथा कुटीर उद्योग को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। इस संदर्भ में नियोजन एवं अनुश्रवण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। खटीमा, बाजपुर, मुंशियारी, धारचुला और जोशीमठ विकास खण्डों में निवास करने वाली जनजातियों के लिए एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चलाने का प्रस्ताव है।

सिंचाई एवं विद्युत्

अब मैं राज्य की अर्थ–व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु पर आता हूं, अर्थात् सिंचाई क्षमता का विकास तथा अधिक विद्युत् शक्ति के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था। मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि किस प्रकार शीत–कालीन महीनों में और अधिक विद्युत् शक्ति उपलब्ध कराने की दिशा में किये गये हमारे प्रयास सफल रहे हैं।

सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा––

वर्ष 1979–80 तक राज्य के सभी संसाधनों से सृजित कुल सिंचन क्षमता 86.94 लाख हेक्टेयर थी। उसमें बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं का योगदान 60·28 लाख हेक्टेयर और राजकीय नलकूपों तथा अन्य राजकीय लघु सिंचाई कार्यों का 26·66 लाख हेक्टेयर था। उत्तर प्रदेश गंगा के मैदान में स्थित है और भूतल तथा भूमिगत जल के अध्ययन के अनुसार सम्पूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र में सामान्य रूप से दो फसलों हेतु अपेक्षित सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए यथेष्ठ जल उपलब्ध है। वर्ष 1980–85 की छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में हमने बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं से 12 लाख हेक्टेयर तथा राजकीय लघु सिंचाई योजनाओं से 8·15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 1981–82 में 4·60 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता सृजित की जायेगी। अधिक सिंचन क्षमता के सृजन के अतिरिक्त हमें उपलब्ध जल का सर्वोत्तम उपयोग भी सुनिश्चित करना है। मैंने अभी उल्लेख किया है कि किस प्रकार समादेश क्षेत्र इसे सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहरों तथा नलकूपों की गूलों पर क्रांतिग के निर्माण की

[श्री ब्रह्मदत्त—]

योजना भी प्रारम्भ की गयी है। सोन पम्प नहर, मंजा बांध, सजनम बांध, कनहर सिंचाई योजना, मौदहा बांध, बानसागर बांध, उर्मिल बांध, डोगरी बांध इत्यादि योजनाओं द्वारा बुन्देलखंड क्षेत्र पर विशेष ध्यान देकर सिंचन क्षमता के सृजन में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। पथरई बांध, कुरार बांध, लाखेरी बांध और विन्ध्याचल पम्प नहर कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन पर अगले वर्ष निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा। बुन्देलखंड क्षेत्र में सिंचन सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1981–82 में 100 राजकीय नलकूप भी निर्मित किये जायेंगे। पूर्वी जिलों की सिंचन क्षमता में विकास के लिए सरयू योजना पर कार्य की गति में तीव्रता लायी जायेगी।

टेहरी बांध, लखवार व्यासी बांध और किशाऊ बांध जो बहुद्देश्यीय प्रायोजनायें हैं, के निर्माण में भी प्रगति लायी जायेगी। राम गंगा बांध का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत शारदा सहायक, समानान्तर निचली गंगा नहर, राज घाट बांध, जमरानी बांध, कनहर सिंचाई योजना, मध्य गंगा नहर, मौदहा बांध, ओखला बैरेज, बान सागर बांध, पूर्वी गंगा नहर और भोम गोडा हेड वर्क्स के कार्य में तेजी लायी जायेगी। मध्यम योजनाओं के अन्तर्गत चित्तौरगढ़ पम्प नहर और टोंस पम्प नहर जैसी मुख्य योजनाओं के कार्य में भी प्रगति लायी जायेगी। प्राचीन नहरों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, लचूरा हेड वर्क्स, ऊपरी गंगा नहर, अनूप शहर शाखा तथा भोगनीपुर शाखा सम्मिलित हैं। भूतल तथा भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग की योजना के अन्तर्गत हिंडन किशुनी दोआब क्षेत्र में मुख्यतः धान की सिंचाई के लिए देवकली पम्प नहर, ज्ञानपुर पम्प नहर तथा चम्बल लिफ्ट योजनायें प्रस्तावित हैं। नई बड़ी योजनाओं में अर्जुन सहायक और चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता बढ़ाने की योजनायें सम्मिलित हैं। राज्य सरकार ने अग्रगामी आधार पर 5 से लेकर 8 हेक्टेयर के भूखंडों में गूल निर्माण का कार्य राजकीय व्यय पर कराने का निर्णय लिया है। अब तक इनके निर्माण का उत्तरदायित्व किसानों का था। इस निमित्त वर्ष 1981–82 में 1.25 करोड़ रुपये धनराशि की व्यवस्था कर दी गयी है। यह भी निर्णय लिया गया है कि मुख्य गूल निकास स्थान से कम से कम 100 मीटर तक पक्की की जायेगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों के किसानों को सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से 10 प्रतिशत राजकीय नलकूप ऐसे क्षेत्रों में बनवाये जायेंगे जहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का बाहुल्य हो। वर्ष 1981–82 में 1,400 राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश में औसतन 24.71 लाख हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। वर्ष 1980–81 के अन्त तक बाढ़ सुरक्षा कार्यों द्वारा 12.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लाभान्वित होने की आशा है। बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 22.50 करोड़ रुपये धनराशि की व्यवस्था वर्ष 1981–82 के बजट में की गई है तथा वर्ष 1980 की अभूतपूर्व बाढ़ से प्रभावित शहरों की सुरक्षा के लिए योजनायें तैयार करने का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्र में सुरंगों तथा बड़े सिंचाई कार्यों के निर्माण के लिए पर्याप्त निपुणता आवश्यक है। अतएव, शासन ने योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु प्रदेश में सिंचाई निर्माण निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया है। बजट में इसके लिए प्रतीक प्राविधान किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार ने कानपुर में गंगा बैराज योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस योजना का लक्ष्य कानपुर नगर के लिए ऐसे मौसम में पेयजल की व्यवस्था करना, जब पानी की कमी हो जाती है, नदी के किनारे के विद्युत् गृह के लिए पानी उपलब्ध कराना और उन्नाव के बड़े भू-भाग को कटाव से बचाना है। इसके लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए हम प्रबल प्रयास करेंगे।

विद्युत्

वर्ष 1979 के अभूतपूर्व सूखे ने राज्य की विद्युत् सम्पूर्ति की सारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया था। इस वर्ष अच्छे मानसून का आभास मिलने पर जुलाई, 1980 से तापीय इकाइयों की बड़े पैमाने पर ओवरहालिंग का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया तथा लगभग सभी बड़ी तापीय इकाइयों की ओवरहालिंग का कार्य पूरा हो चुका है। 2,000 मेगावाट विद्युत् तथा 40 मिलियन यूनिट ऊर्जा की उच्चतम दैनिक मांग के समक्ष क्रमशः 1400-1500 मेगावाट तथा 30 मिलियन यूनिट की आपूर्ति की जा रही है। माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी हाल ही में 20 जनवरी को 1485 मेगावाट के तापीय उत्पादन का एक कीर्तिमान विद्युत् परिषद् द्वारा स्थापित किया गया जो कुल उपलब्ध तापीय क्षमता का 78 प्रतिशत है।

वर्ष 1980-81 में यह निश्चय किया गया था कि 301.35 करोड़ रुपये के परिव्यय से अधिष्ठापित क्षमता में 344 मेगावाट की वृद्धि की जाय। इसके समक्ष चिल्ला विद्युत् गृह की 36 मेगावाट प्रति इकाई की तीन इकाइयां पहले ही चालू कर दी गयी हैं। ओबरा विस्तार की 200 मेगावाट की चौथी इकाई के फरवरी/मार्च, 1981 में चालू किये जाने की आशा है। इससे लक्ष्य की पूर्ति शत-प्रतिशत हो जायेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को प्राथमिकता के अनुरूप वर्तमान वर्ष में 37,470 निजी नलकूपों और पम्पिंग सेटों के लक्ष्य को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है और 4,380 गांवों तथा 2,735 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी है।

वर्ष 1981-82 में विद्युत् सेक्टर के लिये 351.35 करोड़ रुपये का आयोजनागत प्राविधान किया गया है। अधिष्ठापित क्षमता में 200 मेगावाट की वृद्धि करने, 1,818 सर्किट कि० मी० की मुख्य और 948 सर्किट कि० मी० की गौण पारेषण लाइन लगाने तथा 5,430 गांवों, 3,305 हरिजन बस्तियों और 51,000 निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव भी है।

बिजली की निरन्तर बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति के लिए 220 मेगावाट की क्षमता वाली पारीछा, 630 मेगावाट क्षमता वाली आनपारा, 440 मेगावाट क्षमता वाली टांडा तापीय परियोजनाओं पर और 120 मेगावाट की क्षमता वाली खोदरी, 90 मेगावाट क्षमता वाली मनेरीभाली-प्रथम चरण, 262 मेगावाट क्षमता वाली विष्णुप्रयाग, 1,000 मेगावाट क्षमता वाली टेहरी, 420 मेगावाट क्षमता वाली लखवार व्यासी, 156 मेगावाट क्षमता वाली मनेरीभाली-द्वितीय चरण तथा 81 मेगावाट क्षमता वाली खारा टनल जल विद्युत् परियोजनाओं पर तत्परतापूर्वक कार्य किया जा रहा है।

[श्री ब्रह्मदत्त—]

इस समय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण तथा योजना आयोग के विचाराधीन 4,600 मेगावाट क्षमता वाली 6 तापीय विद्युत् परियोजनाओं तथा 1531.5 मेगावाट क्षमता वाली 6 जल विद्युत् परियोजनाओं की स्वीकृति शीघ्रतिशीघ्र प्राप्त करने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं ।

उद्योग एवं खनिकर्म

राज्य अर्थ व्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र उद्योग तथा खनिकर्म है । राज्य सरकार ने विकास एवं पूंजी निवेश में तेजी लाने के उद्देश्य से एक औद्योगिक नीति निर्धारण का निर्णय लिया है जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को भी दृष्टिगत रखा जायेगा । एक पृथक् निर्यात प्रोत्साहन विभाग का गठन निर्यात को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने तथा निर्यात क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए किया जा चुका है । वर्तमान वर्ष में 81.50 करोड़ रु0 के विनियोजन के लिए लाइसेंस/आशय-पत्र प्राप्त हुए हैं । इसी प्रकार राज्य के सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रों में सीमेन्ट उद्योग, चीनी और कताई मिलों तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के विकास के लिए पूंजीगत विनियोजन किया जा रहा है । सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित आठ कताई मिलों की वर्तमान क्षमता में एक लाख तकुओं की वृद्धि की जा रही है तथा सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में से प्रत्येक में 5 नई कताई मिलें खोलने का निर्णय लिया गया है । 16.80 लाख मी0 टन की क्षमता की कजरहट चुनार सीमेंट प्रायोजना ने 22 दिसम्बर, 1980 से ट्रायल उत्पादन आरम्भ कर दिया है । 17 करोड़ रुपये की लागत से प्रतापगढ़ में स्थापित ट्रैक्टर कारखाने द्वारा अप्रैल, 1981 से उत्पादन प्रारम्भ करने की आशा है ।

ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण, ट्राइसेम तथा ग्रोथ सेन्टर योजनायें पहले की भांति चलायी जाती रहेंगी । धागा बिक्री केन्द्रों की संख्या में वर्ष 1981-82 में वृद्धि की जायेगी । सिल्क और टसर के उत्पादन में भी अगले वर्ष तेजी लायी जायेगी ।

माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कई केन्द्रीय औद्योगिक प्रयोजनायें स्थापित करने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । इसमें हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लि0 की एबिआनिक्स प्रायोजना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि0 की इन्सुलेटर एवं एनर्जी मीटर प्रायोजना, मथुरा रिफाइनरी की नैफ्था पर आधारित ऐरोमेटिक्स काम्पलेक्स तथा उर्वरक कारखाने आदि सम्मिलित हैं ।

अगले वर्ष राक फास्फेट, चूने का पत्थर, टंग्स्टन, सोना, तांबा और यूरेनियम के गवेषणा के कार्य में तेजी लायी जायेगी और निकिल, डोलोमाइट और अगेट की खोज कार्य आरम्भ किया जायेगा । आगामी वर्ष में बुन्देलखंड क्षेत्र में खनिजों की गवेषणा के लिए और अधिक सर्वेक्षण किये जायेंगे । उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम ने देहरादून में हाई ग्रेड तथा स्टील ग्रेड लाइमस्टोन तथा मिर्जापुर जिले में डोलोमाइट के खनन कार्य में और अधिक प्रगति की है । वर्ष 1979-80 में इन खनिजों का कुल उत्पादन 2.48 लाख मी0 टन था और वर्ष 1980-81 में इनके उत्पादन का लक्ष्य 4.35 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है । देहरादून में 5 1/2 कि0 मी0 लम्बे रज्जु मार्ग के लिए लम्बीधार योजना में कार्य आरम्भ हो गया है जो मई, 1982 तक पूरा हो जायेगा ।

परिवहन एवं संचार

शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो सामान्य रूप से जन-जीवन को इतना अधिक प्रभावित करता हो, जितना परिवहन तथा संचार। यह क्षेत्र राज्य की अर्थ-व्यवस्था में जीवन प्रदायी रुधिर संचार करने वाली धमनियों का कार्य करता है। गैर-राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिटों के उदारीकरण से सम्बन्धित राज्य सरकार का अभी हाल का निर्णय एक बहुत बड़ा नीति विषयक मोड़ है जिससे जन-साधारण के परिवहन में निश्चित ही अधिक सुविधा होगी।

आगामी वर्ष में 1,000 बसों के क्रय करने से राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यकलापों में और तेजी आयेगी और कुल चलित दूरी 47 करोड़ कि0 मी0 होने की आशा है जो वर्तमान वर्ष के लक्ष्य से 4 करोड़ कि0 मी0 अधिक है। बस बेड़े के और अच्छे उपयोग, अधिक दैनिक संचरण तथा अधिक यात्री सेवा द्वारा राज्य सरकार निगम की कार्यात्मक कुशलता में वृद्धि करने के लिए कृतसंकल्प है। श्रेष्ठतर प्रशासन, अधिक जांच चौकियों के खुलने तथा अतिरिक्त प्रवर्तन दस्तों की व्यवस्था से यात्री तथा माल कर से और अधिक आय संभावित है।

सड़कें तथा पुल

मार्च, 1980 के अन्त तक राज्य में कुल 59,133 कि0 मी0 लम्बी पक्की सड़कें थीं। आशा है कि वर्ष 1980-81 में 3,290 कि0 मी0 नयी सड़कों का निर्माण, 1,180 कि0 मी0 वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार और 67 नये पुलों का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष में सूखा सहायता के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये तथा बाढ़ सहायता के अन्तर्गत 18 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1981-82 में 1,800 कि0 मी0 नयी सड़कों के निर्माण, 1,230 कि0 मी0 वर्तमान सड़कों के पुनर्निर्माण तथा सुधार और 76 बड़े और छोटे पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है। इन कार्यों में सीतापुर जिले में फिशनपुर-बिलरिया मार्ग पर घघरिया नदी पर पुल, हमीरपुर जिले में उरई-राठ मार्ग पर बेतवा नदी पर पुल, नैनीताल जिले में रुद्रपुर-काशीपुर मार्ग पर कोसी नदी पर पुल, बरेली जिले में बरेली-मुरादाबाद मार्ग पर रेलवे उपरिगामी पुल तथा इलाहाबाद में गंगा पर द्विमार्गीय अतिरिक्त पुल का निर्माण सम्मिलित है।

आगामी वर्ष के बजट में सड़कों तथा भवनों के अनुरक्षण के लिए विशिष्ट प्राविधान किया गया है। अनावासीय भवनों के लिए 3.69 करोड़ रु0 तथा आवासीय भवनों के लिए 2.22 करोड़ रु0 की अतिरिक्त व्यवस्था अधिक अच्छे रख-रखाव के लिए की गई है। वर्ष 1979-80 में 5,400 रु0 प्रति कि0 मी0 की अपेक्षा वर्ष 1981-82 में, 7,100 रु0 प्रति कि0 मी0 की दर से पक्की सड़कों के अनुरक्षण के लिए व्यय किया जायेगा।

सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें

प्रदेश के निवासियों को सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें उपलब्ध कराना शासन का प्रथम उत्तरदायित्व है। इस सन्दर्भ में मैं शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, हरिजन व समाज कल्याण, श्रम, आवास विकास तथा नगरीय विकास और पेयजल सम्पूर्ति आदि क्षेत्रों में शासन की कुछ प्रमुख नीतियों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

[श्री ब्रह्मदत्त—]

शिक्षा—

सरकार प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है। सम्पूर्ण सदन सहमत होगा कि इस उद्देश्य के पक्ष में सामाजिक वातावरण तैयार करना प्रदेश की शीर्ष प्राथमिकता है, ताकि सभी अभिभावक 6–11 वर्ष वाले अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी हो जायं। यह बात लड़कियों की शिक्षा तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा के बारे म विशेष रूप से चरितार्थ होती है। इसी कारण वर्ष 1981–82 की मांगों में बालिका विद्यालयों के उन्नयन व विकास हेतु 28 लाख रु0 की एक योजना भवनों तथा संयंत्रों हेतु सहायता प्रदान करने के लिए सम्मिलित की गई है, जिसमें से 7 लाख रु0 अगले वर्ष दिए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1981–82 में 480 प्राइमरी स्कूल तथा 158 जूनियर स्कूल खोलने का कार्यक्रम है। प्राइमरी विद्यालयों के भवनों के मरम्मत के लिए बजट वर्ष में, इस वर्ष में प्राविधानित 20 लाख रु0 की धनराशि की अपेक्षा 1 करोड़ रु0 का बढ़ा हुआ प्राविधान रखा गया है। भारत सरकार की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा योजना का विस्तार किया जायेगा।

आधुनिक युग में वैज्ञानिक संस्कृति के विकास की परम आवश्यकता है। वर्ष 1981–82 में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा में गुणात्मक सुधार की योजना आरम्भ की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए वर्ष 1981–82 में 9 राजकीय हाई स्कूल खोला जाना तथा 11 राजकीय हाई स्कूलों को इंटरमीडिएट कालेजों में उच्चीकृत करना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में बैठने वाले निजी छात्रों को नई दिशा तथा सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से परीक्षार्थियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम के संचालन हेतु एक संस्थान की स्थापना की जा रही है।

उर्दू भाषा—

उर्दू अकादमी के माध्यम से उर्दू भाषा के विकास की गति तीव्र की जायेगी। अकादमी ने इस वर्ष इसके विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। लगभग 6,000 उर्दू अध्यापकों के स्थायीकरण का निर्णय लिया जा चुका है। राजकीय कार्यालयों में फारसी लिपि में लिखे गए उर्दू प्रार्थना–पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करके शीघ्र कार्यवाही की जाय, इसकी समुचित प्रशासनिक व्यवस्था भी की जायेगी।

नेशनल कौंसिल आफ एजूकेशन, रिसर्च ऐण्ड ट्रेनिंग तथा भारत सरकार की सहायता से उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की कठिनाइयों के विषय में एक अध्ययन करने का निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है। इसके आधार पर उर्दू भाषा के विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

प्राविधिक शिक्षा—

औद्योगिक विकास के साथ–साथ प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विस्तार की मांग बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद में नोइडा उद्योगों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए सिविल, मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग की बहुधन्धी संस्था खोलने का प्रस्ताव है, जिसमें वर्ष 1981–82 में 6 लाख रु0 एवं छठी योजनावधि में 35 लाख रु0 का व्यय अनुमानित है। सुल्तानपुर और शाहजहांपुर में भी दो प्राविधिक संस्थायें चलाई जा रही हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य--

निर्धन व्यक्तियों को अधिक से अधिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिय शासन वचनबद्ध है । प्रदेश के चिकित्सालयों तथा औषधालयों में औषधियों तथा आहार की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए लगभग दो गुना वृद्धि देकर 758 लाख रु0 की अतिरिक्त व्यवस्था प्रस्तावित है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शैय्या वाले अस्पतालों में उच्चीकृत करने के लिए कदम उठाया गया है । वर्ष 1981-82 में 10 नये अस्पताल, 85 नये होम्योपैथिक तथा 57 आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव है । साथ ही 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण का वृहत् कार्यक्रम भी आरम्भ किया जायेगा ।

विशेषज्ञ सेवा सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 1981-82 में जिला अस्पतालों में नाक, कान और गला (ई0 एन0 टी0) से 14 नये अनुभाग तथा तहसील स्तरीय अस्पतालों में 9 दन्त रुजालय खोलने का प्रस्ताव है ।

चिकित्सिक शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संगठन को पुनर्गठित करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है । इस शाखा के कार्य-कलापों पर प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए एक पृथक् निदेशालय स्थापित किया जा रहा है । लखनऊ में एक चैकित्सिक विज्ञान का स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका शिलान्यास राष्ट्रपति जी द्वारा 14 दिसम्बर, 1980 को किया गया था । आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति के विकास की दृष्टि से वर्ष 1981-82 में एक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है । अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में दो एलोपैथिक चिकित्सालय तथा 4 आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का भी प्रस्ताव है ।

हरिजन कल्याण--

राज्य सरकार ने हरिजनों के सर्वांगीण विकास के लिए "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान" की योजना भारत सरकार की सहायता से वर्ष 1980-81 से कार्यान्वित करनी प्रारम्भ की है । अगले वर्ष भी इसके अन्तर्गत 20 करोड़ रु0 का प्राविधान किया जा रहा है । वर्तमान वर्ष में इस आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के विकास के लिए अनुमानित 119 करोड़ रु0 का विशिष्ट प्राविधान था । इसके विपरीत अगले वर्ष इस प्राविधान में समुचित वृद्धि की जायेगी । वर्ष 1979-80 में यह केवल 29 : 67 करोड़ रु0 ही प्राविधानित था । साथ ही कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति 18 रु0 प्रति माह से बढ़ाकर 22 रु0 प्रति माह की जा रही है । हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था और 6 आश्रम पद्धति के विद्यालयों के लिए भवनों की व्यवस्था भी अगले वर्ष बजट में प्राविधानित है ।

श्रम---

राज्य सरकार ने 14 नवम्बर, 1980 से राज्य के जिन सार्वजनिक क्षेत्रों तथा विभागीय निर्माणरत औद्योगिक इकाइयों में 200 या उससे अधिक श्रमिक सेवायोजित हों, उनमें 'शाप' एवं 'प्लांट' स्तर के अतिरिक्त प्रबन्धक मण्डल के स्तर पर भी श्रमिक सहभागिता की योजना लागू की है । इस प्रदेश में यह प्रथम प्रयास है, जब प्रबन्धक मण्डल के स्तर पर श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है" ।

[श्री ब्रह्मदत्त—]

मैंने औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में पहले उल्लेख किया था। राज्य सरकार मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण और अभिनवीकरण पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है तथा इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि जिन नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी वर्ष 1977 या इससे पूर्व निर्धारित की गयी थी, उनमें इसे पुनरीक्षित किया जाय। इंजीनियरिंग उद्योग में श्रमिकों की मजदूरी 41·25 रु0 बढ़ा दी गई है तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 381 के ऊपर प्रत्येक बिन्दु के लिए 1 रु0 का परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का प्राविधान भी किया गया है। 1 जनवरी, 1981 से चीनी उद्योग में मूल वेतन 32 रु0 प्रतिमाह बढ़ाया गया है। बीड़ी, साबुन तथा जरी उद्योग में मजदूरी बढ़ाई गई है तथा कृषि श्रमिकों की भी न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है।

चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की धनराशि 40·00 प्रतिमास से बढ़ाकर 50·00 रु0 कर दी गयी है। इसे अगले वर्ष और बढ़ाकर 60·00 रु0 प्रतिमाह कर दिया जायेगा।

स्वायत्त शासन

राज्य सरकार स्थानीय निकायों के प्रजातांत्रिक स्वरूप के प्रति वचनबद्ध है। हमने सत्ता संभालते ही इनमें निर्वाचन कराने का प्रस्ताव रखा था। परन्तु जनगणना के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त निर्वाचन अगले वित्तीय वर्ष में सम्पन्न कराया जाय। निःसन्देह सदन के सदस्य प्रजातांत्रिक संस्थाओं में हमारी आस्था की अभिपुष्टि तथा जन प्रतिनिधियों को इन निकायों को बागडोर वापस करने के निर्णय का निश्चित रूप से स्वागत करेंगे।

इस सन्दर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय यह भी हुआ है कि इन्हें और सुदृढ़ बनाया जाय तथा इस सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल का गठन किया जायगा जो इन संस्थाओं को अर्थक्षम बनाने तथा इनको प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ करने के उपायों का सुझाव देगा। इस सिलसिले में एक बहुत पुरानी समस्या, जो जल संपूर्ति से सम्बन्धित है, पर भी कार्यवाही की जायेगी। यह निर्णय लिया गया है कि अगले वर्ष इन निकायों को 5 करोड़ रु0 की धनराशि उनके वाटर वर्क्स को सीधे विद्युत् प्राप्त करने के लिए फीडर लाइन निर्माण हेतु दी जायेगी।

(समय 6 बजे अपराह्न)

आवास एवं नागर विकास—

शहरी क्षेत्रों में आवास गृहों की व्यवस्था और नागर सेवाओं की स्थिति इन क्षेत्रों की आबादी की वृद्धि की तुलना में काफी पीछे है, जिसके फलस्वरूप मलिन बस्तियों में वृद्धि तथा आवास और नागर सेवाओं के स्तर में उत्तरोत्तर गिरावट आ रही है। ये समस्यायें ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े शहरों में निरन्तर प्रव्रजन के कारण और भी बढ़ गयी हैं तथा इसने शहरी आबादी के सबसे अधिक नाजुक वर्ग अर्थात् "नागर निर्धनों" के रहन-सहन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कानपुर विकास प्राधिकरण तथा कानपुर नगर महापालिका ने एक एकीकृत नागर विकास प्रायोजना तैयार की है, जिसमें लगभग 40 करोड़ रु0 की कुल लागत से "स्थल एवं सेवा" के अन्तर्गत रोजगार उत्पन्न कराना, 15,000 विकसित भूखंड और 20,000 परिवारों को लाभान्वित करने के लिए "अहातों के पर्यावरण में सुधार की योजना" सम्मिलित हैं। इस प्रायोजना हेतु वर्ष 1981-82 के दौरान विश्व बैंक से सहायता मिलने की आशा है। अगले वर्ष इस निमित्त 6·74 करोड़ रु0 की व्यवस्था बजट में की गयी है।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (वर्ष 1980–85) में "मलिन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार योजना" के अन्तर्गत सभी 22 नगरों को, जिनकी संख्या एक लाख से अधिक है, लाने का प्रस्ताव है। इसके लिए वर्ष 1981–82 के बजट में 2 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है।

जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 644 स्थानीय निकायों में से 429 में वित्तीय वर्ष 1979–80 के अन्त तक पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल सम्पूर्ति की व्यवस्था हो जाने की आशा है। वर्ष 1981–82 में 20 और नगरों में यह कार्य आरम्भ किया जायेगा। वर्तमान जल सम्पूर्ति के पुनर्गठन एवं विस्तार की दृष्टि से पंच महानगरियों तथा 8 अन्य नगरों में वर्तमान जल सम्पूर्ति तंत्र को पुनर्गठित और विस्तारित करने के लिए आय-व्ययक में आवश्यक व्यवस्था की गयी है।

ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम—

प्रदेश में पेयजल अभावग्रस्त 35,506 गांव हैं। मार्च, 1980 तक 10,056 गांवों में पाइप द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गयी थी, जिनमें 7,001 अभावग्रस्त गांव सम्मिलित थे। वर्ष 1980–81 में 1,500 तथा वर्ष 1981–82 में इसे बढ़ाकर 2,100 गांवों में पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। पुनरीक्षित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं के लिए वर्ष 1981–82 के बजट में 15·60 करोड़ रुपए की व्यवस्था मैदानी क्षेत्र के लिए की गयी है।

वेतन आयोग

जुलाई, 1979 में राज्य कर्मचारियों के लिए गठित वेतन आयोग ने नवम्बर, 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लगभग 11·42 लाख राजकीय तथा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों को इसकी संस्तुतियों से लाभ होगा वेतन आयोग ने जुलाई, 1979 से पुनरीक्षित वेतनमानों का सुझाव दिया है। अन्य संस्तुतियों के अतिरिक्त उन्होंने उदार रूप से सेलेक्शन ग्रेड देने, निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी आवास योजना एवं अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना अपनाने के सुझाव भी दिए गए हैं। आयोग ने भिन्न-भिन्न भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी बढ़ी हुई दरों की भी संस्तुति की है। मोटे तौर पर सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कर्मचारियों को पेंशन में दिए राहत के समान आधार पर राहत देने की संस्तुति भी की गई है, जिससे लगभग 1·23 लाख पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। उन्होंने पारिवारिक पेंशन में भी वृद्धि करने की संस्तुति दी है। इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

महंगाई भत्ता

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनाई गई पद्धति के आधार पर स्वीकृत करती रही है। भारत सरकार ने अभी कुछ समय पूर्व अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की एक किस्त दिनांक 1 सितम्बर, 1980 से स्वीकृत की है। तदनुसार राज्य सरकार ने राजकीय, स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 1 सितम्बर, 1980 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किन्तु उन्हीं दरों पर स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

[श्री ब्रह्मदत्त--]

वित्तीय प्रबन्ध

जहां तक शासन की नीतियों तथा कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, मैं अब तक अधिकांश पहलुओं पर प्रकाश डाल चुका हूं। शासन की नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए निष्ठापूर्वक तथा सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य में उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों की श्रेष्ठ कुशल प्रबन्ध भी अपेक्षित हैं। सरकारी प्रयासों का अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए मूल्य जागरूकता, सार्वजनिक व्यय के प्रति, सतर्कता एवं मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। मैं इस प्रयासों के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग प्राप्त करना चाहूंगा।

राज्य सरकार द्वारा गठित, कराधान जाँच समिति की संस्तुतियों को कार्यान्वित करने तथा व्यापारी वर्ग की बहुत दिनों से चली आ रही मांग की पूर्ति की दृष्टि से 3 अक्तूबर, 1980 से बिक्रीकर अधिकरण का गठन किया गया है। यह दूसरी अपीलों को, जिसे पहले पुनर्वाद कहा जाता था तथा जिसका निस्तारण अब तक जज तथा अतिरिक्त जज पुनर्वाद बिक्रीकर द्वारा किया जाता था अब निस्तारित कर रहा है।

वर्ष 1978 से लागू मद्यनिषेध नीति पर पुनर्विचार करने के पश्चात् उस नीति को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध समाप्त करने का निणय लिया गया था। देशी शराब की शक्ति को घटा दिया गया है जिससे प्रति बोतल अल्कोहल का उपभोग सीमित हो जाय और विदेशी मदिरा का उपयोग न्यूनतम करने के लिए ऐसी शराब पर आबकारी शुल्क को प्रति लीटर 40 रु० से बढ़ाकर 55 रु० प्रति लीटर कर दिया गया है। औद्योगिक अल्कोहल की निर्यात नीति के समीचीनीकरण की दृष्टि से सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि विकृत (डिनेचर्ड) स्प्रिट और विशेष विकृत स्प्रिट पर निर्यात पास फीस को समान रूप से 2 रु० प्रति बल्क लीटर की दर से वसूल किया जाय। परिणामस्वरूप राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ रु० अतिरिक्त आय होने की आशा है।

जनता में राष्ट्रीय बचत योजना का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह मितव्ययता एवं बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है और इस प्रकार मुद्रास्फीति को रोकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से जो शुद्ध धनराशि जमा होती है उसकी दो तिहाई धनराशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है, जिसका उपयोग विकास योजनाओं पर किया जाता है। राज्य के संसाधन के रूप में इसकी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार इस कार्यक्रम को अगले वर्ष अधिक गतिशील बनायेगी। इस प्रदेश में वर्ष 1979-80 में 153 करोड़ रु० शुद्ध संग्रह किया गया था। हम वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में और भी अधिक संग्रह करने की आशा करते हैं।

प्रदेश में इस समय वाणिज्यिक बैंकों की 3,904 शाखायें कार्य कर रही हैं। वर्ष 1980-81 में 180 शाखायें खोली गयी हैं, जिनमें से 149 ग्रामीण एवं अर्धनागर क्षेत्रों में स्थित हैं। इस समय औसतन 23,000 की जनसंख्या पर एक बैंक शाखा है। जिसके वर्ष 1981 के अन्त में घटकर 20,000 हो जाने की आशा है।

लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा ग्रामीण कारीगरों को आर्थिक सहायता देने के लिये अब तक राज्य में भिन्न-भिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी है, गत वर्ष के बजट भाषण में 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का उल्लेख किया गया था। ये सभी बैंक खोले जा चुके हैं।

कुशल कर-प्रशासन अच्छे वित्तीय प्रबन्ध का द्योतक है। हम कर नियमों के सरलीकरण के प्रति कटिबद्ध हैं तथा कुछ बिन्दुओं पर पहले से ही आदेश जारी किये जा चुके हैं। जुलाई, 1980 में प्राप्त कराधान जांच समिति की रिपोर्ट से हमें काफी सहायता मिली है। करापवंचन की रोकथाम के लिये तथा ईमानदार करदाताओं को सुविधा तथा सहायता पहुंचाने के लिये भी सतत अनुश्रवण किया जा रहा है। हम यह भी चाहते हैं कि उन कर अधिकारियों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न में लिप्त पाए जाते हैं, सख्त कार्यवाही की जाय।

बकायों की वसूली

30 सितम्बर, 1980 को कर एवं करेतर देयों का अवशेष 283.72 करोड़ रु० था। इसी तिथि को उन ऋणों का ब्याज सहित अवशेष जिनका लेखा विभागाध्यक्षों द्वारा रखा जाता है, 70.51 करोड़ रु० था। राज्य सरकार ने देयों की जांच के लिये कदम उठाये हैं ताकि न वसूल होने योग्य देयों को पृथक् किया जा सके तथा शेष देयों की वसूली के लिये प्रभावशाली प्रयास किया जा सके, जिससे आयोजना के संसाधनों में वृद्धि हो सके।

आय-व्ययक अनुमान 1981-82

अब मैं आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमानों की चर्चा करना चाहूंगा। प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार आगामी वर्ष में राजस्व लेखे एवं पूंजी लेखे दोनों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 2,555.45 करोड़ रुपये है। राजस्व प्राप्तियों की 1,853.82 करोड़ रुपये की राशि में 650.27 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 291.27 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्य अनुदान, 626.86 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 285.42 करोड़ रुपये का करेतर राजस्व सम्मिलित है। पूंजीगत लेखे की 701.63 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 644.87 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 56.76 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं।

अगले वर्ष का राजस्व व्यय 1,744.13 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुए 329.52 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिए तथा 1,414.61 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिए हैं। पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी और ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखे का कुल व्यय 1,018.85 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें 710.57 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 308.28 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिए हैं। इस प्रकार राजस्व एवं पूंजीगत लेखों में कुल 2,762.98 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसके कारण संहत निधि के अन्तर्गत 207.53 करोड़ रुपये का घाटा सम्भावित है।

[श्री ब्रह्मदत्त--]

लोक लेखे के अन्तर्गत 110.07 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर बजट वर्ष में समस्त लेन-देनों के परिणामस्वरूप 97.46 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है, जिसके फलस्वरूप आय-व्ययक वर्ष का 2.60 करोड़ रुपये का प्रत्याशित प्रारम्भिक शेष बजट वर्ष के अन्त में 94.86 करोड़ रु0 के ऋणात्मक शेष में परिवर्तित हो जाने का अनुमान है ।

वर्ष के संसाधनों में 97.46 करोड़ रु0 के अनुमानित घाटे को बकाया सरकारी देयों की वसूली में और अधिक दक्षता लाकर, आयोजनेतर व्यय में मितव्ययता करके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संस्थागत वित्त से अधिकतम सहायता दिलवाकर और उनके कार्य सम्पादन तथा दक्षता में ऐसे सुधार करके जिससे कि वे राज्य की आय-व्ययक सम्बन्धी सहायता पर कम निर्भर रहें, 15 करोड़ रु0 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हमारे मुख्य मंत्री जी ने कुछ समय पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष से छठी योजना पर विचार-विमर्श किया था तथा प्रदेश को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित किये जाने पर विशेष बल दिया था । आय-व्ययक वर्ष में हम इस मामले पर पुनः बल देंगे । उक्त विचार-विमर्श के दौरान हमने केन्द्रीय योजना आयोग से केन्द्रीय कर-राजस्व की वृद्धि हेतु अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाये जाने पर भी बल दिया था । हमें आशा है कि यह प्रस्ताव अगले वर्ष साकार हो जायेगा और इससे तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से हम 82.46 करोड़ रु0 के अन्तर को पर्याप्त सीमा तक कम करने में सक्षम हो सकेंगे । फिर भी जो कमी रह जायेगी उसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार वर्ष के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों पर विचार करेगी । हम जनता की सीमित कर-वहन-क्षमता तथा विकास के मोर्चे पर बढ़ती आकांक्षाओं के बीच उत्पन्न द्विविधा से भलीभांति परिचित हैं । कराधान जांच समिति ने अनेक उपाय सुझाये हैं, जिनका उद्देश्य वर्तमान ढांचे के अधीन कर-पद्धति का अभिनवीकरण, उसका सरलीकरण तथा कर संरचना के आधार का विस्तारीकरण है, ताकि उसे अधिक उत्प्लवी बनाया जा सके । राज्य सरकार उसकी संस्तुतियों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है तथा योजना की वचनबद्धता को सम्यक् रूप से पूरा करने के लिए यथोचित निर्णय लेगी । मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्यगण विकास सम्बन्धी व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के साथ-साथ निर्धनों को राहत दिलाने तथा जनता की आर्थिक सम्पन्नता के अनुसार ही कराधान के सम्बन्ध में मेरे समान ही चिंतित होंगे । साथ ही अर्थ व्यवस्था को तीव्रगति से पुनर्जीवित करने तथा विकास के गत्यावरोधों को दूर करने के उद्देश्य से संसाधनों में वृद्धि सम्बन्धी उपाय भी किए जायेंगे । कराधान जांच समिति की संस्तुतियों पर निर्णय लेते समय सरकार किसी भी कर वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव के लिए इसे आधारिक माप-दन्ड के रूप में अपनायेगी ।

मंत्रि-परिषद् के समस्त सदस्यों का मैं बहुत अनुग्रहीत हूं जिनके सहयोग और परामर्श से तथा जिनके विभागों की सहायता से इतनी अल्प अवधि में बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका है । वित्त विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने के काम में दी है उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके परिश्रम और सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण तत्परता से किया जा सका है । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस कार्य में सहयोग के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं ।

श्रीमन्, मैं वर्ष 1981–82 का बजट प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष––

अब हम उठते हैं और दिनांक 3 फरवरी, 1981 को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 12 मिनट पर मंगलवार, 3 फरवरी, 1981 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
30 जनवरी, 1981

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 456 पर)

संलग्नक

प्रमुख शिकायतों की सूची

1--चकबन्दी कर्मचारियों ने घूस लेकर गलत ढंग से बहुत से फर्जी आदेश ग्राम समाज की भूमि पर चढ़ा दिये हैं, जिसके कारण 88 एकड़ रकबा बढ़ रहा है।

2--कुछ लोगों का चक मूल स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर कर दिया गया है।

3--नालियाँ तथा चक रोड भी रिकार्ड आपरेशन के बाद इधर-उधर किये गये हैं।

4--कुछ काश्तकार जो ग्राम परदहा में कभी काश्तकार नहीं रहे हैं, वे मौके की जमीन जैसे स्पीनिंग मिल परदहा इटौरा मार्ग तथा रेलवे लाइन के किनारे अपनी गुण्डई तथा घूस से अपने नाम फर्जी दर्ज करा लिया है।

5--खाता संख्या 678 में सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

6--खाता संख्या 293 का पन्ना बाद में बढ़ाया गया है।

7--खाता संख्या 837 में आकार-पत्र 41 में अब भी बंजर फांट दर्ज हैं तथा चकबन्दी लेखपाल के हस्ताक्षर नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 458 पर)

संलग्नक तालिका

जिला हरदोई की तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के जिन ग्रामों में चकबन्दी नहीं हुयी थी, की सूची :

क्रम-संख्या	नाम ग्राम
1	2
1	तपनौर
2	दाऊबपुर
3	मानीमऊ
4	कलहा मऊ
5	फतेहपुर चौगवां
6	मेंहदीपुर
7	काजीपुर नौगवा
8	नीमामऊ
9	सूआपुर
10	तेजीपुर
11	सुनासी
12	सुकरौली
13	दारापुर
14	खैरुद्दीनपुर
15	मूलन गनीपुर
16	खुरुमपुर
17	इस्लामाबाद
18	कुतुमपुर ज्योली
19	खेमीपुर
20	सन्जरपुर
21	रुइया
22	जेहदीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
23	लच्छीपुर
24	भीखपुर
25	मंहगेपुर
26	निवाड़ा गब्बी
27	करवा
28	लैकपुर
29	पूरमपुर
30	कोडरमऊ
31	कोकटमऊ
32	नारायनमऊ
33	तेरवा कुल्ली
34	वाकटमऊ
35	जलालपुर
36	तव कुतलाबाद
37	मगरहा
38	शाहपुर
39	मन्सूरापुर
40	महमूदापुर
41	रामपुर
42	इटौली
43	जफरपुर
44	महदेवामऊ
45	करेहका
46	बांड
47	गनीपुर
48	छिबरामऊ
49	जरसेनामऊ
50	कुतबपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
51	खलीलनगर
52	बलेंवा
53	बोझवर
54	रेकरा
55	धोधी
56	परसोला
57	हरइयापुर
58	साहीपुर
59	अखतियापुर
60	बिन्दौरी
61	आसफपुर
62	महमूदपुर
63	अलियापुर
64	कोई
65	कोइलरा
66	बुदनपुर
67	रामपुर मझियारा
68	अजमतनगर
69	हैबतपुर
70	नैकपुर हथियामऊ
71	पहलवानाबाद

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 458 पर)

1980 में अतिवृष्टि के कारण गिरे हुये मकानों के लिए गृह अनुदान के आवंटन का विवरण :

क्रम सं0	जनपद का नाम	शासन द्वारा आवंटित धनराशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1	सहारनपुर	1.20
2	मुजफ्फरनगर	6.70
3	मेरठ	1.50
4	गाजियाबाद	0.20
5	बुलन्दशहर	2.20
6	बिजनौर	2.70
7	अलीगढ़	1.70
8	मथुरा	1.70
9	आगरा	0.70
10	मैनपुरी	24.50
11	एटा	0.70
12	बरेली	1.95
13	बदायूं	3.50
14	शाहजहांपुर	3.20
15	पीलीभीत	1.70
16	मुरादाबाद	2.90
17	रामपुर	0.70
18	फर्रुखाबाद	7.20
19	इटावा	110.70
20	कानपुर	188.70
21	फतेहपुर	119.70

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3
22	इलाहाबाद	83·20
23	बांदा	80·20
24	हमीरपुर	65·20
25	झांसी	1·20
26	ललितपुर	0·70
27	जालौन	32·20
28	वाराणसी	1·20
29	मिर्जापुर	3·20
30	जौनपुर	57·20
31	गाजीपुर	58·20
32	बलिया	34·20
33	गोरखपुर	90·20
34	बस्ती	67·40
35	आजमगढ़	38·50
36	देवरिया	29·20
37	नैनीताल	2·10
38	अल्मोड़ा	1·50
39	पिथौरागढ़	12·20
40	चमोली	2·50
41	उत्तरकाशी	5·40
42	गढ़वाल	0·85
43	टिहरी गढ़वाल	0·56
44	देहरादून	0·40
45	लखनऊ	178·70
46	उन्नाव	120·70
47	रायबरेली	190·50
48	सीतापुर	105·20
49	हरदोई	60·40

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
50	खीरी	12·00
51	फैजाबाद	63·20
52	गोण्डा	33·20
53	बहराइच	27·45
54	सुल्तानपुर	97·50
55	प्रतापगढ़	129·80
56	बाराबंकी	114·20
	योग ..	2284·41

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 462 पर)

विद्युत् ट्रांसफारमर्स की चोरी की रोकथाम के लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) ट्रांसफारमर की चोरियां पुलिस विवेचना हेतु 'साधारण चोरी' के वर्ग से हटा कर 'स्पेशल रिपोर्ट केस' के वर्ग में रख दी गयी है एवं इस प्रकार की चोरियों की विवेचना का पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के स्तर पर भी होता है। इस प्रकार के 'स्पेशल रिपोर्ट' की विवेचना सम्बन्धी क्रमागत प्रगति आख्यायें परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों को भी भेजी जाती हैं।

(2) ट्रांसफारमर चोरी से सम्बन्धित क्रियाशील अपराधियों की सूची, उनके गैंग चार्ट एवं प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे आदि भी थानों में रखे जाते हैं जिससे प्रभावित क्षेत्र में समुचित गस्त व्यवस्था की जा सके।

(3) ट्रांसफारमरों की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए उन्हें सूनसान स्थानों से हटाकर यथा सम्भव आबादी के निकट लगाया जा रहा है।

(4) ट्रांसफारमरों की ऊपरी प्लेट को भली भांति वेल्ड करने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

(5) ट्रांसफारमर की चोरी मुख्यतः उनमें लगे तांबे की क्वाइल के कारण होती रही है अतः राज्य विद्युत् परिषद् पिछले कई वर्ष से एल्यूमिनियम के क्वाइल के तथा 'सील्ड' छोटे ट्रांसफारमर खरीद रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जाते हैं।

(6) ग्राम सुरक्षा समितियों की भी सहायता ट्रांसफारमर्स की सुरक्षा हेतु ली जा रही है।

(7) पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश एवं अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा ट्रांसफारमर चोरियों की रोकथाम के लिये ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे ट्रांसफारमर की चोरी को रोकने के लिये सम्बन्धित थानाध्यक्षों को निरन्तर निर्देश देते रहें एवं ऐसे थानाध्यक्षों के विरुद्ध थानाध्यक्षों के पद से हटाने की कार्यवाही करें जो इस प्रकार के अपराधों के नियन्त्रण में असफल रहते हैं।

(8) राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत प्रदेश के 17 जनपदों—मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, बदायूं, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, मुजफ्फरनगर, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ एवं फैजाबाद में पुलिस प्रवर्तन दल भी स्थापित किये गये हैं जो स्थानीय पुलिस को इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिये निरन्तर सहायता देते रहते हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 467 पर)।

ग्रामजरलही में चक्रवात से प्रभावित व्यक्तियों को दी गई सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों के नाम	वितरित धनराशि का विवरण			
		गृह अनुदान की धनराशि	अहैतुक सहायता की धनराशि	साड़ी/धोती	वितरण की तिथि
1	2	3	4	5	6
	उन 7 व्यक्तियों के नाम जिन्हें चोटें आयी				
		रु0	रु0		
1	श्री शिवपूजन पुत्र भागी	..	125	..	23-9-1980
2	,, अवधेश पुत्र राजेन्दर	..	150	..	,,
3	,, राधेश्याम पुत्र राजेन्दर	..	50	..	,,
4	,, बुद्धू पुत्र बदरी	..	75	..	,,
5	श्रीमती मोतिया स्त्री नेउर	..	75	..	,,
6	श्री शंकर पुत्र तपसी	..	75	..	,,
7	श्रीमती जसोदा देवी पुत्री भगौती	..	100	..	,,
	योग	.. ..	650	..	..

उन 109 व्यक्तियों के नाम जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए

1	2	3	4	5	6
		रु0	रु0		
8	श्री बिहारी पुत्र महादेव	100	25	1	9-11-1980
9	,, विजयी पुत्र रामपति	100	25	1	,,
10	,, जगदीश पुत्र रामपति	100	25	1	,,
11	,, नेउर पुत्र शिवबालक	100	25	1	,,
12	,, झयानाथ पुत्र रामलगन	50	25	1	,,
13	,, शीतल पुत्र जागेशर	50	25	1	,,
14	,, भगौती पुत्र जागेशर	50	25	1	,,
15	,, बांके पुत्र शिवनाथ	50	25	1	,,
16	,, जदुनन्दन पुत्र कुमार	50	25	1	,
17	,, हरिद्वार पुत्र अभिलाख	150	25	1	,,
18	,, स्वामी नाथ पुत्र झगरू	50	25	1	,,
19	,, विक्रम पुत्र अभिलाख	100	25	1	,,
20	,, रघुनन्दन पुत्र कुमार	100	25	1	,,
21	,, पारस पुत्र रामनरेश	50	25	1	,,
22	,, दुर्बल पुत्र बुधिराम	100	25	1	,,
23	,, मिश्री पुत्र बहादुर	100	25	1	,,
24	,, जोखनी बेवा मीठाई	100	25	1	,,
25	,, जगरोपन पुत्र नयनसुख	100	25	1	,,

1	2	3	4	5	6
		रु0	0		
26	श्री हरिचरन पुत्र रामजी	50	25	1	9-11-1980
27	,, सबर पुत्र भागो	50	25	1	,,
28	,, शिवराज पुत्र धोसीयावन	100	25	1	,,
29	,, राम अधार पुत्र सूर्यनाथ	50	25	1	,,
30	,, बहादुर पुत्र जग्गू	50	25	1	,,
31	,, अभिलाख पुत्र जग्गू	50	25	1	,,
32	,, कन्हई पुत्र जग्गू	50	25	1	,,
33	,, फौजदार पुत्र जदुनाथ	100	25	1	,,
34	,, लालमन पुत्र रघुनाथ	50	25	1	,,
35	,, राजाराम पुत्र रघुनाथ	50	25	1	,,
36	,, गुलाई पुत्र मुन्नी	200	25	1	,,
37	,, बैजनाथ पुत्र गोकुल	100	25	1	,,
38	,, रामराज पुत्र मुन्नी	100	25	1	,,
39	,, शिवपूजन पुत्र भागी	50	25	1	,,
40	,, पोहारी पुत्र जगरोपन	50	25	1	,,
41	,, प्रहलाद पुत्र जगरोपन	50	25	1	,,
42	,, शंकर पुत्र रमेशर	50	25	1	,,
43	,, शिवमूरत पुत्र रमेशर	50	25	1	,,
44	,, रामगति पुत्र रमेसर	100	25	1	,,
45	,, सुखई पुत्र महाबल	100	25	1	,,

1	2	3	4	5	6
		रु0	रु0		
46	श्री बैजू पुत्र महाबल	100	25	1	9-11-1980
47	,, दूधनाथ पुत्र गोकुल	50	25	1	,,
48	,, रामधारी पुत्र शीतल	50	25	1	,,
49	,, ठाकुर पुत्र मतलू	50	25	1	,,
50	,, राजदेव पुत्र मतलू	50	25	1	,,
51	,, राजबली पुत्र वरन	50	25	1	,,
52	,, बीरबली पुत्र गोपी	50	25	1	,,
53	,, रामदेव पुत्र गुप्तार	50	25	1	,,
54	,, दुखी पुत्र गुप्तार	100	25	1	,,
55	,, सूरत पुत्र घन्नू	100	25	1	,,
56	,, रघुनाथ पुत्र सूर्यवली	50	25	1	,,
57	,, लालमन पुत्र निरंजन	50	25	1	,,
58	,, राममूरत पुत्र राम प्रसाद	50	25	1	,,
59	,, भभूती पुत्र निरंजन	50	25	1	,,
60	,, रामसेवक पुत्र निरंजन	50	25	1	,,
61	,, सन्तू पुत्र निरंजन	50	25	1	,,
62	,, नेबूलाल पुत्र निरंजन	50	25	1	,,
63	,, कोदई पुत्र सकलू	100	25	1	,,
64	,, सजन पुत्र सुक्खू	100	25	1	,,
65	,, मुखु पुत्र बदरी	50	25	1	,,

अमर उजाला विधान सभा

1	2	3	4	5	6
		रु0	रु0		
66	श्री सिधू पुत्र बदरी	50	25	1	9-11-1980
67	,, बुद्धू पुत्र बदरी	50	25	1	,,
68	,, जयकरन पुत्र भोला	50	25	1	,,
69	,, शिवनरायन पुत्र कन्हई	50	25	1	,,
70	,, कोलाहल पुत्र रघुबीर	50	25	1	,,
71	,, छबीलाल पुत्र रघुवीर	50	25	1	,,
72	,, बासदेव पुत्र कल्पू	50	25	1	,,
73	,, वंशराज पुत्र शिवदीहल	100	25	1	,,
74	,, हंसा पुत्र शिवदीहल	100	25	1	,,
75	,, धनई पुत्र शिवदीहल	50	25	1	,,
76	,, खेताऊ पुत्र शिवदीहल	100	25	1	,,
77	,, शोभा पुत्र गांधी	200	25	1	,,
78	,, बंसी पुत्र शोभा	100	25	1	,,
79	,, रामबली पुत्र भरोसा	100	25	1	,,
80	,, श्याम बली पुत्र भरोसा	100	25	1	,,
81	,, फूलचन्द पुत्र रामभजन	100	25	1	,,
82	,, रामवृक्ष पुत्र शिवमंगल	100	25	1	,,
83	,, जोखन पुत्र सोमई	100	25	1	,,
84	,, रामकलश पुत्र अलगू	100	25	1	,,
85	श्रीमती दुलारी बेवा फागु	100	25	1	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
		रु0	रु0		
86	श्री बलिकरन पुत्र मोलहू	200	25	1	9-11-1980
87	,, जिउत पुत्र मेडई	100	25	1	,,
88	,, सीता पुत्र गंगा	100	25	1	,,
89	,, पीतम्बर पुत्र जोगी	100	25	1	,,
90	,, नेउर पुत्र मुसई	100	25	1	,,
91	,, विन्ध्याचल पुत्र मंगल	100	25	1	,,
92	,, रामकरन पुत्र कौलेशर	50	25	1	,,
93	,, दुलारे पुत्र कौलेशर	50	25	1	,,
94	,, शंकर पुत्र तपसी	100	25	1	,,
95	,, सूक्खू पुत्र सोमई	100	25	1	,,
96	,, तीरथु पुत्र बदरी	50	25	1	,,
97	,, छनर पुत्र बदरी	50	25	1	,,
98	,, सुखराज पुत्र फकीर	100	25	1	,,
99	,, भागी पुत्र बंधन	100	25	1	,,
100	,, रामजन पुत्र माता बदल	100	25	1	,,
101	,, मुलकी पुत्र दमरी	100	25	1	,,
102	श्रीमती रजवन्ती बेवा परदेसी	200	25	1	,,
103	श्री चनई पुत्र बुधिराम	100	25	1	,,
104	,, खेताऊ पुत्र बुधिराम	100	25	1	,,
105	,, पराग पुत्र बुधिराम	100	25	1	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
		रु0	रु0		
106	श्री रामकवल पुत्र बुधिराम	100	25	1	9-11-1980
107	,, बेन्नू पुत्र रामसमुझ	100	25	1	,,
108	,, मोहन पुत्र गगई	100	40	..	,,
109	,, जागबली पुत्र गगई	100	40	..	,,
110	,, इन्दल पुत्र रामसुभग	100	40	..	,,
111	,, रामआसरे पुत्र शिवराज	100	40	..	,,
112	,, रामदौर पुत्र कलपू	100	40	..	,,
113	,, उग्रह पुत्र कलपु	100	40	..	,,
114	,, वंश राज पुत्र औतार	100	40	..	,,
115	,, राजेन्द्र पुत्र महेश	100	40	..	,,
116	,, राम हरष पुत्र धन्नू	100	40	..	,,
	योग ..	9,000	2,860	100	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 467 पर)।

गृह अनुदान विवरण की सूची

ग्राम—गिरधरपुर दुबौलिया

क्रमांक	पात्र व्यक्ति का नाम, जिसे अनुदान दिया गया	मकान की किस्म	वितरित धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4
			रु0
1	श्री राजा पुत्र सहदेव	कच्चा	50.00
2	श्री हरिहर पुत्र सहदेव	,,	50.00
3	श्री शंकर पुत्र सहदेव	,,	50.00
4	श्री डोलाई पुत्र सहदेव	,,	50.00
5	श्री कोमल पुत्र कालिका	,,	50.00
6	श्री निसार अहमद पुत्र सिराजू	,,	50.00
7	श्री रमेश पुत्र पुजारी	,,	50.00
8	श्री ब्रह्मानन्द पुत्र चन्द्र मोल	,,	50.00
9	श्री कैलाश पुत्र पतरू	,,	50.00
10	श्री रमाशंकर पुत्र गोवर्धन	,,	100.00
11	श्री गोविन्द पुत्र टोलो	,,	50.00
12	श्री गेलू पुत्र बासदेव	,,	50.00
13	श्री चन्द्रिका पुत्र नन्द किशोर	,,	100.00
14	श्री हरिशंकर पुत्र घुरहू	,,	100.00
15	श्री हरिहर पुत्र मनोकामना	,,	100.00
16	श्री प्रेम नारायन पुत्र मनोरमा	,,	100.00
17	श्री रामनरेश पुत्र तिलकधारी	,,	50.00
18	श्री जगदीश पुत्र राम लखन	,,	50.00
19	श्रीमती तरिया स्त्री श्री पति	,,	50.00
20	श्रीमती कऊसी बेवा दुखी	,,	50.00
21	श्रीमती जयमतिया स्त्री जलील	,,	50.00
22	श्री खलील पुत्र सलीम	,,	50.00
23	श्री राम सूरत पुत्र नेपाल	,,	50.00
		योग ..	1,400.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गृह अनुदान वितरण की सूची

ग्राम—गिरधरपुर चौबे

1	2	3	4
			रु0
1	श्री ढुनमुन पुत्र भोरई	कच्चा	50.00
2	श्री गनपति पुत्र भोरई द्वारा श्रीमती दुर्गा	,,	50.00
3	श्रीमती पूनवासिया बेवा पलकधारी	,,	50.00
4	श्री चतुरी पुत्र जतन	,,	50.00
5	श्री ढेधू पुत्र खुटुर	,,	50.00
6	श्री रामबृक्ष पुत्र सिरजन	,,	50.00
7	श्रीमती दिपिया बेवा बरवाबर	,,	50.00
8	श्री मोती पुत्र रामधनी	,,	50.00
9	श्री श्रीपति पुत्र चुन्नुर	,,	50.00
10	श्री राजपति पुत्र चुन्नुर	,,	50.00
11	श्री पुनबासी पुत्र मुरली	,,	50.00
12	श्रीमती लखराजी बेवा पतरू	,,	50.00
13	श्री पारस पुत्र लहुरी	,,	50.00
14	श्रीमती फलेसरी बेवा घुरपतरी	,,	50.00
15	श्री सेवक पुत्र भगन	,,	50.00
16	श्रीमती सिरताजी स्त्री नगेसर	,,	50.00
17	श्रीमती धनेशर स्त्री नन्दलाल	,,	50.00
18	श्री चौथी पुत्र शिवनाथ	,,	50.00
19	श्री रामलखन पुत्र माताबदल	,,	50.00
20	श्री सुदर्शन पुत्र मुनेशर	,,	50.00
		योग ..	1,000.00

उपखण्ड अधिकारी सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 488 पर)'

कार्यवाही विवरण

(1) पहले फार्म–31 पर किसी मनोनीत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते थे और न ही पदनाम की मुहर लगाई जाती थी। बाद में 26–4–75 से विभाग द्वारा प्रत्येक फार्म–31 पर मनोनीत अधिकारी के हस्ताक्षर करने तथा पदनाम की मुहर लगाए जाने की प्रथा शुरू की गई तथा साथ ही साथ मनोनीत अधिकारी के हस्ताक्षर पद नाम की मुहर व खंड कार्यालय की मुहर का नमूना भी सभी जांच चौकियों पर भेजा गया ताकि जाली फार्म चेक पोस्ट से पास न हो सकें।

(2) चेक पोस्ट, नौबतपुर के आस–पास स्थापित गुमटियों पर समय–समय पर संचल दल व बि0 अनु0 शा0 के अधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रशासन की सहायता से छापे मारकर फर्जी फार्म–31 बरामद किए गए व अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध पुलिस के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की गई।

(3) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर कार्यालय खंड/मन्डल में कोयले के जितने व्यापारी पंजीकृत हैं तथा उन्हें किस–किस दिनांक को किस–किस क्रमांक के कितने फार्म–31 जारी किए गए हैं, की सूचना भी बिक्रीकर अधिकारी जांच चौकियों को भेजे जाने के निर्देश दिए गए, जिससे फर्जी फर्मों के नाम से कोयले का आयात न किया जा सके, यह सूचना बराबर खन्डों/मन्डलों द्वारा चेक पोस्ट को भेजी जा रही है।

(4) कोयले के व्यापारियों को बिक्रीकर विभाग में पंजीयन प्रमाण–पत्र देने के पूर्व जांच के समय विशेष सर्तकता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं।

(5) कुछ वस्तुओं जैसे चूना, मोरंग, बालू, मिट्टी, पत्थर व कोयला आदि के आयात करने में फर्जी फार्म–31 को रोकने के लिए सभी खंड अधिकारियों को इस आशय के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि फार्म–31 जारी करते समय ही उस पर आवश्यकतानुसार "केवल कोयला/बालू/पत्थर/मिट्टी/मोरंग के आयात के लिए की मुहर लगा दी जाया करें। निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(6) व्यापारी द्वारा खोए हुए अथवा विभाग से गायब हुए फार्म–31 के क्रमांकों की सूचना सभी जांच चौकी अधिकारियों को भेजी जाती है, जिससे उनका प्रयोग अवैध रूप से माल के आयात हेतु न किया जा सके। खोये/गायब हुए फार्म–31 की सूचना का प्रचार समाचार–पत्रों द्वारा भी कराया जाता है।

(7) फर्जी फार्म–31 के प्रचलन को रोकने के उद्देश्य से पुराने फार्म–31 का प्रचलन दिनांक 11–10–1980 से बन्द करके उसके स्थान पर विशेष जलकित क्रमओब पेपर पर मुद्रित फार्म–31 प्रचलित किए गए हैं।

(8) जांच चौकी पर अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से एक सहायक आयुक्त (जांच चौकी एवं संचल दल) बिक्रीकर, वाराणसी की नियुक्ति भी की गई है।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 134 का उत्तर पीछे पृष्ठ 494 पर

सर्वश्री—

1—रघुनाथ सहाय

2—श्याम लाल गुप्ता

3—ए0 के0 अंसारी

4—शिव मंगल सिंह

5—अब्दुल गनी

6—देवकी नन्दन गोयल

7—हरिद्वार सिंह

8—रमेश चन्द्र प्रोतियः

9—मूल चन्द्र गुप्ता

10—आत्माराम श्रीवास्तव

11—आर0 पी0 जैन

12—ब्रह्म देव मिश्र

13—डी0 के0 बिसारिया

14—सन्त लाल वर्मा

15—माता प्रसाद सिंह

16—ईश्वर दीन शुक्ला

17—सूरज प्रसाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 178 का उत्तर पीछे पृष्ठ 505 पर)
विद्युत् वितरण खन्ड द्वितीय

आजमगढ़

20 अक्तूबर, 1980 तक हरैया ब्लाक के ग्राम सभाओं में विद्युत् न पहुंचने की सूची ।

1--बनहरा छपरा

2--बगईपुर

3--अजगर मगवी

4--रोहबरा बेदौली

5--हसनपुर

6--रसूलपुर

7--बेनपुर बेलकुन्डा

8--बालाखनपुर

9--अचलनगर

10--दे0 खसराना

11--दे0 गरीब भिक्षुक

12--सहबदिया सुल्तानपुर

13--परसिया

14--रामपुर सरैना

15--गंगेपुर चक्की

16--रोशनगंज

17--उरवीहा

18--सोनौरा

19--पाकेश सिमरथ

20--कुबरी देवरिया

21--कोबरी फूलपुर

22--मेदीरा मकरन

23--बेउवी हाजीपुर

24--खेता एक्वन

विधान सभा

25—सुर्वहपर पटना
26—रैंचन्दबाला जम्ता
27—बालनरायन नचिरिया
28—जमुआसागर भरांव
29—अजूबा कुरसेली
30—करीम गंज फुक्मान
31—गोनहा गतिहा
32—अजकरा मशकरी
33—अराज अलगरा मसको
34—अराज अजगरा अगरवी
35—बाबा बुढनपुर
36—टूलापर पोखरा
37—सीवान
38—परेवा रुद्रपुर
39—बानियापार
40—पहाड़ीपुर मक्खापुर
41—सेठकिला
42—खैरधार जमालुद्दीन पट्टी
43—सिरही मनोरथपुर
44—बैलकुन्डा
45—हरैया
46—हांसपुर
47—सिधबारा बलजरिया
48—देवरा इस्माइलपुर
49—बातन सखइन
50—बिल बिजलीदान चिलबिली
51—देवरिया
52—सपहा पाठक चांद
53—इसरा सेंदबली
54—समुनी मैन
55—शैनापार
56—अम्मन पट्टी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विद्युत् वितरण खन्ड द्वितीय आजमगढ़

20 अक्तूबर, 1980 तक आजमगढ़ ब्लाक की ग्राम सभाओं में विद्युत् न पहुंचने की सूची

1--रामपुर
2--हरनई
3--विशुनपर
4--सिकरौरा जहीरल्लाह
5--दिलसाद पुर भुवना
6--शेष मौली कटाई
7--सोकहना खालिस
8--कमालपुर फरखपुर
9--बिलऊ बेगू
10--उसरहा
11--कुमारगढ़ तिवारी
12--बेलसर
13--अतर सलोना
14--बाली जगदीशपुर
15--बजहौली बेनी
16--मिश्रपुर
17--गुजार सुरैना
18--बलुआ सतना
19--बैरी डाड पिपरी
20--दान महुला बरामद पुर
21--जमसर महदेवा
22--ब्रह्मपुर सतर
23--हरखोरी
24--स0 स0 मालदारो
25--बासूपार उड़वा
26--खुशहाल सैनपुर
27--दाउदपुर सुलेमान

पी0एस0यू0पी0 4 वि0 सभा 4-6-81--835--(पी0डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा